खण्ड-370, अंक-10
शुक्रवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1907
(26 जुलाई, 1985 ई0)

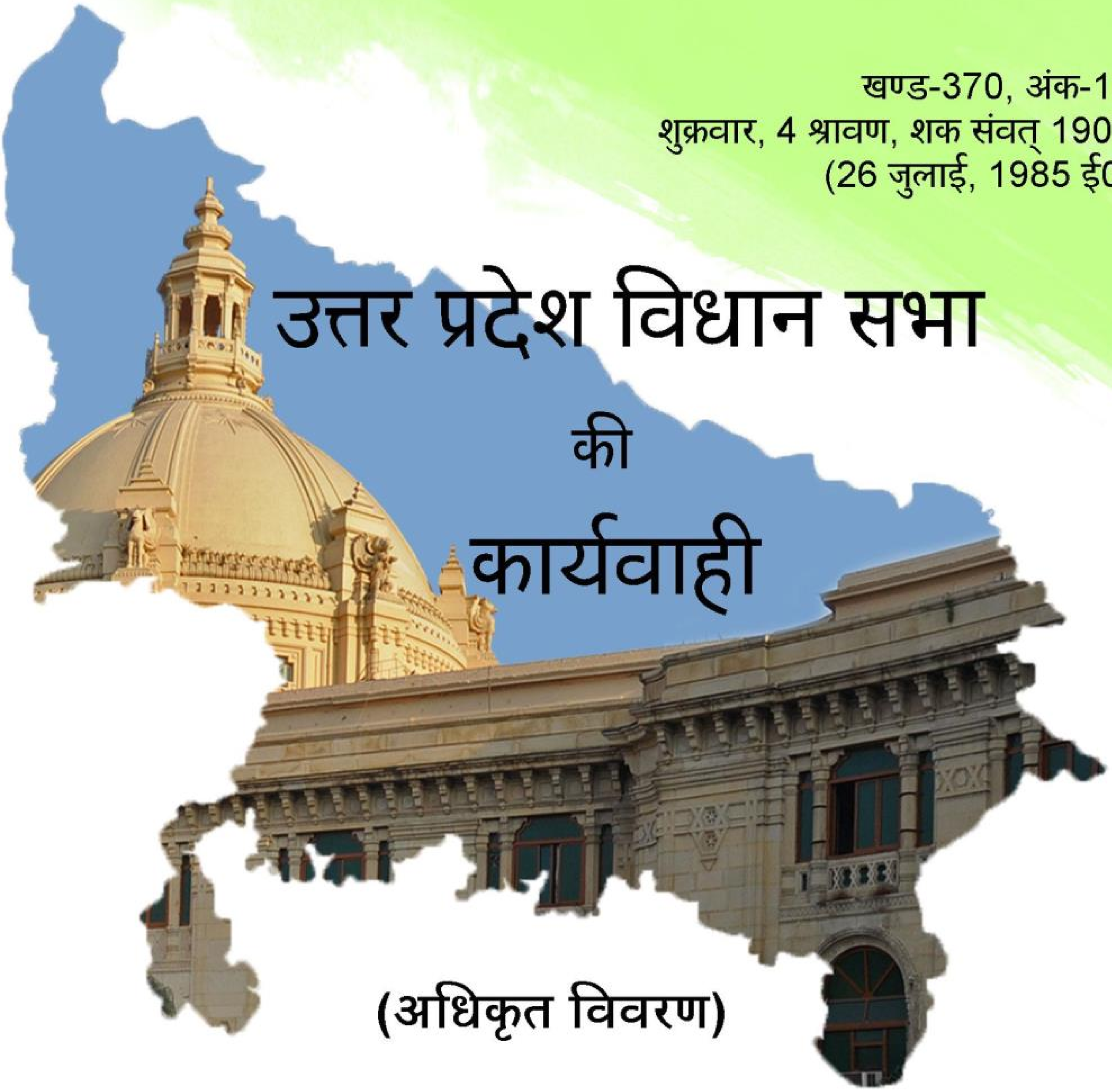

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1—2
प्रश्नोत्तर	3—78
अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी द्वारा सदन संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	79
तारांकित प्रश्न संख्या 11 को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	80
अमेरिका में बनी एक फिल्म में बापू की गलत तस्वीर प्रस्तुत किये जाने पर भर्त्सना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति की मांग ..	81—82
राजकीय महिला चिकित्सालय बलिया में जनरेटर की कमी से मरीजों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	83
महुली बस्ती के थानाध्यक्ष श्री पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी एवं एस0 आई0 श्री रामनरायन यादव के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	84
थानाध्यक्ष, जहानागंज, आजमगढ़ द्वारा श्री महेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र यादव को फर्जी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	84
अतिवृष्टि से फिरोजाबाद नगरपालिका में जलभराव एवं जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	85
नेशनल थर्मल प्लान्ट, मुरादनगर, गाजियाबाद द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान में भिन्नता से भूस्वामियों में क्षोभ के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	85
बरेली जनपद की नहरों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	85
छात्रों की कापियों पर फिल्मी सितारों के अश्लील चित्रों के मुद्रण के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	86
टांडा थर्मल प्रोजेक्ट के मजदूरों को सेवा से अलग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	86
गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	86
ग्राम वाजिदपुर चन्दौली, वाराणसी के हरिजनों की भूमि पर सवर्णों द्वारा अनधिकृत कब्जे व अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	87
सीमेण्ट फैक्ट्री, डाला, मिर्जापुर से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण में भारी प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	87

विषय	पृष्ठ-संख्या
कोटद्वारा भावर, गढ़वाल में बाढ़ के भीषण प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	88
पर्वतीय जिलों में फल और उपयोग विकास के लिए स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन में ढिलाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	88
प्रधानमंत्री तथा अकालीदल के अध्यक्ष के मध्य हुए समझौते में कानपुर दंगों की जांच की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	89--92
दिनांक 25-7-85 को श्री जगवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा के सदन में बेहोश हो जाने तथा इलाज में लापरवाही के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93
जंगली जानवरों से फसल को क्षति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आश्वासन देने पर भी कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	94
उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन शीघ्र न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	94
लेसू में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	94
आगरा नहर का रख-रखाव हरियाणा सरकार को सौंपने से आगरा तथा मथुरा जनपदों में पानी का संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	95--97
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	98--109
प्रत्येक शुक्रवार का उपवेशन असरकारी कार्य के लिए न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	110
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	111—123
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	124—146
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	147
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	147--160

विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं	161
ललितपुर जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा साँराई में संचालित राक फास्फेट योजना की आड़ में यूरेनियम की जानकारी विदेशियों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में वक्तव्य	161—165
कलकत्ता व बम्बई के बूचड़खानों में बध हेतु उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में जानवरों के निर्यात के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	166—169
सत्थियां	171—173

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

विधान सभा
सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 26 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता श्री खानगुफरान जाहिदी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री बिजनौर
अजीत सिंह सेठी, श्री मेरठ
अमीर आलम खां, श्री मुजफ्फरनगर
अर्जुन सिंह यादव, श्री जौनपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री बहराइच
कल्यान सिंह, श्री अलीगढ़
कुदसिया बेगम, श्रीमती हरदोई
कृष्णकुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0 आगरा
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री सीतापुर
जगबीर सिंह, श्री अलीगढ़
जफर अली नकवी, श्री लखनऊ
जयदीप सिंह बरार, श्री बरेली
तिलक सिंह, श्री अलीगढ़
त्रिलोक चन्द्र, श्री बुलन्दशहर
दिवाकर विक्रमसिंह, श्री बस्ती
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
धनराज यादव, श्री बस्ती
नरेन्द्र सिंह कुंवर, सहारनपुर
नारायण हरि शर्मा, श्री अलीगढ़
नियाज हसन, श्री प्रतापगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री कानपुर
प्रेमीला बद्धवार महेश श्रीमती बदायूं
फजले मसूद, श्री देवरिया
बलदेव सिंह, कैप्टेन अलीगढ़
बुद्धपाल सिंह 'खुर्जावाले' श्री बुलन्दशहर
बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
भगवती प्रसाद चौधरी, मिर्जापुर
मंगल देव, श्री गोण्डा
महाबीर सिंह, श्री सहारनपुर
महाबीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
रणजीत, श्री देवरिया
राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
वीर बहादुर सिंह, श्री गोरखपुर
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री गोरखपुर
शारदा प्रसाद बिन्द, श्री वाराणसी
श्रीनाथ सिंह, श्री वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
समर पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
सुरेन्द्र कपिल, श्री सहारनपुर
हरिशंकर तिवारी, श्री बस्ती
हरिश्चन्द्र हरीश जी श्री, बस्ती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक, 26 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सूखाग्रस्त जिलों की संख्या एवं राजस्व वसूली का स्थगन

**1—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी, श्री शत-रुद्ध प्रकाश, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री सरदार सिंह, श्री मित्रसेन तथा श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 85 में सरकार ने कितने जिलों को आंशिक व पूर्णरूप से सूखा-ग्रस्त घोषित किया है तथा सूखाग्रस्त जिलों की सहायतार्थ सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? क्या यह सच है कि कुछ जिलों के राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितने जिलों की ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरीशंकर)—

शासन द्वारा किसी भी जनपद अथवा क्षेत्र विशेष को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है, बल्कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सूखाग्रस्त मानकर राहत कार्य सम्पन्न कराने की कार्यवाही की जाती है । शीतकालीन वर्षा औसत से कम होने के कारण 19 जनपदों की रबी की फसल प्रभावित हुई तथा 28 जनपदों, जिनमें सूखा से प्रभावित 16 जनपद भी शामिल हैं, में पेयजल समस्या उत्पन्न हो गयी थी । इस प्रकार कुल 31 जनपदों में सूखा/पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी ।

उक्त 31 जनपदों में राहत देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(1) दैवी आपदा राहत बजट से कुल 505.20 लाख रुपये की धन-राशि आवंटित की गयी, जिसमें पेय-जल की व्यवस्था हेतु 99.00 लाख रुपये भी शामिल हैं ।

(2) पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों, ट्रकों, पाइप लाइन, खच्चरों तथा हैण्ड पम्पों आदि से पेय-जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गयी ।

(3) तालाब/पोखरों को भरने की व्यवस्था कराई गयी ।

(4) विद्युत् आपूर्ति यथा सम्भव सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करायी गयी ।

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत रोजगार के अवसर त्वरित गति से सृजित करने की व्यवस्था करायी गयी ।

(6) पशुओं के चारे, भूसे व पेय-जल की व्यवस्था कराई गई ।

(7) मानव/पशु स्वास्थ्य हेतु आव-श्यक प्रबन्ध की व्यवस्था कराई गयी ।

(8) पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायी गयी ।

(9) अभी तक 8 जनपदों, जिनमें फसल की 50% से अधिक क्षति सूचित की गयी है, की भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-8-85 तक के लिए स्थगित की जा चुकी है ।

(10) सूखा तथा पेयजल समस्याओं की समीक्षा करने हेतु राज्य स्तर पर

राहत आयुक्त की अध्यक्षता में एक "टास्क फोर्स" गठित किया गया है।

जी हां। 8 जिलों की।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन जिलों की राजस्व की वसूली स्थगित की गयी और उसे स्थगित करने का क्या आधार था ? क्या उन्हीं आधारों पर अन्य जिलों का भी राजस्व जो वसूल नहीं हुआ है, स्थगित करने का निर्णय करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

जैसा निवेदन किया अभी तक 8 जनपद जिनमें 50 परसेन्ट से अधिक की क्षति हुई है की भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली 31-8-85 तक के लिए स्थगित हुई है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वह आठ कौन जनपद हैं ?

श्री गौरी शंकर—

6 पहाड़ी जनपद हैं और ललितपुर तथा सहारनपुर।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

हमने नाम पूछे हैं नाम बता दें।

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

पर्वतीय क्षेत्र के हैं। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो नाम बता देता हूं जो इस प्रकार हैं—देहरादून, टेहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल . . .

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त)—

नैनीताल नहीं है, ललितपुर है।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ठीक है। ललितपुर और सहारनपुर है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा जब दैवी आपत्ति सूखा या बाढ़ आ जाती है तो राजस्व की वसूली स्थगित की जाती है। मान्यवर, राजस्व की वसूलियां जो इनसे संबंधित होती हैं स्थगित हो जाती हैं। बैंकों और सहकारी समितियों से संबंधित वसूली स्थगित नहीं होती।

लेकिन वसूली जो स्थगित हो जाती है उन पर ब्याज बढ़ जाता है और स्थगित किये जाने पर दुबारा ब्याज देना पड़ता है। क्या मंत्री जी ब्याज माफ करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, ऋण के ब्याज माफ करने का कोई प्राविधान नहीं है। यदि किसी को कोई व्यक्तिगत रूप से कठिनाई हो तो वह अलग बात है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शासन जिले को सूखाग्रस्त नहीं घोषित करता है बल्कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर घोषित किया जाता है। इसलिये क्या ऐसे जनपद जो सूखे से प्रभावित हैं और वहां के जिलाधिकारी ने जानबूझकर सूखाग्रस्त की रिपोर्ट नहीं दिया, क्या मंत्री जी उसकी दुबारा इंक्वायरी कराकर सूखाग्रस्त घोषित करेंगे, जैसा कि बलिया जनपद में किया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिलाधिकारी की सूचना पर भी किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जा सकता है और उसमें राहत के कार्य शुरू कर सकते हैं। जहां-जहां के जिलाधिकारियों ने कोई सूचना नहीं भेजी है, उनको यह सुविधा नहीं दी गयी लेकिन जहां से सूचना आयी वहां राहत कार्य शुरू किया है।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ललितपुर सूखाग्रस्त माना गया है जबकि वहां के जिलाधिकारी द्वारा शासन को पत्र लिखा गया है और मैंने शासन को अवगत कराया कि जनपद में त्राहि-त्राहि मची है, 3 वर्षों से वर्षा कम हुई है किन्तु मुख्य मंत्री जी ने जो अभी कहा है वह तथ्य से परे है। इसलिये क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि किस तिथि को ललितपुर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि नहीं तो कब घोषित करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मा0 सदस्य का प्रश्न है कि ललितपुर में वसूली स्थगित करने का कब आदेश हुआ है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जैसा पहले कहा था कि कुल 31 जिले सूखे से प्रभावित हुए उनमें एक ललितपुर जिला भी है। सभी जिलों में ऐसा नहीं है कि 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई हो, बल्कि कहीं 40 और कहीं 30 प्रतिशत क्षति हुई है। कहीं पेयजल की कठिनाई हुई है तो वहां पेयजल की व्यवस्था की गयी है, इसी तरह से ललितपुर सूखे से प्रभावित था।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने गलत बयान दिया है मैं चाहता हूं कि वह स्पष्ट तारीख बतायें कि कब घोषित किया ?

श्री नारायण दत्त—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ललितपुर कह रहे हैं कि हमने गलत किया है, यदि गलत किया है तो आपके हित में किया है। ललितपुर तो सूखाग्रस्त घोषित हो गया है, इसमें गलती यदि कोई है जो जनता के पक्ष में है, गलत नहीं है बल्कि वह सूखाग्रस्त घोषित हुआ

(व्यवधान)

है। मुझे लगता है इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। तारीख की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी सूखाग्रस्त घोषित करने की। (व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, किसानों पर जो कर्जे हैं उन कर्जेदारों पर सूद भी 10 से 18 परसेन्ट तक लगता है और जब वह नहीं दे पाते हैं तो उसकी वसूली तहसीलों में भेजी जाती है और तहसीलों में आर0 सी0 भेजने के बाद 10 परसेन्ट एक्स्ट्रा और लिया जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तहसील में रिकवरी भेजने के बाद भी इस 10 परसेन्ट की वसूली न की जाये, यद्यपि आप उनको तहसील की हवालात में डाल ही देते हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

हम जिलाधिकारियों से सूचना मंगा लेंगे और अगर उन्होंने इस तरह की सूचना दी तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि सूखाग्रस्त जनपदों में मंत्री जी ने सहारनपुर का भी नाम लिया है, कि सहारनपुर पूरा जिला सूखाग्रस्त घोषित किया गया है या उसका एक दो परगना ही ? यदि पूरा जिला नहीं किया, तो क्यों नहीं किया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कोई भी पूरा जनपद प्रभावित नहीं हुआ है। किसी जनपद का कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो किसी जनपद का कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कहीं

ऐसा नहीं है कि पूरा जिला ही सूखा से प्रभावित रहा हो, तो यहां भी यही बात है । (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जिन मानकों पर आपने पहाड़ी जिलों की वसूली स्थगित की, उन्हीं मानकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जिला आता है या नहीं ? और जो पेयजल की व्यवस्था के बारे में आपने लिखा है, मेरी सूचना के अनुसार आगरा जनपद के फिरोजाबाद में 39 गांव हैं, किन्तु किसी भी गांव में न तालाब भरा गया न पोखर भरा गया है और आप जो खर्च की बात इसमें कहते हैं, वह केवल किताबी लिखा-पढ़ी है । वहां न खच्चर से और न टैंकर से कहीं पानी भेजा गया है । आप बतायें, आपने भेजा तो कहां भेजा और मानक बता दें ?

श्री अधिष्ठाता—

श्री रघुवर दयाल जी ने जो सवाल किया है, उसे मैं जरा साफ कर दूं, उन्होंने यह सवाल किया है कि फिरोजाबाद के 39 जो गांव हैं, जो पीने के पानी के संकट में हैं, उनके बारे में भी क्या वैसे ही कार्यवाही की गई है, जैसे अन्य सभी स्थानों पर की गई है ?

श्री गौरी शंकर—

आगरा जनपद भी हमारी सूची में है और उसके अनुरूप ड्रिकिंग वाटर में जो प्राब्लम विलेजेज हैं, उसमें आगरा के भी 40 गांवों में ड्रिकिंग वाटर प्राब्लम को फीड किया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया, जो मैंने मानक के बारे में पूछा था . . . (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर—

बलिया जिले में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं, यह जो 50 परसेन्ट से अधिक की बात है यह पूरे साल का लगाया जाता है, उदाहरण के लिए एक समय सूखा रहा या बाढ़ आई और दो फसलें ठीक रहीं तो वह 50 परसेन्ट में नहीं आता है । मान्यवर, नियमों में है कि जब 50 प्रतिशत नुकसान होगा तो छूट दी जायगी । तो क्या इसमें संशोधन करके जिस फसल में जिस मौसम में जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से राहत देने का आश्वासन देंगे ?

श्री नारायण दत्त—

श्रीमन् माननीय सदस्य ने पुराने अनुभव के आधार पर एक बुनियादी बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं । आज से 30—40 साल पहले सूखा और बाढ़ के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण था, साइंस टेक्नोलाजी की वजह से उत्पादन के नये-नये तरीके हो गये हैं तो उस दृष्टिकोण को थोड़ा संशोधित करना पड़ेगा । लगान कुल कृषि आय की तुलना में, प्रतिशत के आधार पर कम होता है क्योंकि छोटी जोतों पर लगान माफ होता है । लेकिन सहकारी वसूली जो है उसका भार ज्यादा होता है । तो बजाय इसके कि दूसरी तरफ ध्यान दिया जाय साथ-साथ सूखे से मुकाबला करने के लिये जो बुनियादी कदम हैं, माइनर एरीगेशन आदि इन पर ध्यान देना है ताकि सूखे से लड़ा जा सके । इस पर हम पहले भी विचार कर रहे हैं और आगे भी विचार करेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने जिले ऐसे हैं जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है । जिन जिलों की 50 प्रतिशत से ज्यादा

फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है क्या उनमें पर्वतीय जिलों की तरह से वहां पर वसूली स्थगित कराने की घोषणा करेंगे ? दूसरा सवाल यह है कि क्या पेयजल के संकट को दूर करने के लिये सरकार ने सेना से टैंकर की सहायता मांगी थी । यदि मांगी थी तो सरकार ने कितने टैंकर दिये और उनका इस्तेमाल किन-किन जिलों में किया गया है । मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं दोनों का साफ-साफ, स्पष्ट जवाब दिलवाइये ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

हमारे पास जो सूचना है उसमें कुछ पश्चिमी जिले हैं और कुछ पूर्वी जिले हैं और कुछ पर्वतीय जिले हैं जहां सूखे से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं । सभी जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आप पहले मेरी बात सुनें । जिलाधिकारी जब तक ऐसी रिपोर्ट नहीं देता है कि इस जनपद में 50 प्रतिशत से अधिक सूखा है तब तक उन जिलों को सूखे से जो राहत या जो सुविधा मिलने वाली है वह नहीं मिल सकती । जब जिलाधिकारी सूचना देता है कि अमुक जिला या क्षेत्र सूखे से प्रभावित है, इसलिये उसको पानी या जो दूसरी सुविधायें हैं वह दी जाती हैं । और व्यक्तिगत अगर कोई बात है, जैसा आप कह रहे हैं, तो आपकी जानकारी संपूर्ण जिले की या सम्पूर्ण प्रदेश की नहीं है । मेरे पास तो पूरे प्रदेश की जानकारी है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

केवल पहाड़ी अंचलों में वसूली मान्यवर स्थगित की गयी है, मैदानी अंचलों में ऐसा नहीं किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, लैंड रेवेन्यू आदि तीन महीने के लिए स्थगित करने हेतु जनपदों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, पूरे सवाल का जवाब नहीं आया । जो मैंने प्रश्न किया है दो हिस्से वाला, उसका जवाब नहीं आया, मान्यवर ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर हमारे प्रश्न का साफ जवाब नहीं आयेगा, तो मैं यह समझूंगा कि जिस क्षेत्र से हम चुनकर आते हैं, उनका समुचित निराकरण नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

मान्यवर, 8 जिलों की जिस मानक चल में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, के आधार पर वसूली स्थगित की गयी है, उन्हीं मानकों के आधार पर पूर्वांचल बुन्देलखण्ड में बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर इन पूरे जिलों में अगर 50 प्रतिशत फसल खराब हुई है, तो क्या उन पूरे जिलों की वसूली स्थगित करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मैंने उसी के सिलसिले में उत्तर दिया है मान्यवर, जहां पर 50 प्रतिशत

नुकसान हुआ है, वहां पर वसूली स्थगित की जायगी ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सेना से इन्होंने सहायता मांगी । मान्यवर, इन्होंने टैंकर मांगा, वह टैंकर किस स्थान पर लगाये गये ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गये, बुन्देलखण्ड में गये, कहां गये ?

(व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का अभाव था, उनमें टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गयी । अब टैंकर्स कुछ जल निगम से लिये, अलग-अलग संस्थानों से लिये गये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य एक दूसरे से बरायरात बात न करें । उनकी सहूलियत के लिए मैं यहां बैठा हूं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, भारत सरकार से 51 करोड़ 78 लाख रुपया इस काम के लिए मिला था ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इसे स्थगित कर दें मान्यवर, सूचना तो है नहीं इनके पास ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो जनपद सूखा से प्रभावित हैं, उनमें सूखा के लिए और राहत के लिए व्यवस्था की गयी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठें । माननीय राम आसरे वर्मा जी आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर दिला दीजिये । 21 लाख की जनसंख्या का जिला है, इसके बारे में कई खबरें अखबार में भी छपी हैं ....

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि समुचित उत्तर माननीय सदस्यों को नहीं मिल पाये हैं, तो या आप उस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें । या फिर नियम-49 में चर्चा कराइये ।

श्री अधिष्ठाता—

आप नियम-49 में सूचना देंगे तो चर्चा करा दी जायेगी ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

श्री काशी सिंह एरी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में सूखे से राहत देने के बारे में एक बिन्दु कहा गया कि राजस्व की वसूली बन्द कर दी गई है, लेकिन मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है...

श्री अधिष्ठाता—

मैं व्यवस्था का प्रश्न ओवर रूल करता हूं इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाकर प्रश्न किया है ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर दिला दीजिये । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

मिर्जापुर एवं वाराणसी जनपदों का चार जनपदों में विभाजन की मांग

**2—श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर तथा वाराणसी जनपदों की जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से विशालता को देखते हुए चार जनपद बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री सरदार सिंह—

[4 थें शुक्रवार के लिए स्थगित]

आगरा जनपद के फिरोजाबाद नगर में कांच उद्योग को विद्युत् आपूर्ति की मांग

*2—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी है कि आगरा जनपद के नगर फिरोजाबाद में गत दो माह से विद्युत् आपूर्ति में बराबर बाधा रहने पर कांच उद्योग के लगभग एक लाख मजदूर बिजली के अभाव में काम बन्द होने से बेकार हो गये और चूड़ी-कांच कारोबार ठप्प हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग को चालू रखने हेतु समुचित बिजली आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

प्रदेश में व्याप्त विद्युत संकट के कारण प्रदेश के उद्योगों एवं नगरों में विद्युत् कटौती की गई थी । फिरोजाबाद को जनवरी/फरवरी में क्रमशः 18 1/3 एवं 17 1/3 घंटे आपूर्ति की गई है । अब फिरोजाबाद में 24 घंटे प्रतिदिन आपूर्ति की जाने की व्यवस्था है । अतः चूड़ी उद्योग के बन्द होने का सवाल नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा आप प्रश्न देखें, मैंने अप्रैल, मई की जानकारी माननीय मंत्री जी से चाही है और यह मुझे जानकारी दे रही है जनवरी-फरवरी की । तो मान्यवर, बिजली का संकट रहा अप्रैल-मई में और जवाब मिल रहा है जनवरी, फरवरी का । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अप्रैल, मई की स्थिति क्या है ? दूसरी बात आपने सवा सत्रह घंटे की आपूर्ति बताई तो क्या इसमें जो लोकल कटौती हुई है, वह भी सम्मिलित है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

श्रीमन् सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। विद्युत संकट फरवरी-मार्च में ही नहीं अप्रैल-मई में भी बना रहा । जहां तक फिरोजाबाद में विद्युत् आपूर्ति का सवाल है हमने 17 से 18 घंटे तक की आपूर्ति की और विद्युत् की आपूर्ति चाहे वह घरेलू क्षेत्र रहा हो, चाहे उद्योगी क्षेत्र रहा हो उन्हें बराबर की गई ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी ने यह बताया कि 17-18 घंटे बिजली की आपूर्ति हुई है । प्रश्नकर्ता ने बताया कि लोकल कटौती हुई है । आपके स्पष्ट निर्देश के बाद कि 17-18 घंटे बिजली आपूर्ति की जाय । जिन अधिकारियों ने लोकल कटौती की है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जहां तक लोकल कटौती का प्रश्न है, ऐसी सूचना नहीं मिली है कि

लोकल कटौती हुई है । मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि जो निर्धारित कटौती थी, आपातकाल में जब बिजली की मांग अधिक बढ़ी तो और कटौती करनी पड़ी । यह केवल फिरोजाबाद में नहीं हुई है, पूरे प्रदेश में यह कटौती हुई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने स्थानीय कटौती की बात की है । आपके निर्देश के बाद जो लोकल कटौती हुई है, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लोकल फाल्ट, ब्रेकडाउन अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा हुआ है । लोकल फाल्ट के कारण 4-4 दिन तक बिजली नहीं मिली, जिसके कारण झाड़फन्नूस के कारखाने और चूड़ी के कारखाने बन्द रहे । दूसरा प्रश्न मंत्री जी ने कहा 24 घंटे बिजली की सप्लाई दे रहा है। 22-23 तारीख को दिनभर बिजली नहीं आयी इसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

किस दिन कितनी बिजली की आपूर्ति की गई घंटे मिनट की जानकारी मेरे पास नहीं है । मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा । लोकल फाल्ट के कारण जो बिजली आपूर्ति नहीं होती है, उसको लोकल कटौती नहीं कहते हैं । आपूर्ति में खराबी होने के कारण, ट्रान्सफार्मर जल जाने के कारण, जो लोकल फाल्ट होती है, उसे लोकल अधिकारी तुरन्त ठीक करवाते हैं । अगर किसी ने लोकल फाल्ट ठीक नहीं कराया, तो विधायक जी बतायें, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे ? ऐसा नहीं है कि 4 दिन में एक मिनट भी बिजली की आपूर्ति न हुई हो ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल में 4 दिन तक बिजली आपूर्ति नहीं हुई । लोकल अधिकारी कर्मचारी पैसा लेने के लिये बिजली काट देते हैं नाजायज घूस लेने के लिये । मंत्री जी यह बतायें कि 4 दिन तक बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं हुई ?

श्री सुनील शास्त्री—

ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक एक मिनट बिजली न रही हो । मैं इसको दिखलवा लूंगा और आवश्यकता पड़ी तो जांच करवा लूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी ने कह दिया कि दिखलवा लेंगे ।

तहसील रानीखेत को जिला बनाने की मांग

*3—श्री पूरन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सबसे बड़ी (भौगोलिक दृष्टिकोण से) तहसील रानीखेत को अलग जिला बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस नये जिले के अन्तर्गत कौन-कौन सी तहसीलें होंगी तथा कब तक जिला घोषित हो जायगा ?

श्री गौरी शंकर—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पूरन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इसी माह में 10 जुलाई को रानीखेत तहसील बन्द रही, इसी मांग को लेकर कि रानीखेत को जिला मुख्यालय बनाया जाय ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इसकी कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई कि रानीखेत में अखबारों में पढ़ने को मिला । कोई सूचना मेरे पास सरकारी तौर से नहीं आई कि रानीखेत तहसील बन्द रही ।

श्री पूरन सिंह—

मान्यवर, पूरा रानीखेत बन्द हुआ यह मैं अपनी जानकारी दे रहा हूं । क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि अल्मोड़ा जनपद की मांग पर रानीखेत तहसील को जिला बना दिया जायेगा और उसमें कितनी नयी तहसीलें होंगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह बात सब मालूम है, यह सूचना उपलब्ध है राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी उस कमेटी ने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया लेकिन रानीखेत तहसील को जिला बनाने की संस्तुति नहीं की ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि रानीखेत को जिला बना दिया जाय । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि किसी भी पहाड़ी तहसील को जिला बनाया जाय, यह तो खुशी की बात है । मान्यवर, हमारा जिला रामपुर पिछड़ा हुआ है और गरीब है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जिले को क्या नैनीताल या अल्मोड़ा की तहसील बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई सवाल नहीं है कि हमारे जिला को तहसील बनायेंगे या तहसील को जिला बनायेंगे ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कमेटी ने किन-किन स्थानों पर तहसील बनाने का प्रस्ताव किया था ? क्या उन्नाव जनपद के खुर्मा को तहसील बनाने का कष्ट करेंगे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि एक कमेटी बनी थी जिसने सारे प्रदेश का भ्रमण किया था । क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वह कमेटी सरकारी कमेटी थी और उसने किसी भी जन-प्रतिनिधि से सम्पर्क नहीं स्थापित किया ? क्या 7 वर्षीय योजना की इस इकाई को पुनः पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराकर तहसील या जिला बनायेंगे और उसमें जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह तो मैंने निवेदन किया कि राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी उसने सारे प्रदेश का भ्रमण किया और उन्होंने जिले में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जन-प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप उत्तर तो सुन लें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उस समिति ने इतने नये जिले बनाने की संस्तुति की है एक तो बस्ती जिले में नौगढ़ है, दूसरा आगरा में फिरोजाबाद है, तीसरा मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज है, चौथा मेरठ में गाजियाबाद है और गोरखपुर में महराजगंज है ।

यह सिफारिशें की हैं, उनमें गाजियाबाद बन चुका है । आज स्थिति यह है कि जब तक हमारे पास इतने साधन उपलब्ध न हों, जिससे कि ये

जो संस्तुत जिले हैं, बनाये जा सके, तब तक जिला बनाना सम्भव नहीं होगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

मान्यवर, मैंने सीधा सवाल किया था। मेरी निश्चित जानकारी है कि जो राजस्व परिषद् की टीम गयी थी, उसने जन-प्रतिनिधियों से सम्पर्क नहीं किया, तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आपने यह सुझाव दिया है, तो उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन उस समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर पुनर्विचार के लिये जो आप कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों से पूछ लिया जाय, या उनसे राय ले ली जाय, तो इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरे जिले की बात कही गयी है कि नौगढ़ तहसील को जिला बनाने की बात कही गयी है . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब इस बारे में जो कहना हो मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा ।

ग्राम सिरौली, तहसील रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी में हुए अग्निकाण्ड से क्षति एवं सहायता की मांग

*4—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1985 को ग्राम सिधौली त0 रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में भीषण अग्निकाण्ड हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जलकर मृत्यु भी हो गयी ? क्या यह सही है कि शासन ने अब तक पीड़ित परिवारों को कोई सहायता नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

जिला बाराबंकी की तहसील रामसनेहीघाट में सिधौली नाम का कोई ग्राम नहीं है । अलबत्ता उक्त तहसील के ग्राम सिरौली में दिनांक 31-3-85 को नहीं, बल्कि 30-3-85 को घटित अग्निकाण्ड में बद्री नामक एक व्यक्ति घायल हो गया था जिसकी बाद में दिनांक 4-4-85 को मृत्यु हो गई ।

मृतक की विधवा को अनुग्रह अनुदान के रूप में 1000 रु0 का भुगतान दिनांक 26-4-85 को किया जा चुका है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपात् सहायता होती है, इसको कम से कम एक हफ्ते में जरूर मिल जाना चाहिये । इस प्रकरण में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है अग्निकाण्ड से । लेकिन उसकी विधवा को सहायता मिलती है एक महीने के बाद, तो इस देर के लिये कौन लोग दोषी हैं और क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का कोई निर्देश देंगे कि अग्निकांड या अन्य दैवी आपदा की स्थिति में लोगों को सहायता एक हफ्ते में प्राप्त हो जाय ?

श्री गौरी शंकर—

श्रीमन्, सदन के संज्ञान में यह बात है कि इस प्रकार के कांडों में तुरन्त सहायता पहुंचाने के लिये निर्देश हैं । यदि कहीं तुरन्त राहत नहीं पहुंची तो आप सूचना उपलब्ध करा दें, कार्यवाही सुनिश्चित करा दी जायगी ।

श्री अधिष्ठाता—

पूछा यह गया है कि जो एक माह का विलम्ब हुआ, वह किस कारण से हुआ ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने जैसा कहा कि दिनांक 30-3-85 को अग्निकाण्ड हुआ ।

उसी के घर में आग लगी थी । उसके बाद उसकी अनुमानित क्षति 1,300 रुपये की थी और चूंकि वह घायल हो गया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी, इसलिये उसे एक हजार रुपया दे दिया गया ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अग्निकाण्ड जिस दिन हुआ, उसके बाद लेखपाल की रिपोर्ट तहसीलदार के पास कब पहुंची और तहसीलदार ने उसके बाद क्या कार्यवाही की ? नियम यह है कि आग लगते ही लेखपाल को तत्काल रिपोर्ट देनी चाहिये । इसी रिपोर्ट के देने में विलम्ब होता है ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, हमारे पास लेखपाल की सूचना नहीं आती, केवल जिलाधिकारी की सूचना आती है ।

श्री अधिष्ठाता—

सवाल यह है कि जो यह एक माह का विलम्ब हुआ, यह एक नीतिगत प्रश्न है कि क्या इस पर शीघ्रातिशीघ्र 15 दिन के अन्दर सहायता दिलाने का निर्णय लिया जायगा ?

श्री गौरी शंकर—

श्रीमन्, जैसा कि इस उत्तर में दिखाई पड़ता है, इसमें जो एक महीने का समय लगा है और जो विलम्ब हुआ है, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जहां इस तरह की क्षति होती है या अग्निकांड होता है, उसमें भुगतान की बाबत तय करा दीजिये कि एक सप्ताह के अन्दर कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

शीघ्रातिशीघ्र की बात उन्होंने कह दी है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल, विकास खंड कोट के नाहसैण में कानूनगो सर्किल स्थापित न किये जाने का आधार

*5—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान नाहसैण में कानूनगो सर्किल स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह सर्किल किस स्थान पर स्थापित किया गया है तथा स्वीकृत स्थान पर संधानित न किये जाने के कारण क्या है और कब तक कानूनगो का कार्यालय स्थान नाहसैण में स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

श्री गौरी शंकर—

जी हां ।

प्रश्नगत कानूनगो सर्किल स्थान नाहसैण के स्थान पर घुसगली में स्थापित किया गया है । स्थान नाहसैण में आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण यह कानूनगो सर्किल स्वीकृत स्थान नाहसैण में स्थापित नहीं किया जा सका है । जिलाधिकारी को स्वीकृत स्थान पर तत्काल आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करवाने एवं इसे वहां स्थापित कराने के आदेश दे दिए गये हैं ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

यह आदेश कब किया गया है और कब तक उस पर कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जैसे मैंने निवेदन किया उसके आदेश दे दिये गये हैं । वहां आवास की व्यवस्था नहीं है कदाचित् इसलिए उसे घुसगली में स्थापित कर दिया गया है । माननीय सदस्य ने जो इस पर चिंता व्यक्त की है, मैं बताना चाहूंगा कि 25-7-85 को इस निमित्त निर्देश दे दिये गये हैं कि तुरन्त स्वीकृत स्थान पर कानूनगो सर्किल स्थापित किया जाय ।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में वृद्धि

*6—श्री जयदीप सिंह बरार—(अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 70-71 से लेकर अब तक विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? क्या मंत्री जी तुरन्त निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें खाद्यान्न मूल्य के सूचकांक में हुई वृद्धि से अधिक नहीं रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1970-71 में एवं वर्तमान में (1-11-1982 से लागू) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू विद्युत् दर एवं आधार वर्ष 1970-71 के ऊपर दिनांक 1-11-1982 से विद्युत दरों में की गई प्रतिशत वृद्धि संलग्न अनुलग्नक "अ" में दर्शायी गयी है ।

व्यक्तिगत नलकूप जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए विशेषतौर से लागू है, के बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी खाद्यान्न के मूल्य में बढ़ोत्तरी से कम हुई है ।

जहां तक ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें खाद्यान्न मूल्य के सूचकांक से तुलना करने का प्रश्न है यह दो अलग-अलग चीजें हैं । विद्युत् की दरें विद्युत् बनाने में प्रयुक्त सभी सामग्री की दरों में वृद्धि पर निर्भर करती है और (इसको किसी और चीज से जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा) उनके बढ़ने से विद्युत् दरों पर स्वतः प्रभाव पड़ता है ।

उ0 प्र0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा ऋण रूप में प्राप्त की गई धनराशि एवं ऋण मुक्त होने का समय

*7—श्री काशी सिंह एरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दि0 1 मई 1985 को किन-किन स्रोतों से क्रमशः किस ब्याज की दर से कितनी धनराशि ऋण रूप में प्राप्त की है ? सरकार द्वारा इस ऋण वापसी हेतु क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाए गये हैं ? उपरोक्त संस्था कब तक ऋण मुक्त हो जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सूचना संकलित की जा रही है ।

श्री काशी सिंह एरी—

मान्यवर, यह प्रश्न 9-5-85 को स्वीकृत हुआ । इस प्रश्न से सम्बन्धित विवरण हेतु सूचना राजधानी स्थित मुख्यालय में ही इकट्ठी हो सकती है । इसमें इतना विलम्ब क्यों लगा ? यह सूचना सदन के पटल पर रखी जानी इसलिये भी आवश्यक है, ताकि सारे माननीय सदस्य इससे अवगत हो सकें । इसे जानबूझकर उपलब्ध नहीं किया जा रहा है ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूं । मान्यवर, सूचना एकत्र में समय लग जाता है । मान्यवर, मैं इसको शीघ्र ही एकत्र कराके, अवगत करा दूंगा ।

तापीय विद्युत् का उत्पादन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति

*8—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय विद्युत् का तापीय उत्पादन कितना है और कितने की कमी है तथा प्रदेश के शहरों में कितने घंटे की कटौती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घंटे की सप्लाई है ? क्या यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् की सप्लाई अस्त-व्यस्त होने से रबी की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

छापी नहीं गई ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

इस समय तापीय विद्युत् का औसतन उत्पादन 20.9 मिलियन यूनिट्स प्रतिदिन है और कुल मांग 60 एम0 यू0 के विपरीत कुल उपलब्धता 41.4 एम0 यू0 है (जलीय, तापीय एवं आयातित) अर्थात् 18.6 एम0 यू0 प्रतिदिन की कमी है । प्रदेश के शहरों में इस समय विद्युत् आपूर्ति में कोई कटौती लागू नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 7 घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति के प्राविधान के अनुसार विद्युत् आपूर्ति की जा रही है । यह सत्य नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् की सप्लाई अस्त-व्यस्त होने से रबी की फसल की क्षति हुयी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि 60 एम0 यू0 की आवश्यकता है । 41.4 एम0 यू0 इनका उत्पादन हो रहा है । उसमें 20 एम0 यू0 तो तापीय है, बाकी जलीय और आयातित है । तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना जलीय उत्पादन है और कितना आयातित है ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस समय लगभग जल विद्युत् के माध्यम से हमको 13 से 14 एम0 यू0 प्रतिदिन मिल रहा है और जो आयातित कर रहे हैं वह लगभग 6 से 7 एम0 यू0 है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 7 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं और शहरों में कोई कटौती नहीं है । मान्यवर मेरा जो प्रश्न है वह अप्रैल व मई का है और मैं उस समय की बात पूछ रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कितनी सप्लाई थी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक अप्रैल और मई माह के सम्बन्ध में सवाल है, उसी के संदर्भ में यहां पर उत्तर दिया गया है । हम लोग औसतन 7 घण्टे विद्युत् आपूर्ति कर रहे हैं । आजकल वर्षा के कारण विद्युत् की मांग कम हो गई है । कृषि के क्षेत्र में अब औसतन मांग प्रतिदिन लगभग 50 मिलियन यूनिट आ रही है । कटौती इस समय जो हो रही है वह 10 मिलियन यूनिट की । 40 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है । उत्पादन हम 41 से 4200 मिलियन यूनिट के बीच में कर रहे हैं । इस समय हमारे पास अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हम 10-12 घण्टे तक बिजली दे रहे हैं ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब गेहूं की कटाई हो रही थी, तो मुझे जानकारी है कि उनको जो निर्धारित बिजली मिलनी चाहिए थी, वह उनको नहीं मिल पाई । मेरे क्षेत्र में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां 17-17 दिन तक बिजली नहीं आई । क्या आप अपने विभाग को निर्देश देंगे कि जब खेती पर काम शुरू होता है तो बिजली में कटौती न की जाय । जो अधिकारी बिजली में कटौती करता है, उस अधिकारी को आप दण्डित करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, ग्रामीण अंचल में विद्युत् आपूर्ति सुचारुरूप से हो, इस बात को ध्यान में रखकर राज्य विद्युत् परिषद् व उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया है कि जहां भी हमारे 33/11 के0 वी0 के उप केन्द्र हैं, उन पर से ओवरलोड को हटाने के लिए उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाय और उनकी कैपेसिटी को इन्क्रीज भी कर रहे हैं । पूरे प्रदेश में हमारे 1 हजार से अधिक उप केन्द्र हैं, जिनकी कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य हमने अपने हाथ में लिया

है । जहां-जहां आवश्यकता है प्राथमिकता के आधार पर हम वहां कार्य कर रहे हैं; जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां बिजली नहीं आई कई दिनों तक । हो सकता है, कुछ दिनों तक बिजली न आई हो उपकेन्द्र में खराबी के कारण या ओवर-लोडिंग के कारण ।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 7 घण्टे बिजली दी जा रही है । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई निर्धारित समय है कि बिजली इतने से इतने बजे तक यहां आयेगी और इतने से इतने बजे तक यहां । होता यह है कि जब बिजली देहात में नहीं होती है तो शहर में होती है और जब शहर में नहीं होती है तो देहात में होती है । क्या आप इसके लिए कोई शेड्यूल बनायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है । पूरे प्रदेश में हम विद्युत् आपूर्ति एक साथ नहीं कर सकते हैं, जो सम्भव भी नहीं है । हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र भी है, कृषि का क्षेत्र भी है और अन्य कई क्षेत्र हैं, जहां हमको बिजली की आपूर्ति करनी होती है । इसलिए हमने प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट रखा है । एक हिस्से में हम सुबह, एक हिस्से में हम दोपहर और दो हिस्सों में हम रात को विद्युत् की सप्लाई करते हैं और इसको फिर हर हफ्ते रोटेट करते हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि शहर में बिजली की कोई कटौती नहीं है और शासन के आदेश भी हैं कि नार्मल रोस्टरिंग नहीं होगी लेकिन इमरजेन्सी रोस्टरिंग में 8-8 और 9-9 घण्टे तक बिजली नहीं दी जाती है । माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आपके क्या मापदण्ड हैं जिससे इमरजेन्सी रोस्टरिंग व नार्मल रोस्टरिंग में इतना फर्क पड़ता है ?

दूसरा, जैसा कि माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया था कि पता नहीं चलता कि गांवों में बिजली किस वक्त आयेगी और शहरों में बिजली किस वक्त आयेगी और किस वक्त नहीं आयेगी । क्या आप इसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट रखा है, कि बिजली इतने से इतने वक्त यहां आयेगी और इतने से नहीं ताकि जो किसान है वह खाली बैठा न रहे ।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को मालूम नहीं होता कि बिजली किस वक्त आयेगी, तो आप कौन सी व्यवस्था करेंगे कि उनको यह मालूम हो जाये कि बिजली आने वाली है ?

श्री सुनील शास्त्री—

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करते हैं और जानकारी नहीं होती है वहां के रहने वालों की, तो हम लोगों का प्रयास इस तरह का होता है कि अखबारों, विकास खण्डों, पम्पलेट्स आदि के माध्यम से अवगत करायें । उत्तर प्रदेश शासन और राज्य विद्युत् परिषद् इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि आकाशवाणी के द्वारा भी हम बता सकें कि कितनी देर तक बिजली की आपूर्ति करेंगे ।

(प्रश्न संख्या 9 पुकारे जाने पर)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिजली का, मैं जानना . . .

श्री अधिष्ठाता—

नहीं प्रिंसिपल साहब, आप बैठें। अगला सवाल आ गया है। 7 प्रश्न इस पर हो चुके हैं।

बुलन्दशहर के ग्राम असावर एवं अहमदानगर में भूमि का अधिग्रहण

*9—श्री किरन पाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम असावर व ग्राम अहमदानगर, परगना अगौत, जिला बुलन्दशहर के कुछ किसानों को लगभग 10 एकड़ कृषि योग्य भूमि ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1973 में अर्जित करने के लिए कार्यवाही की गयी थी तथा वह कार्यवाही 28-4-76 को पूर्ण हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तत्कालीन जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने उ0 प्र0 शासन को अपने पत्र संख्या 726/18 भूमि आबंटन दि0 6-10-78 के द्वारा उक्त कृषकों की जमीन को मुक्त कराने की संस्तुति इस आधार पर की थी कि उपरोक्त गांवों में ग्राम समाज की उपलब्ध भूमि पर हरिजनों को आवासीय आवंटन कर दिए गये थे ? यदि हां, तो उक्त अर्जित की गयी भूमि को अभी तक मुक्त न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त भूमि को शीघ्र मुक्त कराकर इतने वर्षों का सम्बन्धित किसानों को फसली मुआवजा दिलाने की भी व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

ग्राम असावर में 1.47 एकड़ व ग्राम अहमदानगर में 3.75 एकड़ भूमि ग्रामीण आवास योजना के लिये अर्जित किये जाने की विज्ञप्ति उक्त दोनों ग्रामों में धारा-4 के अन्तर्गत 22-5-74 को जारी की गयी। धारा-6/17 भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञप्ति 31-5-74 को जारी की गयी थी। भूमि का औपचारिक कब्जा ग्राम असावर में 29-11-76 को ग्राम अहमदानगर में 30-4-76 व 8-9-76 को लिया गया। ग्राम असावर का अभिनिर्णय 20-12-76 को तथा ग्राम अहमदानगर का अन्तिम अभिनिर्णय 11-10-77 को घोषित किया गया।

जिलाधिकारी का संदर्भित पत्र केवल ग्राम असावर की भूमि को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में शासन में प्राप्त हुआ था। इस पर जिलाधिकारी को शासनादेश सं0 643/272 (10) (1)/04, रा0-2, दिनांक 16-4-79 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु शासनादेश संख्या 274(7)/ 74-672-रा0-2, दिनांक 28-1-80 के द्वारा निर्देश दिये गये। अहमदानगर के सम्बन्ध में इस आशय का कोई प्रस्ताव जिलाधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ।

चूंकि भूमि पर केवल औपचारिक कब्जा लिया गया था तथा वास्तव में कब्जा वास्तविक भू-स्वामियों का ही रहा इसलिये फसल का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक भूमि को अर्जन से मुक्त करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में पहले ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

श्री किरन पाल सिंह—

मैं मंत्री जी की जानकारी में ला दूं कि जिस आशय का पत्र असावर के लिए आया है उसी के लिये अहमदानगर के लिये भी भेज दिया गया है तो क्या अहमदानगर की भूमि को भी अर्जन मुक्त करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

अहमदानगर की भूमि जो है उसको अर्जनमुक्त करने के लिए पत्र आया था। उस पर भी विचार किया जायगा ?

श्री गौरी शंकर—

गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निर्देश जिलाधिकारी को दिए जाने की बात है, यह 24-7-85 को

एक पत्र प्राप्त हुआ है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह—

भूमि जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर ही प्राप्त की गई और फिर लिखते हैं कि गांव समाज की भूमि है इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसान से मिल कर कोई साजिश की हो ? क्योंकि उनके प्रस्ताव पर ही भूमि अध्याप्ति हुई थी ।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जैसा आपने कहा है 1973 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि असावर में ग्राम समाज की उक्त भूमि आबादी के लिये उपलब्ध नहीं है । इसीलिये "एक्वायर" करने के लिये शासन को संस्तुति भेजी थी । आज की स्थिति यह है कि आबादी के लिये पर्याप्त आवश्यकता नहीं है, इसलिये अर्जन मुक्त करने की बात चली । किस तरह गलत सूचना आयी है कि आवश्यकता नहीं है फिर भी आवश्यकता दर्शायी गयी है, इस पर विचार कर रहे हैं । यदि सम्बन्धित कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री किरन पाल सिंह—

जैसे माननीय मैनेजर सिंह ने पूछा उसी से सम्बन्धित, इन दोनों ग्रामों में ग्राम सभा की जमीन को आवासीय योजना के लिये उपलब्ध की जा सकती थी, तहसील के कर्मचारियों ने साजिश करके इन किसानों की भूमि को अर्जित करा दिया । क्या जिन कर्मचारियों ने साजिश की थी उनके खिलाफ जांच कराकर सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि इस पूरे प्रकरण में दिखवा लेंगे कि किन परिस्थितियों में इस तरह का प्रस्ताव आया था । और क्या ग्राम समाज को जमीन की आवश्यकता थी ।

सहारनपुर के ग्राम कालाहेड़ी की चकबन्दी

*10—श्री राम सरन—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 ने दि0 19 अक्तूबर, 1984 को जिलाधिकारी तथा जिला उप संचालक चकबन्दी, सहारनपुर से ग्राम कालाहेड़ी, तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर को चकबन्दी क्रियाओं से पृथक् करने के बारे में आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी एवं जिला उप संचालक चकबन्दी सहारनपुर ने इस सम्बन्ध में क्या आख्या प्रस्तुत की और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गौरी शंकर—

जी हां ।

ग्राम कालाहेड़ी, तहसील देवबन्द, जिला सहारनपुर के निवासी श्री हसमत आदि के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से जांच कराई गयी । जांच के दौरान उपस्थित किसी कृषक ने ग्राम को चकबन्दी क्रियाओं से पृथक् किये जाने का प्रस्ताव नहीं रक्खा । कृषकों ने केवल 18 गाटों के विनिमय अनुपात में परिवर्तन चाहा था । कृषकों की सहमति के आधार पर संबंधित 18 गाटों के विनिमय अनुपात तथा प्रभावित चकों में संशोधन हेतु सन्दर्भ तैयार कर उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में निस्तारण हेतु भेज दिये गये हैं । ग्राम को चकबन्दी क्रियाओं से पृथक् किया जाना उचित नहीं है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, एक ही नहीं दर्जनों प्रार्थना-पत्र मंत्री जी के पास आये होंगे, क्या आपको इसकी सूचना है ?

श्री गौरी शंकर—

जैसा मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि जो कार्यवाही की है वह "हसमत आदि" के प्रार्थना-पत्र पर की है, यह शब्द प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है ।

श्री राम सरन—

मेरे गांव से मिला हुआ गांव है, छोटा गांव है, वहां का 80 प्रतिशत किसानों की जमीन 5—7 बड़े किसानों ने हड़प ली, वहां की 50 प्रतिशत जमीन ऊसर बंजर है और 20 प्रतिशत जमीन नदी से कटी हुई है । आपने 18 खेतों का जिक्र किया है, मैं सब खेतों को जानता हूं । इतना अन्याय हुआ है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते । यह जो बन्दोबस्त अधिकारी हैं, यह मुझसे मिले । उन्होंने कहा कि अगर हम सही रिपोर्ट कर दें तो नीचे का अमला ससपेण्ड हो जायगा । मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर और बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर 80 प्रतिशत किसान यह न कह दें कि हम अपनी चकबन्दी नहीं चाहते हैं । छोटे-छोटे किसानों की जमीन बड़े किसानों को दे दी । क्या इसकी जांच दुबारा करायेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

जैसा आपने पूछा पूरे सन्दर्भ की जांच करायी गयी । अब आप जांच करने वाले लोगों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वे आपसे मिले और उन्होंने कहा कि अगर वे सही जानकारी दे देंगे तो पूरा स्टाफ सस्पेण्ड हो जायगा । जब जांच करायी गयी तो, ग्राम में किसी भी किसान ने जांच के दौरान चकबन्दी से पृथक् किये जाने की मांग ही नहीं की है, इसकी यह रिपोर्ट आ गयी है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी थी ?

श्री गौरी शंकर—

बन्दोबस्त अधिकारी, सहारनपुर की आख्या के अनुसार ही यह बात है । यह आख्या चकबन्दी आयुक्त के पत्र पर मंगायी गयी थी । सहारनपुर से उक्त प्रार्थना पर यह जांच बन्दोबस्त अधिकारी से करायी गयी थी ।

श्री राम सरन—

ये लोग खुद जांच नहीं करते हैं और ए0 सी0 ओ0 से जांच करा लेते हैं । आप फिर से जांच करा लीजिये यदि वहां पर 80 फीसदी लोग चकबन्दी से पृथक् होने की बात न कह दें, तो आप कहियेगा । आप बन्दोबस्त अधिकारी के अलावा आयुक्त को भी मौके पर भेज सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम सरन दास जी का कहना यह है—

श्री गौरी शंकर—

मैं इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं इसका सन्दर्भ हमें सुलभ करा दें, मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने आपसे कहा है आप लिखित रूप से सन्दर्भ दे दें, वे जांच अधिकारी से फिर दिखवा लेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय राम सरन दास जी ने यह बड़ा गम्भीर मसला उठाया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फिर से जांच करवा लेंगे की घोषणा करने से उनको क्या एतराज है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में उत्तर दे तो दिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

चकबन्दी आयुक्त से जांच कराने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है। इसमें क्या एतराज है मंत्री जी को ?

श्री गौरी शंकर—

श्रीमन्, एक साथ दो-दो और तीन-तीन सदस्य बोल रहे हैं और अलग-अलग प्रश्न कर रहे हैं, कैसे इनका उत्तर दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

उनका कहना है कि जिस बन्दोबस्त अधिकारी ने जांच की थी उसके बजाय आयुक्त द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में आप क्या उत्तर देंगे।

श्री गौरी शंकर—

ठीक है, मैं इसको दिखवा लूंगा।

*11—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[11 वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

प्रदेश की औद्योगिक फर्मों एवं कम्पनियों पर बकाया विद्युत् कर

*12—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने औद्योगिक फर्में या कम्पनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर 10 लाख से अधिक का बिजली का बकाया है ? इन देयों की वसूली हेतु राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जिन औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 10 लाख रुपये से अधिक बकाया है उनकी संख्या मार्च, 85 के अन्त में 34 है।

इन उपभोक्ताओं के अधिकांश मामले विवादास्पद हैं तथा विभिन्न न्यायालयों एवं पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) में लम्बित हैं। राज्य विद्युत् परिषद् मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने का यथोचित प्रयास कर रही है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 10 लाख से अधिक का बकाया है और उनकी संख्या 34 है। तो उनके ऊपर कुल रकम मिला कर कितनी होती है। इस उत्तर से संबंधित तीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नम्बर से तीनों बकायेदारों के नाम क्या मंत्रीजी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप कृपया अपने प्रश्न को फिर से कर लें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

इन 34 में से कितनों के ऊपर बकाया है और बकाये की कुल कितनी रकम होती है। जिनके ऊपर बकाया है, उनके नाम क्या हैं ? कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

तीन बड़े उद्योगों में मेसर्स हिंडालको, रेणुकूट, कनौरिया लि० और मोदी हैं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

कौन-कौन से मामले विवादास्पद हैं ? क्या उन उपभोक्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

तीनों के ही मामले विवादास्पद हैं। जहां तक अन्य उपभोक्ताओं का सवाल है, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर कार्यवाही

चल रही है, कुछ ऐसे भी हैं जहां हमने कटौती कर ली है। कुछ के कनेक्शन काट दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

जिन संस्थानों के नाम माननीय सदस्य ने जानने चाहे हैं, जो विवादास्पद हैं तो क्या वह मामला कोर्ट में चला गया ? कुछ मामले न्यायालय में हैं लेकिन मेरी निजी जानकारी है कि लाखों रु0 ऐसे भी हैं जिसका कोई विवाद नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास कई कनेक्शन हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रुपया किसी विवाद में नहीं है उसके लिए, उसकी रिकवरी के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? उसको वसूल न कराने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हिन्डालको का मामला आरबिट्रेशन में है और मोदी और कनोरिया का मामला न्यायालय में है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या पूरा मामला न्यायालय में है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

जिन 34 संस्थानों के बारे में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है उनमें से कितने संस्थानों का विवाद न्यायालय में है और कितने पंच निर्णय के अन्तर्गत हैं ? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ के कनेक्शन काट दिये गये हैं तो किन-किन के कनेक्शन काटे गये ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं पूरी जानकारी मा0 सदस्य को देना चाहता हूं :—

मेसर्स स्टील इण्टरप्राइजेज, कानपुर, मेसर्स जे0 के0 रेयान, कानपुर का मामला न्यायालय के विचाराधीन है और सभी विवादास्पद हैं लेकिन श्रीमन्, उच्च न्यायालय ने इस वसूली को स्थगित कर दिया है।

मेसर्स मदन इंडस्ट्रीज हस्तिनापुर, मेरठ, मेसर्स राथी एलाज एण्ड स्टील, गाजियाबाद, मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि0, गाजियाबाद, मेसर्स श्री राम पिस्टन एण्ड रिंग्स, गाजियाबाद, मेसर्स मोदी पान लि0 (नायलान), मोदीनगर, मेसर्स मोदी पान लि0 (पालिस्टर), मोदीनगर, मेसर्स मोदी स्पिनिंग एवं विविंग मिल, मोदीनगर मेसर्स मोदी कन्सोलिडेटेड, मोदीनगर, मेसर्स मोदी स्टील (एफ0 ए0) मेसर्स मोदी स्टील (एफ डी0) मोदीनगर मोदीनगर आदि के मामला न्यायालय में हैं और इनकी वसूली स्थगित की गई है और सेक्शन 5 के तहत इसमें नोटिस भी भेजे गये हैं जिसके माध्यम से हम कटौती करने जा रहे हैं।

श्री किरन पाल सिंह—

10 लाख से अधिक बकाया है उनमें से वसूली के लिए कितने लोगों के खिलाफ आपने उत्पीड़न की कार्यवाही करवाई वसूल करने के लिए ? यदि नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई ? उनके विरुद्ध आपने उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की। तो क्या आप आश्वासन देंगे कि जो छोटे किसान हैं जिनके ऊपर देय बाकी हों, उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं करेंगे। . . (व्यवधान)

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, हम तो कार्यवाही 34 के विरुद्ध कर चुके हैं। लेकिन कुछ मामले न्यायालय में हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें हम विच्छेदन की कार्यवाही करते हैं तो वे न्यायालय से स्थगन ले आते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि कोई किसान अपनी कठिनाई शासन के सम्मुख रखता है तो हम उसकी वसूली आसान किस्तों में कर देते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हिंडालको का मामला आर्बिट्रेशन में है । मेरी भी कुछ जानकारी है और उसी के आधार पर मैं ऐसा समझता हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है । तो इन दोनों बातों में कौन सी बात सही है। यदि आर्बिट्रेशन में है तो उसमें आर्बिट्रेशन कौन-कौन लोग हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो माननीय मंत्री जी अपना ज्ञान वर्द्धन कर लें, यही कह सकता हूं ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि एक मामला हिन्डालको का है और एक मामला जो कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में आता है वह सुप्रीम कोर्ट में है । इसके अतिरिक्त विद्युत् के उपभोक्ताओं के कुछ मामले ऐसे हैं जो आर्बिट्रेशन में हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सत्यों को छिपाया जा रहा है आपकी मौजूदगी में ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी यह बताया कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं उनमें कुछ में स्थगन आदेश हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन मामलों में स्थगन आदेश नहीं हैं उनमें विद्युत् परिषद् क्या कार्यवाही कर रहा है ? उनके कनेक्शन्स काटे जा रहे हैं या नहीं ? दूसरी बात यह है कि जैसा मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कुछ मामले विवादास्पद हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो मामले विवादास्पद नहीं हैं उनमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, आपने मुझे इससे पूर्व के प्रश्न के उत्तर में सूची पढ़ने की इजाजत दी थी । मैंने क्रम संख्या 13 तक ही उसे पढ़ा था जिनमें वसूली के स्थगन के आदेश हैं । कुछ अन्य में भी हमारी वसूली स्थगित कर दी गई है । जहां तक धनराशि की वसूली का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् बहुत तेजी से कार्यवाही कर रहा है । हमें धन की आवश्यकता है । किसी प्रकार की ढील वसूली के संबंध में राज्य विद्युत् परिषद् नहीं कर रही है ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह नीति का प्रश्न है, क्या बड़े लोगों के कनेक्शन्स काटने के लिये या अन्य कार्यवाही करने के सिलसिले में तथा किसानों और छोटे लोगों के ऊपर इस तरह की कार्यवाही करने के सिलसिले में आपका आधार एक ही है या डबल पालिसी है ? क्या तरीका है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जब वसूली की जाती है तो चाहे कोई भी हो, उपभोक्ता से वसूली का एक ही तरीका है । लेकिन वह अगर न्यायालय में चला जाता है तो उसे हम रोक नहीं सकते हैं और वह स्थगन आदेश ले लेता है और न्यायालय का हमें आदर करना पड़ता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, जो मेरा मूल प्रश्न था कि कुछ मामले मंत्री जी ने बताया कि आर्बिट्रेशन में हैं और कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं । तो क्या यह सही है कि मुकदमे की पैरवी न करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हाई कोर्ट से हार गया था और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया । मैं जानना चाहता हूं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जिन अधिकारियों द्वारा मुकदमें की पैरवी न

करने के कारण ऐसा हुआ है, उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, जहां तक बकाये की वसूली का सवाल है उसमें कोई शिथिलता नहीं बर्ती जा रही है। पूरी तत्परता से कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने हिण्डालको के एक आर्बिट्रेशन के मामले में जानकारी चाही है कि किसके आर्बिट्रेशन में है तो मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न किया है कि अदालतों में पैरवी में ढील के कारण तो परिषद् को नुकसान नहीं होता है इसकी जांच करायेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है।

श्री सुनील शास्त्री—

श्रीमन्, मैंने कहा कि किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जा रही है। हमारे परिषद् के वकील पूरी तरह से अपना कार्य कर रहे हैं।

गोरखपुर के ग्राम घघरूरां में विद्युत् उप-केन्द्र की कथित स्थापना

*13—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, ब्लाक पाली, ग्राम घघरूरां में 33/के0 वी0 का उप-विद्युत् केन्द्र का निर्माण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताएं

*14—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 अनुसूचित जनजाति विकास निगम में लाखों रुपये की वित्तीय अनियमिततायें हाल में ही प्रकाश में आई हैं ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति विकास निगम इस विभाग के अन्तर्गत नहीं है बल्कि तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम है। इस निगम में लाखों रुपयों की वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

आवश्यकता नहीं है।

आवश्यकता नहीं है।

गोंड जाति को प्रदान की गयी अनुसूचित जाति की श्रेणी

*15—श्री नंगा राम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 2563/1978 अखिल भारतीय गोंड़ महासभा गोरखपुर बनाम स्टेट गवर्नमेंट उ0 प्र0, लखनऊ में पारित आदेश दि0 30-3-79 द्वारा यह निर्णय दिया है कि 'अस्पृश्यता से ग्रस्त होने के आधार पर गोंड़ जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है'' क्या उ0 प्र0 शासन ने यह निर्देश दिया है कि जो जातियां अस्पृश्यता को परम्परागत रूढ़िवादिता से ग्रसित नहीं हो रही हैं उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी न किया

जाय ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

शासनादेश संख्या 1070/26-78, दिनांक 2 फरवरी, 1978 एवं अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 2604/26-3-78-3 (28)-78, दिनांक 9 अक्टूबर, 1978 द्वारा जारी आदेश जो छुआछूत तथा अस्पृश्यता के आधार पर गोंड जाति को अनुसूचित जाति माने जाने के सम्बन्ध थे, शासनादेश संख्या—3133/26-3-78-3(28)-78, दिनांक 8-12-78 द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं । इसके फलस्वरूप गोंड जाति के लोग अन्य अनुसूचित जातियों के समान ही नियमानुसार समस्त सुविधायें प्राप्त करने के पात्र हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16—श्री कल्यान सिंह—

(6ठें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम सभा बन्दनपुर, फैजाबाद की भूमि का जनसेवा आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पट्टा

*17—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा बन्दनपुर, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद की 27 बीघा बंजर ग्राम सभा की जमीन को फर्जी तरीके से जनसेवा आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदनपुर, फैजाबाद के नाम पट्टा किये जाने के संबंध में श्री नेक चन्द्र पाण्डेय, विधायक का कोई पत्र माह मई, 1985 में सचिव, राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय के पक्ष में किया गया पट्टा प्रारम्भिक जांच में अनियमित पाया गया जिसके निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम बेलवा लगुनही व साहू खिरिया, बस्ती में भूमि का फर्जी पट्टा

*18—श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित ग्राम सभाओं की भूमि के फर्जी पट्टों की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है ? क्या विस्तृत जांच के बाद परगना अधिकारी, बांसी ने आवंटन पत्रावली में की गयी जालसाजी को सही पाया और दि0 25-1-83 को अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी, बस्ती को समस्त पट्टों को निरस्त करने हेतु भेज दिया है ? यदि हां, तो अभी तक पट्टों को निरस्त न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार अविलम्ब पट्टों को निरस्त कराकर पात्र व्यक्तियों को पुनः भूमि आवंटन शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बेलवा लगुनही तथा साहू खिरिया तहसील बांसी, जिला बस्ती में हुए पट्टों के सम्बन्ध में निरस्तीकरण की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है । विस्तृत जांच के बाद परगनाधिकारी, बांसी ने आवंटन पत्रावली में की गई जालसाजी को सही पाया और दिनांक 25-1-83 को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी, बस्ती को प्रेषित किया और उसमें वर्ष 1975 का आवंटन प्रस्ताव निरस्त करके पात्र व्यक्तियों में जिस प्रकार वह काबिज है, उसका आवंटन करके नियमित किये जाने का उल्लेख किया है ।

पट्टों के निरस्तीकरण का मुकदमा अपर जिलाधिकारी, बस्ती के न्यायालय में चल रहा था जो अपर आयुक्त, गोरखपुर द्वारा निगरानी में पारित स्थगन आदेश दिनांक 14-9-83 द्वारा स्थगित है। चकबन्दी विभाग में पट्टों के आधार पर हुई अमलदरामद तथा अन्य अनियमितताओं के निराकरण की कार्यवाही जो च0 अधि0 की धारा 48 (3) के अन्तर्गत सन्दर्भ सं0 519 सहायक संचालक चकबन्दी बस्ती के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट नोटिस सं0 7970 सन् 1984 मुक्तिनाथ बनाम डी0 डी0 सी0 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 11-7-84 के अनुपालन में स्थगित है। इस रिट का विरोध ग्राम सभा की ओर से किया जा रहा है और प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही स्थगन आदेश के रिक्त होने पर ही सम्भव है।

आजमगढ़ के ग्राम गोठा के धोबीघाट की भूमि पर फर्जी इन्द्राज सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*19—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के तह0 घोसी के ग्राम गोठा में पोखरी नं0 1039 जो धोबियों के कपड़ा धोने हेतु आवंटित है, उस पर किसी व्यक्ति ने फर्जी इन्द्राज करा लिया है? यदि हां, तो शिकायती आवेदन-पत्रों पर श्री जे0 के0 सिंघल, चकबन्दी आयुक्त ने दिनांक 12-1-84 को मौके पर जांच की है? यदि हां, तो फर्जी इन्द्राज खारिज कराने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम गोठा, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के सिद्धान्तों के विवरण-पत्र में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा गाटा संख्या 1039/2-89 धोबीघाट हेतु सुरक्षित किया गया है। चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 11-7-78 को कार्यवाही पुस्तिका में लिखी गई कार्यवाही में भिन्न स्याही व बारीक लेख में उपरोक्त गाटे की 2.000 एकड़ भूमि धोबीघाट से खारिज करके आर्य कन्या विद्यालय के बायोलाजिकल शिक्षा हेतु सुरक्षित किये जाने का लेख है, जो संदिग्ध कहा जाता है। इस सम्बन्ध में शिकायतों की जांच श्री जे0 के0 सिंघल, संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा दिनांक 12-1-84 को की गई थी। इस इन्द्राज के विरुद्ध श्री फौजदार आदि द्वारा मियाद बाहर आपत्ति को चकबन्दी अधिकारी द्वारा धारा 5 कानून मियाद का फायदा देकर धारा 9 में दर्ज करने के आदेश दिनांक 15-2-82 के विरुद्ध निगरानी उप संचालक चकबन्दी के यहां विचाराधीन है, जिसमें 2-9-85 तिथि निर्धारित है। निगरानी के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही होगी।

फतेहपुर के ग्राम मलवा की भूमि पर फर्जी इन्द्राज

*20—श्री अचल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फतेहपुर जनपद के ग्राम मलवा, तह0 बिन्दकी की लगभग 200 बीघे ग्राम समाज की भूमि सम्पन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी गयी है? यदि हां, तो जिलाधिकारी, फतेहपुर ने उक्त फर्जी इन्द्राज को खारिज करने का आदेश कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि आदेश दिया है तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

(क) जी नहीं। केवल 44 बीघे 12 बिस्वे, 3 बिस्वांसी ग्राम सभा की भूमि के विषय में जाली पत्रावलियां तैयार

कराकर अमलदरामद कराने का मामला ही जांच के फलस्वरूप प्रकाश में आया है ।

(ख) जी हां, जिलाधिकारी द्वारा फर्जी इन्द्राज को खारिज करने के लिये उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत वाद दर्ज करा दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में दिनांक 25-6-83 को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है जिसकी विवेचना जारी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत पंजीकृत वाद अभी अतिरिक्त परगनाधिकारी, बिन्दकी के न्यायालय में विचाराधीन है तथा पुलिस द्वारा भी अभी विवेचना की जा रही है ।

आतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में अग्निकाण्ड की घटनाएं

1—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि माह अप्रैल/मई, 85 में मथुरा जनपद में अनेक भयंकर अग्निकाण्ड हुए ? यदि हां, तो यह अग्निकाण्ड कहां-कहां हुए तथा प्रभावित पीड़ितों को शासन द्वारा क्या-क्या सहायता तथा छूट दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मथुरा जनपद में माह अप्रैल/मई, 85 में कुल 199 अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई । इन अग्निकाण्डों में से सबसे भयंकर अग्नि दुर्घटना तहसील, मथुरा के ग्राम भाहई व नगला अवुआ में क्रमशः दिनांक 29-4-85 एवं 21-5-85 को तथा तहसील छाता के ग्राम नगला उटावर भाग चौकी में दिनांक 13-5-85 को घटित हुई थी । ग्राम भाहई में 14 परिवार, नगला अवुआ में 127 परिवार तथा नगला उटावर में 99 परिवार प्रभावित हुए जिन्हें अहेतुक सहायता मद से 43,650 रुपये तथा गृह निर्माण अनुदान मद से 23,250 रुपये की आर्थिक सहायता पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई । इसके अतिरिक्त 2,000 रुपये की खाद्यान्न सामग्री का भी वितरण कराया गया तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा 15 कुन्तल आटा, 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल तथा 2 बोरी आलू का भी वितरण किया गया ।

उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त अन्य 196 घटनायें जिनका विवरण संलग्न है, भी घटित हुई हैं जो अधिक गम्भीर नहीं थी । इन घटनाओं से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण भी उनके समक्ष अंकित किया गया है । जिन घटनाओं में सामान्य क्षति हुई है उन्हें कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है और सहायता वितरण करने में पात्रता का भी ध्यान रखा गया है ।

उन्नाव विकास खण्ड, बिछिया में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों को भूमि का आवंटन

2—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव के विकास क्षेत्र बिछिया के अन्तर्गत कितने भूमिहीन हरिजनों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत भूमि को खरीद कर वर्ष 1983-84 तथा 84—85 में दी गयी ? यदि हां, तो किन-किन गांव में तथा कितने भूमिहीन हरिजनों को दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विकास खण्ड बिछिया जनपद उन्नाव में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष

छापी नहीं गयी ।

1983-84 तथा 84-85 में 21 भूमिहीन हरिजनों को भूमि खरीद कर दी गयी। ग्राम तारगांव में 13, कोरारी कला में एक तथा घूरखेत में 7 भूमिहीन हरिजनों को भूमि दी गई।

गोण्डा के ग्राम चौधरीडीह की चकबंदी का निरस्तीकरण एवं चकबन्दी अधिकारी, राधाकांत पांडेय व सर्वश्री राम वृक्ष सिंह, राम प्रसाद मिश्र का निलम्बन

3—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौधरीडीह, तहसील बलरामपुर, जिला गोण्डा की चकबन्दी क्रिया चकबन्दी आयुक्त के आदेश दिनांक 11-8-83 द्वारा स्थगित कर दी गयी थी और जांचोपरान्त आदेश दिनांक 6-6-84 द्वारा निरस्त कर दी गयी थी, लेकिन पुनः चकबन्दी आयुक्त द्वारा दिनांक 29-6-84 को निरस्तीकरण आदेश स्थगित कर दिया गया और पुनः जांच कराकर अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश दिया गया ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही किस स्तर पर है और चकबन्दी क्रिया कब तक पूरी करा दी जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, ग्राम चौधरीडीह तथा उससे संबंधित मजरे की चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त करने के निदेश को क्रियान्वित करने के आदेश को आस्थगित करते हुए उप निदेशक चकबन्दी (न्यायिक) गोण्डा को प्रभावित होने वाले समस्त पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त आवश्यक निदेश लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया किन्तु बाद में जांच की कार्यवाही उप संचालक चकबन्दी (प्रशासनिक) को सौंपी गयी है। जांच में दोनों पक्ष उपस्थित हो चुके हैं, जिन्हें सुनकर नियमानुसार आदेश पारित किया जायेगा। सुनवाई हेतु बलरामपुर में दिनांक 26-7-85 नियत है।

4—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौधरीडीह, तहसील बलरामपुर, जिला गोण्डा की चकबन्दी में अवैधानिक व अनियमित क्रियाओं के पाये जाने पर चकबन्दी क्रिया आयुक्त चकबन्दी द्वारा दिनांक 6-6-84 को निरस्त कर दी गयी थी तथा अनियमितता के लिए दोषी एक सी0 ओ0 एवं दो ए0 सी0 ओ0 को निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो फिर दिनांक 6-6-84 के निरस्तीकरण के आदेश का दिनांक 29-6-84 के आदेश द्वारा स्थगित करने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम चौधरीडीह तहसील बलरामपुर जिला गोण्डा की चकबन्दी कार्य की जांच श्री राम सेवक मिश्र, उप संचालक चकबन्दी निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा ग्राम में दिनांक 7-5-84 को किया गया था। ग्राम में की गयी अनियमितताओं के संबंध में जांच आख्या दिनांक 26-5-84 के आधार पर चकबन्दी आयुक्त द्वारा अनियमितताओं के लिये दोषी चकबन्दी अधिकारी, श्री राधाकान्त पाण्डे व सर्वश्री रामवृक्ष सिंह व राम प्रसाद मिश्र, स0 च0 अ0 गण को चकबन्दी आयुक्त के आदेश दिनांक 6-6-84 द्वारा निलम्बित किया गया और ग्राम में हुई चकबन्दी क्रियाओं को निरस्त करने के निर्देश दिये गये किन्तु आदेश दिनांक 6-6-84 के विरुद्ध श्री कामेश्वर नाथ आदि के प्रार्थना-पत्र आ जाने के कारण जो आदेश चकबन्दी आयुक्त द्वारा पारित किया गया, वह इस प्रकार है "ग्राम चौधरीडीह तथा उससे संबंधित मजरे की चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त करने के निदेश को क्रियान्वित करने के आदेश को आस्थगित करते हुए उप निदेशक चकबन्दी न्यायिक, गोण्डा को प्रभावित होने वाले समस्त पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त आवश्यक निर्देश लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।" इससे स्पष्ट है कि आयुक्त ने आदेश दिनांक 6-6-84 स्थगित नहीं किया है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र और श्रीमती माधुरी पाण्डेय के बकाया वेतन का भुगतान तथा भोजन की अव्यवस्था सम्बन्धी निर्देश

5—श्री राम सजीवन—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्यापक भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में श्री मान्धाता सिंह, एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 12-3-85 19/20-3-85, 12-4-85, 17-4-85, 24-4-85, 25-4-85, श्री धनीराम सिंह नेगी एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 11-3-85, 15-3-85, 25-3-85, 28-3-85, 10-4-85 तथा श्री रेवती रमण सिंह एम0 एल0 ए0 के पत्र दिनांक 26-4-85 के अतिरिक्त विद्यालय के अध्यापकों/कर्मचारियों के प्रत्यावेदन दिनांक 11-4-85, 15-4-85 27-4-85 एवं 28-4-85 मंत्री जी, सचिव तथा निदेशक को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपर्युक्त पत्रों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

यह प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6—श्री राम सजीवन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण ने अपने पत्र सं0 सी0 624/ह0 स0 क0/8—83/108। 1985 दिनांक 15-3-85 द्वारा प्रधानाचार्य, प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज को निर्देश दिये थे कि श्रीमती माधुरी पाण्डेय के समस्त बकाया अवशेष देयों का भुगतान 22-3-85 के पूर्व कर दिया जाय ? यदि हां, तो श्रीमती पाण्डेय को कितने बकायों का भुगतान किया गया ?, क्या इस सम्बन्ध में श्रीमती माधुरी पाण्डेय का कोई प्रत्यावेदन दिनांक 8-4-85, निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण को तथा श्री धनीराम सिंह एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 10-4-85, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापनों में क्या मांग की गयी है तथा सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

श्रीमती पांडे को निम्नलिखित बकायों का भुगतान किया गया :—

	रु0
1—मकान किराया भत्ता	222.00
2—अतिरिक्त मंहगाई भत्ता	36.00
3—अतिरिक्त मंहगाई भत्ता	26.00
4—प्रशिक्षित वेतन-मान में वेतन	249.00

कुल रुपया 533 की धनराशि चेक द्वारा भुगतान की गयी ।

जी हां ।

श्रीमती पाण्डे को बकाया वेतन भुगतान करने की मांग की गई थी । प्रधानाचार्य को वेतन भुगतान करने के लिए लिखित आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7—श्री राम सजीवन—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के उपेक्षापूर्ण व्यवहार, खराब भोजन, अव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में हरिजन तथा समाज कल्याण अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 वि0 प0 3/26-1-85—9(6) 85,

दिनांक 23-3-85 के द्वारा निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण से आख्या मांगी थी और दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या निदेशक द्वारा शासन को आख्या प्रस्तुत कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8—श्री अकबाल अहमद अंसारी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य विद्युत् परिषद् के तापीय विद्युत् गृहों में फ्यूल आयल का खर्च

9—श्री जयदीप सिंह बराड़—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा संचालित तापीय विद्युत् गृहों में वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 में प्रत्येक वर्ष उत्पादित विद्युत् के प्रति लाख किलोवाट घण्टों पर कितना-कितना फ्यूल आयल खर्च हुआ ? फ्यूल आयल के खर्च को कम करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा संचालित तापीय विद्युत् गृहों में वर्षवार फ्यूल आयल खर्च निम्न प्रकार हो रहा :

विद्युतगृह	फ्यूल आयल खपत कि0ली0/प्रति दस लाख यूनिट				
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
5×50 मेगावाट आबरा तापीय	19.07	14.21	12.46	10.96	13.94
3×100 मे0वा0 आबरा प्रथम	24.03	16.56	10.35	9.81	16.34
5×200 मे0वा0 आबरा द्वितीय एवं तृतीय	35.10	27.13	22.91	18.32	24.98
कुल आबरा	28.24	21.70	18.60	14.72	21.56
2×32 मे0 गा0 पनकी पुराना	18.42	22.88	8.43	15.84	15.86
2×110 मे0 वा0 पनकी विस्तार	11.61	9.08	9.41	10.71	8.95
कुल पनकी	13.26	11.79	9.22	11.55	10.29
	5.98	5.14	7.81	7.62	9.46
3×30 मे0 वा0 हरदुआगंज 'अ'					
(2×50+	40.14	19.16	27.02	22.72	21.71
2×55 मे0वा0 हरदुआगंज 'ब'	17.74	15.76	19.03	19.19	10.63
(2×60+	20.89	16.42	21.06	19.59	15.58
1×110) मे0वा0 कुल हरदुआगंज हरदुआगंज (ख)					
कुल तापीय	25.27	18.64	17.66	15.10	17.61

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1980-81 से लेकर वर्ष 1983-84 तक फ्यूल आयल खपत में कमी आयी है परन्तु वर्ष 1984-85 में कुछ वृद्धि हुई है जो कि ओबरा तापीय विद्युत् गृह में है । इसका मुख्य कारण सही प्रकार के कोयले की आपूर्ति न होना है जिससे 200 मेगावाट इकाइयों में ब्रेक डाउन होते रहे । कोयले की केलोरी वेल्यू में भी गिरावट आयी है जैसा निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

	ओबरा (अ) (कुल क्षमता 550 मे0वा0)	ओबरा (ब) कुल क्षमता 1000 मे0वा0 (किलो केलोरी प्रति कि0 ग्रा0)
1983-84	4147	3882
1984-85	3029	3364

फ्यूल आयल की खपत को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) परिषद् की 27 तापीय इकाइयों के लिये "रेनोवेशन व वेटरमेन्ट कार्यक्रम बनाया गया है जो कि वर्ष 1985-86 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों में पूरा कार्यान्वित किया जायेगा ।

(2) सही ग्रेड का कोयला प्राप्त करने के लिये उच्चतम स्तर पर केन्द्रीय सरकार व कोल इण्डिया लिमिटेड से सम्पर्क रखा जा रहा है । इससे निकट भविष्य में अच्छा कोयला आने की सम्भावना है, जिससे फ्यूल आयल की खपत में सुधार सम्भावित है ।

बरेली के ग्राम कुआं डांडा घिमनी, के श्री कान्तपाल की लेखपाल के पद पर नियुक्ति एवं उनकी फर्जी मार्कशीट

10—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कांतपाल पुत्र श्री भगवन्त सिंह, निवासी कुआ डांडा घिमनी, तहसील बरेली, जिला बरेली ने वर्ष 1979-80 में कमिश्नर बरेली डिवीजन के यहां लेखपाल चयन में हाई स्कूल का फर्जी अंक तालिका दाखिल करके चयन प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की थी और इस संबंध में श्री धर्मवीर सिंह गंगवार, एडवोकेट एवं अन्य की एक शिकायत दिनांक 6-8-1984 को कमिश्नर, बरेली को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त इस अवैध नियुक्ति को रद्द करके श्री कांतपाल पर फोरजरी का मुकदमा कायम कराकर तथा उसके द्वारा सरकार से लिए गये सारे वेतन को वसूल करने के आदेश करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

अवैध नियुक्ति विषयक प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच की जा रही है । इसी बीच संबंधित लेखपाल द्वारा त्याग-पत्र दे दिये जाने तथा परगनाधिकारी द्वारा उसका त्याग-पत्र दिनांक 31-5-85 स्वीकार कर लिये जाने के कारण उसकी नियुक्ति को रद्द किये जाने का अब प्रश्न नहीं उठता । श्री कान्तपाल के विरुद्ध भा0 दं0 सं0 की धारा 420 के अन्तर्गत थाना बहेड़ी में दिनांक 9-7-85 को मुकदमा दर्ज करा दिया गया है ।

श्री कान्तपाल द्वारा आहरित किये गये वेतन की वापसी के संबंध में विधिक राय प्राप्त की जा रही है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के ताप विद्युत् गृहों द्वारा फ्यूल आयल का खर्च एवं विद्युत् का उत्पादन

11—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में माह अनुसार, राज्य के विद्युत् बोर्ड द्वारा संचालित तापीय विद्युत् गृहों द्वारा कितना फ्यूल आयल प्रयोग किया गया और कितना विद्युत् उत्पादन किया गया ? गिरते हुए विद्युत् उत्पादन एवं बढ़ते हुए फ्यूल आयल के खर्च का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1983-84 में उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा संचालित तापीय विद्युत् गृहों के विद्युत् उत्पादन एवं फ्यूल आयल खर्च का माहवार ब्यौरा निम्न है :—

माह	विद्युत उत्पादन (मि0यू0)	फ्यूल आयल खर्च कि0ली0 खर्च प्रति मि0यू0
1—अप्रैल-83	773·677	12·962
2—मई-83	626·136	16·710
3—जून-83	671·376	15·251
4—जुलाई-83	549·653	25·874
5—अगस्त-83	529·972	26·344
6—सितम्बर-83	468·495	26·483
7—अक्टूबर-83	654·495	17·357
8—नवम्बर-83	488·077	11·044
9—दिसम्बर-83	768·219	9·679
10—जनवरी-84	786·138	9·149
11—फरवरी-84	606·995	10·608
12—मार्च-84	739·899	8·917
कुल योग : 1983-84,	7663·132	15·098

आबेरा तापीय विद्युत् गृह में 30-10-83 को आग लगने के कारण 200 मे0वा0 प्रति यूनिट की पांचों यूनिट बन्द हो गयी थी उनमें से दो इकाइयां तुरन्त तथा तीसरी जून के प्रारम्भ में चालू हो चुकी हैं । इससे विद्युत् उत्पादन में व्यवधान पड़ा । कम विद्युत् उत्पादन के अन्य कारण खराब कोयले की आपूर्ति तथा स्पेयर पार्ट्स इत्यादि का समय से न मिलना आदि है ।

(मि0 यू0—मिलियन यूनिट)

फ्यूल आयल खर्च में पिछले चार वर्षों से लगातार कमी हो रही है । 1980-81 में यह 25,272 कि0 ली0/मि0 यू0 था जो कि घटते-घटते अब 15·098 कि0 ली0/मि0 यू0 रह गया है ।

12—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में माह अनुसार राज्य के विद्युत् बोर्ड द्वारा संचालित

तापीय विद्युत् गृहों द्वारा कितना फ्यूल आयल प्रयोग किया गया और कितना विद्युत् उत्पादन किया गया ? गिरते हुए विद्युत् उत्पादन एवं बढ़ते हुए फ्यूल आयल के खर्च का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा संचालित तापीय विद्युत् गृहों का वर्ष 1982-83 में माह अनुसार विद्युत् उत्पादन व फ्यूल आयल खर्च निम्न है :—

माह	विद्युत उत्पादन (मि0यू0)	फ्यूल आयल खर्च कि0ली/मि0यू0
1—अप्रैल-82	680·326	15·773
2—मई-82	667·135	20·746
3—जून-82	730·748	18·479
4—जुलाई-82	679·023	19·939
5—अगस्त-82	528·099	27·819
6—सितम्बर-82	617·887	23·533
7—अक्टूबर-82	758·614	15·366
8—नवम्बर-82	641·814	17·690
9—दिसम्बर-82	774·844	20·479
10—जनवरी-83	754·730	15·964
11—फरवरी-83	738·609	9·901
12—मार्च-82	848·475	11·034
कुल : 1982-83	8420·304	17·612

1982-83 में तापीय उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 12·1, प्रतिशत की वृद्धि हुई । प्लाट लोड फैक्टर भी 38·4 प्रतिशत से बढ़कर 40·1 प्रतिशत हो गया ।

इसी प्रकार फ्यूल आयल खर्च 1981-82 में 18·641 की तुलना में घट कर 17·612 किलो ली0/मि0 यू0 रह गया ।

13—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में माह अनुसार राज्य के विद्युत् बोर्ड द्वारा संचालित तापीय विद्युत् गृहों द्वारा कितना फ्यूल आयल प्रयोग किया गया और कितना विद्युत् उत्पादन किया गया ? गिरते हुए विद्युत् उत्पादन एवं बढ़ते हुए फ्यूल आयल के खर्च का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा संचालित तापीय विद्युत् गृहों द्वारा 1981-82 में माह अनुसार

विद्युत् उत्पादन व फ्यूल आयल खर्च का ब्योरा निम्न है :—

माह	विद्युत उत्पादन मि0यू0	फ्यूल आयल खर्च कि0ली0/मि0
अप्रैल-81	640·902	13·424
मई-81	655·038	11·570
जून-1981	639·052	17·394
जुलाई-81	438·230	34·583
अगस्त-81	598·123	27·350
सितम्बर-81	513·292	18·300
अक्टूबर-81	594·606	19·776
नवम्बर-81	669·399	18·041
दिसम्बर-81	714·616	22·662
जनवरी-82	768·134	18·227
फरवरी-82	709·086	14·389
मार्च-82	661·962	13·304
कुल : 1981-82,	7512·440	18·641

(मि0 यू0-मिलियन यूनिट)

वर्ष में तापीय उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 11·6 प्रतिशत अधिक हुआ। प्लांट लोड फैक्टर भी पिछले वर्ष के 37·0 प्रतिशत की अपेक्षा बढ़कर 38·4 प्रतिशत हो गया।

फ्यूल आयल खर्च भी पिछले वर्ष के 25·272 किलोलीटर प्रति मिलियन यूनिट से घटकर 18·641 कि0 ली0/मि0 यू0 हो गया।

14—श्री राम सरन—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15—श्री हर्षवर्धन—

[6 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य विद्युत् परिषद् में घाटा

16—श्री हर्षवर्धन—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् बोर्ड में प्रति वर्ष कितने करोड़ का घाटा हो रहा है एवं इस घाटे को समाप्त करने हेतु सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

वार्षिक लेखा विवरण के अनुसार परिषद् का वर्षवार पिछले पांच वर्षों का घाटा इस प्रकार है :—

1979-80	कुछ नही
1980-81	तदेव
1981-82	तदेव
1982-83	तदेव
1983-84	रु0 585·90 करोड़

सन् 1979-80 से लेकर 1982-83 तक वार्षिक लेखा लाभ-हानि रहित आधार पर बनाया जाता था। जिसके कारण पिछले चार वर्षों में कोई घाटा नहीं दर्शाया गया है। उपरोक्त वर्षों में घाटा निम्न प्रकार था जिसको सम्भाव्य दायित्व में दिखाया गया था।

1979-80	रु0 370·96 करोड़
1980-81	रु0 75·48 ,,
1981-82	(—) रु0 24·97 ,,
1982-83	रु0 88·94 ,,

रु0 100 करोड़ का ब्याज माफी हो जाने के कारण सामान्य दायित्व ऋण में आया है ।

वर्ष 1983-84 में विद्युत् आपूर्ति कानून में संशोधन होने के कारण वार्षिक लेखा लाभ-हानि दर्शाते हुए बनाया गया है जो कि 585·90 करोड़ रु0 है । जिसमें पिछले चार वर्षों का घाटा भी सम्मिलित है । यदि इन चार वर्षों का घाटा उपरोक्त में से घटा दिया जाये तो वर्ष 1983-84 का शुद्ध घाटा केवल रु0 75·49 करोड़ होगा ।

जहां तक राज्य विद्युत् परिषद् के घाटे का प्रश्न है उसके कम करने के लिए परिषद् ने निम्न कदम उठाये हैं :—

1—पुरानी मशीनों को ठीक करके उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

2—तापीय विद्युत् गृहों में उपयोग किये जाने वाली विद्युत् में कमी करने का यत्न किया जा रहा है ।

3—तेल की खपत में कमी करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

4—नई आंतरिक व्यवस्था में परिवर्तन करके बिजली के छीजन व चोरी को रोकने के उपाय किये जा रहे हैं ।

5—परिषद् के राजस्व की दरों के ढांचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जा रहा है कि उसमें राजस्व की चोरी की सम्भावना कम हो जाय ।

6—बकाया धनराशि को वसूल करने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है ।

7—जरूरत से अधिक कर्मचारियों को नये आने वाली परियोजनाओं में खपाकर प्रशासनिक व्यय में कमी करने का भी यत्न किया जायेगा ।

8—भण्डार के क्रय व उपयोग के नियंत्रण को कड़ा करके उसमें कमी करने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा बेकार पड़े हुए सामान को बेचने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है ।

नगरपालिका, रायबरेली की शत्रु सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमा

17—श्री राम गोविन्द चौधरी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 106 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शत्रु सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । उच्च न्यायालय में सन्दर्भित मामला विचाराधीन है । प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर, तहसील मुसाफिरखाना के कार्यालय की भूमि

18—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर किस गाटे पर बना है ? उसका क्षेत्रफल कितना है ? क्या यह सही है कि स्थानीय असामाजिक तत्वों ने तहसील की भूमि पर अवैधानिक कब्जा करके भवन का निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर, ग्राम सरैया उर्फ मुसाफिरखाना परगना मुसाफिरखाना के भूखण्ड सं0 704 मि0 क्षेत्रफल 2 बीघा-9 बिस्वा 10 धूर पर बना है । तहसील के नाम दर्ज भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 3 बीघा 2 बिस्वा 10 धूर है, पर किसी प्रकार का अवैधानिक कब्जा एवं अवैध निर्माण नहीं किया गया है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर, चकबन्दी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मकान भत्ता

19—राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर के चकबन्दी विभाग में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त हैं जिन्हें मकान भत्ता, आवासीय सुविधा प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी विभाग में नियुक्त 923 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 640 अधिकारी/कर्मचारियों को मकान भत्ता/आवासीय सुविधा प्राप्त नहीं है। शासन के आदेशों के अन्तर्गत शहरी सीमा में रहने वाले कर्मचारियों को ही मकान किराया भत्ता की सुविधा अनुमन्य है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है वह सभी ग्रामीण अंचलों में नियुक्त हैं।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर की भूमि पर अवैध कब्जा

20—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 250, 348, 425, 433, 448, 501, 629, 698, 699, 709, 712, 807, 810, 812, 1378, 1379, 1388, 1404, 1481, 1482, 1559, 1624, 1695, 1712, 1825, 1921, 1922, 1923, 1946, 2066 आम रास्ता है, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैधानिक कब्जा कर रखा है और रास्ता समाप्त कर रखा है, यदि हां, तो इन गाटों पर से कब्जा हटाने के लिए आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जनपद-सुल्तानपुर में प्रश्नगत 30 भूखण्डों में से मात्र 23 भूखण्ड 348, 425, 501, 709, 1378, 1624, 1825, 1921, 250, 448, 712, 810, 812, 1379, 1388, 1695, 1712, 1922, 1923, 1946, 2066, 807, 1404, पर अभिलेखों में रास्ता दर्ज है शेष 7 भूखण्डों में से 3 भूखण्डों 629, 699, 1481 का उपयोग शारदा सहायक खण्ड-40 ने नाला खुदवाकर पानी निकासी के लिये किया है तथा 4 अन्य भूखण्ड संख्या 433, 698, 1482, 1559, राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम अंकित ही नहीं हैं। उक्त सभी 4 गाटे मजरूआ हैं, उन पर क्रमशः वाजिद माताफेर, संतोष कुमारी व जैगम अली के नाम अंकित हैं।

राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज उपरोक्त उल्लिखित 23 भूखण्डों में से 8 भूखण्ड पर असामाजिक तत्वों के अवैध कब्जे पाये गये हैं, जिनमें से 6 भूखण्ड सं0 348, 425, 709, 1378, 1624, तथा 1921 पर दि0 5-5-84 तथा 2 भूखण्ड संख्या 501, 1825, पर दिनांक 10-7-85 को अवैध काबिजदारों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज 13 भूखण्डों 250, 448, 712, 810, 812, 1379, 1388, 1695, 1712, 1922, 1923, 1946 व 2066 पर मौके पर अवैध कब्जे नहीं पाये गये हैं।

शेष 2 भूखण्ड सं0 807, 1404, मौके पर नाले की शक्ल में हैं तथा उन पर अवैध कब्जे नहीं पाये गये हैं ।

सुल्तानपुर के न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी में चकबन्दी अधिनियम बनाम श्री अब्दुल वाहिद खां का मुकदमा

21—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 249 के अन्तर्गत धारा 5(सी) न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के आदेश से संबंधित सत्य प्रतिलिपि संख्या 98 दिनांक 5-2-1983 जो वास्तव में जाली है, न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर पर विचाराधीन वाद संख्या 465—472 के अन्तर्गत 9-क (2) जोत चकबन्दी अधिनियम बनाम अब्दुल वाहिद खां आदि नि0 ग्राम रसूलपुर में दाखिल की गयी है तथा इस सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिनांक 9-2-85 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो दोषी पाये गये लोगों पर आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वाद सं0 249 अन्तर्गत धारा 5-सी न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के आदेश से संबंधित सत्य प्रतिलिपि संख्या-98 दिनांक 5-2-83 जो वास्तव में जारी है न्यायालय चकबन्दी अधिकारी जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर पर विचाराधीन वाद संख्या 465—472 के अन्तर्गत 9-क (2) जोत चकबन्दी अधिनियम बनाम अब्दुल वाहिद खां आदि निवासी ग्राम रसूलपुर में दाखिल है ।

उपलब्ध सूचनानुसार प्रतिलिपि सं0-98, दिनांक 5-2-83 विधान सभा प्रश्न में गलत वर्णित है वास्तव में यह 598 दिनांक 5-2-83 है ।

विधान सभा प्रश्न में वर्णित कथित शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिनांक 19-2-85 को प्राप्त हुआ है जिस पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुसाफिरखाना के कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सुल्तानपुर की ग्राम सभा रसूलपुर की भूमि पर अवैध कब्जा

22—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 1153/2—5 बिस्वा, 1152/1-2 बिस्वा, 1309/2—10 बिस्वा, ग्राम समाज की भूमि है जिस पर गुलाम मुहम्मद पुत्र दोस्त मुहम्मद, ग्रामवासी जो ग्राम सभा के सदस्य भी हैं, इन गाटों पर अवैधानिक कब्जा करके आज भी खेती कर रहा है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुल्तानपुर, ग्राम रसूलपुर की भूमि पर अवैध कब्जा

23—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर की गाटा संख्या 1130 पर बिना चकबन्दी विभाग से अनुमति प्राप्त किये हुए अवैधानिक रूप से मकान बनाया गया है ? दिनांक 10-2-84, 25-2-84 को चकबन्दी विभाग को कोई शिकायती-पत्र दिया जा चुका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर तहसील-मुसाफिरखाना, जिला

सुल्तानपुर में गाटा सं0 1130 में कोई मकान नहीं निर्माण किया गया है ।

जी हां, श्री नूरुल हसन खां, पुलिस उप निरीक्षक थाना हजरतगंज, लखनऊ का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-2-84 व 25-2-84 प्राप्त हुआ है । जिसकी जांच में पाया गया है कि गाटा संख्या 1130 में कोई मकान नहीं बना है । इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

सुल्तानपुर के ग्राम दौलतपुर निसूरा की चकबन्दी

24—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर, निसूरा, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में 1362 फ0 में गाटा संख्या 316, 567/2, 844 के खातेदारों को चकबन्दी 1363 फ0 तथा वर्तमान चकबन्दी में कोई चक न देने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इन गाटों से संबंधित जोत च आकार-पत्र 23 (पुरानी चकबंदी) गायब कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चूंकि गाटा सं0 316, 567 के खातेदार श्रीमती लिहाजन पत्नी अब्दुल वाहिद खां, अली अहमद वयस्क निसार अहमद अवयस्क सुतगण अब्दुल कादिर खां संरक्षक श्रीमती खौल्ल माता साकिनदेह का नाम असिस्टेन्ट कलेक्टर के आदेशानुसार खारिज करके गाटा सं0 316 पर शंकर सिंह शिव रतन सिंह व गाटा संख्या 567 पर सुलेमान खां सुत गजनफर के नाम अंकित किया जा चुका था, अतः 1363 फ0 व वर्तमान चकबन्दी में श्रीमती लिहाजन आदि को कोई चक नहीं दिया गया है ।

गाटा सं0 844 के खातेदार अलीवार सुत अमीर खां साकिनदेह को 1363 फ0 (पुरानी चकबन्दी तथा वर्तमान चकबन्दी) में चक प्रदिष्ट किया गया है । आकार-पत्र 23 (पुरानी चकबन्दी) गाटा सं0 316, 567 से संबंधित, उपलब्ध है तथा गाटा सं0 844 के सम्बन्ध में सी0 एच0-23 फट गया है ।

सुल्तानपुर में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन चकबन्दी के मुकदमें

25—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर के उप संचालक चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी हाकिम परगना तथा तहसीलदारों के न्यायालयों में 31-3-85 तक कितने वाद विचाराधीन थे और वे कब दायर किये गये थे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इस जनपद में उप संचालक चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हाकिम परगना तथा तहसीलदारों के न्यायालयों में 31-3-85 तक विचाराधीन वाद तथा उनके दायर की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1—संयुक्त/उच संचालक चकबन्दी के न्यायालयों में दिनांक 31-3-85 को विचाराधीन वाद कुल 10,409 थे, जिनमें से सन् 1972 में 5, 1973 में 5, 1974 में 39, 1975 में 110, 1976 में 141, 1977 में 365, 1978 में 466, 1979 में 441, 1980 में 646 1981 में 1,007, 1982 में 1305, 1983 में 1568, 1984 में 2576 तथा 1985 में 1735 वाद दायर किये गये ।

2—चकबन्दी अधिकारियों के न्यायालयों में दिनांक 31-3-85 को विचाराधीन वाद कुल 32, 319 थे, जिनमें से 1970 में 5, 1971 में 18, 1972 में 72, 1973 में 63, 1974 में 109, 1975 में 1, 001, 1976

में 454, 1977 में 1359, 1978 में 387, 1979 में 1037, 1980 में 354, 1981 में 1070, 1982 में 2244, 1983 में 6,022, 1984 में 9,969 तथा 1985 में 8,155 वाद दायर हुये ।

3—बन्दोबस्त अधिकारियों चकबन्दी के न्यायालयों में दिनांक 31-3-1985 को विचाराधीन वाद कुल 10,188 थे, जिनमें से सन् 1972 में 9, 1973 में 2, 1974 में 3, 1976 में 11, 1977 में 35, 1978 में 116, 1979 में 179, 1980 में 373, 1981 में 681, 1982 में 1018, 1983 में 1990, 1984 में 3898, 1985 में 1873 वाद दायर हुए हैं ।

4—हाकिम परगना के न्यायालयों में दिनांक 31-3-85 को विचाराधीन वाद कुल 1,326 थे, जिनमें से 1982-83 में 95, 1983-84 में 538, 1984-85 में 693 वाद दायर हुए हैं ।

5—जनपद के तहसीलदारों के न्यायालयों में दिनांक 31-3-85 को विचाराधीन वाद कुल 1955 थे जिनमें से 1982-83 में 166, 1983-84 में 509 तथा 1984-85 में 1280 वाद दायर हुए हैं ।

सुल्तानपुर, ग्राम पून्दनपुर मुहाल पोख्तेदारी के पोख्तेदारों को मुआवजा का भुगतान

26—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पून्दनपुर मुहाल पोखतेदारी, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1359 फ0 में ग्राम के मालिकान तथा पोख्तेदारों का क्या नाम है तथा खात्मा जमींदारों पर इनको प्रतिकर न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम पून्दनपुर मुहाल पाख्तेदारी परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर, के खेवट अलाव पोख्तेदारी वर्ष 1359फ0 में 5 मालिकान तथा पोख्तेदारों का नाम निम्नवत् अंकित है :—

1—लाला गोबरधन दास, जाति अग्रवाल, सा0 निहालगढ़ ।

2—बाबू गोपीनाथ, जाति अग्रवाल, सा0 पालपुर ।

3—बाबू यासीन अली खां, सा0 देवगांव, जिला फैजाबाद ।

4—श्री अब्दुल वाहिद खां व अब्दुल कादिर खां, जाति भाले सुल्तान सा0 रसूलपुर ।

5—श्री प्रताप नारायन, जाति ब्राम्हण, सा0 पूरे टी0 डी0 शुकुल, मजरे पून्दनपुर ।

जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त इन मामलों में प्रतिकर तभी देय होता है, जबकि कच्ची निकासी से वास्तविक कटौतियां करने के उपरान्त पक्की निकासी शेष बचती है, उसी की 8 गुना धनराशि नियमानुसार प्रतिकर के रूप में देय होती है । प्रतिकर विवरण रजिस्टर के अनुसार सर्वश्री गोबरधनदास, गोपीनाथ तथा प्रताप नारायन को प्रतिकर दिया जा चुका है । क्रम संख्या 3 व 4 पर अंकित श्री यासीन अली खां तथा श्री अब्दुल वाहिद खां व श्री अब्दुल कादिर खां को कोई प्रतिकर नियमानुसार देय नहीं हुआ क्योंकि उक्त खातेदारों के खाते में शुद्ध कटौती अधिक होने के कारण शुद्ध निकासी शून्य हो गयी और जिससे उनके खाते के प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि भी शून्य हो गयी ।

अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, मंगारी जिला वाराणसी का बकाया विद्युत बिल

27—श्री राम सजीवन—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज मगारी पो0 बाबतपुर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के ऊपर कई लाख रुपये बिजली के बिल का बकाया है ? क्या यह सही है कि अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज को बिना बकाया भुगतान कराये ही एक अलग से ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युत् विभाग वाराणसी ने विद्युत् सप्लाई करना शुरू कर दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र मा0 विद्युत् मंत्री को अप्रैल, 85 के प्रथम सप्ताह में लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री—

मे0 अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, मंगारी पो0 बाबतपुर, जिला वाराणसी के ऊपर माह 6/85 तक रु0 5025.46 मात्र बकाया था, जिसके भुगतान के लिए उपभोक्ता के पास नोटिस भेजी गई थी फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया है ।

मे0 अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज को अलग से ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युत् आपूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि पूर्ववत् पुराने ट्रान्सफार्मर से ही विद्युत् आपूर्ति की जा रही है ।

उक्त कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा अप्रैल 85 का मा0 विद्युत् मंत्री को लिखा गया पत्र नहीं प्राप्त हुआ है बल्कि 6 मई 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्त बकाये की वसूली कर ली गई है ।

28—श्री काशी सिंह एरी—

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले के ग्राम पकड़ी वीरभद्र की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा और हरिजनों की भूमि पर अवैध कब्जा

29—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पकड़ी वीरभद्र तहसील व जिला देवरिया में ग्राम समाज की सार्वजनिक सम्पत्ति के अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में उक्त गांव के नागरिकों द्वारा परगनाधिकारी, देवरिया को दिनांक 8-10-84 को शिकायती-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । शिकायती-पत्रों में नागरिकों द्वारा ग्राम सभा की सुरक्षित हरिजन आवास स्थल पर गैर हरिजनों द्वारा एक पक्का मकान बनवा लिया जाना, ग्राम सभा की अन्य भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा किया जाना, सार्वजनिक पोखरों को भरकर अनाधिकृत रूप से मकान का बनाया जाना आदि शिकायतें की गई हैं ।

जांचोंपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

30—श्री सूर्य प्रताप शाही—

राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पकड़ी वीरभद्र तहसील व जिला देवरिया

में स्थित हरिजन समाज स्थल जो 322 नम्बर के पूरब स्थित है, पर गैर हरिजन व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर मकान बनवा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुरक्षित हरिजन आवास स्थल को खाली कराकर हरिजनों में वितरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित गाटा सं0 457/0·15 एकड़, के 0·10 एकड़, पर बेचू पुत्र श्रीकृष्ण, सूचित, उचित पुत्रगण बच्चू ने मकान व झोपड़ी बनाकर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ।

जी हां ।

उक्त भूखण्ड से अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की बेदखली हेतु न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय के बाद नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ।

गोरखपुर के ग्राम बैठपलिया, गेड़हवा, अर्जुनही, कनसिसवा आदि की चकबन्दी

31—श्री शिवेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बैठपलिया, गेड़हवा, अर्जुनही, कनसिसवा एवं सगरदिनही तहसील महाराजगंज, जनपद गोरखपुर आदि गांवों की चकबन्दी प्रक्रिया अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुई है ? यदि चकबन्दी होगी तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बैठपलिया, गेड़हवा, अर्जुनही, मुश्तकिल (सही नाम) कनसिसवा एवं सगरदिनही मुश्तकिल (सही नाम) तहसील महराजगंज जिला गोरखपुर बूढ़ी गण्डक के तट पर स्थित होने के कारण बाढ़ से प्रभावित है तथा कटान का अंदेशा हर वर्ष बना रहता है जिसके कारण यह गांव चकबन्दी योग्य नहीं पाये गये हैं । अतः इन ग्रामों में चकबन्दी योजना का कार्य प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

प्रदेश के तहसीलदारों का सेलेक्शन ग्रेड

32—श्री महाराज सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा तहसीलदारों के सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के उपरान्त उनके बकाया भुगतान के आदेश पारित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या उनके बकाये को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसीलदारों के लिये सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संस्तुति द्वितीय वेतन आयोग ने नहीं की थी अतः तहसीलदारों को शासन द्वारा सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः बकाये के भुगतान करने के आदेश प्रसारित करने तथा बकाये का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज व हाई स्कूल के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान

33—श्री मूल चन्द

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कुल कितने जू0 हा0 स्कूल व हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज हैं और उनमें से किन-किन कालेजों के छात्रों को छात्रवृत्ति का खाता बैंक में खोला गया है तथा कितने छात्रों का खाता मई, 1985 तक नहीं खोला गया है ? क्या यह सही है कि वाराणसी जिले में अधिकांश विद्यालय के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं दी गयी ? यदि हां,

तो छात्रवृत्ति किन-किन विद्यालय को नहीं दी गयी ? सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वाराणसी जिले में 231 जूनियर हाई स्कूल व 175 हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज हैं ।

उनमें से कुल 107 हाई स्कूल तथा इण्टर कालेजों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु बैंक में खाते खुले हैं ।

वित्तीय वर्ष 1985-86 में माह मई, 1985 तक अवशेष 68 विद्यालयों को छात्रों के कोई नया बैंक खाते नहीं खोले गये हैं ।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए अनुसूचित जाति के जिन छात्रों के आवेदन-पत्र विद्यालयों से प्राप्त हुए थे उन सभी को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है । पिछड़ी जाति के छात्रों हेतु उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है ।

संलग्न सूची के 34 विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति धनाभाव के कारण नहीं दी जा सकी ।

यह छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पर स्वीकृत की जाती है । अतः पूरे जिले के लिए उपलब्ध धनराशि में से मेरिट में ऊपर आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई । मेरिट में नीचे आने वाले छात्रों को धनाभाव के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी गयी ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए पिछड़े वर्ग के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ... पर)

मिर्जापुर की दुद्धी तहसील के अन्तर्गत अतिवृष्टि से मकानों को क्षति

34—श्री विजय सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के दुद्धी टाउन एरिया व उसके आस-पास के गांवों में जुलाई, 1984 में भीषण वर्षा व तूफान से सैकड़ों मकान धराशायी हो गये थे तथा उनके मरम्मत हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? क्या यह सही है कि अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी दुद्धी ने 32 लोगों के दरख्वास्त जिनके मकान गिर गये थे, तहसीलदार दुद्धी को दिये थे, वे दरख्वास्तें गायब कर दी गयीं और उक्त मद की धनराशि अनियमित रूप से व्यय कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे तथ्यों की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद मिर्जापुर की तहसील दुद्धी के अन्तर्गत दिनांक 20-8-1984 से 26-8-1984 तक लगातार वर्षा होने के कारण कुल 141 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे । इनके मकान मालिकों को मरम्मत हेतु कुल 13,900 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी थी ।

जहां तक अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी, दुद्धी द्वारा 32 व्यक्तियों की दरख्वास्तें तहसीलदार, दुद्धी को दिये जाने का सम्बन्ध है, यह अवगत कराना है कि इन 32 दरख्वास्तों की स्थलीय जांच की गई तथा यह पाया गया कि उनमें से केवल 14 व्यक्तियों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे । अतः इन्हें भी उक्त 141 व्यक्तियों की सूची में शामिल करते हुए मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी । यह आरोप सही नहीं है कि उक्त 32 दरख्वास्तों

को गायब कर दिया गया तथा इस मद की धनराशि को अनियमित रूप से व्यय किया गया ।

मिर्जापुर की दुद्धी तहसील के अन्तर्गत की भूमि समस्या हेतु श्री महेश्वर प्रसाद समिति की संस्तुतियां

35—श्री विजय सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दक्षिणांचल तहसील राबर्ट्सगंज व तहसील दुद्धी के वर्ग-4 भूमि की समस्या के अध्ययन हेतु श्री महेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त कमेटी ने कुछ समस्याओं के निराकरण हेतु उस क्षेत्र में पांच बन्दोबस्त इकाई गठित करने की संस्तुति की है जिसके ए0 आर0 ओ0, आई0 ए0 एस0 रैंक के अधिकारी होंगे ? उक्त रिपोर्ट महेश्वर प्रसाद कमेटी ने सरकार को कब दी है और कब तक इस क्षेत्र में भूमि बन्दोबस्त इकाई गठित न करने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । उक्त समिति ने पांच बन्दोबस्त इकाईयां गठित करने एवं सहायक अभिलेख अधिकारी के पदों पर आई0 ए0 एस0 के उच्च वेतनमान अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के विशेष वेतनमान के अधिकारियों की नियुक्ति करने की संस्तुति की है । उक्त रिपोर्ट शासन को 31 दिसम्बर, 1983 को प्राप्त हुई है । रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं तथा अब शीघ्र ही इस संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

ओबरा ताप विद्युत् परियोजना के विस्थापितों को प्रदान की गयी सुविधायें

36—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की किसी भी परियोजना से विस्थापित होने वाले लोगों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि मिर्जापुर की ओबरा ताप विद्युत् परियोजना कब चालू की गयी और उसमें कुल कितने परिवार विस्थापित हुए हैं ? उनमें से अब तक कितनों को कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्तमान परिषदादेशानुसार विस्थापित परिवार के एक सदस्य को, जिसकी भूमि का अध्यापन परिषदीय कार्य हेतु दिनांक 27-6-79 को अथवा उसके पश्चात् 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक किया गया हो, को परिषदीय अधिष्ठानों में केवल वर्ग 3 व 4 के रिक्त पदों पर सेवायोजन देने की सुविधा दी जाती है । साथ ही ऐसे परिवार जिनकी 50 प्रतिशत से कम भूमि परियोजना कार्य हेतु अध्याप्त की गई हैं, के आश्रितों की सेवायोजना में प्राथमिकता की सुविधा दी जाती है ?

ओबरा ताप विद्युत परियोजना सन् 1965 में आरम्भ हुई तथा परियोजना के आरम्भ से अब तक जो परिवार विस्थापित हुए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1—सन् 1975 तक —	164
2—सन् 1979-80 तक	65
कुल योग :	229

3 उपरोक्त विस्थापित परिवारों के सदस्यों को सेवायोजन दिये जाने की

सुविधा से संबंधित स्थिति निम्न प्रकार है :—

1—सन् 1975 में शासनादेश सं0—23/25/1975—कार्मिक (2), दिनांक 20 अक्टूबर, 1975 के अनुसार वरीयता के आधार पर 164 परिवारों में से 59 परिवारों के एक-एक सदस्य को सेवायोजन की सुविधा प्रदान की गयी ।

2—परियोजना में उपलब्ध रिक्त पदों पर उपरोक्त परिवारों में से 35 विस्थापित परिवारों के एक-एक सदस्य को श्रमिक आपूर्ति व्यवस्था के अन्तर्गत सेवायोजन की सुविधा प्रदान की गई ।

शेष विस्थापित परिवार के एक-एक सदस्य के सेवायोजन के मामले में परियोजना में कर्मचारियों की अधिकता तथा रिक्त पदों की अनुपलब्धता के कारण सेवायोजन दिया जाना सम्भव न हो सका ।

गोरखपुर के ग्राम विशुनपुरी मटियरा के भूतपूर्व प्रधानों, श्री त्रिलोकी प्रसाद लोकेश व श्री नाथ प्रसाद द्वारा अपने पुत्रों के नाम ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

37—श्री विजय सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम विशुनपुरी मटियरा से सम्बन्धित भू0 पू0 ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी प्रसाद लोकेश द्वारा अपने भाई बंधुओं पुत्रों आदि (जो सरकारी कर्मचारी भी हैं) के नाम बिना परगनाधिकारी सदर की अनुमति व संस्तुति के आबादी की भूमि अवैधानिक रूप से व्यवस्था करने के विरुद्ध धारा 122-बी व 198 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें किन-किन अदालतों में वर्ष 1981 में चले हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

38—श्री विजय सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में चलने वाले उक्त धाराओं के मुकदमों में किन-किन के विरुद्ध संबंधित न्यायालयों में किन-किन दिनांकों में निर्णय किस रूप में हुआ और किन-किन के विरुद्ध अभी किन-किन न्यायालयों में वाद किस नम्बर से चल रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न नहीं उठता ।

39—श्री विजय सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 ग्राम प्रधान स्व0 श्री नाथे प्रसाद व भू0 पू0 ग्राम प्रधान श्री त्रिलोकी प्रसाद ने अपने पुत्रों, भतीजों व भाइयों के नाम आबादी की भूमि विभागीय अधिकारियों के बिना बताये सरकारी कर्मचारी के नाम अपनी-अपनी अध्यक्षता में व्यवस्था कराया था जिससे संबंधित वाद तहसीलदार सदर व अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोरखपुर के यहां चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इसका शीघ्र निर्णय कराकर अवैध निर्माण व कब्जा हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री नाथे प्रसाद के संबंधियों के विरुद्ध आबादी हेतु भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में तहसीलदार के न्यायालय में धारा 122-बी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में नियम 115-क्यू0 तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी, आपूर्ति के न्यायालय में धारा 198 के अन्तर्गत वाद चलाया गया था । तहसीलदार के न्यायालय में धारा 122-बी के अन्तर्गत 4 वाद तथा अतिरिक्त आयुक्त के न्यायालय में 5 निगरानियां अभी भी विचाराधीन हैं ।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

बाराबंकी, स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत क्रय की गयी भूमि

40—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वित्तीय वर्ष 1984-85 में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि कितनी धनराशि की क्रय की गयी ? क्या यह सही है कि अनेक स्थानों पर भूमि क्रय करने के पूर्व कृषि विभाग से कोई राय नहीं ली गयी ? क्या यह भी सही है कि क्रय की गयी भूमि का अभी वितरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद बाराबंकी में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1984-85 में 58 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि रु0 2 लाख 35 हजार की धनराशि से क्रय की गई । सभी स्थानों में भूमि क्रय करने के पूर्व कृषि अधिकारी की राय ली गई थी । क्रय की गई भूमि का वितरण इसलिये नहीं हुआ क्योंकि भूमि फरवरी माह में क्रय की गयी तथा मार्च में विधान सभा के निर्वाचन होने थे । अब आबंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

नया बाजार लखनऊ के संचालक मण्डल के सदस्य श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल की सदस्यता का औचित्य

41—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित नया बाजार में श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल सर्वोदय श्रम संविदा सहकारी समिति लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में आकर नया बाजार, लखनऊ के संचालक मण्डल के सदस्य बन गये हैं जबकि श्रम संविदा में केवल श्रमिक ही सदस्य बन सकता है ? क्या यह सही है कि श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, कैलाश जनरल स्टोर, आई0 टी0 कालेज, लखनऊ के मालिक हैं तथा प्रतिवर्ष आयकर तथा बिक्री कर सरकार को देते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कैलाश चन्द्र अग्रवाल की सदस्यता निदेशक मंडल से समाप्त करने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी हां, परन्तु अब सदस्य नहीं हैं ।

जी नहीं । सर्वोदय श्रम संविदा सहकारी समिति लि0, लखनऊ की उपविधि संख्या 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सहानुभूति कर सदस्य बन सकता है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमारी रामकली कनौजिया, सहायक निदेशक, मुरादाबाद, समाज कल्याण विभाग का निलम्बन

42—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर (कुमारी रामकली कनौजिया) के विरुद्ध छात्रवृत्ति तथा क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत अनुदान का दुरुपयोग करने पर 28 जुलाई, 1984 को उन्हें निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बिना जांच अधिकारी की रिपोर्ट आये ही पत्र संख्या 5922/1/26-1-84 दिनांक 12-11-84 द्वारा उन्हें बहाल करके पदोन्नति दे करके सहायक निदेशक के पद पर मुरादाबाद मण्डल में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसके विरुद्ध सरकार

द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जी हां । कुमारी रामकली कनौजिया की सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति दिनांक 22 दिसम्बर 1983 को की गई थी । कु0 कनौजिया उपरिसंदर्भित निलम्बन आदेश 28 जुलाई 1984 के समय सहायक निदेशक मुरादाबाद के मण्डल पद पर तैनात थी । अतः बहाली के आदेश पर वह उक्त पद पर पुनर्स्थापित की गयी थी ।

शासन ने पुनर्विचार करके निर्णय किया कि कु0 कनौजिया के विरुद्ध आरोपों पर आनुशासनिक जांच जारी रहे परन्तु इन्हें बहाल किया जाय।

किसी अधिकारी के विरुद्ध उक्त निर्णय के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती की ग्राम सभा बहरामपुर की भूमि का श्री राम नरेश व श्री सुरेश का आवंटन

43—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बहरामपुर तहसील बस्ती, जिला बस्ती की भूमि प्रबन्धक समिति ने अतिरिक्त घोषित भूमि का पट्टा अपने प्रस्ताव दिनांक 25-10-83 द्वारा श्री राम नरेश पुत्र भिनकू तथा श्री सुरेश पुत्र कन्हई निवासी ग्राम बहरामपुर तथा 28-10-83 के दूसरे प्रस्ताव द्वारा श्री सुरेमन पुत्र बदरी, राम बचन पुत्र फुलेना, राम आसरे पुत्र भिन्नू, प्यारे पुत्र भिन्नू तथा संवारे पुत्र रामफेर निवासी ग्राम बहरामपुर के हक में आवंटित किया था? यदि हां, तो उपरोक्त हरिजनों को पट्टे की भूमि का कब्जा पैमाइश करके विभागीय कर्मचारियों द्वारा दिलाया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा कलेक्ट्रेट के चपरासी श्री कन्हैया लाल की पेंशन

44—श्री देवकुमार यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कन्हैया लाल, जमादार/चपरासी, कलेक्ट्रेट, जनपद बांदा, जिनको 30-4-83 ई0 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है, के पेंशन सम्बन्धी कागजात अब तक पूरे न किये जाने की बाबत उन्होंने शासन को दि0 18-3-85 एवं दिनांक 10-4-85 को आवेदन-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन सम्बन्धी कागजात अब तक पूरे न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । श्री कन्हैया लाल के पेंशन प्रपत्र तैयार करके महालेखाकार, इलाहाबाद को दिनांक 21-3-84 को ही भेज दिये गये थे । महालेखाकार द्वारा लगाई गई अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा में बने रहने की अवधि के विनियमितीकरण सम्बन्धी आपत्ति के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

आगरा के विकास खण्ड, फतेहपुर सीकरी में आर0 ई0 सी0 योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

45—श्री बदन सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में आर0 ई0 सी0 योजना की स्वीकृति हो गयी है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित होकर ग्रामों को बिजली दे दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 1988 तक ग्रामों का विद्युतीकरण पूरा कर दिया जायेगा ।

आगरा कलेक्ट्रेट के लिपिक स्व0 श्री राम स्वरूप शर्मा की पत्नी श्रीमती रामश्री देवी की पेंशन

46—श्री बदन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत श्रीमती रामश्री देवी पत्नी स्व0 राम स्वरूप शर्मा, भू0 पू0 लिपिक, कलेक्ट्रेट, आगरा का प्रार्थना-पत्र, जो नये वेतनमान में पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में था, दिनांक 14 सितम्बर, 1984 को उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । माननीय विधान सभा सदस्य का प्रश्नगत पत्र दिनांक 14-9-84 शासन में प्राप्त नहीं हुआ था ।

जहां तक श्रीमती रामश्री देवी, पत्नी स्व0 राम स्वरूप शर्मा को नये वेतन मान में पेंशन स्वीकृत करने का प्रश्न है उन्हें संशोधित पेंशन के भुगतान की स्वीकृति दे दी गयी थी तथा उन्हें अवशेष धनराशि का भुगतान भी हो चुका है ।

उन्नाव सहकारिता विभाग उपभोक्ता योजना में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

47—श्री बदन सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सहकारिता विभाग (उपभोक्ता) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने लोग तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत हैं ? क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति का कोटा पूरा न होने के बावजूद भी उक्त विभाग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या माननीय मंत्री जी इन निकाले गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उन्नाव जनपद में सहकारिता विभाग में उपभोक्ता योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अलीगढ़ के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

48—श्री कल्यान सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ के 372-अतरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दि0 31-3-85 तक किस-किस ग्राम का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है और क्या ऐसे सभी विद्युतीकृत ग्रामों में बिजली की लाईन चालू की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक चालू कर दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 372-अतरौली में विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, अलीगढ़ तथा विद्युत वितरण खण्ड तृतीय, अलीगढ़ के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की सूची *संलग्न है । साथ ही यह भी सूचनीय है कि केवल ग्राम-बढ़ौली कोड नं0 5 की बिजली चालू नहीं है, जो दिसम्बर, 1985 तक चालू कर दी जायेगी

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ . . . पर)

श्री शमशाद आलम, सचिव, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, बाराबंकी का निलम्बन

49—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण कान्त अवस्थी, उप संयोजक, सहकारी प्रकोष्ट, ब्राह्मणी टोला बहराइच द्वारा श्री शमशाद आलम सचिव/सामान्य प्रबन्धक, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बाराबंकी के विरुद्ध 26-9-83 को भ्रष्टाचार आदि की शिकायत की थी ? क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच तत्कालीन उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, फैजाबाद मंडल ने की जिसमें श्री आलम पूर्ण रूप से दोषी पाये गये ? क्या जांच रिपोर्ट निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की गयी ? यदि हां, तो श्री आलम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । उन्हें स्थानान्तरित करके निलम्बित कर दिया गया है और आनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है ।

इटावा के ग्राम कोकपुरा में भूमि का आवंटन एवं कब्जा

50—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील व जनपद इटावा के मौजा कोकपुरा में आवंटित भूमि पर क्या आवंटियों को अभी तक कब्जा नहीं मिला ? क्या जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इटावा के जिलाधिकारी को इस विषय में लिखे गये पत्र दिये ? यदि हां, तो दि0 26-4-85 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, सभी आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है किसी भी आवंटी को कब्जा दिलाना शेष नहीं है ।

श्री श्याम सिंह द्वारा एक प्रार्थना-पत्र 12-4-85 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इटावा को जिला समिति के माध्यम से जिलाधिकारी को दिया गया था जिस पर परगनाधिकारी द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 22-4-85 को श्याम सिंह व बाबू राम को, जिनमें आवंटित भूमि पर आपसी विवाद था, पुनः कब्जा दिला दिया गया ।

देवरिया के ग्राम महाल मझरिया व बलिया के ग्राम डूहां बिहरा और कठौड़ा का सीमा विवाद

51—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सरकार को जनपद देवरिया, तहसील सलेमपुर के ग्राम महाल मझरिया तथा जनपद बलिया तह0 बांसडीह के ग्राम डूहां बिहरा और कठौड़ा के बीच सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में जिलाधीश, देवरिया का 9 जुलाई, 1982 का कोई पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

चूंकि मामले में फौजदारी एवं दीवानी क्षेत्राधिकार के परिवर्तन करने का प्रश्न भी निहित है, अतः गृह विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है ।

सुल्तानपुर, ग्राम बाहरपुर, के कतिपय गाटों के क्षेत्रफल की नाप

52—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर,

तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर की बन्दोबस्त अव्वल के खसरा किस्तवार में गाटा संख्या 906 ,907, 908, 917 918, 919, 920, 927, 935, 936, 1154, 1167, 1196, 1197, 1637, 1640, 1201 तथा 1202 में अंकित क्षेत्रफल का विवरण क्या है तथा बन्दोबस्त दायम सायम व 1360, 62, 63 फ0 की अंकित क्षेत्रफल के विपरीत मौजूदा जांच पड़ताल में अन्तर होने का क्या आधार है ? क्या इन गाटों के क्षेत्रफल की पुनः पैमाइश कराने का आदेश देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर विगत बन्दोबस्त गाटा सं0 906, 907, 908, 917, 918, 919, 920, 927, 935, 936, 1154, 1167, 1196, 1197, 1637, 1640, 1202 तथा 1201 में अंकित क्षेत्रफल तथा इन गाटों का अन्य अभिलेखों में अंकित क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है । गाटा सं0 906, 917, 918, 919, 927, 935, 936, 1154, 1201, 1202, 1196, 1197, 1627, 1640 के क्षेत्रफल के विरुद्ध चकबंदी परताल के समय कोई अन्तर नहीं पाया गया है ।

गाटा सं0 907, 908, 920 तथा 1167, के क्षेत्रफल में स्थल जांच के समय जो अन्तर पाया गया उसका विवरण निम्न है :—

गाटा बन्दोबस्त के सं0 अनुसार अंकित क्षेत्रफल	बीघा	वि0	वि0
907	0	2	1
908	0	5	0
920	1	11	1
1167	0	4	4

चकबंदी परताल के समय स्थल पर पाया गया क्षेत्रफल	बीघा	वि0	वि0
	0	4	0
	0	4	0
920/1	0	11	0
920/2	0	15	0
	0	2	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश से इन गाटों का क्षेत्रफल स्थल जांच के अनुसार 907/0-11-0, 908/0-4-0, 920/1/0-11-0, 920/2/0-15-0, 1167/0-2-0 अंकित किया गया है ।

इन गाटों के क्षेत्रफल की स्थल पर पुनः नाप करा दी गई जिसके अनुसार भी इतना ही क्षेत्रफल आता है ।

53—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

54—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

55—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[6वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के अंतर्गत स्थानांतरित ।

सुल्तानपुर के ग्राम बाहरपुर की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा

56—श्री राम गोविन्द चौधरी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम में 60 व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहा है तथा उनके विरुद्ध नियम 122 की कार्यवाही किस तारीख को की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को बेदखल करने हेतु 17 मामलों में दिनांक 5-5-84 को तथा 43 मामलों में 1-9-84 को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122-बी के अंतर्गत वाद दायर किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बाहरपुर, सुल्तानपुर का विद्युतीकरण

57—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर वि0 खं0 शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में आज तक विद्युतीकरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

58—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

59—श्री राम आसरे वर्मा—

[3रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अंतर्गत पम्पिंग सेट की खरीद

60—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 84-85 में बाराबंकी जनपद में कितने पम्पिंगसेट एवं कितनी बोरिंग सामग्री क्रय की गयी ? क्या यह खरीद पूर्वांचल विकास निगम द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अंतर्गत वर्ष 1984-85 में बाराबंकी जनपद में कोई पम्पसेट नहीं क्रय किया गया तथा 123 बोरिंग हेतु सामग्री क्रय की गई । यह खरीद पूर्वांचल विकास निगम द्वारा नहीं की गई । जिला समन्वय समिति की दिनांक 15-1-85 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार खुले बाजार से सामग्री क्रय की गई ।

61—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[दिनांक 12-7-85 को अतारांकित प्रश्न संख्या 158 द्वारा उत्तरित]

मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर व देवरिया में बियार जाति की जनगणना

62—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया व बलिया जनपदों में लाखों की संख्या में बियार जाति के लोग रहते हैं ? यदि हां, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन लोगों की जनगणना की किसी सूची में नहीं रखा गया है ? क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में रखा है ? यदि हां, तो क्या शासन इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया व बलिया जनपदों में बियार जाति के लोग रहते हैं, परन्तु इनकी वास्तविक जनसंख्या के बारे में जानकारी नहीं है ।

जनगणना में जनपदवार/जातिवार जनसंख्या के आंकड़े नहीं दिये जाते केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के संकलित रूप से जनपदवार आंकड़े दिये जाते हैं ।

मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी चाही गयी है ।

जी हां, सर्वेक्षण कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को धनराशि का आवंटन एवं व्यपगत धनराशि

63—श्री कल्यान सिंह तथा श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 84-85 में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत हो गया ? व्यपगत होने के कारण क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वित्तीय वर्ष 1984-85 में हरिजन एवं समाज कल्याण बजट के अन्तर्गत नियमानुसार धनराशि का आवंटन किया गया है :

हरिजन कल्याण	52,78,22,000
समाज कल्याण	17,74,95,000

वर्ष 1984-85 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध मात्र रु0 15,000 की धनराशि जनपद मैनपुरी में अनुसूचित जाति के छात्रों को आई0 टी0 आई0 छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत व्यपगत हुई है ।

दिनांक 28 मार्च 1985 को जनपद मैनपुरी से तार द्वारा भेजी गई सूचना समय से प्राप्त न होकर दिनांक 1 अप्रैल 1985 को निदेशालय में मिली जिसके कारण प्रश्नगत धनराशि व्यपगत हो गई है ।

मेरठ जिले के ग्राम सूजती की चकबन्दी

64—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सूजती, तह0 सरधना, जनपद मेरठ की चकबन्दी की कार्यवाही नक्शा 23 वितरित हो जाने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उसके मुख्य क्या कारण हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, ग्राम सूजती, तहसील सरधना जिला मेरठ में नक्शा 23 के वितरण के उपरान्त भी चकबंदी की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हो सकी है ।

इस ग्राम में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित चकबंदी योजना के पश्चात् सार्वजनिक विभाग द्वारा सड़क के लिये भूमि ली गई और सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । सड़क हेतु भूमि चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत आनुपातिक कटौती के आधार पर लेने के लिये कृषकों ने अनुरोध किया । इसके लिये ग्राम में अतिरिक्त दो प्रतिशत भूमि आनुपातिक कटौती करके पुनः चक निर्माण कार्य आरम्भ है ।

मेरठ जिले के ग्राम भलसोना की चकबन्दी से सम्बन्धित मुकदमें एवं चकबन्दी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आरोप-पत्र

65—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भलसोना, तह0 सरधना, जनपद मेरठ की चकबन्दी से सम्बन्धित सी0 एच0 21 सिद्धान्तों के निर्धारित करने के अन्तर्गत हरिजन बस्ती को मुख्य मार्ग से जोड़ने का सिद्धान्त निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त सिद्धान्त के अनुसार हरिजन बस्ती को मुख्य मार्ग से न जोड़े जाने के क्या कारण हैं तथा उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह सत्य है कि ग्राम भलसोना, तहसील सरधना, जनपद मेरठ के चकबन्दी, से सम्बन्धित सिद्धान्तों के विवरण-पत्र आकार-पत्र 21 में हरिजन बस्ती को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये पुराने मार्गों के अतिरिक्त नये मार्ग हेतु भूमि सुरक्षित की गई थी ।

सहायक बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा चकबंदी अधिनियम की धारा 21(2) के अन्तर्गत चक अपीलों के निस्तारण के समय गाटा संख्या 457, 556, 558, 559 में आबादी मानकर आदेश दिनांक 18-2-84 द्वारा चकबन्दी योजना से अपवर्जित कर किये गये जिसके फलस्वरूप इन गाटों में रास्ते हेतु भूमि का आरक्षण समाप्त हो गया है । ग्राम की निगरानियों के निस्तारण के समय इस रास्ते के विषय में न्यायिक कार्यवाही की जायेगी ।

66—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम भलसोना, तह0 सरधना, जनपद मेरठ की चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में वाद अथवा अपीलें बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मेरठ के न्यायालय में अभी (2-5-85) तक लम्बित हैं ? यदि हां, तो इन वादों के निस्तारण के पूर्व कब्जा परिवर्तन की प्रक्रिया का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम भलसोना, तहसील सरधना, जनपद मेरठ की चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी के न्यायालय में कोई अपील लम्बित नहीं है ।

बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में स्वत्व सम्बन्धी केवल तीन अपीलें विचाराधीन हैं जिनका सम्बन्ध किसी अनियमितता से नहीं है । इन अपीलों के विचाराधीन रहते हुए कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता ।

67—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 की ओर से ग्राम भलसोना, तह0 सरधना जनपद मेरठ के परिवादों के सम्बन्ध में उप संचालक मेरठ को लिखे गये पत्र दि0 17-10-84 में यह भी आदेश दिया गया था कि धारा 20 के अन्तर्गत वाद

संख्या 1468 द्वारा विनिमय अनुपात 10 पैसे के स्थान पर अनियमित एवं दोषपूर्ण ढंग से 60 पैसे निर्धारित करने के लिए दोषी चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का व्यवस्था करें ? यदि हां, तो सम्बन्धित आरोप-पत्र क्या था तथा उस पर आगे क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

आरोप यह है कि ग्राम भलसोना के गाटा संख्या 693 के विनिमय अनुपात सम्बन्धी आपत्ति धारा 9-क (2) के अंतर्गत वाद संख्या 1418 1419 निर्णीत दिनांक 11-6-82 द्वारा निरस्त कर दी गई थी । इसी गाटा के सम्बन्ध में खातेदार ने धारा 20 के अन्तर्गत पुन: आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर आरोपित चकबंदी अधिकारी ने अपने आदेश संख्या 1468, निर्णीत दिनांक 22-10-83 द्वारा गाटा सं0 693/3 क्षेत्रफल 0.3771 वर्गमीटर का विनिमय अनुपात 10 पैसा के स्थान पर 60 पैसा कर दिया जो अनियमित एवं दोषपूर्ण है तथा इससे उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत होती है ।

विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है ।

68—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 ने ग्राम भलसोना, तह0 सरधना, जनपद मेरठ के परिवादों के सम्बन्ध में की गयी जांच के उपरान्त अपने पत्र दि0 17-10-84 द्वारा उप संचालक चकबंदी मेरठ को निर्देशित किया था कि जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 भाग 2 व 3 के उद्धरण सम्बन्धित ग्राम समाज को न देने के लिए श्री मेवा लाल, सहायक चकबन्दी अधिकारी, प्यारे लाल, चकबन्दी-कर्ता तथा रामजी लाल लेखपाल दोषी हैं तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

संबंधित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये हैं और जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

69—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री महाबीर दत्त शर्मा, ग्राम प्रधान भलसोना, तह0 सरधना, जनपद मेरठ का कोई पत्र दि0 14-3-85 जो उक्त ग्राम से सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतें क्या थीं और उस पर अब तक (2-5-85) तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, श्री महाबीर दत्त शर्मा, ग्राम प्रधान भलसोना, तहसील सरधना, जिला मेरठ का पत्र दिनांक 14-3-85, जो स0च0अ0 द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ।

उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्य शिकायतें निम्न थी :

1—शासन ने अनियमितताओं की जांच करते हुए अपने पत्र संख्या 41(14)/3/84(224)/स-8 दिनांक 26-6-84 द्वारा कक्षा परिवर्तन को स्थगित रखने का निर्देश दिया था, इन आदेशों की अवहेलना की गई ।

2—दूसरे आदेश संख्या 58(14)/84-187 दिनांक 26-11-84 की भी अवहेलना की गई ।

3—माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 18-12-84 का पालन

करना सुनिश्चित नहीं किया गया चन्द कृषकों से साठ-गांठ कर तथा चकबंदी स्टाफ ने कुछ कृषकों की खड़ी फसल उजड़वा दी । यह सिलसिला 12-1-85 तक जारी रखा गया ।

शासन के आदेशों के परिपालन में ग्राम भलसौना में हुई अनियमितताओं की जांच संयुक्त सचालक चकबंदी लखनऊ तथा चकबंदी आयुक्त द्वारा दिनांक 3-7-84 को की गई, तथा जांच के उपरांत कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही की गई । अतः शासन के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की गई ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के पालन का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि उक्त आदेश कब्जा परिवर्तन कराये जाने के दिनांक 10-12-84 के बाद पारित किये गये हैं ।

यह भी सही नहीं है कि चकबन्दी स्टाफ द्वारा कृषकों की खड़ी फसल उजड़वा दी गई ।

आगरा के ग्राम बमरौली कटरा के उप गांव नगला गाढ़ा में हरिजनों को भूमि का आवंटन

70—श्री विजय सिंह राणा—

वि0 सभा के द्वितीय सत्र 1984 के 2रे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 151 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के गांव बमरौली कटारा के उपगांव नगला गाढ़ा के ग्राम समाज की आबादी की 3 बीघा जमीन पर हरिजन लोगों को आवंटित किए गए पट्टों को प्रशासन से स्वीकृति क्यों नहीं मिल सकी ? क्या शासन द्वारा इस गम्भीर अनियमितता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बमरौली कटारा के उपग्राम नगला गाढ़ा की आबादी की भूमि वास्तव में 2 बीघा 19 बिस्वा है, तीन बीघा नहीं । है । भूमि अभिलेखों में क्रमशः 2 बीघा 18 बिस्वा आबादी एवं 1 बिस्वा बंजर अंकित है । प्रश्नगत भूमि हरिजनों को आवंटित नहीं की गयी है और न ही ग्राम समाज द्वारा आवंटन हेतु पट्टा दिये जाने का प्रस्ताव ही पारित किया गया है । अतः पट्टों को स्वीकृत किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

गाजियाबाद, ग्राम सभा सुल्तानपुर तथा तिलपदाबाद की भूमि का आवंटन

71—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील दादरी के ग्राम सभा सुल्तानपुर तथा गेभा तिलपदाबाद में ग्राम सभा की भूमि पर गत वर्ष 1980 से 1985 तक कितने लोगों के नाम पट्टे हुए हैं ? जिन पट्टेधारियों को भूमि मिली है वह किस गांव के मूल निवासी हैं और यह पट्टे किसकी स्वीकृति से हुए हैं ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सभा सुल्तानपुर तथा तिलपदाबाद में ग्राम सभा की भूमि पर वर्ष 1980 से 1985 तक 277 व्यक्तियों को 17 बीघा 9 बिस्वा आवासीय भूमि तथा 79 व्यक्तियों को 258 बीघा 6 बिस्वा 17 बिस्वांसी कृषि भूमि का आवंटन किया गया है ।

आवंटियों के मूल निवास की जांच की जा रही है ।

उक्त पट्टे श्री एस0 के0 त्रिवेदी तथा श्री डी0 पी0 सिंह तत्कालीन परगनाधिकारी की स्वीकृति से हुए हैं ।

जांच पूर्ण होने पर स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा ।

गोरखपुर के ग्राम परशुरामपुर के श्री तूफानी का शिकायती-पत्र

72—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री सुमन्त प्रसाद व श्री तूफानी पुत्रगण सुक्खू ग्राम परशुरामपुर, ब्लाक भटहट, जिला गोरखपुर के शिकायती-पत्र जो उनसे सम्बन्धित पत्रावली गायब किये जाने से सम्बन्धित थे, वह संलग्न करते हुए माननीय केदार नाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 5-11-84 को तहसीलदार, सदर, गोरखपुर की सेवा में कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न में उल्लिखित तत्कालीन विधान सभा सदस्य (श्री केदार नाथ सिंह) ने ऐसा कोई पत्र तहसीलदार सदर गोरखपुर को नहीं दिया था जिसका सम्बन्ध प्रश्न में उल्लिखित शिकायतकर्ताओं के विषय से हो ।

अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

आगजनी से पीड़ितों को देय राहत में वृद्धि की मांग

73—श्री शारदा प्रताप—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगजनी के मामलों में जो अहेतुक सहायता प्रदान की जाती है वह इतनी कम है कि उनसे पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिल पाती है ? यदि हां तो क्या उसमें कोई बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । राहत की वर्तमान दरों में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक हैं ।

लखनऊ विधान सभा क्षेत्र, सरोजनीनगर में अग्निकाण्ड

74—श्री शारदा प्रताप—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में दिनांक 1 जनवरी, 1985 से 28 मई, 1985 तक कितने ग्रामों में कितनी अग्निकाण्ड की घटनाएं घटित हुयीं ? पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में दिनांक 1-1-85 से 28-5-85 तक 51 ग्रामों में अग्निकाण्ड की घटनाएं घटित हुई तथा अग्निपीड़ितों को पात्रता के आधार पर कुल 11,775 रु0 अहेतुक सहायता एवं 1200 रु0 गृह निर्माण अनुदान के रूप में वितरित किया गया ।

आगरा के भूमि विकास बैंक शाखा, फतेहाबाद के फील्ड आफिसर, श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं श्री गुमान सिंह, निवासी नेहरे का पूरा के बीच तकरार

75—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आगरा की भूमि विकास बैंक शाखा फतेहाबाद के फील्ड आफिसर राजेन्द्र प्रसाद ने दिनांक 28-2-85 को बैंक शाखा में रिश्वत न देने पर और डीलर से गलत पम्पिंग सेट के न लेने पर श्री ज्ञान सिंह, पुत्र गुमान सिंह, निवासी नेहरे का पूरा को मारा-पीटा और जबरन निशान अंगूठा कोरे कागज पर लेकर उसको मिले धन को राजेन्द्र प्रसाद ने हड़प लिया ? यदि हां, तो ज्ञान सिंह द्वारा की गयी शिकायतों की क्या जांच हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मामले की जांच कराई गयी । रिश्वत लेने, कोरे कागज पर अंगूठा लगाकर धन हड़पने की शिकायत निराधार पाई गयी । फील्ड आफीसर श्री राजेन्द्र प्रसाद व कृषक श्री ज्ञान सिंह के मध्य तकरार होना पाया गया । इस कारण श्री राजेन्द्र प्रसाद का स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

कृषक को डीजल इंजन विक्रेता फर्म मेसर्स मरोठिया मशीनरी स्टोर, फतेहाबाद द्वारा गलत इंजन देने के कारण फर्म की मान्यता स्थगित कर दी गयी है, और इसकी मान्यता समाप्त करने हेतु उन्हें नियमानुसार "कारण बताओ" नोटिस दी गयी है ।

गोण्डा की ग्राम सभा, गुरसड़ा की भूमि पर श्री चुनमुन का अवैध कब्जा

76—श्री हर्ष वर्धन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, गोण्डा ने वाद (रिवीजन नम्बर 13/21/51 धारा 122-बी) में अपने आदेश दिनांक 16-10-84 द्वारा ग्राम सभा गुरसड़ा, परगना पहाड़पुर, तहसील व जिला गोण्डा के ग्राम सभा के प्लाट सं0 417 मि0 से श्री चुनमुन उर्फ परमेश्वर सूर्य बक्श पुत्र राम बिलास को नाजायज कब्जे से बेदखल कर दिया था ? यदि हां, तो अभी तक उक्त अवैध कब्जा (मार्ग अवरोध एवं दीवाल) क्यों नहीं हटाया गया और न हटाए जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार अवैध कब्जा (मार्ग अवरोध एवं दीवाल) हटा दिया गया है ।

77—श्री शारदा प्रताप—

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुल्तानपुर के विकास खण्ड, दूबेपुर पांडे कुडवर की स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना

78—श्री मुईद अहमद—

प्रथम सत्र 84 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 173 के उत्तर में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड दूबेपुर पाण्डे कुडवर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना मौजूदा वित्तीय वर्ष में लागू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना पूरे प्रदेश में लागू है । इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही जो विशेष योजनायें (यथा भूमि क्रय, सामूहिक लघु सिंचाई योजना तथा दुकान निर्माण की योजना आदि) प्रदेश के चयनित विकास खण्डों में संचालित थी उन्हें अब प्रदेश के सभी विकास खण्डों के लिये कर दिया गया है । अतः जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर पांडे कुडवर में भी इन योजनाओं को संचालित किया जा सकेगा ।

बलिया जिले में अग्निकाण्ड की घटनायें

79—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, 1985 तक बलिया जनपद के कुल कितने गांवों तथा परिवार अग्निकाण्ड से प्रभावित हुए हैं तथा उन्हें राहत के रूप में कुल कितनी धनराशि वितरित की गयी है ? क्या माननीय मन्त्री जी, पूरा विवरण, सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बलिया जनपद में वित्तीय वर्ष 1985-86 में माह मई तक 376 गांव तथा

64/1/0-20, 63/2/0-03,

कब्रिस्तान

114/0-10,

श्मशान

27/0-27, 243/0-20

मस्जिद

नहीं है ।

शिवालय

नहीं है ।

मन्दिर

नहीं है ।

आबादी

354/21-67, 38/6-02

रास्ता

6/0-24, 108क/0-13, 63/0-69, 150/0-05, 232/0-40, 238/0-48, 239/0-95, 312/0-76, 314/0-53, 317/0-51, 352/0-71, 366/1-67 385/0-79, 416/0-01, 41/0-04, 482/1-22, 497/0-69, 498/0-64, 508/2-22, 537/0-20, 541/0-22, 32/1-51, 67/0-47, 77/0-08, 83/0-34, 118/0-30, 66/0-12, 88/0-88, 89/0-38, 103/0-26, 191/1-08

उपरोक्त सभी गाटे ग्राम समाज की मिलकियत में आते हैं ।

गाटा संख्या 482/1-22 पर शीशम के 5 पेड़ हैं तथा 2.54 एकड़ पर खेती होती है ।

2.54 एकड़ पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैधानिक कब्जा है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम की धारा-122-बी के साथ पठित नियम 115-डी के अंतर्गत दिनांक 3-9-84 को उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है । 13 वादों में से 11 पूर्ण रूप से निर्णीत होकर मु0 898 रु0 का जुर्माना हो चुका है । केवल 2 वाद निर्णय हेतु लम्बित हैं ।

84—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गया प्रसाद सक्सेना ग्राम प्रधान, कुसमौरी, परगना भूड़, तहसील लखीमपुर, जिला लखीमपुर खीरी एवं हल्का लेखपाल श्री शत्रोहन लाल के द्वारा ग्राम समाज की भूमि को ग्राम समाज के व्यक्तियों द्वारा बटाई पर देने तथा चक रोड व रास्तों को अनधिकृत रूप से जोत लिए जाने के सम्बन्ध में श्री परवन पुत्र इतवारी, निवासी कुसमौरी, परगना भूड़, जिला व तहसील लखीमपुर खीरी का रजिस्टर्ड डाक से शिकायती-पत्र दिनांकित 30-4-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

85—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री सुरेश प्रकाश जौहरी, तत्कालीन चकबन्दीकर्ता, बलरामपुर गोण्डा का बकाया वेतन

86—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश प्रकाश जौहरी, तत्कालीन

1540 परिवार अग्निकाण्ड से प्रभावित हुए हैं जिनमें से 1417 परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 2,14,835 अहेतुक सहायता तथा रु0 1,70,850 गृह अनुदान की मद में वितरित किया गया । शेष 123 परिवार उक्त सहायता के पात्र नहीं थे । इसके अतिरिक्त 15 कुन्तल गेहूं, 15.15 कुन्तल आटा, 5.35 कुन्तल आलू, 45 लीटर किरासन तेल तथा 25 साड़ियां भी वितरित की गईं । उक्त के विवरणों की सूची लम्बी है और सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है अतः विवरणों को माननीय सदस्य माननीय राजस्व मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में किसी भी समय देख सकते हैं ।

बलिया जिले में सर्वे का कार्य

80—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में सर्वे का कार्य समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो अभी भी वहां सम्बन्धित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, अभी वहां 37 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर पर अवशेष है । उक्त सर्वे इकाई द्वारा जनपद बलिया के अतिरिक्त जनपद आजमगढ़, वाराणसी तथा गाजीपुर में भी आवंटित कार्य किया जाता है ।

81—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

गोरखपुर की गणेश शुगर मिल की भूमि

82—श्री हर्ष वर्धन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील फरेंदा के राजस्व अभिलेखों (61-ख) के अनुसार गणेश शुगर मिल के पास कुल कितनी जमीन है ? क्या इस जमीन पर सीलिंग की कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखीमपुर खीरी की गांव सभा कुसमौरी की भूमि पर अवैध कब्जा

83—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कुसमौरी, परगना भूड़ तहसील लखीमपुर, जिला लखीमपुर खीरी को ग्राम अभिलेख के अनुसार कितनी भूमि है, तथा जिन गाटों में कृषि भूमि कब्रिस्तान, शमशान मस्जिद, शिवालय, मंदिर आबादी एवं रास्ते चारागाह व स्कूल हैं उनमें से कौन-कौन से गाटे मय क्षेत्रफल ग्राम समाज की मिलकियत हैं, उनमें कितने पर पेड़ अथवा खेती होती है जिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैधानिक कब्जा है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सभा कुसमौरी में ग्राम अभिलेखों के अनुसार कुल 2,374.95 एकड़ भूमि है ।

गाटा सं0/क्षेत्रफल

कृषि भूमि

551/2/0-25, 551/3/0-50, 551/4/0-20, 551/5/0-30, 554/2/0-50, 312/2/0-01, 314/2/0-02, 386/2/0-20, 385/2/0-30, 416/0-01,

चकबन्दीकर्ता, बलरामपुर जनपद गोण्डा का बकाया वेतन जो मुबलिग 4,000 रुपये हैं, वर्ष 1979 से अब तक न दिये जाने का क्या कारण है और कब तक भुगतान किया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री सुरेश प्रकाश जौहरी, तत्कालीन चकबन्दीकर्ता बलरामपुर (गोण्डा) का 4/70 से 6/79 अवधि का अवशेष वेतन आदेय रु0 3855.20 बिल संख्या 204, दिनांक 16-5-81 के पूर्व सम्परीक्षा हेतु महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को ब0 अ0 च0 गोण्डा द्वारा भेजा गया था। उक्त अवशेष आदेश महालेखाकार ने अपने पत्र संख्या चक (आडिट) टी/7-821, दिनांक 2-4-83 (जो ब0 अ0 च0, गोण्डा को दिनांक 9-5-83 को प्राप्त हुआ) इस आपत्ति के साथ वापस कर दिया कि आदेश 10 वर्ष से अधिक पुराना है जिस पर शासन के वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर सम्परीक्षा हेतु पुनः भेजा जाये। उक्त आदेश ब0 अ0 च0 गोण्डा ने चकबन्दी आयुक्त को पत्र संख्या 2237 दिनांक 13-9-84 द्वारा भेजा जिसे आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त शासन को चकबन्दी आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 17-7-85 द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु भेजा है। अब शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त, औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त आदेय महालेखाकार को पूर्व सम्प्रेक्षण हेतु भेजा जायेगा। महालेखाकार द्वारा पूर्व सम्प्रेक्षण करने के बाद ही उक्त बिल का भुगतान श्री जौहरी को किया जा सकेगा।

लखीमपुर खीरी के ग्राम कुसमौरी के श्री मकबूल व श्री मन्ना का भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

87—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसमौरी परगना भूड़, तहसील लखीमपुर, जिला लखीमपुर खीरी के निवासी श्री मकबूल पुत्र इमामी दर्जी, मन्ना पुत्र हसमत बेहना, जो पिछड़े वर्ग व भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, का प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-6-84 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिलाधिकारी लखीमपुर एवं ग्राम प्रधान कुसमौरी को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, दिनांक 6-6-84 का प्रार्थना-पत्र केवल जिलाधिकारी को ही प्राप्त हुआ था।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्री मन्ना पुत्र श्री हसमत कौम बेहना दुकानदारी करते हैं तथा ग्राम रूद्रपुर परगना भूड़ तहसील लखीमपुर में रहते हैं। श्री मकबूल पुत्र श्री इमामी कौम दर्जी का जातीय पेशा दर्जीगीरी है। अतः दोनों व्यक्ति भूमि पाने के पात्र नहीं हैं जिसके कारण उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गयी।

88—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मकबूल पुत्र इमामी दर्जी व मन्ना पुत्र हसमत बेहना निवासी ग्राम कुसमौरी ग्राम सभा रोशन नगर, विकास खण्ड बांकेगंज, परगना भूड़, तहसील व जिला लखीमपुर खीरी का शिकायती प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन में अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान एवं लेखपाल ग्राम सभा रोशन नगर, ग्राम कुसमौरी के विरुद्ध दिनांक 15-9-82, 4-11-82 तथा 1-11-83 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री व जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखीमपुर खीरी के ग्राम कुसमौरी के श्री गजराज, श्री सम्पत्ति, श्री चिरकुट आदि को ग्राम समाज की भूमि का अवैधानिक रूप से आवंटन

89—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गजराज पुत्र कल्लू, सम्पत्ति पुत्र गंगा राम, चिरकुट पुत्र गौरी, रामकुमार पुत्र सीताराम, रामाकान्त पुत्र गांधी, राम सिंगार पुत्र सूबेदार, प्रेम चन्द पुत्र जगन्नाथ, ग्राम कुसमौरी, ग्राम सभा रोशन नगर, परगना भूड़, तहसील व जिला लखीमपुर खीरी के निवासी हैं ? यदि हां, यह लोग कब से क्या पेशा कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि यह लोग यहां के निवासी नहीं हैं और उनको ग्राम समाज की भूमि अवैधानिक रूप से आवंटित की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इनके निरस्तीकरण हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री गजराज पुत्र श्री कल्लू तथा सम्पत्ति पुत्र श्री गंगाराम ग्राम कुसमौरी ग्राम सभा रोशन नगर के निवासी नहीं हैं । शेष श्री चिरकुट पुत्र श्री गौरी श्री रामकुमार पुत्र श्री सीताराम रामाकान्त पुत्र श्री गांधी व श्री राम सिंगार पुत्र श्री सूबेदार तथा श्री प्रेमचन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ ग्राम सभा रोशन नगर परगना भूड़ तहसील व जिला लखीमपुर के निवासी हैं ।

श्री गजराज व श्री सम्पत्ति को छोड़कर शेष श्री चिरकुट पुत्र श्री गौरी, श्री राम कुमार पुत्र श्री सीताराम, श्री रामाकान्त पुत्र श्री गांधी, श्री राम सिंगार पुत्र श्री सूबेदार तथा श्री प्रेमचन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ 12 वर्ष से ग्राम सभा रोशन नगर में रहते हैं तथा कृषि कार्य करते हैं ।

यह सही है कि श्री गजराज पुत्र श्री कल्लू तथा श्री सम्पत्ति पुत्र श्री गंगाराम यहां के निवासी नहीं हैं और इन्हें ग्राम समाज की भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की पुलिस लाइन एवं थानों के आवासी भवनों पर बकाया विद्युत् बिल

90—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन तथा थानों पर कितनी आवासीय भवनों पर बिजली कनेक्शन, मीटर दिनांक 31-3-85 तक लगाये गये ? क्या यह सही है कि इन आवासीय भवनों पर बिजली का बिल 1976 से बकाया चला आ रहा है ? यदि हां, तो बकाया धन वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

91—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[दि0 24-7-85 को अतां0 प्र0 सं0 62 द्वारा उत्तरित]

आजमगढ़, तहसील सगड़ी के चपरासी, श्री सूर्यबली पाण्डेय की पेंशन

92—श्री राम जनम—

क्या सरकार को जानकारी है कि दो तीन वर्ष के रिटायर्ड (रेवेन्यू विभाग के) चपरासियों को अभी तक पेंशन का कागजात ठीक करके पेंशन नहीं दिला पाई है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया

यह भी बतायेंगे कि सूर्यबली पाण्डेय, चपरासी तहसील सगड़ी, आजमगढ़ किन परिस्थितियों में आज तक पेंशन नहीं पा रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आजमगढ़ जनपद के सम्बन्ध में प्रश्न में उल्लिखित चपरासी के अतिरिक्त किसी अन्य ऐसे रिटायर्ड चपरासी की जानकारी शासन को नहीं है जिसे रिटायर होने के दो-तीन वर्ष बाद पेंशन के कागजात ठीक करके पेंशन स्वीकृत न की गई हो ।

श्री सूर्यबली पाण्डेय, चपरासी तहसील सगड़ी, आजमगढ़ के पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को भेजे जा चुके हैं ।

राजस्व परिषद्, लेखा संगठन के कर्मचारियों का बकाया वेतन

93—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् लेखा संगठन में नवम्बर व दिसम्बर, 1981 का कितने कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया ? इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

राजस्व परिषद् के लेखा संगठन के आठ कर्मचारियों को संदर्भित अवधि का अवशेष वेतन का भुगतान नहीं हो सका था । इन कर्मचारियों के अवशेष वेतन भुगतान हेतु राजस्व परिषद् को दिनांक 23-7-85 को शासकीय आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

94—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[5 वें मंगलवार में अतां0 प्र0 सं0 100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुरादाबाद के ग्राम सरायतरीन के मकानों की भूमि के मालिक

95—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतां0 प्र0 सं0 24 के उत्तर में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्व मंत्री द्वारा यह सूचित किया गया है कि सराय तरीन, सम्भल, मुरादाबाद में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसकी भूमि का भूस्वामी मकान मालिक न हो एवं उसके नीचे की जमीन का सालाना किराया मकान मालिक द्वारा लिया जाता हो ? यदि हां, तो क्या राजस्व मंत्री पुष्टि करेंगे कि उक्त स्थित खसरा नं0-2 ग्राम घुघावली अन्दर सीमा नगरपालिका, संभल पर भी लागू होगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1984 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर में यह बताया गया था कि सरायतरीन, तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसकी भूमि का मालिक मकान मालिक न हो और उस मकान के नीचे की भूमि का सालाना किराया जमींदार लेते हों । उक्त स्थित ग्राम घुघावली (अन्दर सीमा नगरपालिका सम्भल) के खसरा नं0-2 पर लागू नहीं है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों के अनुसार सरायतरीन तथा घुघावली अलग-अलग राजस्व ग्राम हैं ।

गोरखपुर की ग्राम सभा परशुरामपुर की भूमि पर अवैध कब्जा

96—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री कमला प्रसाद, प्रधान, ग्राम सभा परशुरामपुर, ब्लाक भटहट, जिला गोरखपुर के आवेदन-पत्र को संलग्न कर केदारनाथ

सिंह, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा ने एक पत्र दि0 5-11-84 को परगनाधिकारी, सदर गोरखपुर को ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

ग्राम सभा परशुरामपुर के प्रधान श्री कमला प्रसाद से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर जांच की गयी । जांच में यह पाया गया कि ग्राम परशुरामपुर के गाटा संख्या-230 के-37 डि0 में से 13 डि0 पर श्री छांगुर, श्री दुलारे, श्री सकूल पुत्रगण श्री शिव बरन कहार का अनधिकृत कब्जा है । इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त गाटे के-08 डि0 पर श्री ठगई व श्री नवरंग पुत्रगण श्री अलगू केवट का अनधिकृत कब्जा है, जिनके विरुद्ध भी 122-बी के अन्तर्गत वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

बदायूं जिले के खलिहानों एवं गांवों में अग्निकाण्ड

97—श्री मो0 अबरार अहमद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में ऐसे कितने गांव एवं खलिहान हैं जिनमें इस वर्ष आग लगकर गेहूं जला है एवं घर जले हैं ? क्या सरकार ने पीड़ित एवं मृत व्यक्तियों को सहायता दी है ? यदि नहीं, तो पीड़ित परिवारों व व्यक्तियों को विशेष सहायता कब तक प्रदान कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बदायूं में 53 ग्रामों के 213 खलिहानों में तथा 197 ग्रामों के 1882 घरों में इस वर्ष आग लगने से गेहूं जला एवं घरेलू सम्पत्ति को क्षति हुई ।

जी हां । अग्नि पीड़ितों एवं मृतकों के परिवारों को सहायता के रूप में 2,30,425 रु0 की धनराशि वितरित की जा चुकी है तथा सहायता वितरण कार्य जारी है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा गोआ भ्रमण एवं रिपोर्ट

98—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि मंडल मई, 1985 में एक बैंक के अधिकारी श्री जी0 डी0 शास्त्री, एक चपरासी श्री गिरवर प्रसाद त्रिपाठी एवं श्री रामसमुझ सिंह, श्री त्रिलोक सिंह, श्री ओ0 पी0 सक्सेना तथा श्रीमती रामेश्वरी देवी सहित स्टडी टूर पर गोवा गया ? इस स्टडी टूर का गोवा भेजे जाने का क्या औचित्य था तथा इसकी क्या रिपोर्ट आई है ? दि0 1-1-80 से 31-12-84 तक कितने इस प्रकार के टूर गये, उनमें कौन-कौन लोग गये तथा उनकी क्या रिपोर्ट आई ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां । यह प्रतिनिधि मण्डल अन्य राज्यों के साथ गोवा की सहकारी ऋण की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने हेतु गया था । इसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

दिनांक 1-1-80 से 31-12-84 तक इस प्रकार के 2 प्रतिनिधि मण्डल गये थे । उनमें जो लोग गये उनके नामों की सूची संलग्न है । उनकी लिखित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

[देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 173 पर]

निबन्धक, सहकारी समितियां उ0 प्र0 के अधिकारियों की सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्त

99—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 कार्यालय के कितने अधिकारी कितने समय से सहकारी संस्थाओं में डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं तथा वे किस-किस पद पर उन संस्थाओं में कार्यरत हैं ? और ऐसे अधिकारियों को सरकार कब तक अपने विभाग को वापस बुलाएगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सहकारिता विभाग में वर्तमान में 41 राजपत्रित अधिकारी सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं । उनके सम्बन्ध में वांछित विवरण संलग्न है ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार किसी अधिकारी को अधिक से अधिक 5 वर्ष तक, सहकारी संस्था की मांग के परिप्रेक्ष्य में, प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है । उपर्युक्त सभी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि अभी 5 वर्ष से कम है । अतः 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरा होने पर अथवा प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके पूर्व भी उनको सहकारिता विभाग में वापस बुलाया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा क्रय किये गये सामान पर दी गयी डेमरेज

100—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों में राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ में कुल कितने रुपये के सामान मंगाए गये ? उनमें से कितने और कौन-कौन सामान पर कितने रुपए की डेमरेज पड़ी उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लखनऊ स्थित सामग्री प्रबन्ध संगठन ने गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार सामान क्रय किया :—

वर्ष	क्रय किये गये सामान का मूल्य
1982-83	74·42 लाख रु0
1983-84	79·66 "
1984- 85	108·06 "

उपरोक्त सामान पर निम्न मूल्य का डेमरेज का मूल्य

वर्ष	डेमरेज का मूल्य
1982-83	7·42 लाख रु0
1983-84	9·03 "
1984-85	8·59 "

†छापी नहीं गयी ।

उस सामान की सूचना जिस पर डेमरेज देनी पड़ी, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगानी पड़ेगी जिसमें बहुत समय तथा धन व्यय होगा जो इससे होने वाले लाभ की तुलना में अनुपयोगी होगी ।

सामान पर डेमरेज लगने का कारण मुख्यतया परिषद् में व्याप्त वित्तीय कठिनाई के कारण समय से आवश्यक धन का प्रबन्ध न होने से आर0 आर0 को छुड़ाये जाने में देरी हो जाना है जिसके लिए परिषद् का कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

डेमरेज पड़ने के कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे सप्लायर्स द्वारा डाकूमेण्ट को देर से उपलब्ध कराना अथवा सामान उतारने वालों द्वारा देरी किया जाना । इन दोनों दशाओं में डेमरेज की वसूली सप्लायर अथवा सामान उतारने वाले से वसूली जानी है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों पर फिल्म बनाने हेतु चलचित्र निगम को दी गयी कथित धनराशि

101—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1969 में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग ने चलचित्र निगम को हरिजनों पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए जो भारी धनराशि दी थी उससे निगम द्वारा फिल्म बनाने की प्रगति क्या है ? कितना रुपया मिला था तथा इस समय तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1969 में कोई धनराशि चलचित्र निगम को नही दी गयी थी । प्रश्न नहीं उठता ।

102-103—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[प्रतिनिहित विधायन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

104—श्री कल्यान सिंह तथा श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बांदा, अतर्रा नगरपालिका की हरिजन बस्ती लालथोक का विद्युतीकरण

105—डाक्टर सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा नगरपालिका के हरिजन बस्ती लालथोक के हरिजनों के मुहल्ले के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में हरिजनों के संलग्न पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र 21 मार्च, 1985 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त हरिजन मुहल्ले के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त मुहल्ले का अविलम्ब विद्युतीकरण किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं । कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । हरिजन बस्ती मुहल्ला लालथोक का विद्युतीकरण, नगरपालिका अतर्रा द्वारा औपचारिकतायें पूरी करने पर किया जायेगा ।

बांदा के हडिडहा के श्री बदलुवा हरिजन के घर पर अग्निकाण्ड

106—डाक्टर सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के अतर्रा नगरपालिका के हडिडहा पुरवा में बदलुवा हरिजन के घर आग लग जाने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का संलग्न पत्र 21 मार्च को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो आग से प्रभावित

उस परिवार को क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, आग से प्रभावित श्री बदलुवा पुत्र मंगालिया के परिवार को 200 रुपये तथा दुलवा पुत्र गाधी के परिवार को 100 रुपये की अहेतुक सहायता दी गयी ।

सहकारिता विभाग को धनराशि का आवंटन एवं व्यपगत धनराशि

107—श्री कल्यान सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में सहकारिता विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी और वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत की गयी और व्यपगत होने के कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

वर्ष 1984-85 में सहकारिता विभाग को अनुदान (राजस्व) अंशपूंजी एवं ऋण की मद में क्रमशः 793.15 लाख रु0 1720.02 लाख रु0 तथा 4453.02 लाख रु0 (कुल 6966.19 लाख रु0) का आवंटन किया गया था । वर्ष के अन्त में अनुदान की मद में 0.50 लाख रु0 तथा ऋण की मद में 0.05 लाख रु0 (कुल 0.55 लाख रु) व्यपगत हुआ जिसमें से 0.25 लाख रु0 के सम्बन्ध में व्यय के समाधान के समय ज्ञात हुआ कि आगरा जनपद में स्वीकृत धनराशि का शासनादेश सहायक निबन्धक कार्यालय में न प्राप्त होकर संस्था को प्राप्त हुआ, जिससे धनराशि का आहरण नहीं किया जा सका । सहायक निबन्धक, आजमगढ़ द्वारा 0.25 लाख रुपए का बिल कोषागार से पास करवाकर जिला सहकारी बैंक को 29-3-85 को दिया गया था, परन्तु उक्त बैंक द्वारा 31-3-85 तक स्टेट बैंक से धन प्राप्त नहीं किया जा सका । सहायक निबन्धक बुलन्दशहर द्वारा 0.05 लाख रु0 की धनराशि को आहरित नहीं किया जा सका था । उक्त धनराशि को आहरित न किये जाने के सम्बन्ध में निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा संबंधित सहायक निबन्धकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का उपभोक्ताओं पर बकाया विद्युत् बिल

108—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ऐसे कौन-कौन विद्युत् उपभोक्ता हैं जिन पर दिनांक 20-5-85 तक उ0 प्र0 विद्युत् परिषद् की पचास हजार रुपये तथा उससे अधिक की शेष देय धनराशि बकाया है ? इस बकाया धनराशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं तथा यह कब तक वसूल कर ली जायगी ? क्या सरकार ऐसे बकायेदार विद्युत् उपभोक्ताओं की सूची बकाया धनराशि सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टांडा तापीय विद्युत् परियोजना का निर्माण

109—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टांडा तापीय विद्युत् परियोजना का निर्माण कब से और कब तक पूरा हो जाने के लक्ष्य के साथ प्रारम्भ किया गया था तथा उस समय उक्त परियोजना को पूरा होने में अनुमानित व्यय कितने करोड़ रुपये का था ? परियोजना पर अब तक किये गये व्यय और निर्माण कार्य का ब्योरा क्या है तथा इस परियोजना से बिजली का उत्पादन

कब से शुरू हो जायगा एवं परियोजना को पूरा होने में अभी कितना धन और लगेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

योजना आयोग द्वारा मार्च, 1979 में स्वीकृति निर्गत करते समय टाण्डा तापीय परियोजना की अनुमानित लागत 159.25 करोड़ रुपये तथा इसकी 110 मेगावाट क्षमता की चारों इकाइयों को क्रमशः 12/83, 6/84, 12/84 एवं 6/85 तक चालू किया जाना निर्धारित था। परियोजना की संशोधित लागत बढ़कर अब 375.23 करोड़ रुपये हो चुकी है जिसके समक्ष मार्च 1985 के अन्त तक 185.55 करोड़ (अनन्तिम) व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना पर निर्माण कार्य प्रगति पर है और अप्रैल, 1985 तक लगभग 52 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना की चारों इकाइयों के वर्ष 1988 के अन्त तक चालू किये जाने की आशा है तथा 189.68 करोड़ रुपये व्यय किया जाना शेष है।

बस्ती, तहसील डुमरियागंज के लेखपाल, श्री खुर्शीद अहमद एवं श्री जगदीश चन्द्र मिश्र के विरुद्ध आरोपों की जांच

110—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 23 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांचोपरान्त कौन-कौन से आरोप आंशिक रूप से सत्य पाये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील में कोई शिकायत न होने पर भी कुछ लेखपाल तहसील के बाहर स्थानान्तरित कर दिये गये ? यदि हां, तो इतने गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बाद उन्हें उक्त तहसील में ही रखने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में तत्काल आदेश करने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-23 के उत्तर में अंकित दोषी लेखपालों में से श्री खुर्शीद अहमद के विरुद्ध भूलेख निरीक्षक के प्रति दुर्व्यवहार करने का आरोप सही पाया गया। श्री जगदीश चन्द्र मिश्र के विरुद्ध फर्जी मतदाता सूची बनाने तथा भू-खण्डों के क्षेत्रफल में किये गये रद्दोबदल की सूचना उच्चाधिकारियों को न देने के आरोप सही पाये गये थे। श्री खुर्शीद अहमद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रकरण पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जी नहीं। डुमरियागंज तहसील के जिन लेखपालों के स्थानान्तरण किये गये हैं वह मूलतः शिकायत के आधार पर ही किये गये हैं।

जिलाधिकारी शासन के आदेश, नीति एवं विभागीय अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही कर रहे हैं अतः कोई नये आदेश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई के रुदामऊ-गौरामार्ग का निर्माण एवं अध्याप्त भूमि का मुआवजा

111—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के रुदामऊ-गौरा मार्ग ग्राम पड़रा लखनपुर के नं0 752 व 757 की मुआवजे की दरें क्रमशः क्या रही हैं ? क्या यह सही है कि दोनों नम्बर की भूमि और मालियत समान होते हुए भी मुआवजों की दरों में फर्क किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या यह भी सही है कि इस संबंध में कई प्रार्थना-पत्र श्री राजेन्द्र

पाल सिंह, निवासी ग्राम पड़रा लखनपुर, मल्लावां तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ को विगत छः माह के अन्दर तथ्यों सहित भेजे गये ? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्लाट नं0 752 एवं 757 के प्रतिकर की दरें समान रूप से रु0 2852.25 पै0 प्रति बीघा निर्धारित की गयी है । अतः मुआवजे की दरों में भिन्नता होने का प्रश्न नहीं उठता ।

विगत 6 माह के अन्दर श्री राजेन्द्र पाल सिंह, निवासी ग्राम पड़रा, जनपद-हरदोई का कोई प्रार्थना-पत्र विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ को नहीं प्राप्त हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ एवं ग्राम मल्लावां का विद्युतीकरण

112—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ का विद्युतीकरण कब से प्रारम्भ हुआ और अब तक विद्युतीकरण पूरा न होने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज एवं मल्लावां के अन्तर्गत जिन-जिन ग्रामों में विद्युतीकरण की कार्यवाही हुई, उन्हें पर्याप्त खम्भे उपलब्ध कराये गये हैं जिनसे संपूर्ण ग्रामवासी लाभान्वित हो सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ का विद्युतीकरण कार्य वर्ष 1983-84 में प्रारम्भ हुआ था परन्तु कुरसठ जाने वाली 11 के0वी0 लाइन के सम्पूर्ण तार चोरी हो जाने के कारण अब तक विद्युतीकरण पूरा नहीं हो सका । ब्लाक माधोगंज एवं मल्लावां के जिन-जिन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया, उनमें नियमानुसार पर्याप्त खम्भे लगाये गये हैं ।

बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर के तालाबों का मछुआ समुदाय को पट्टा

113—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश अ0 शा0 प0 सं0 1265/12-ई-3—1982 उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 17 मार्च, 1982 के अनुसार जिला अधिकारियों को संबंधित जिलों में शिविर लगाकर मछुआ समुदाय के लोगों को तालाबों के पट्टे करने का निर्देश था ? यदि हां, तो जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में इसका कहां तक अनुपालन हुआ है ? तहसील फतेहपुर में वर्ष 84-85 में कुल कितने पट्टे किन-किन लोगों के नाम कितनी अवधि के लिए किए गये हैं और उसमें क्या मछुआ समुदाय के अलावा भी लोगों को तालाब पट्टे पर दिये गये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

शासन द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार तहसील फतेहपुर में भी मत्स्य पालन एवं मत्स्य आखेट अभियान चलाकर पट्टे किये गये ।

तहसील फतेहपुर में वर्ष 84-85 में कुल 132 दस वर्षीय पट्टे किये गये हैं । इन पट्टों में मछुआ समुदाय के अतिरिक्त अन्य वरीयता क्रम में आने वालों को पट्टा दिया गया था । जिसकी सूची संलग्न† है ।

† छापी नहीं गयी ।

श्री के0सी0 कर्दम, तत्कालीन जिला सहायक निबंधक, गोण्डा के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

113-अ—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 सी0 कर्दम, जिला सहायक निबन्धक, गोण्डा के विरुद्ध अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें माह अक्तूबर, 1984 से मई, 85 तक शासन /निबन्धक को प्राप्त हुयीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि श्री कर्दम (ए0 आर0) इसके पूर्व भ्रष्टाचार/घूस-खोरी के आरोपों में कई वर्ष तक निलम्बित रहे फिर भी उन्हें जिले का चार्ज दे दिया गया ? यदि हां, तो सरकार श्री कर्दम को जिले से कब तक हटाने को सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

श्री के0 सी0 कर्दम, तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक, गोण्डा के विरुद्ध अनियमितता/भ्रष्टाचार से संबंधित अक्तूबर, 84 से मई, 85 तक 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन सभी शिकायतों पर जांच चल रही है ।

जी हां ।

श्री के0 सी0 कर्दम, सहायक निबन्धक, के पास इस समय किसी जनपद का चार्ज नहीं है । सम्प्रति वह मुख्यालय पर तैनात हैं । अतः उन्हें जनपद से हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

तापीय विद्युत गृह, कासिमपुर, अलीगढ़ के लिये भूमि अध्यापन से विस्थापित श्री अशोक कुमार की नियुक्ति

114—श्री मित्रसेन—

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अशोक कुमार ग्राम व पोस्ट सुमेरा, जिला अलीगढ़ की कृषि योग्य भूमि का पचास प्रतिशत भाग थर्मल तापीय विद्युत् गृह कासिमपुर, अलीगढ़ के लिए अधिग्रहीत किया गया है ? क्या यह भी सही है कि श्री अशोक कुमार को शासनादेश संख्या 1787/जी0 आर0 वी0 प0/एफ0 153/ए/78- दिनांक 27-6-79 के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर पात्र होते हुए भी सेवायोजन का अवसर नहीं दिया गया है तथा उर्जा सचिव के आदेश संख्या 6697/एफ0 ए0 डी0 एम0 दिनांक 19-7-82, गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश आदेश संख्या एस0 एन0 एच0 2762/85 दिनांक 17-1-85 माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश आदेश संख्या 32 वी0 आई0 पी0/एम0 ई0/85 दिनांक 30-1-85, अध्यक्ष राज्य वि0 परिषद् सचिव, मुख्य मंत्री आदेश दिनांक 31-1-83 एवं सचिव उ0 प्र0 रा0 वि0 परि0 संख्या 111/एस0 आई0 सी0/एम-83 एवं 1314/ए0 एम0-83 के आदेशों के परिपालन में अब तक कार्यवाही की गयी ? श्री अशोक कुमार का समायोजन अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । राज्य विद्युत् परिषद् की नीति के अनुसार भूमि अध्यापन से विस्थापित व्यक्तियों की तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति तभी की जाती है जब परियोजना में पद रिक्त हों । हरदुआगंज तापीय विद्युत् गृह में कर्मचारियों की पहले से ही अधिकता है, अतः रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण श्री अशोक कुमार को सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

शाहजहांपुर के आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति

115—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर

के आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर में वर्ष 1980-81, 1981-82 1982-83 एवं 1983-84 में हरिजन छात्रों की बोर्ड परीक्षा शुल्क हरिजन समाज कल्याण विभाग, शाहजहांपुर से लेकर धनराशि का छात्रों को फर्जी नकद भुगतान दिखलाकर हरिजन छात्रों का शोषण एवं शासन तथा विभाग को इस फर्जी नगद भुगतान के माध्यम से धोखा दिया गया है, यदि हां, तो शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली के ग्राम अभूपुरा, रास एवं सहोड़ा की भूमि का बंगाली शरणार्थियों को आवंटन

116—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बहेड़ी, जिला बरेली के ग्राम अभूपुरा, रास एवं सहोड़ा की जो भूमि अभूपुरा आदर्शनगर बंगाली कालोनी सहोड़ा निवासी बंगाली शरणार्थियों को कई वर्ष पूर्व आवंटित की गयी थी, के पट्टे अभी तक पट्टेदारों को नहीं दिये गये हैं जिस कारण पट्टेदारों को ऋण इत्यादि नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी अविलम्ब उक्त कालोनी के प्रत्येक पट्टेदार को उसकी भूमि का पट्टा जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है । आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

जिला सहकारी बैंक, देवरिया के शाखा प्रबन्धक

117—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक देवरिया की विभिन्न शाखाओं में दो-दो शाखा प्रबन्धक कार्य कर रहे हैं तथा ऐसी तमाम शाखाएं हैं जहां शाखा प्रबन्धक ही नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रभारी वरिष्ठताक्रम के आधार पर कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं । केवल एक शाखा पर स्थानान्तरित किये गये शाखा प्रबन्धक द्वारा चार्ज न देने के कारण दो कर्मचारी मौजूद हैं, यद्यपि कार्य एक ही कर रहा है ।

किसी शाखा में प्रभारी नियुक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर मण्डल, सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

118—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मण्डल में कितने सहकारी समितियों के गोदाम किन-किन गांव सभाओं में बन रहे हैं ? गोदाम बनाने हेतु कितना रुपया, किसको दिया गया है, कितने गोदाम बनकर तैयार हुए हैं, कितने बनना शेष हैं ? गोदाम विलम्ब से बनने के लिए कौन जिम्मेदार है उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने के लिए सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

गोरखपुर मण्डल में 129 सहकारी समितियों के गोदाम निर्माणधीन हैं ।

उनके सम्बन्ध में गांव सभाओं के नाम तथा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

गोरखपुर मण्डल में 972 गोदाम बन गये हैं तथा 129 गोदाम बन रहे हैं एवं विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 153 ग्रामीण गोदाम और बनने शेष हैं ।

वर्ष 1976-77 व 1977-78 की पुरानी एन0 सी0 डी0 सी0 योजना के कुछ गोदाम धन की कमी एवं भूमि के विवाद आदि के कारण नहीं बन सके थे । इन गोदामों को उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के विश्व बैंक परियोजना प्रभाग के माध्यम से पूर्ण कराया जा रहा है । इसके लिए कोई विशिष्ट अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया, तहसील देवरिया में आगजनी

119—श्री रणजीत—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के तहसील देवरिया में माह फरवरी, मार्च व अप्रैल, 1985 में कितनी अलग-अलग आगजनी की घटनायें हुयीं तथा उससे कुल कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ तथा मुआवजे या राहत के रूप में कुल कितनी धनराशि पीड़ितों में वितरित की गयी ? जिन ग्रामों में आगजनी की सूचनाओं को लेखपालों द्वारा दिये जाने पर अभी तक कोई राहत या सहायता नहीं दी गयी है उसका क्या कारण है व उन्हें कब तक सहायता दे दी जावेगी ? क्या मंत्री जी आगजनी से पीड़ित ग्रामों की सूची पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला देवरिया की तहसील देवरिया में माह फरवरी में 36, मार्च में 61 तथा अप्रैल में 71 आगजनी की घटनायें वर्ष 1985 में घटित हुईं जिनमें क्रमशः 1,79,990 रु0 16,18,710 रु0 तथा 5,28,620 रु0 अर्थात् कुल 23,27,320 रु0 की निजी सम्पत्ति का नुकसान हुआ तथा पात्र व्यक्तियों को राहत/सहायता के रूप में कुल 64,200 रु0 की धनराशि वितरित की गयी । जिन ग्रामों में आगजनी की घटनाओं की सूचनाओं को लेखपाल द्वारा दिये जाने पर राहत या सहायता वितरित नहीं की जा सकी है, उसका कारण उनका पात्रता क्षेत्र में न आना है, अतः अपात्र व्यक्तियों को सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । चूंकि आगजनी व वितरित सहायता के विवरणों की सूची लम्बी है और उन्हें सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है अतः माननीय सदस्य उक्त विवरणों को माननीय राजस्व मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में किसी भी समय देख सकते हैं ।

देवरिया के ग्रामों का विद्युतीकरण

120—श्री रणजीत—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के किन-किन विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा किन-किन ग्रामों में पूरा होना बाकी है ? कब तक अधूरा कार्य पूरा करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एतमादपुर तहसील, जिला आगरा में अग्निकाण्ड

121—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एतमादपुर तहसील जनपद आगरा में

छापी नहीं गयी ।

मार्च, 1985 से अब तक आग लगने से कितने मनुष्यों तथा जानवरों की मौतें हुई हैं ? क्या प्रत्येक मृतक को शासन द्वारा 5000 रुपये की धनराशि सहायतार्थ दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद आगरा की तहसील एतमादपुर में मार्च, 1985 से जून, 1985 तक आग लगने के कारण 5 मनुष्यों तथा 5 जानवरों की मौतें हुई हैं ।

जी नहीं । अनुमन्य न होने के कारण चूंकि मृत मनुष्य दो परिवारों से संबंधित थे अतः स्थायी आदेशानुसार अनुमन्य प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान की जा चुकी है । अतिरिक्त अनुग्रह अनुदान के रूप में 5000 रुपये की धनराशि देने की व्यवस्था दिनांक 1-4-85 से लागू नहीं है । उक्त मृत्युएं दिनांक 1-4-85 के बाद की हैं ।

प्रदेश में केन्द्र पोषित बाल विकास परियोजना का क्रियान्वयन

122—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र पोषित बाल विकास परियोजना के क्रियान्वयन से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो इसकी प्रगति विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

केन्द्र पोषित बाल विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं । अब तक केन्द्र पोषित कुल 143 बाल विकास परियोजनायें प्रारम्भ की गयी हैं जिनसे क्रमशः 3,41,930 बच्चे तथा 1,12,280 गर्भवती एवं धात्री माताओं को पुष्टाहार प्रतिरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है एवं अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा से 2,49,730 बच्चों को लाभान्वित किया गया है ।

भारत सरकार द्वारा प्राप्त मूल्यांकन के आधार पर भी विभिन्न प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी है । पुष्टाहार के मद में उत्तर प्रदेश का औसत प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 62·62 बच्चों का है। केवल आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, कर्नाटक, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान एवं तमिलनाडु का औसत इससे अधिक है । माताओं को दिये गये पुष्टाहार का औसत प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र का 20·56 है और केवल मणिपुर और नागालैण्ड का औसत उत्तर प्रदेश से अधिक है । अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा में आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति में इस प्रदेश का औसत 34·03 है और कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैण्ड और तमिलनाडु का औसत इस प्रदेश से अधिक है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस परियोजना के आशातीत परिणाम उपलब्ध हो रहे हैं ।

उन्नाव ग्राम निरीकलां के दतनई तालाब में कथित शिकार

123—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम निरीकलां के प्रधान व सदस्यों ने विगत 22-1-85 को थाना पुरवा में एक लिखित सूचना कुछ व्यक्तियों द्वारा दतनई तालाब में जबरिया शिकार करने के सम्बन्ध में दी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरदोई के विद्युत् उपकेन्द्रों एवं विद्युत् लाइन की मरम्मत

124—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में वर्ष 1984-85 के अन्तर्गत उपगृहों, लाइनों एवं उपभोक्ताओं की सर्विस लाइन आदि की मरम्मत कराई गयी ? यदि हां, तो मरम्मत वाले कार्य कौन-कौन हैं और उन पर पूर्ण व्यय कितना हुआ ? क्या मरम्मत किये गये कार्यों की जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । मरम्मत वाले कार्य और उन पर होने वाला व्यय इस प्रकार है :—

	रु0
(1) 66 के0वी0 एवं 33 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द्रों का अनुरक्षण एवं रखरखाव	18,682.00
(2) 66 के0वी0 लाइन का अनुरक्षण एवं रखरखाव	31,020.00
(3) 11 के0वी0 इत्यादि लाइन का अनुरक्षण एवं रखरखाव	82,301.00
(4) विभिन्न सर्किट ब्रेकरों की मरम्मत	38,892.00
कुल व्यय	1,70,895.00

मरम्मत कार्य की जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

125—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

[6 ठे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोण्डा के ग्राम सिधौटी में बाढ़ एवं राहत सामग्री के वितरण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

126—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1982-83 में ग्राम सिधौटी, परगना डिविसन, तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा में बाढ़ राहत सामग्री तथा गृह अनुदान के वितरण में घपले की शिकायतें दिनांक 26-2-83, 21-3-83 तथा 24-3-83 को परगनाधिकारी को तथा दिनांक 8-4-83 को जिलाधिकारी, गोण्डा को उक्त ग्राम के निवासियों ने लिखित रूप में दी थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्रों और परगनाधिकारी तरबगंज की जांच आख्या तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के कारणों का ब्योरा क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । इन शिकायतों की जांच मौके पर करायी गई थी जिसमें यह प्रकाश में आया कि बाढ़ राहत सामग्री के वितरण के समय गलत पहचान के कारण ग्राम सिधौटी के 496 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों को 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से एक कुन्तल गेहूं तथा 80 व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों को 200 रु0 प्रति व्यक्ति की दर से कुल 400 रु0 गृह अनुदान का गलत वितरण हो गया था । सहायता वितरण के समय पात्र व्यक्तियों की पहचान ग्राम प्रधान आदि द्वारा की गयी थी । चूंकि उस समय कम अवधि में अधिक राहत कार्य पूर्ण किया जाना था, अतः उक्त गलत वितरण को त्रुटि मात्र ही मानकर परगना अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 5-3-1984 द्वारा ग्राम प्रधान को दोष मुक्त कर दिया था ।

इस आदेश के विरुद्ध उक्त ग्राम के श्री नरेन्द्र सिंह ने एक वाद न्यायालय कलेक्टर गोण्डा में नरेन्द्र सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार तथा गिरजा शंकर सिंह

प्रधान ग्राम सिधौटी दायर कर रक्खा है जो निस्तारण हेतु न्यायालय के विचाराधीन है ।

हरदोई विकास खण्ड, बेहदर के ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता) श्री आर0 एन0 साहू का स्थानान्तरण एवं निलम्बन

127—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर में इस समय दो ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता) कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ए0 डी0 ओ0 (सी0) श्री आर0 एन0 साहू का स्थानान्तरण एक वर्ष पूर्व हुआ था और उनके स्थान पर दूसरे ए0 डी0 ओ0 (सी0) श्री राम सुन्दर सिंह चौहान की पोस्टिंग की गयी थी ? यदि हां, तो श्री साहू द्वारा श्री चौहान को चार्ज न दिये जाने के क्या कारण हैं और चार्ज कब तक दिला दिया जायगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं ।

जनपद हरदोई के विकास खंड बेहदर में केवल एक ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता) श्री सुन्दर सिंह चौहान कार्यरत हैं । श्री आर0 एन0 साहू, भूतपूर्व ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता) का स्थानान्तरण दिनांक 4-7-84 को आगरा मण्डल के लिए किया गया था । उन्हें विकास खण्ड बेहदर से दिनांक 26-7-84 को कार्य मुक्त किया गया । तत्पश्चात् प्रशासनिक आधार पर उनका आगरा को किया गया स्थानान्तरण 30-6-85 तक स्थगित कर दिया गया तथा उन्हें हरदोई जनपद में ही विकास खण्ड बेहदर के बजाय विकास खण्ड साण्डी में नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये, जहां उन्होंने योगदान नहीं किया । तत्पश्चात् उन्हें जिला मुख्यालय, हरदोई पर नियुक्त किया गया, परन्तु श्री साहू ने वहां भी कोई योगदान नहीं किया । आदेशों की अवहेलना के आरोप में श्री साहू को निलम्बित कर दिया गया है । उनसे अभिलेख आदि का चार्ज दिलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

कलेक्ट्रेट (अधिष्ठान), आजमगढ़ के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

128—श्री विष्णुदेव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या 2537/1-4/82—696-बी-4/78, दिनांक 13-4-82 में निहित निदेशों के अनुसार कलेक्ट्रेट अधिष्ठान आजमगढ़ में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची तैयार हुई ? यदि नहीं तो क्या कारण है तथा इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

शासनादेश संख्या 2537/1-4/82—695-बी-4/78 दिनांक 13-4-82 में नई ज्येष्ठता सूची तैयार कराये जाने हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं । कलेक्ट्रेट अधिष्ठान आजमगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची को वर्ष 1972 में अंतिम रूप दिया जा चुका है । वर्ष 1972 के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची को उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1980 के प्राविधानों के अनुसार अंतिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । चूंकि ज्येष्ठता सूची यथासमय बनाई गई है, अतः किसी को जिम्मेदार माने जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बरेली, ग्राम हरूं नगला के खलियान में अग्निकाण्ड एवं मुआवजा

129—श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि दिनांक 3-5-82 को ग्राम हरूं नगला, तहसील व जिला बरेली में

विद्युत् चिंगारी से घटित खलियान अग्निकाण्ड से प्रभावित कृषक श्री सेवा राम को अभी तक मुआवजे का भुगतान विद्युत् विभाग द्वारा न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

श्री सेवा राम, कृषक ग्राम हरुं नगला, तहसील व जिला बरेली को मुआवजा दिये जाने का मामला उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का उपभोक्ताओं पर बकाया विद्युत् बिल

130—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस समय वर्ष 1984-85 तक विद्युत् परिषद् का कितने लोगों पर पैसा बकाया है और उसे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

31 मार्च, 1985 तक राज्य विद्युत् परिषद् का उपभोक्ताओं पर लगभग 202·25 करोड़ रुपया बकाया था ।

राजस्व बकायों की वसूली के लिए परिषद् निरन्तर प्रयत्नशील है और किये गये प्रयासों का विवरण इस प्रकार है :—

1—परिषद् ने क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि जिन उपभोक्ताओं पर विद्युत देय शेष है उन्हें अभियान के तौर पर उनका विद्युत विच्छेदन किया जाय । बड़े बड़े शहरों में कैम्प लगाकर बिलों को ठीक व वसूल करने का अभियान प्रारम्भ किया है ।

2—जल संस्थानों/जल निगम/स्थानीय निकायों सिंचाई विभाग से वसूली के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

3—विभिन्न राज्यों पर लगभग 14·4 करोड़ रुपया शेष है । परिषद् उच्च स्तर पर अधिकारी भेजकर व शासन स्तर से वसूली प्राप्त करने के उपाय कर रही है ।

4—निजी व म्युनिस्पिल लाइसेंसधारियों पर 2·38 करोड़ रुपया शेष है जिनके अधिकांश मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं, और परिषद् प्रयास कर रही है कि इनका शीघ्र निपटारा कराया जाये ।

इलाहाबाद के ग्राम उत्तरी कोटवा के श्री शिव मूर्ति सिंह यादव एवं श्री बरमदीन यादव का विद्युत कनेक्शन

131—श्री देवकुमार यादव—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित तत्कालीन विधायक श्री बैजनाथ कुशवाहा का पत्र दिनांक 30 मार्च, 1984 जो श्री शिव मूर्ति सिंह यादव एवं श्री बरमदीन यादव, ग्राम उत्तरी कोटवा, विकास क्षेत्र बहादुरपुर, इलाहाबाद को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि उक्त पत्र के सम्बन्ध में शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 301-2पी—3/8/23—29(15) पी/84 ऊर्जा-3 अनुभाग दिनांक 19 अप्रैल, 1984 के द्वारा सचिव, राज्य विद्युत् परिषद् शक्ति भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जा चुका है ? क्या यह भी सही है कि दोनों प्रार्थियों के विद्युत कनेक्शन के इस्टीमेट की धनराशि जून, 80 में ही जमा किए जा चुके हैं ? यदि हां, तो विद्युत कनेक्शन न दिए जाने का क्या कारण है तथा कब तक विद्युत कनेक्शन करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

श्री शिव मूर्ति सिंह यादव एवं श्री बरमदीन यादव को घरेलू विद्युत कनेक्शन न दिये जाने का मात्र कारण उनके

पड़ोसी क्रमशः श्री बल्देव सिंह व श्री राज नारायण द्वारा रोक लगाना है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में आपरेटिंग कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग

132—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977 से विद्युत विभाग में आपरेटिंग कर्मचारियों की भर्ती बन्द कर दी गई है ? क्या यह सही है कि तबसे निरन्तर उपभोक्ताओं लाइनों, सब-स्टेशनों तथा पावर हाउसों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती रही है और इस बढ़े हुए काम की जिम्मेदारी पुराने कर्मचारियों को ही वहन करनी पड़ रही है और पदोन्नति में भी ठहराव हो गया है ? यदि हां, तो क्या आपरेटिंग कर्मचारियों को पुनः भर्ती चालू करने पर रा0 वि0 परि0 विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । प्रशासनिक व्यय में कमी लाने हेतु एवं चन्दौसी, मैनपुरी, मऊ, एशबाग (लखनऊ), सोहावल, आगरा के छोटे विद्युत् गृह बन्द होने तथा ओबरा, हरदुआगंज, पनकी परियोजनाओं में निर्माण कार्य समाप्त होने से कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित करने हेतु नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जो सितम्बर 1978 से लागू किया गया है। पदोन्नतियों पर कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण पदोन्नतियों में कोई ठहराव नहीं आया है । मापदण्ड के अनुसार परिषद् में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी मौजूद होने के कारण आपरेटिंग कर्मचारियों की भर्ती पुनः चालू करने का परिषद् का कोई भी विचार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की मस्टर रोल प्रथा एवं ठेकेदारी प्रथा

133—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वर्ष 1978 में मस्टर रोल प्रथा को भ्रष्टाचार की संज्ञा देकर समाप्त कर दिया गया था और उसके बदले में ठेकेदारी प्रथा लागू की गयी थी? क्या यह सही है कि ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत वही काम कराने से मस्टर रोल प्रथा से भी अधिक व्यय होता है ? क्या सरकार राज्य विद्युत् परिषद् में चल रही ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं । ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत कार्य कराने में मस्टर रोल प्रथा के अंतर्गत कार्य कराने से अधिक व्यय नही होता । राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा नियमित प्रकृति के कार्यों को ठेका श्रमिक प्रणाली से न कराकर नियमित कर्मचारियों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

134—श्री राम बदन (एडवोकेट)—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ की तहसीलों में हरिजन कर्मचारी एवं आरक्षण कोटा

135—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की सभी तहसीलों में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (लिपिक) (कलैक्शन अमीन) व लेखपाल का हरिजनों के आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद आजमगढ़ की सभी तहसीलों में संग्रह अधिष्ठान तथा नजारत अधिष्ठान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा

पूरा है। अन्य श्रेणियों में कोटा पूरा नहीं है। इसका कारण यह है कि इन पदों में रिक्तियां कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु/निष्कासन के फलस्वरूप होती है। समय-समय पर होने वाली रिक्तियों में आरक्षण का कोटा पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

बरेली नगर में मदर टेरेसा होस्टल के बिजली के खम्भे हटने पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा चार्ज की गयी धनराशि

136—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् ने बरेली नगर में मदर टेरेसा होस्टल के पास एक बिजली का खम्भा हटाने का नगर महापालिका से 70 हजार रुपये से भी अधिक चार्ज किया है और इसी प्रकार चौपुले के चौराहे पर बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे विकास कार्य में 8 खम्भों को हटाने का 4.5 लाख रुपया मांगा गया है। यदि हां, तो क्यों? क्या नगर के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर मंत्री जी यह कार्य मुफ्त करने के आदेश देंगे?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने बरेली नगर में मदर टेरेसा होस्टल के पास एक बिजली का खम्भा हटाने से संबंधित कार्यों के लिए नगर महापालिका से 70 हजार रुपये चार्ज किये हैं।

इस खम्भे पर 11,000 वोल्ट की दो लाइन तथा 400 वोल्ट की एक लाइन जा रही थी। नया पोल लाइन की सीध में नहीं आने के कारण नई जगह 105 पौंड रेल का नया डबल पोल बनाया गया। इस नये डबल पोल की सुरक्षा के लिये तीन विशेष टाइप की रेल की स्टे लगायी गयी। इस नये डबल पोल के अतिरिक्त हटाये गये पोल से अगले पोल पर 11,000 वोल्ट की अतिरिक्त लाइन ले जाने के लिए चैनल तथा एंगिल डिस्क आदि लगाकर प्रबन्ध किया गया। 11,000 वोल्ट की दो लाइनों के तथा एक एल0 टी0 लाइन के तीन खम्भों के बीच के नये तार डाले गये (तथा पुराने तार उतारे गये)।

चौपला चौराहे के सौन्दर्यीकरण हेतु आठ खम्भों को हटाये जाने से संबंधित कार्यों के लिये विकास प्राधिकरण से 4.5 लाख रुपये की मांग नहीं की गयी है। उक्त कार्यों के लिये प्राक्कलन बना लिया है तथा स्वीकृति के लिये विचाराधीन है। तैयार किये गये प्राक्कलन के आधार पर इन कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण से लगभग 3.5 लाख रुपये चार्ज किये जाने हैं।

सामान्य नियमों के अन्तर्गत नगर के सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी कार्यों पर होने वाला समस्त शुद्ध व्यय संबंधित विकास प्राधिकरण/महापालिका द्वारा ही वहन किया जाना है। परन्तु उक्त कार्यों में अपना योगदान देने हेतु राज्य विद्युत् परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत सड़कों से पुरानी लाइनों व पोलों को हटाने पर आने वाला व्यय परिषद् वहन करेगा, तथा तद्नुसार संबंधित विकास प्राधिकरण/महापालिका द्वारा निम्न व्यय ही वहन किये जाते हैं :—

(1) नई बनायी जाने वाली "ओवरहेड" लाइनों पर होने वाला शुद्ध व्यय।

(2) नई भूमिगत केबल बिछाये जाने तथा सड़क के बीच "डिवाइडर" पर लगाये जाने वाले पोलों पर होने वाला व्यय।

(3) जहां सड़क के बीच में "डिवाइडर" नहीं है, वहां सड़क के किनारे बिछाये/लगाये जाने वाले नये भूमिगत/केबल/पोलों पर होने वाला व्यय।

उपरोक्त नियमों में अतिरिक्त छूट देना वित्तीय दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

हरदोई में अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति एवं विनियमितीकरण की मांग

137—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कितने अप्रशिक्षित लेखपाल 20-5-83 के बाद नियुक्त हैं और परिषदादेश द्वारा उन्हें सेवा से पृथक् किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद हरदोई में दिनांक 20-5-83 के बाद 5 अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति की गई थी जिनकी सेवायें परिषदादेश संख्या 9051/4-101/82 दिनांक 20-6-83 में दिये गये निदेशों के अनुसार समाप्त कर दी गयी है ।

138—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि हटाए गए अप्रशिक्षित लेखपाल जिनका सेवा काल एक वर्ष हो चुका था, उनके विनियमितीकरण के लिए शासन क्या विचार कर रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इस प्रकरण पर शासनास्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर, फतेहपुर व बाहरपुर की चकबन्दी एवं चकों की पैमाइश तथा बाउण्डरी पिलर्स का निर्माण एवं श्री नूरुल हसन खां का जोत आकार पत्र

139—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में नए चकों के गाटों की पैमाइश चकबन्दी विभाग द्वारा कब की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में नये चकों पर चकबन्दी विभाग द्वारा अन्तिम पैमाइश, ग्राम का कब्जा परिवर्तन न होने के कारण नहीं कराई गई है ।

140—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फतेहपुर मदानपुर बाहरपुर तथा रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा खातेदारों के नए चकों/गाटों पर उ0 प्र0 सी0 एच0 रूल्स 1954 के रूल्स 71(3) के अन्तर्गत बाउण्डरी पिलर्स/लाइन्स का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम फतेहपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा खातेदारों के नये चकों/गाटों पर बाउण्डरी पिलर्स उस समय उपलब्ध न होने के कारण नहीं लगवाया गया है । लाइन्स का निर्माण चकदारों ने स्वेच्छा से कर लिया है ।

ग्राम रसूलपुर व बाहरपुर, परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर के नये चकों का अन्तिम सीमांकन अभी नहीं किया गया है । जिससे बाउण्डरी पिलर्स नहीं लगे हैं और लाइन्स का निर्माण नहीं किया गया है ।

ग्राम मदनीपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में कोई ग्राम नहीं है ।

141—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फतेहपुर परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के खातेदार श्री नूरुल हसन खां पुत्र अब्दुल

वाहिद खां, निवासी ग्राम रसूलपुर की चकबन्दी जोत आकार पत्र 23 तथा 45 आज तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम फतेहपुर परगना जगदीशपुर मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर के खातेदार श्री नुरुल हसन खां पुत्र अब्दुल वाहिद खां निवासी ग्राम रसूलपुर की चकबंदी के जो0च0 आकार पत्र-23 भाग-1 का उद्धरण पाही काश्तकार होने के कारण उनके सहखातेदार श्री दरगाही को दिनांक 29-3-80 को दिया जा चुका है ।

ग्राम के स्वत्व सम्बन्धी आदेश का संदर्भ उपसंचालक चकबंदी के स्तर पर विचाराधीन है । जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के फलस्वरूप ग्राम का आकार पत्र-45 का उद्धरण वितरित नहीं किया गया है ।

142—श्री जयदीप सिंह बरार—

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 49 के अन्तर्गत पुन: निर्धारित]

उन्नाव के गांव तौरा की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

143—श्री मो0 मसूद खां—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विद्युत सब स्टेशन मौरावां के अवर अभियन्ता ने ग्राम तौरा, विकास खण्ड बिछिया की हरिजन बस्तियों में जमीन में गिरी पड़ी लाइनों तथा खम्भों को पुन: खड़ा करके लाइन बिछाने हेतु इस्टीमेट बनाकर सितम्बर, अक्तूबर, 1984 में अधिशासी अभियन्ता उन्नाव को भेजा ? यदि हां, तो उक्त हरिजन बस्तियों में विद्युत लाइनें बिछा दी गयीं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

जी नहीं । स्टीमेट में कुछ त्रुटियां थी जिन्हें दूर कराकर स्टीमेट स्वीकृत कर दिया गया है । बल्ली की जगह पी0सी0सी0 पोल लगाने का कार्य प्रगति पर है ।

बिजनौर के ग्राम चम्पतपुर चकला मधुपुरी, औरंगपुर व भोगपुर आदि की भूमि पर अवैध कब्जा

144—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई 1985 के दूसरे सप्ताह में उनको यह जानकारी मिली कि परगनाधिकारी नगीना, जिला बिजनौर ने अपने आदेश 25-8-82 द्वारा ग्राम समूह चम्पतपुर चकला, मधुपुरी औरंगपुर, भोगपुर, परगना बड़हापुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर की भूमि पर से अनधिकृत कब्जा हटाकर उसका भूमिहीनों के नाम बांटना यह कहकर मना कर दिया कि यह कार्य तहसील स्तर पर नहीं हो सकता क्योंकि वह शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस केस से सम्बन्धित तथ्य और कानून क्या है और कब से यह मामला शासन के विचाराधीन है व किस निश्चित तारीख तक इसका अन्तिम रूप से निस्तारण हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह सत्य है कि प्रश्नगत ग्रामों में जिनमें चम्पतपुर चकला, मधुपुरी, औरंगपुर भोगपुर आदि शामिल हैं, लगभग 3717 एकड़ भूमि, जिसमें सीलिंग भूमि, राजकीय आस्थान भूमि तथा ग्राम समाज भूमि शामिल है, राय सिक्खों के अनधिकृत कब्जे में लगभग 15 वर्ष से भी अधिक समय से चली आ रही है । यह मामला सरकार के विचाराधीन था । सरकार द्वारा यह निर्देश दे दिया गया था कि

इन राय सिक्खों को इस भूमि से बेदखल कर दिया जाये ।

जिलाधिकारी को पुनः निर्देश दे दिया गया है कि उक्त भूमि से अनधिकृत अध्यासीनों की बेदखली के लिये शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दें ।

प्रदेश में विद्युत का उत्पादन

145—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता विभिन्न स्रोतों से कितने मेगावाट है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन औसतन कितने मेगावाट हो रहा है ? छीजन और चोरी का विवरण क्या है ? इस ह्रास के क्या कारण हैं और सरकार उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश में जलीय एवं तापीय विद्युत उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता 4084 मेगावाट है । विद्युत उत्पादन औसतन 1550-1800 मेगावाट के बीच हो रहा है । छीजन और चोरी का विवरण अलग-अलग देना सम्भव नहीं तथापि लाइन हानियां 18 से 19 प्रतिशत के बीच है । इन हानियों का मुख्य कारण पारेषण तथा वितरण तन्तुपथी में विद्युत का ट्रांसफारमेशन एवं चोरी है । उत्पादन बढ़ाने की दिशा में, विद्युत गृहों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण क्षतिग्रस्त इकाईयों की मरम्मत, कोयले की क्वालिटी में सुधार हेतु प्रयास आदि कार्यवाहियां की जा रही हैं । इसी क्रम में विद्युत परिषद् का पुर्नगठन भी किया गया है ।

फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर को विद्युत आपूर्ति

146—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक राजेपुर को जिला शाहजहांपुर से विद्युत आपूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त क्षेत्र को फर्रुखाबाद से सीधे विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । गंगा नदी पर क्रासिंग-लाइन बनने के उपरान्त ब्लाक-राजेपुर को फर्रुखाबाद से सीधे विद्युत आपूर्ति करना संभव हो सकेगा । प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ के लिपिक, श्री राम कुमार के वेतन का निर्धारण

147—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 बी-912, सेक्टर-सी, महानगर लखनऊ के 7 वर्ष पुराने लिपिक 'नाजिर' श्री राम कुमार का वेतन निर्धारण उनके आदेश पत्रांक 997/बी0आई0पी0/84, दिनांक 18-7-84 के बावजूद नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार श्री राम कुमार का वेतन निर्धारित कर दिया गया है ।

ग्राम सभा हाटा, सुल्तानपुर की भूमि का आवंटन

148—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा हाटा, परगना चांदा, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर में कृषि योग्य भूमि का आवंटन प्रस्ताव 9-12-79 को हुआ था, जिसकी अनुमति (अनुमोदन) परगनाधिकारी ने दिनांक 12-12-79 को

कर दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत भूमिहीन लोगों को पात्रता की प्रथम श्रेणी में न रखकर भूमिवालों में ही भूमि का आवंटन किया गया है ? उक्त अनियमितता की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को श्रेणीबद्ध कर भूमि का आवंटन कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी नहीं ।

जांचोपरान्त पाये गये कुछ अनियमित पट्टों को निरस्त किया जा चुका है । उपलब्ध भूमि अकृषिक होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकती ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में चर्मकला के लिये कच्चे माल की खरीद एवं अध्यक्ष के विरुद्ध ज्ञापन और प्रधानाचार्य का वेतन

149-150-151—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ में बालकों को चर्मकला की शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो कितने बच्चे चर्मकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा इसके निमित्त निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदान रूप में कितना रुपया 'रा मटीरियल' से किन-किन वस्तुओं का निर्माण कराया जाता है ? निर्मित वस्तुओं का उपयोग किस रूप में किया जाता है ?

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में डब्लू0 सी0 एवं एल0 सी0 के अन्तर्गत सरकार द्वारा 'रा मटीरियल' के निमित्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि से निर्मित वस्तुओं का उपयोग अध्यक्ष द्वारा अपने निजी कार्यों में किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने मूल्य के रा मटीरियल से निर्मित वस्तुओं का उपयोग अध्यक्ष द्वारा अपने निजी हित में किया गया है ? स्टाक-पंजिका के अनुसार क्या इसका मूल्य अध्यक्ष से वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब और कितना ? क्या इस सम्बन्ध में श्री रेवती रमण सिंह एम0 एल0 ए0 का कोई ज्ञापन मंत्री/सचिव/निदेशक/हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 26-4-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित प्रमुख बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण के आदेश संख्या 1710-11/8-81-105 हसक/82, दिनांक 21-12-82 के क्रम में अध्यक्ष प्रगति आश्रम बालागंज, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 12-1-85 द्वारा प्रधानाचार्य तथा प्रभारी अधीक्षक के कार्य का दिमाग न किया था । यदि हां, तो प्रधानाचार्य श्री आर0 बी0 सिंह की डबल ड्यूटी भत्ता का भुगतान किस आधार पर किया गया ? क्या यह सही है कि निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण ने प्रधानाचार्य को 1-8-82 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 700-1600 स्वीकृत किया था और अध्यक्ष ने निदेशक के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्हें 1-8-81 से उक्त वेतनमान स्वीकृत कर वेतन का भुगतान किया है ? यदि हां, तो इसका विधिक औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर में बाल विकास परियोजना के लागू किये जाने की मांग

152—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में आंगनबाड़ी योजना, बाल विकास परियोजना, बाल आहार योजना के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड शुकुल बाजार में स्थित है । उक्त विकास खण्ड में बाल विकास परियोजना लागू नहीं है ।

अतः रसूलपुर ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी द्वारा सदन संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय माननीय अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं । एक दिन माननीय कौशल जी यहां पर आये थे उन्होंने पीठासीन अधिकारी के स्थान में सदन का संचालन किया । उसके बाद आप आने लगे । जब माननीय कौशल जी आये तो उन्होंने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष अस्वस्थ हैं और उन्होंने हमको कहा कि सदन की कार्यवाही संचालित करें । उसके बाद आप आने लगे लेकिन आपने हमें नहीं बताया कि आप किस अधिकार से सदन का संचालन कर रहे हैं । नियम 13 में स्पष्ट लिखा है—अध्यक्ष किसी भी समय लिखित आज्ञा द्वारा इन नियमों के अधीनस्थ अपनी समस्त शक्तियों या कोई शक्ति उपाध्यक्ष को तथा उनकी अनुपस्थिति में अधिष्ठाता मंडल के किसी सदस्य को प्रत्यायोजित कर सकेंगे और इसी प्रकार किसी ऐसे प्रत्यायोजन को निरस्त कर सकेंगे । तो आपने इसकी सूचना हमें नहीं दी कि आप किस अधिकार से संचालन कर रहे हैं । हम लोग अध्यक्ष जी से मिलने गये थे उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछने के लिए कि वह अस्वस्थ हैं या नहीं । हमने उनसे पूछा भी उन्होंने कहा, हमने लिखित किसी को नहीं दिया है । तो इस तरह से यह कार्यवाही जो पिछले 3, 4 दिनों से चल रही है असंवैधानिक हो गयी । अगर लिखित आदेश मिला है तो हमें बता दें उसकी हमें सूचना होनी चाहिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इसी से सम्बन्धित मैं नियम 11 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

आपने किसका नाम लिया ।

श्री अधिष्ठाता—

वह इसी से संबंधित कह रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जैसा हमारे माननीय वर्मा जी ने कहा माननीय अध्यक्ष ने किसी प्रकार का लिखित या अलिखित, अलिखित तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लिखित सूचना नहीं दी कि कोई अधिष्ठाता मंडल का सदस्य इस सभा का संचालन करे । तो जब यह नहीं हुआ तो नियम 11 के अंतर्गत इसकी एक व्यवस्था है कि किस तरह से इस सभा का संचालन होगा । उसमें लिखा है कि—यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों और सभा की बैठक में पीठा-

सीन होने के लिए अधिष्ठाता मंडल के कई सदस्य विधिवत् प्राधिकृत न हों तो गणपूर्ति होने की दशा में निम्नलिखित ढंग से उस बैठक के लिए सभापति निर्वाचित करने के हेतु कार्यवाही की जायगी । तो उसमें जो व्यवस्था है वह लागू नहीं हुई तो यह उपवेशन अपने आप अव्यवस्थित हो गया । इसका सारा कार्य असंवैधानिक हो गया । इस प्रकार एक संवैधानिक संकट इस उपवेशन में उपस्थित हो गया । इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था यह है कि जिस नियम का आपने उल्लेख किया है जिसको आपने पढ़ा उसमें लिखा है कि "अधिष्ठाता मंडल के कई सदस्य विधिवत प्राधिकृत न हों ।" आपने पढ़ कर बड़ा सहयोग दिया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

नियम 13 को देखें ।

श्री अधिष्ठाता—

पहले 11 आयेगा इसको आप पढ़ लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 11 को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान, जो प्रश्न के उत्तर आते हैं, उनकी ओर ले जाना चाहता हूं, और पहले भी आरोप लगाया था, कि, जिनमें भ्रष्टाचार और घोटाला गहन रूप से होता है उनके उत्तर जानबूझकर छिपाये जाते हैं । आज मेरा तारांकित प्रश्न सं0 11 है—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कलीमुरादपुर, परगना व तह0 पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में प्रतिकर वितरण में घोटाले की स्थल पुष्टि उक्त ग्राम के काश्तकारों से मजिस्ट्रेट द्वारा वर्ष 1984 में ही की गयी थी । यह पूछा था, इसमें 3 लाख रुपये का गबन है । सैकड़ों काश्तकारों ने बयान दिया कि हमने पैसा नहीं लिया और फर्जी अंगूठे लगवाकर पैसा बांट दिया गया । आज मेरे प्रश्न का जवाब देना था लेकिन अब 11वें शुक्रवार के लिये स्थगित कर दिया गया जो इस सत्र में नहीं आयेगा । इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि उ0 प्र0 विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण षष्ठ संस्करण के नियम 29 (2) को देखें—अगर किसी प्रश्न का उत्तर सरकार न देना चाहे तो स्पष्टीकरण के नाम पर मात्र दो सप्ताह की अनुमति आप दे सकते हैं और मंत्री इससे अधिक का स्थगन न मांगें । सामान्यतया प्रश्नों का स्थगन केवल एक ही बार स्वीकार किया जाता है, किन्तु यदि दूसरी बार प्रश्नों को स्थगित कराना आवश्यक हो तो स्थगन की प्रार्थना के साथ उसके कारणों की व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न की जानी चाहिए । परम्परा के अनुसार दूसरा स्थगन केवल आपवादिक अवस्थाओं में ही स्वीकृत किया जा सकेगा और सामान्यतया जिन प्रश्नों की सरकार को एक मास की सूचना मिल चुकी होगी उन्हें स्थगित नहीं किया जायेगा ।

मान्यवर, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि 1984 में भी यह मैंने प्रश्न किया था तो तीन बार स्थगन हुआ था । आज आप देखें कि सामान्यतया प्रश्नों का स्थगन एक ही बार स्वीकार किया जाता है किन्तु दूसरी बार स्थगित करना आवश्यक है तो स्थगन की प्रार्थना के साथ उसके कारणों की व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न की जानी चाहिये, मैं शंका आप पर नहीं करता हूं, हो सकता है कि संलग्न किया हो । लेकिन परम्परा के अनुसार दुबारा स्थगन केवल आपवादिक अवस्थाओं में ही स्वीकृत किया जा सकेगा और जिन प्रश्नों की सरकार को एक मास की सूचना मिल चुकी होगी उन्हें स्थगित नहीं किया जायेगा । तो मान्यवर, आपके सचिवालय में 15-5-85 को

प्रश्न भेजा था, यह सदन की परम्परा है और मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में लिखा है कि आपके सचिवालय की आलोचना नहीं करनी चाहिए तो मैं आलोचना नहीं करता हूं लेकिन ध्यान आकृष्ट करता हूं कि 15-5-85 को प्रश्न दिया, शासन को 18-6-85 को भेजा गया, आज 26-7-85 है तो एक महीना बीत गया, इसलिये आपके करण के नियम 29(2) के अनुसार प्रश्न को स्थगित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, लेकिन अनुमति दे दिया है । मैं जानना चाहता हूं आपसे कि पत्रावली का निरीक्षण कर लें कि किन कारणों से स्थगित किया गया । तीन लाख रुपये के घोटाले का मामला है, तहसीलदारों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । यह प्रश्न दो सप्ताह के लिये स्थगित हो सकता था लेकिन ग्यारह सप्ताह के लिये स्थगित किया गया, इसमें आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जिन नियमों का हवाला दिया, उसको देखते हुए, पूरे परीक्षण के बाद इसमें तब्दीली की जायेगी और आपको अवगत करा दिया जायेगा कि 11वें शुक्रवार की जगह पहले आ सकता है, तो पहले लिया जायेगा और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, यह पूरे सदन के अधिकारों का सवाल है, यह केवल मेरा सवाल नहीं है, इस पर मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें और उचित कार्यवाही करें ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय सदस्य सीतापुर ने जो अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसी सम्बन्ध में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या उन नियमों के अधीन मंत्री महोदय ने आपसे कोई अनुज्ञा ली थी प्रश्न के स्थगन के बारे में यदि नहीं तो उसके बिना अगर आपके सचिवालय से यह प्रश्न स्थगित हो गया तो आप अपने सचिवालय के सम्बन्ध में भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि नियमावली का कड़ाई से परिपालन किया जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता—

इसका भी परीक्षण करके आवश्यक व्यवस्था की जायेगी ।

अमेरिका में बनी एक फिल्म में बापू की गलत तस्वीर प्रस्तुत किये जाने पर भर्त्सना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति की मांग

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं नियम 110 (1) के अंतर्गत आपकी अनुज्ञा चाहता हूं सदन में एक प्रस्ताव रखने की । मुझे जानकारी मिली है कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति और आस्था के प्रतीक पूजनीय बापू जी पर एक फिल्म बनाई गई है अमेरिका में । एक "प्ले बेबी" कोई पत्रिका है (व्यवधान) ।

एक सदस्य—

तो क्या इस पर आप बधाई का प्रस्ताव लाए हैं ?

श्री काशी सिंह ऐरी—

नहीं, दुःख और शोक का प्रस्ताव । हम ही नहीं पूरे हमारे देश की और दुनिया के अन्य बहुत से देशों की और वहां के लोगों को और सर्वोदयी लोगों की जो गांधी जी के सिद्धान्तों पर आस्था रखते हैं सभी को हार्दिक चोट लगी है इस बात से, प्ले बेबी द्वारा बनी इस फिल्म से हम अपना दुःख भारत सरकार को भेजना चाहते हैं, ताकि वह अमेरिका सरकार को इस बारे में सूचित करे । (व्यवधान) मैं अपना दुख और

शोक प्रकट करना चाहता हूं । दुःख हुआ है सारे हिन्दुस्तान को और एक-एक नागरिक को दुःख हुआ है । उसकी सूचना भारत सरकार को देना चाहता हूं । मेरी जानकारी है कि हिन्दुस्तानी आन्दोलन'' के जो मधु मेहता जी हैं, उन्होंने उस फिल्म से सम्बन्धित एक कैसेट प्रधानमंत्री जी को दिया है, जिसमें यह फिल्म दिखाई गई है । हमारे पूज्यनीय बापू को उस फिल्म में अर्द्धनग्न युवतियों के साथ दिखाया गया है । तो आप हमारी संवेदना, दुःख और क्षोभ को इस सदन के माध्यम से भारत सरकार को भेजने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं भी श्री एरी की भावनाओं से अपने को सहमत और सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर लोगों की राय ले लें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

यह फिल्म यहां पर मंगवा कर हाउस में दिखाई जाए । यह सरकार इस गम्भीर मामले पर कुछ नहीं कर रही है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आप नियम 13 को देख लें, जब तक आपको अध्यक्ष जी लिखकर न दें, आप इस सभा का परिचालन नहीं कर सकते हैं, यह लिखित आपको मिला है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने 13 को नहीं लिया है, 11 को ही लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा व्यवस्था का सवाल है । नियम 110 (1) के अन्तर्गत एरी साहब ने एक सूचना आपके सामने रखी है । उसका सम्बन्ध राष्ट्रीय भावना से है । यदि हमारे देश की महान आत्माओं के बारे में दूसरे देशों में भद्दे-भद्दे दृश्य दिखाए जाएं, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है । जैसा एक अन्य सदस्य ने भी कहा है, जिस चित्र को बाहर दिखाया जा रहा है, हमारे देश की महान प्रतिभाओं के बारे में, उसके दिखाने की व्यवस्था यहां पर भी की जाए । यह चीज आपके सामने आई है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता—

इस मामले को कुछ दूसरे नियमों के अन्तर्गत उठाया जा सकता है, आप इसे और नियमों में ला सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वह नियम आप बता दीजिए, जिसके अन्तर्गत यह उठाया जा सकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इसके लिए आप हमारे चैम्बर में आइए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैंने आज बहुत बड़ा दुस्साहस किया है इस बात को पूछने के लिए और आप बता दें कि यह दूसरा नियम कौन सा है, क्योंकि आप हमेशा कह दिया करते हैं कि इस दूसरे नियमों में उठाया जा सकता है, उसमें ले आइये ।

संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह—)

मान्यवर, नियमों के बारे में आपने खुद ही कहा है । मेरा आग्रह है कि माननीय वर्मा जी कुछ नियमों की जानकारी चाहते हैं । आज आप उनको चेम्बर में बुला लें और नियमों की जानकारी करा दें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरी ऐसी आदत नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह—

जिस फिल्म के बारे में जिक्र किया गया है वह फिल्म न वर्मा जी ने और

न एरी साहब ने देखी है । आज एक समाचार-पत्र में इस फिल्म के बारे में जिक्र जरूर आया है । अगर यह जिक्र सही है तो मैं भी उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं । यह मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन आ चुका है । ऐसी फिल्म से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हमें विश्वास है कि केन्द्र सरकार अमेरिका सरकार से इस बारे में जरूर कार्यवाही करेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी रात में बुलाने की आदत बदलें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा निवेदन है कि यहां जो माननीय सदस्य ने भावनायें व्यक्त की हैं उससे पूरी तरह से सहमति प्रकट करते हुए, मेरा निवेदन है कि नियम 110 (1) में यह बात नहीं आयेगी, उसमें भर्त्सना की बात नहीं है । संवेदना और बधाई की बात उसमें है । लेकिन अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सहमत हों तो मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात का पता करके और अगर तथ्य सही है तो कंडेमनेशन का एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आना चाहिये । अगर वह उचित समझें और उनके पास जानकारी हो कि तथ्य सही है तो सदन अपने बिजनेस का मास्टर है, नियमों को निलंबित करने का प्रस्ताव लाकर इस पर विचार करने में कोई रोक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी की राय से मैं इत्तफाक करता हूं । माननीय सदस्यों ने जिन भावनाओं का इजहार किया है, इसमें दो राय नहीं है, पूरे सदन की वही भावनायें होंगी । लेकिन जैसा कि तिवारी जी ने कहा है, मैं इसका जायजा ले लूं, यदि बात ऐसी है, तो मैं रवीन्द्र नाथ तिवारी जी से पूर्णत इत्तफाक करता हूं । इस बात पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से मश्विरा करके जो भी सामने रास्ता निकलता है, नियमों के अनुसार, इस पर वार्ता की जा सकती है ।

[12 बजकर 35 मिनट]

राजकीय महिला चिकित्सालय बलिया में जनरेटर की कमी से मरीजों की कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 301 के अंतर्गत 36 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । इनमें से 13 सूचनाएं मैंने स्वीकार की हैं । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें मैंने स्वीकार की हैं उनके नाम मैं पढ़ रहा हूं, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री अकबर हुसैन बावर, श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री सत्य पाल सिंह, श्री सखावत हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कौशिक रमाशंकर, श्री कल्लू राम रत्नाकर, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री किशोरी लाल ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

मान्यवर, जनपद बलिया के राजकीय महिला चिकित्सालय में जनरेटर के न होने से महिला रोगियों के आपरेशन आदि में असुविधा हो रही है । चिकित्सा के साधनों का अभाव, बेड की कमी, दवाओं का अभाव तथा खून प्राप्त करने की सुविधा न होने से प्रतिदिन लगभग 3-4 रोगियों की मृत्यु हो जाती है तथा प्रतिदिन दर्जनों रोगियों को वाराणसी अस्पताल भेजा जाता है । जनपद के महिला अस्पताल में संसाधनों के अभाव के कारण आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से जनपद की जनता में सरकार के प्रति क्षोभ, दुख, निराशा एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलंबनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अंतर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करती हूं कि महिला चिकित्सालय बलिया में जनरेटर, बेड, ब्लड बैंक एवं सफाई की उचित व्यवस्था तत्काल की जाये ।

महुली बस्ती के थानाध्यक्ष श्री पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी एवं एस0 आई0 श्री राम नारायन यादव के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, जनपद बस्ती के थाना महुली के थानाध्यक्ष पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी और सब इन्सपेक्टर राम नारायन यादव के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों और पत्रकारों द्वारा आम लोगों को मारने-पीटने, झूठे मुकदमें गढ़ने और बड़े पैमाने पर घूस लेने के गम्भीर आरोप हैं जन सभाओं, प्रदर्शनों, पर्चों और समाचार-पत्रों के माध्यम से लगाये गये हैं। पत्रकार श्री मजीबुल्लाह खां और इश्तयाक अहमद ने थानाध्यक्ष महुली पर यह आरोप लगाया है कि समाचार-पत्रों में समाचार देने के कारण वे (थानाध्यक्ष) उन्हें जान से मार डालने और झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दे रहे हैं । जिला प्रशासन इन सारी शिकायतों पर मौन धारण करके थानाध्यक्ष को अत्याचार करने का प्रोत्साहन दे रहा है । महुली थाने के अन्तर्गत बसने वाली जनता में भय और आतंक के कारण असुरक्षा की स्थिति व्याप्त है जिससे किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

अतएव मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि थानाध्यक्ष महुली, पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी व सब इन्सपेक्टर राम नारायन यादव को तत्काल उस थाने से हटा कर उच्च स्तरीय जांच करायी जाये ।

थानाध्यक्ष, जहानागंज, आजमगढ़ द्वारा श्री महेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र यादव की फर्जी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद मसूद खां—

महोदय, आपका इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री महेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र यादव साकिन सुम्मी थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ को दिनांक 2-3-85 को थाना सिद्धारी जिला आजमगढ़ के एस0 ओ0 व एक एस0 आई0 पकड़ कर ले गये, जिसके सम्बन्ध में उनके घर वालों ने टेलीग्राम के जरिये उच्चाधिकारियों को सूचित किया और जिसकी खबर अखबार में भी प्रकाशित हुई । परन्तु उक्त थानाध्यक्ष ने फर्जी तौर से 4-5-1985 को उसको गिरफ्तार दिखाकर ग्राम ठकुराईपुर में जहां 18-2-1985 को एक डकैती पड़ना बताई जाती है, में 396 आई0 पी0 सी0 चालान में करके कार्यवाही शिनाख्त में रख दी । इसके सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। अदालत से जमानत पर छूटने के बाद उक्त महेन्द्र यादव, जो बी0 ए0 का छात्र है, को पुलिस धमकी दे रही है कि तुमको पकड़ कर फिर बन्द कर देंगे या जबरदस्त नुकसान पहुंचायेंगे तथा उनके घर वालों को भी पुलिस काफी परेशान कर रही है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतिवृष्टि से फिरोजाबाद, नगरपालिका में जलभराव एवं जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, गत तीन दिनों में हुई वर्षा से फिरोजाबाद के मुहल्ला रामनगर, आजादनगर, सन्तनगर, श्यामनगर, चन्द-वारगेट, रसूलपुर, नगला करनसिंह, कोटला रोड, करबला, नगला वरी में पानी निकासी का नाला न होने से वर्षा और नालियों का गन्दा पानी गलियों व सड़कों में भर जाने से घरों में टट्टी के साथ बहने लगा है। स्त्री-पुरुष के चूल्हे नहीं सुलगे हैं। जन मानस हिल उठा है और जल मैले की सड़ान्ध से भयंकर बीमारी फैलने की आशंका पैदा हो गयी है, जिससे जनता में भारी बेचैनी से मजदूर परेशान हैं।

अस्तु आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि सरकार इन मुहल्लों के लिये बड़े नालों के निर्माण हेतु धन स्वीकृत कर जन मानस की रक्षा करे।

नेशनल थर्मल प्लान्ट, मुरादनगर, गाजियाबाद द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान में भिन्नता से भू-स्वामियों में क्षोभ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सखावत हुसैन—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मुराद-नगर में नेशनल थर्मल प्लाण्ट लगाया जा रहा है जिसमें ग्राम सरना, खुर्रमपुर, सलेमाबाद, नबीपुर, जलालपुर, सुल्तानपुर आदि की कृषि योग्य भूमि कृषकों की अधिग्रहीत की गयी है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित समझता हूं कि ग्राम सरना के कृषकों को 1.17 लाख रुपया प्रति पक्का बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया जो कि मुनासिब है। लेकिन खुर्रमपुर, सलेमाबाद, नबीपुर, सुल्तानपुर तथा जलालपुर आदि के कृषकों को 12 हजार से 57 हजार रुपया मुआवजा दिया जा रहा है, जो अनुचित है। एक ही कार्य के लिए ली जाने वाली भूमि का एक ही दाम होना चाहिए। इस भिन्नता के कारण कृषकों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। इसमें अधि-कारियों का विशेष भूमि का है और अधि-कारियों द्वारा काफी भ्रष्टाचार हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि ग्राम सरना के किसानों की तरह भिन्नता को समाप्त करते हुए उक्त ग्रामों के किसानों को मुआवजा के लिए निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि गरीब किसानों को इस बड़ी हानि से बचाया जा सके।

बरेली जनपद की नहरों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इस समय धानों की रोपाई व खरीफ की जुताई-बुआई का वक्त है। जिला शाहजहांपुर व उसके पड़ोसी जिला बरेली की नहरों में पिछले 4 महीनों से सिंचाई हेतु पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। जिस कारण किसान जोताई, बुवाई व धानों की रोपाई के काम से बिल्कुल वंचित हो रहा है। अगर नहरों में तत्काल पानी की व्यवस्था नहीं की गयी, तो सारा जिला भूखों मरने की स्थिति में आ जायेगा। अधि-कारियों, अभियन्ताओं से जनता व जन-प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से अनेकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार नहरों में पानी न आने की शिकायत की। परन्तु अधिकारीगण इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रारम्भिक वर्ष में जो धान लगाये गये थे, नहरों से पानी न मिलने के कारण सूख रहे हैं। बाकी खेतों में पानी के अभाव से धान की रोपाई का काम ठप्प पड़ा हुआ है। इससे सारे जिले की जनता में बेहद चिन्ता व आक्रोश व्याप्त है।

अतएव अविलम्बनीय लोक-महत्व की सूचना संज्ञान में लाकर जिला शाहजहांपुर व बरेली की नहरों में तत्काल पानी छुड़वाने की मांग करता हूं, ताकि हजारों एकड़ फसल बरबादी से बचायी जा सके।

छात्रों की कापियों पर फिल्मी सितारों के अश्लील चित्रों के मुद्रण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, कापियों पर फिल्मी हीरो-हीरोइनों की अश्लील मुद्रायें मुख पृष्ठ पर छपी हैं तथा बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। अभिभावकों के पूछने पर दुकानदार कहते हैं कि यह अगले वर्ष की बनी हुई कापियां हैं। इस वर्ष इलाहाबाद की सुरभि पेपर कारपोरेशन ने जो प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका छापी है उसके मुख पृष्ठ पर एक वृत्त में नक्शा बना है तथा नक्शे पर पंजा छपा है, जो एक राजनैतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कापियों और किताबों पर फिल्मी हीरो-हीरोइनों की अश्लील मुद्राओं में नेम स्लिप बिक रहे हैं तथा छात्र एवं छात्रायें उसे खरीद कर किताब कापियों पर चिपका रहे हैं। एक नेम स्लिप की कीमत 90 से 95 पैसे तक है। राज्य शिक्षा विभाग एवं सरकार की ओर से कोई कार्यवाही न करने से अभिभावकों के मन में शासन के प्रति घृणा, क्षोभ एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः लोक-महत्व के अविलम्बनीय एवं इस निश्चित विषय पर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

टांडा थर्मल प्रोजेक्ट के मजदूरों को सेवा से अलग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जनपद फैजाबाद की निर्माणाधीन टाण्डा तापीय विद्युत् परियोजना में कार्यरत प्राइवेट कम्पनियों के प्रबन्धकों द्वारा करीब 600 मजदूरों को सेवा से निष्कासित कर दिया गया है, जिसके कारण वहां का वातावरण बहुत ही अशान्त हो गया है और परियोजना का सम्पूर्ण कार्य भी पिछले लगभग दो माह से बन्द है।

उक्त परियोजना में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के परिणाम स्वरूप उसका कार्य पहले ही बहुत पिछड़ गया है और परियोजना पर होने वाला व्यय भी अनुमानित व्यय से कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस नई घटना से स्थिति और भी बिगड़ गयी है।

इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को आपकी अनुमति से माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुये मैं सरकार से अविलम्ब हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, श्री कौशल किशोर पाण्डेय वर्तमान समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं तथा एक सामाजिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकर्ता भी हैं । अभी गोरखपुर जनपद के थाना बरगदवा के ग्राम हरखपुर के हरिजनों के घर जलाने के विरोध में तथा ग्राम सेखवानी में रामानन्द नामक व्यक्ति को पुलिस द्वारा मार दिये जाने व निरन्तर बढ़ रही क्षेत्र में डकैती के विरोध में तथा श्री समशुल हुदा निवासी विशुनपुरवा, थाना मजकूर के जिन्दा जलाने के विरोध में इन्होंने थानाध्यक्ष बरगदवा के खिलाफ आन्दोलन चलाया । यह भी उल्लेखनीय है कि त्रिलोकी नाथ, सम्वाददाता दैनिक जागरण को उक्त थानाध्यक्ष बरगदवा द्वारा पीटे जाने पर भी प्रदर्शन किया गया । उक्त सभी परिस्थितियों से थानाध्यक्ष बरगदवा व उनके सहयोगी श्री भूपेन्द्र सिंह, एस0 आई0 बुरी तरह से श्री पाण्डेय के विरोध में हो गये हैं । निरन्तर इनकी हत्या का प्रयास पुलिसकर्मियों द्वारा किया जा रहा है । इनकी कभी भी हत्या की जा सकती है । इन परिस्थितियों से गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी छात्र उत्तेजित हो उठे हैं कभी गोरखपुर में विस्फोटक घटना हो सकती है ।

अतः शासन से मांग करता हूं कि थानाध्यक्ष बरगदवा व उनके सहयोगियों का तत्काल गैर जिले में स्थानान्तरण कर इनको सुरक्षा प्रदान की जाये तथा सम्पूर्ण घटना की उच्चस्तरीय जांच करायी जाये ।

ग्राम वाजिदपुर चन्दौली, वाराणसी के हरिजनों की भूमि पर सवर्णों द्वारा अनधिकृत कब्जे व अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमाशंकर—

वाराणसी जनपद के चन्दौली थाना के अन्तर्गत ग्राम वाजिदपुर की पूरी हरिजन बस्ती को उस गांव के सवर्ण भू-स्वामियों ने घेर रखा है । आग्नेय अस्त्रों एवं लाठी भाला से लैस होकर हरिजन बस्ती में घुसकर पुरुषों महिलाओं को मार-पीट रहे हैं तथा हरिजन बस्ती को जला देने और हरिजनों की सामूहिक हत्या करने की धमकी दे रहे हैं । भू-स्वामियों ने हरिजनों के आने जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है व खोद कर फेंक दिया है । हरिजन बस्ती के बरसाती पानी के निकास को बांध दिया है जिससे हरिजनों के मकान गिरने का खतरा पैदा हो गया है । भू-स्वामियों द्वारा हरिजन खेत मजदूरों से कम मजदूरी पर अधिक घन्टे काम लेने, बलपूर्वक बेगार लेने, बंधुआ मजदूर बनाकर रखने आदि सवाल को लेकर विवाद होने से भू-स्वामी वर्ग बौखलाकर यह अत्याचार कर रहा है । हरिजन खेत मजदूरों ने दिनांक 14-7-85, 17-7-85, 20-7-85 व 22—24 जुलाई, 1985 को परगनाधिकारी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण) ए0 डी0 एम0 ई0 आदि अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया और दिनांक 21-7-85 को चन्दौली थाने में भू-स्वामियों के खिलाफ रिपोर्ट किया जो अन्तर्गत धारा 352/323 आई0 पी0 सी0 पंजीकृत है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे हरिजन खेत मजदूरों में क्षोभ व्याप्त है । हरिजन खेत मजदूरों को जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया है ।

अतएव मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से हरिजनों की रक्षा के लिए कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

सीमेन्ट फैक्ट्री डाला, मिर्जापुर से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण में भारी प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कल्लू राम रत्नाकर—

मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद मिर्जापुर स्थित डाला सीमेन्ट फैक्टरी की चिमनी से धुएं के साथ राख निकल कर पास-पड़ोस के क्षेत्रों में एक मोटी पर्त के रूप में जमा हो रही है, इससे वहां के व्यक्तियों एवं मवेशियों में श्वांस सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं साथ ही साथ राख की मोटी पर्त के कारण कृषि भूमि की उपज क्षमता नष्ट हो रही है। कारपोरेशन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारी हैं। इनके लिये एक पांच कमरे का मकान चुर्क में, एक बगला लखनऊ में, एक वातानुकूलित अतिथिगृह चुर्क तथा एक वातानुकूलित कमरा अतिथि गृह, लखनऊ सीमेन्ट भवन में है। मई से आज तक डाला सीमेन्ट फैक्टरी का उत्पादन घटकर आधा रह गया है। जबकि सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया सरकारी संस्थान में इस वर्ष सी0 सी0 आई0 का लाभ 21 करोड़ है और डाला फैक्टरी का घाटा लगभग 20 करोड़ है। यहां कोई उत्पादन प्रबन्धक नियुक्त नहीं है और क्रशर रोपने मशीन उचित मूल्य से अधिक मूल्य में खरीदी गयी है फिर भी पत्थर फैक्टरी को कम आता है और बंलाकर उत्पादन से अधिक दिखाया जा रहा है। जिससे रिसर्च इंस्टीटयूट को अधिक रुपया देना पड़ रहा है।

अस्तु उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही कर सदन को सूचित करेगी।

कोटद्वारा भावर, गढ़वाल में बाढ़ के भीषण प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

भयंकर सूखे के बाद कोटद्वार भावर, गढ़वाल में 9 जुलाई, 1985 को भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ, जिसके कारण कई मकान तथा खेती की जमीन को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। एक सिनेमा हाल भी भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुआ है।

उपरोक्त बाढ़ अतिवृष्टि तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया गलत ढंग से बनाये जाने के कारण आयी और यह खतरा अब तक बराबर बना हुआ है, जिसके कारण उक्त बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र के लोग अत्यधिक आतंकित हैं तथा घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहते हैं।

पर्वतीय जिलों में फल और उपयोग विकास के लिए स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन में ढिलाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशोरी लाल—

महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए विश्व बैंक द्वारा फल और उपयोग विकास के लिए 57 करोड़ की योजना आलिया जाति के फलों के लिए इटली सरकार की सहायता से दस करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत हुई थी परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी संगठन नहीं बना है और न ही उन क्षेत्रों का चयन ही किया गया जहां नर्सरी बाग व सड़कें और प्रक्रिया इकाइयां लगनी हैं देहरादून में इटली के दो विशेषज्ञ भी आ चुके हैं परन्तु स्टाफ न होने से उनके पास कोई काम नहीं है ये दो योजनायें पर्वतीय विकास के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए ये मांग करता हूं कि इन योजनाओं को शुरू करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधानमंत्री तथा अकाली दल के अध्यक्ष के मध्य हुए समझौते में कानपुर के दंगे की जांच की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है 24 जुलाई 1985 को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ। इन समझौते की शर्तों में एक यह भी है कि अक्तूबर 1984 और नवम्बर 1984 के बीच कानपुर में जो दंगा हुआ, लूटपाट हुई है, इन घटनाओं के बारे में एक न्यायिक जांच करने वाला जो रंगनाथ आयोग है उसको सन्दर्भित कर दिया है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि न्यायिक जांच कराने का कार्य राज्य सरकार का है और यह घोषणा कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है। भारतीय संविधान में जो सूची 2 दी हुई है उसमें पहले पर लोक व्यवस्था संघित है। लोक व्यवस्था को बनाने का उसका भार वहन करने का कार्य राज्य सरकार का है किन्तु कुछ मामलों में केन्द्र सरकार भी, जहां तक मेरी जानकारी है, जांच आयोग का गठन कर सकता है। मैं आपके समक्ष कमीशन आफ इनक्वायरी एक्ट 1952, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह साफ-तौर पर दिया हुआ है जिसकी धारा 2 की परिभाषा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अंग्रेजी में है—

दि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट, इन रिलेशन टु ए कमीशन अप्वाइन्टेड बाई इट टु मेक एन इन्क्वायरी इन्टू एनी मैटर रिलेटेबुल टु एनी आफ दि इन्टरीज इनूमेरेटेड इन लिस्ट फर्स्ट आर लिस्ट सेकेण्ड आर लिस्ट थर्ड इन दि सेवेन्थ शेड्यूल टु दि कान्स्टीट्यूशन।

भारतीय संविधान के सांतवे अध्याय में प्रथम, द्वितीय या तृतीय का सुझाव दिया हुआ है, उसमें और किसी के मामले में केन्द्र सरकार जांच आयोग का गठन कर सकती है और इसी के साथ-साथ मैं इस अधिनियम की धारा 3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एप्वाइन्टमेन्ट आफ कमीशन, जांच आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राविधान है—

दि एप्रोप्रिएट गवर्नमेन्ट में, इफ इट इज आफ ओपीनियन दैट इज नेसेसरी सो टू डू एण्ड शैल इफ इ रेजोलूशन इन दिस बीहाफ इज पास्ट बाई दि हाउस आफ दि पीपुल आर, एज दि केस में बी, दि लेजिसलेटिव असेम्बली आफ दि स्टेट, बाई नोटीफिकेशन इन दि आफिसियल गजेट, अप्वाइन्ट ए कमीशन आफ इनक्वायरी फार दि परपज आफ मेकिंग एन इन्क्वायरी इन्टू एनी डेफिनिट मैटर आफ पब्लिक इम्परटेन्स एण्ड परफारमिंग सच फन्क्शन्स एण्ड विद इन सच टाइम एज में बी स्पेसिफायड इन दि नोटीफिकेशन एण्ड दि कमीशन सो अप्वाइन्टेड शैल मेक दि इन्क्वायरी एण्ड परफार्म दि फन्क्शन्स एकार्डिंगली।

मान्यवर, इसके बारे में मतलब है कि कोई भी सरकार और केन्द्र सरकार अगर वह उचित सरकार है तो वह इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव जनता के चुने हुये सदन में लायेगी उसको पास किया जायेगा और पास करने के बाद वह उचित सरकार इस तरह की कोई जांच करने का कार्य कर सकती है और राज्यों के सम्बन्ध में राज्य की विधान सभा इस तरह का कार्य कर सकती है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मान्यवर, साफ प्राविधान है । मेरी जानकारी है कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने लोक सभा के बाहर श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल से बात करने के बाद सदन में इस बात की घोषणा की, लेकिन लोक सभा में इस प्रकार का औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया । न तो इस तरह का कोई प्रस्ताव लोक सभा में पेश किया गया और न ही लोक सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया । बधाई देने की बात तो अलग की है, लेकिन ऐसे मामले में प्रधान मंत्री खुद सरकार नहीं हो सकता है, प्राविधानों के अन्तर्गत प्रधान मंत्री मंत्रि-परिषद् का सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता ।

सरकार की परिभाषा के सम्बन्ध में राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस में न्यायपालिका द्वारा जो निर्देश किया गया, वह यह है कि प्रधान मंत्री को सरकार नहीं माना जा सकता । मान्यवर, आपका जो अधिनियम, 52 है, उसमें सरकार क्या कर सकती है और इस तरह के आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी हुई है । मैं समझता हूं कि जो प्रधान मंत्री ने घोषणा की है, वह केन्द्रीय सरकार की घोषणा नहीं मानी जा सकती । न ही केन्द्रीय सरकार ने कोई विधिवत् घोषणा की है । मंत्रि-परिषद् ने इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है । केवल प्रधान मंत्री ने घोषणा कर दी है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के संविधान में यह दिया हुआ है कि आपातस्थिति लागू कर दी जाय, तब केन्द्रीय सरकार चाहे तो इस तरह का कोई प्राविधान कर सकती है । मैं समझता हूं मान्यवर, कि पूरे देश में इमरजेन्सी नहीं लगी हुई है । इस समय आपातस्थिति की घोषणा नहीं की गयी है । तो जब इस तरह की घोषणा नहीं की गयी है और हमारे राज्य में विधिवत् चुनी हुई सरकार उत्तर प्रदेश में काम रही है और सदन चल रहा है, तो ऐसे समय में प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि कानपुर में हुये दंगों की जांच रंगनाथ आयोग करेगा, जबकि यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार का है । मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की स्वायत्ता का हनन है । मैं समझता हूं कि राज्यों की स्वायत्तता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, वरना भारतीय संविधान के प्राविधानों के मुताबिक भारत का प्रधान मंत्री यह संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार को कर सकता था या यह सुझाव दे सकता था कि कानपुर के मामलों में न्यायिक जांच करायी जानी चाहिये । बेहतर होता अगर संसदीय लोकतंत्र का पालन प्रधान मंत्री के द्वारा किया जाता । मैं समझता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा तभी होता है जब संविधान के अन्तर्गत संसदीय परम्पराओं का हनन होता है और व्यक्ति बड़ा हो जाता है और मान्यताओं और संसद को गौण कर दिया जाता है । इस सम्बन्ध में जो यह संवैधानिक स्थिति खड़ी हुई, आप उस पर अपनी व्यवस्था दें । मेरी राय में यह साफ उत्तर प्रदेश की स्वायत्ता का हनन किया गया है ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा कि माननीय शत्रुरुद्ध प्रकाश जी ने अपना प्रश्न उपस्थित किया है, उसमें इन्क्वायरी कमीशन एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेन्ट की बात है । मैं आपके सामने दो प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि क्या माननीय राजीव गांधी जी स्वयं अकेले एप्रोप्रिएट गवर्नमेन्ट हैं और अगर नहीं हैं तो किस आधार पर उन्होंने यह घोषणा कर दी और इस मामले को रंगनाथ आयोग को सन्दर्भित कर दिया । दूसरे मान्यवर, कमीशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन्क्वायरी एक्ट में कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आयोग कोई एक जांच कर रहा हो तो उसे दूसरे प्रदेश की जांच भी दे दी जाय। तीसरी बात जब आपात स्थिति लागू होती है तो राज्य की सारी शक्ति केन्द्र में समाहित हो जाती है। संविधान की धारा 352, 356 और 357 में इसे लागू करने की व्यवस्था है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि संविधान का अतिक्रमण हुआ हो और इमरजेन्सी लगी हो। तो क्या यह मान लिया जाय कि श्री राजीव गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में इमरजेन्सी लगाई हुई है। हम समझते हैं कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश की स्वायत्ता का हनन किया गया है। इसलिए मैं यह औचित्य का प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जो औचित्य का सवाल माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी और माननीय माता प्रसाद जी ने उठाया है, उससे एक बात जाहिर होती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रही है। आज जब यह स्थिति आयी, समझौते की स्थिति आयी, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन, एक बात साफ जाहिर हुई कि केन्द्रीय सरकार ने कानपुर की जो घटनाएं हुईं, आग लगी, अन्य बातें हुईं, उसके संबंध में मामला आयोग को सुपुर्द कर दिया जांच के लिए।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हम विपक्षी दल के सभी नेता यहां पर 25 जून को बैठे थे और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था कि दिल्ली में घटित घटनाओं के संबंध में न्यायिक जांच केन्द्रीय सरकार ने बिठायी है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कानपुर और प्रदेश के अन्य जगहों में हुई घटनाओं की जांच के लिये कोई न्यायिक जांच बिठाये। 25 तारीख को ही मैंने अपने एक पत्र के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को इसे भेजा। अखबारों में भी छपा, वह अलग चीज है।

मान्यवर, इतनी गम्भीर घटित घटनाओं को केन्द्रीय सरकार ने महसूस किया और सूबे के अन्य लोगों ने भी महसूस किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे उस पत्र का उत्तर आज तक नहीं दिया। यह भी नहीं उत्तर दे पाये कि उसे मान्य किया अथवा अमान्य।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस सम्बन्ध में अपनी घोषणा निश्चित रूप से सदन में करे, ताकि प्रदेश की स्वायत्तता कायम रह सके।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, सम्मानित सदस्य श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने, माता प्रसाद जी ने और बाद में माननीय नेता विरोधी दल ने जो संवैधानिक बिन्दु उठाया है, मैं जो उसका तात्पर्य समझ पाया हूं वह यह है कि शायद वे अपनी बात से इस बात पर बल देना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का विषय है। केन्द्रीय सरकार को इस विषय के ऊपर कोई जांच आयोग बिठाने का अधिकार नहीं है और शायद इस जांच आयोग का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से प्रदेश सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। दूसरी बात शतरुद्ध प्रकाश जी ने कही इस सम्बन्ध में। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न तो यहां विधान सभा में आया और न लोक सभा में ही आया। प्रधान मंत्री की केवल घोषणा संसद में हुई, इसलिए उस घोषणा को सरकार की घोषणा किस आधार पर माना जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय माता प्रसाद जी ने भी अपने तर्कों से इन्हीं तर्कों को पुष्टि कर रखी है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अधिनियम की धाराओं की तरफ, जिनका उल्लेख माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने किया है, आकृष्ट करना चाहता हूं मान्यवर, कमिशन आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 को धारा 3 के अन्तर्गत कमीशन नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है । वह अधिकार केन्द्र सरकार को भी है और प्रदेश सरकार को भी है । इसमें पहली दो लाइन देखें :—

> दि अप्रोप्रिएट गवर्नमेन्ट में, इज इट इज आफ ओपीनियन दैट इज नेसेसरी टू डू सो एण्ड शैल इफ ए रेजोलूशन इन दिस बिहाफ इज पास्ड बाई दि हाउस आफ दि पीपुल ।

यह दोनों जुड़े हुये हैं और से । कोई भी सरकार अपने विवेक से यदि आवश्यक समझे, किसी जांच आयोग का गठन कर सकती है । यदि ऐसा प्रस्ताव हाउस आफ पिपुल में आ जाय या असेम्बली में आ जाय । उसे करना अनिवार्य है । एक में मे है एक में शैल है । कोई प्रस्ताव आ जाता है ।

किसी भी सदन में उसके बाद में वह मेन्डेटरी हो सकता है उसके बाद फिर कोई दूसरा तरीका नहीं रह जाता है । इसलिए केन्द्र सरकार ने अपने विवेक से जांच आयोग का गठन किया । जांच आयोग गठन करने का अधिकार उनको था, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा । दूसरा प्रश्न यह है कि जांच अधिकार, उत्तर प्रदेश के कानपुर वाले मामले में बढ़ाया जा सकता है या नहीं । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा है, इसकी परिभाषा को आप देखें । इन्कवायरी कमीशन एक्ट की धारा 2 के क्लाज एक को आप देखें उसमें लिखा है, "दि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टु ए कमीशन एप्वाइन्टेड बाई इट टु मेक एक इन्क्वायरी इनटु एनी मैटर रिलेटेबल टु एनी आफ दि इन्ट्रीज इन्युमेरेटेड इन लिस्ट फस्ट और लिस्ट सेकेन्ड और लिस्ट थर्ड ।"

श्री अधिष्ठाता—

इसका अनुवाद कर दें ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं । उपयुक्त सरकार से तात्पर्य है कि केन्द्र सरकार ऐसे जांच के उस सम्बन्ध से है जिसका ताल्लुक लिस्ट एक, दो तीन से है जिसका ताल्लुक लिस्ट एक, दो, तीन में । केन्द्र सरकार जांच आयोग गठन कर सकती है ।

मान्यवर, इससे पूर्व भी धारा-3 को चुनौती दी गई है उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में । यह कहा गया कि केन्द्र सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह उन विषयों पर भी, जो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जांच आयोग का गठन कर सकता है । यह धारा 3 संविधान के प्रतिकूल है ।

मान्यवर, ए0 आई0 आर0 1978 को आप देखें । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका परीक्षण करने के उपरान्त यह तय किया गया है कि यह धारा संविधान के प्रतिकूल नहीं है । इसमें केन्द्र सरकार को जो अधिकार दिया गया है, वह संवैधानिक अधिकार है । इसके बावजूद भी मान्यवर, यदि हम इस पर दुबारा डिबेट करें तो यह मुझे गैर मुनासिब सा लगता है । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । एक समय ऐसा आया इस देश में, जब अनेक जांच आयोग का गठन किया गया और विशेषज्ञ भी रहे होंगे उनमें । उसी जमाने में यह बात आई और इस धारा को चुनौती दी गई । कर्नाटक के मामले की ओर आपका

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां के मंत्रि-परिषद् के अनेक मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोप में केन्द्र सरकार ने उनके खिलाफ जांच आयोगों का गठन किया था और इधर प्रदेश सरकार ने भी दूसरे जांच आयोगों का गठन कर दिया । इसमें लिखा है कि यदि जांच आयोग पहले केन्द्र सरकार ने गठित कर दी है तो उसी विषय पर प्रदेश सरकार को जांच आयोग गठित करने का अधिकार नहीं रह जाता । स्थिति स्पष्ट है । जो यह समझौता हुआ है, संविधान की धारा के अनुकूल हुआ है, राष्ट्र के हित में हुआ है । जो कुछ भी किया गया है, केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के प्रस्ताव से, उनकी जानकारी से, उनके पास करने के बाद किया गया है ।

दिनांक 25-7-85 को श्री जगबीर सिंह, सदस्य विधान सभा के सदन में बेहोश हो जाने तथा इलाज में लापरवाही के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, कल सदन में एक विधायक श्री जगबीर सिंह बेहोश हो गये थे और जमीन पर गिर पड़े । आपकी जानकारी में भी यह बात होगी । सचिवालय से डाक्टर बुलाया गया लेकिन उनके पास कोई दवा नहीं थी । मैंने अपने बैग से निकाल कर दवा दी । उनको फिर हम बलरामपुर अस्पताल में ले गये । डाक्टरों ने मदद की । वहां उनको आई0 सी0 सी0 यूनिट में भर्ती कराया गया । डेढ़ घण्टे बीत गये लेकिन उनका कार्डियोग्राम नहीं हो पाया । डेढ़ घंटे में आदमी की जान जा सकती है । जबकि 2 मिनट में कार्डियोग्राम हो जाना चाहिए । जो कार्डियक मशीन थी, वह खराब थी । वह मशीन वैसी ही थी, जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी के बैग, जो स्वास्थ्य बजट के दिन बांटे गये थे ।

मान्यवर, न तो सचिवालय डिस्पेंसरी में कोई दवा उपलब्ध है, आज मैं अपनी दवा लेकर आया हूं, कोई दवा दारुलशफा डिस्पेंसरी में भी नहीं मिल रही है, यह गोलियां बाजार से खरीद कर लाया हूं . . .

(व्यवधान)

केमिस्टों का इतना रुपया बाकी है तो क्यों नहीं पेमेन्ट करते । जब तक सदन चल रहा है कम से कम एक एम्बुलेन्स यहां तैयार रहे जोकि बलरामपुर अस्पताल या किसी अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जा सके और यहां सचिवालय में डिस्पेंसरी में कम से कम दो बेड रहने चाहिए ।

*श्री अवनीश कुमार सिंह—

माननीय सदस्य विधान सभा चक्कर खाकर गिर गये और किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी । बलरामपुर अस्पताल में कार्डियोग्राम की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी । तो लखनऊ जैसे शहर और बलरामपुर जैसे अस्पताल में जब कोई इलाज नहीं हो सकता तो जो इनके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां की क्या हालत होगी । मैं चाहता हूं कि यहां पर कोई ऐसी व्यवस्था करायें ताकि किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाये तो उसका इलाज करा सकें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

चिकित्सक हैं यहां पर लेकिन दवा ही उपलब्ध नहीं हो रही है ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था पहले भी दी गई है कि, मान लीजिये कल डा0 जौहरी या इस आदरणीय सदन का कोई डाक्टर न हो, तो व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही है कि जब आदरणीय सदन चलता हो तो यहां सचिवालय की डिस्पेंसरी का डाक्टर मौके पर रहे, इसकी व्यवस्था पहले से रही है, यह पहला मौका नहीं था, माननीय सदस्य के गिरते ही तत्काल डाक्टर बुलाये गये, लेकिन डाक्टर उपलब्ध नहीं थे . . . .

(डाक्टर तुरन्त आये—की आवाज)

डाक्टर विलम्ब से पहुंचे, दवा का न होना, यह चिन्ताजनक है, इस बात पर भी व्यवस्था दें ।

जंगली जानवरों से फसल को क्षति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आश्वासन देने पर भी कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, हमने यहां 18 मार्च, 1985 को जंगली जानवरों को मारने का नियम 51 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया था । सरकार ने इस पर कार्यवाही करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं । जैसे ही किसानों की फसल उगती है, वहां जंगली जानवर पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं । किसान परेशान है । इसके लिए सरकार तुरन्त वहां हस्तक्षेप करके वहां से उनको भगाने या उनको मारने के लिए हर हथियार की स्वीकृति दे दे । यह निवेदन किया था लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है । किसान परेशान है, इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन शीघ्र न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद 178 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें उपाध्यक्ष के चुनाव का प्राविधान है ।

आज इस नई विधान सभा को गठित हुए लगभग 5 महीने हो गये हैं । 14 मार्च को सभा की पहली बैठक बुलाई गयी थी, इसके बाद अभी तक अपेक्षित चुनाव नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति, पुस्तकालय समिति, जिसके पदेन सभापति, उपाध्यक्ष होते हैं, यह तमाम समितियां निष्प्रभावी हो गयी हैं । इसके लिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं, वह यह घोषणा करें कि कितनी जल्द और कब उपाध्यक्ष का चुनाव करायेंगे ?

लेसू में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था नियम 301 के अन्तर्गत 23-2-83 को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया था, जिसमें "लेसू" में लाखों रुपये के घोटाले का मामला था । उसके बाद इसमें संबंधित जो इन्जीनियर था, उसको एटैच कर दिया गया था । उसके बाद हमारे लिये सूचना दी गयी 7-3-83 को, वह अन्तरिम उत्तर था । अन्तरिम उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद ढाई साल व्यतीत हो चुका है, पुरानी विधान सभा भी खत्म हो चुकी है, किन्तु अभी तक अंतिम उत्तर नहीं दिया गया है । अन्तरिम उत्तर में कहा गया था कि सतर्कता विभाग से जांच करायी जा रही है । मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जिस विषय की जांच हो रही थी, उस विषय पर जो घोटाला था, जिसमें इन्जीनियर भी संबंधित था और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो जांच को निष्पक्षता से नहीं होने दे रहा है, आप शासन को निदेश दें कि वह बताये कि इस जांच में क्या कार्यवाही हुई है ? चूंकि पुरानी विधान सभा भंग हो चुकी है, नियम 301 व्यपगत हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, श्री जगवीर सिंह वाले मामले पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, यह बता दें कि क्या कार्यवाही हो रही है । यह एक माननीय सदस्य का मामला है, कम से कम उस सम्बन्ध में व्यवस्था करा दें ।

आगरा नहर का रखरखाव हरियाणा सरकार को सौंपने से आगरा तथा मथुरा जनपदों में पानी का संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न आपके और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । संविधान में है कि हमारे भारत की जो स्टेट्स हैं, उनकी टरीटरी तय है, अधिकार तय हैं और हमारी स्टेट की पूंजी अगर दूसरी स्टेट में है तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी स्टेट की होती है । इसी के तहत एक अहम मामले को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो उधर बैठे हैं, जब हमारी तरफ बैठे थे नेता, विपक्ष के बगल में, तो उन्होंने इसके बेसिक आस्पेक्ट पर ध्यान आकर्षित किया था । यह अवसर आ गया है कि वे जवाब दें । हमको सुविधा हो जायगी कि जो मामला रखना चाहते हैं, उसकी जानकारी उनको पहले से है । आगरा नहर है, जो गंगा नदी से निकलकर हरियाणा में 60 कि0मी0 घूमते हुए उत्तर प्रदेश में आती है । आगरा में और मथुरा में सिंचाई के लिये खारा पानी है, उसकी पूर्ति का काम यही नहर करती है । इन दोनों जिलों का पेयजल भी खारा है । पीने के लिये जल की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था इसी नहर से होती है । राव वीरेन्द्र सिंह, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के दबाव के कारण और हरियाणा सरकार के दबाव के कारण, सिंचाई मंत्री और उनके अधिकारी इस फैसले पर पहुंचे हैं कि 60 कि0मी0 का जो भाग हरियाणा में पड़ता है, उसका रखरखाव भजन लाल को सौंप दिया जाय ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो 60 किलोमीटर की हरियाणा में नहर पड़ी है उसमें हरियाणा सरकार ने 30—40 माइनरों का निर्माण करा दिया है और उस पर गेट बने हुए हैं, जिन्हें रेगुलेटर कहते हैं । तो उन रेगुलेटरों का रखरखाव और उसका संचालन इन सब बातों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की है । श्रीमन्, यह फैसला लेने से पहले कि उसका रखरखाव हरियाणा सरकार को दे दिया जाय, आप आगरा और मथुरा के संकट की ओर भी गौर कर लें कि ऐसा करने से वहां पानी के संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । जो अधिकारी उसे देखता है और गेट को खोलता है वह अभी उत्तर प्रदेश सरकार का है परन्तु यदि हरियाणा का अधिकारी उसको खोलेगा तो सारा पानी हरियाणा में ट्रान्सफर हो जायेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राजस्थान सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, जिस गेट से पानी हमारे राज्य में आता था उस सम्बन्ध में निवेदन किया है कि आप बाढ़ का पानी हमारे स्टेट को दे दीजिये जिससे कि वहां सिंचाई का काम सुलभ हो सके। मैं समझता हूं कि इस समझौते से बाढ़ का सारा पानी नहरों के जरिये जिलों में भेज रहे हैं फिर रबी के समय और पानी की मांग करेंगे। यह दोनों ही स्थितियां हमारे प्रदेश के पानी को कम करने वाली हैं।

संसदीय कार्य मंत्री आज पक्ष में बैठे हैं किन्तु वे विपक्ष में भी रहे हैं और अच्छी तरह से दोनों ही स्थितियों को समझते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि रेगुलेटर को खोलने का काम हरियाणा को न दिया जाय नहीं तो उत्तर प्रदेश का पानी किसी भी तरीके से बच नहीं सकता है। हरियाणा और राजस्थान को पानी देने की बात न आये, यह मैं चाहता हूं।

*श्री राम सजीवन—

माननीय अधिष्ठाता, महोदय, मैंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जल विवाद के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत आपको नोटिस दिया था।

श्री अधिष्ठाता—

आप नियम 300 में क्या कह रहे हैं ?

श्री राम सजीवन—

मैंने नियम 300 में कोई नहीं दिया था, नियम 301 में दिया था।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रघुबर दयाल जी आप बैठिये।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन तो लें।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा कहिये।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

अभी माननीय सदस्य ने जो आगरा नहर के पानी के संबंध में जो सवाल उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आगरा नहर के पानी से आगरा और मथुरा में खेती की व्यवस्था होती है, पीने का पानी उपलब्ध होता है। हरियाणा को जो पानी की व्यवस्था सौंप दी गयी है तो इससे सारा पानी हरियाणा में चला जायेगा और हमारे यहां आगरा और मथुरा में तबाही आ जायेगी, रबी की फसल बरबाद हो जायेगी, पशुओं के पीने का पानी नहीं उपलब्ध होगा। श्री राव वीरेन्द्र सिंह के दबाव में आकर यदि हमारी सरकार ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली तो उनको तो पानी मिल जायेगा परन्तु उत्तर प्रदेश के पानी के कम होने का खतरा सदैव बना रहेगा और आगरा, मथुरा के काश्तकार बरबाद हो जावेंगे।

अभी जो चिन्ता मा0 गौरी शंकर भइया ने और माननीय वर्मा जी ने व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि आप किसी न किसी आशंका या भ्रम के शिकार हैं। कोई किसी प्रकार का दबाव किसी मंत्री जी ने नहीं डाला है, यह समझौता उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच हुआ है। अभी सिंचाई की माइनर हरियाणा में थी उसकी देखभाल और प्रशासनिक व्यय उत्तर प्रदेश की सरकार को वहन करना पड़ता था। अब उसमें तरमीम कर दिया गया है कि वह माइनर एक्स-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्लूसिवली हरियाणा में है तो उसका प्रशासनिक व्यय भार और रख-रखाव भी हरियाणा ही करेगा । रही नहर की बात तो नहर तो आगे तक जाती है । मथुरा और आगरा की समस्या के बारे में शासन पूर्णतः जागरूक है । इस समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी ।

*श्री विजय सिंह राणा—

श्रीमन्, इससे आगरा और मथुरा में तबाही मच जायेगी । माननीय मंत्री जी जब आगरा गये थे तो वहां पर पत्रकारों के पूछने पर और अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच में माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है । अब आपने एक अंश को स्वीकार कर लिया ।

श्री हुकुम सिंह—

नहर का कोई सम्बन्ध उससे नहीं है । वह नहर की बात नहीं है, अल्पिकाओं की बात है ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री शतरुद्र प्रकाश ने जो विषय उठाया है उसके अनुसार किसी शहर का दंगा "शान्ति एवं व्यवस्था" की परिधि में आता है और चूंकि शान्ति एवं व्यवस्था संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची के अन्तर्गत आता है, अतः केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के किसी शहर के दंगे की जांच नहीं करा सकती है । कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 2 में एप्रोप्रियेट गवर्नमेन्ट की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो तथा सूची तीन में शामिल विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार जांच आयोग बैठाने में सक्षम है किन्तु केन्द्र सरकार सातवीं अनुसूची की समस्त सूचियों में अंकित मामलों के सम्बन्ध में जांच आयोग बैठा सकती है ।

इतना ही नहीं, कुछ समय पूर्व किसी राज्य के मुख्य मंत्री के विरुद्ध केन्द्र सरकार ने जांच आयोग गठित किया था और ए0 आई0 आर0 1978 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 68 में उसे सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया था । 1968 कटक ला टाइम्स पृष्ठ 666 पर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि यदि किसी मामले में केन्द्र सरकार ने जांच आयोग बैठा दिया है तो राज्य सरकार उसी मामले में पुनः जांच आयोग नहीं बैठा सकती । इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रश्न प्रक्रिया नियमावली के उल्लंघन से संबंधित नहीं है और न सदन के संज्ञान में है । इस सिलसिले में मैं यह बात भी कहूंगा कि जो दंगे हुए उनको देखते हुए और उनके सन्दर्भ में मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार का, पार्लियामेन्ट में प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, उस उद्घोषणा पर कोई आपत्ति नहीं । अतः श्री शतरुद्र प्रकाश जी के इस विषय को नहीं उठाया जा सकता । मैं इन तथ्यों को देखते हुए श्री शतरुद्र प्रकाश की सूचना को स्वीकार नहीं करता हूं ।

दूसरा डा0 जौहरी ने जो एक माननीय सदस्य के बारे में सूचना दी थी कि वह अचानक बीमार हुए और किस प्रकार से उनको लाबी में ले जाया गया और डाक्टर उपलब्ध नहीं हुए और जो-जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, उस चिन्ता से सभी सदस्यगण चिंतित हैं और वह उसमें शामिल है ।

मैं इस मामले को इस प्रसंग में न लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहूंगा कि वह इस सम्पूर्ण मामले को देखकर जो

*सदन ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उचित कार्यवाही होती हो, उसको करने की व्यवस्था करें। वह इसके अन्तर्गत नहीं आता है। औचित्य के प्रश्न के रूप में मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री गया प्रसाद वर्मा ने जो जंगली जानवरों के प्रकोप के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है यह औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने माननीय उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में मामला उठाया है। यह सही है कि सदन की जो समितियां होती हैं कुछ समितियों के वे सभापति भी होते हैं। चूंकि यह मामला नियमावली के अनुसार स्पीकर महोदय पूरा करते हैं इसलिए मैं इसे माननीय स्पीकर महोदय को सन्दर्भित करता हूं। मैं अधिष्ठाता के तौर पर जैसा कि नियमावली के नियम 11 में दिया है और माननीय वर्मा जी ने और पाण्डेय जी ने उल्लेख किया है, स्पेशल अधिकार के लिये लिखेंगे और सदन कहेगा तो मैं उसको करूंगा।

माननीय सत्यपाल सिंह यादव ने एक मामला उठाया है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि वह सदन अब नहीं रहा, जब उन्होंने यह प्रश्न उठाया था। सतर्कता विभाग वाली बात उन्होंने कही थी। आप नियमानुसार इस सम्बन्ध में एक दूसरा प्रश्न कर लें जो जल्द से जल्द इसमें आ सके तो वह बात पूरी हो जायेगी। लेकिन नियम 300 के अन्तर्गत इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री गौरी शंकर भइया ने जो बात कही है वह दो राज्यों से संबंधित है जिसके बारे में संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने भी कहा है। इसलिए चूंकि यह दो राज्यों के बारे में मामला है, औचित्य के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। मैं इस मामले को सरकार को सन्दर्भित करता हूं कि वह इस पर उचित कार्यवाही करें।

[1 बजकर 35 मिनट]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

श्री विजय सिंह राणा, आपने जो प्रस्ताव दिया है ...

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैंने भी दिया है इसी पर...

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, पहले आप पूरी सूचनायें तो पढ़ दें कि किस-किस की हैं।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है। मैं सब सूचनाओं को पढ़ देता हूं।

श्री विजय सिंह राणा तथा श्री मनोहर लाल ने कानपुर में गन्दे पानी की सप्लाई के संबंध में सूचना दी है। श्री भोपाल सिंह, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क ने मेरठ जनपद में पानी का स्तर नीचे गिरने के सम्बन्ध में, श्री औसान सिंह ने कृषकों का 2 करोड़ बकाया होने के सम्बन्ध में, श्री राम गोविन्द चौधरी ने एटा जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 3 पुत्रों की हत्या के सम्बन्ध में तथा इसी तरह की सूचना कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने भी दी है। श्री शतरुद्र प्रकाश ने बाबतपुर हवाई अड्डे पर सोमालिया के राजनयिक पर तस्करी के आरोप के सम्बन्ध में, श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री गौरी शंकर भइया ने शाहजहांपुर में बी0 काम0 के लिए आन्दोलन के सम्बन्ध में दी है। श्री राजेन्द्र गुप्त का अनुसूचित जाति वित्त निगम में 56 करोड़ का घोटाला, श्री शारदानन्द अंचल का बलिया में विद्युत् आपूर्ति, कुंवर रेवती रमण सिंह का 80 करोड़

नलकूप खराब होने के बारे में, श्री मुहम्मद आजम खां का रामपुर में 350 लोगों की हैजे से मृत्यु, श्री पारस नाथ का बेसिक शिक्षक संघ के शिक्षकों का आमरण अनशन, श्री राम सजीवन का उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच जल का विवाद, श्री राम नरेश एवं श्री शारदा प्रताप का सस्ते गल्ले की दुकानों पर सड़े गेहूं/चावल की सप्लाई, और श्री देवेन्द्र कुमार का हमीरपुर के मंदिर में मूर्ति की चोरी के सम्बन्ध में है। अब श्री विजय सिंह राणा अपनी बात संक्षेप में कहेंगे। (व्यवधान) एक-एक मिनट सुनूंगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 56 में रोजाना आप सूची पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं कि किस-किस की सूचना आपने स्वीकार की है। तो मान्यवर, यह बता दीजिये कि किस की सूचना आपने सुनने के लिए स्वीकार की ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

नियम 56 में एक आदमी को आप सुनते हैं। यदि उसमें दो हों तो ?

श्री अधिष्ठाता—

एक ही को सुनूंगा यदि कोई विशेष बात उठाते हैं तो उसमें मेरा विशेषाधिकार है।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, कानपुर में आजकल नलों में जो पानी चल रहा है उसके दो सैम्पुल एक 21 ता0 का और एक 23 ता0 का हमारे पास है। जो वहां के कार्यकर्ताओं ने भी बताया है कि 51 नलों का पानी इकट्ठा करके हमारे पास भेजा है। यह जो पानी हमारे पास है इसको आप देखें तो इसका रंग काला है इससे दुर्गन्ध आ रही है। इस पानी को आदमी तो दूर रहा जानवर भी नहीं पी सकता है। इस सम्बन्ध में वहां प्रदर्शन भी हुए, धरना भी लोगों ने दिया है। लोग जल संस्थान और जिलाधिकारियों से भी मिले हैं लेकिन आज तक जल निगम और प्रशासनिक अधिकारी कुंडली मारे बैठे हैं। इस पर कोई कार्यवाही उन्होंने नहीं की। मेरा निवेदन है कि हर जल संस्थान में एक रासायनिक परीक्षण विभाग होता है और उसकी हर महीने रिपोर्ट आती है और आवश्यकता हुई तो महीने में दो-तीन बार रासायनिक रिपोर्ट शासन के पास आती है। मैं शासन में बैठे हुए लोगों से, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह रासायनिक रिपोर्ट क्या है ? कानपुर के पानी के बारे में उसमें बायो कैमिकल आक्सीजन डिमांड, कैमिकल आक्सीजन डिमांड तथा एम0 पी0 एन0 इंडेक्स क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग है उसकी रिपोर्ट इन तीनों के बारे में क्या है कि कितना होना चाहिए और कानपुर के पानी में उनकी मात्रा क्या है। कानपुर के अन्दर भयंकर रूप से पीलिया और महामारी फैल रही है। बहुत से लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका इलाज भी नहीं हो रहा है। तो आप ही बताइये कि जब यह स्थिति हो तो हम इस मामले को कहां उठायें। सदन के अलावा हमारे पास दूसरी जगह नहीं है जहां इसको हम उठायें।

यह शासन जो जीवन की सबसे आवश्यक चीज पानी है उसको भी सही नहीं दे पाती है और अपने 3-3 लाख रुपये की चाय आठ दिन में पी जाते हैं, जनता को पीने को पानी भी उपलब्ध नहीं होता और यह कहते हैं कि जनता के साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है। पानी के बारे में हर जगह यह शिकायत है। गत वर्ष मैंने विधान सभा में यह प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाया था कि आगरा में नलों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है जो दिल्ली की अपेक्षा तीन सौ गुना गंदा पानी है। इस शासन का ध्यान उस ओर नहीं गया है।

मान्यवर, आगरा, मथुरा में पानी की गंदगी में डा0 के0 डी0 शर्मा ने शोध कार्य किया और उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजा लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई मान्यवर, जब आपका जल संस्थान इस तरह का गंदा पानी दे रहा है जिसको कभी कोई भी व्यक्ति भूल से पी गया तो किसी भी क्षण भोपाल काण्ड हो सकता है और शहर की आबादी मृत्यु की ओर जा सकती है। इसलिए यह गम्भीर विषय है और इसकी जल्द से जल्द केमिकल और रासायनिक परीक्षण करायें और काम रोककर इस पर चर्चा करायें।

*श्री मनोहर लाल—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह कानपुर का अमृत मैं आपको समर्पित कर रहा हूं जो जल संस्थान कानपुर का पिला रहा है। मान्यवर, जागरण अखबार आज का है जिसमें साफ लिखा है, मैं कल रात में कानपुर गया था, तो मैंने देखा कि जल संस्थान के जो पानी के टैंक हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह बोतल जो आप आज लाये हैं, राणा जी लाये हैं, यह एक दिन का पानी है या दो दिनों का पानी है।

श्री मनोहर लाल—

मैं कल कानपुर गया था और आज पानी लाया हूं। मैं कह रहा था कि जल संस्थान के जो टैंक हैं उसमें छोटे बच्चों की लाशें और कुत्तों की लाशें देख आये हैं और वह लाशें टैंक में सड़ रही हैं। यह शर्म की बात है। मान्यवर, श्री पशुपति नाथ मेहरोत्रा उस क्षेत्र के विधायक हैं, जो कांग्रेस के हैं, उनसे पूछ लें। मान्यवर, आज के अखबार में लिखा है कि उस गन्दे पानी को युद्धस्तर पर ठीक किया जा रहा है, यह जल निगम के सामान्य प्रबन्धक ने बयान अखबार में दिया है।

(व्यवधान)

श्री पशुपति नाथ मेहरोत्रा—

मान्यवर, मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, इनको कानपुर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गये, मैं देख आया हूं। लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए इसमें सदन का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करायें।

(गन्दे पानी की बोतल अधिष्ठाता महोदय के पास भेजी गयी)

श्री भगेला सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आज सभी विधान सभा के माननीय सदस्यों को सुनकर यह आश्चर्य होगा कि मेरठ जनपद में पानी की भीषण समस्या है। मान्यवर, मेरठ जनपद के अन्तर्गत ब्लाक बिनौली से संबंधित चौगांवा क्षेत्र में यह पानी की समस्या बड़ी विकराल हो गयी है। वहां पर भू-जल स्तर 85 फिट नीचे चला गया है और हर वर्ष वह 8—10 फिट नीचे चला जाता है, यह क्रम बराबर का बना हुआ है। वहां पर जल स्तर नीचे जाने की वजह से पीने के पानी की समस्या इतनी भयंकर हो गई है कि अकाल मौत से हजारों लोग मर सकते हैं। हजारों एकड़ भूमि वहां पर बिना सिंचाई के रह गई है। वहां के कम जल स्तर को देखकर चौगांवा क्षेत्र के लिए 1979

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एक योजना तैयार की गई थी और उसमें यह निर्णय हुआ था कि एक बरसाती नहर बनाई जायेगी . . .

श्री अधिष्ठाता—

देखिये आप अपने प्रश्न की ग्राह्यता तक ही सीमित रहें ।

श्री भोपाल सिंह—

उस समय इस योजना के लिए 5 करोड़ 65 लाख रुपया जनता पार्टी की सरकार ने मंजूर किया था । उसके बाद वहां पर स्टाफ पहुंच गया, सामान और लोहा आदि पहुंच गया, किन्तु वहां से एक साल बाद सारा स्टाफ हटा लिया गया था और इस अवधि में 30 लाख रुपया सरकार का वहां पर खर्च हो गया था । मैं यह समझता हूं कि चूंकि वह क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी का क्षेत्र है, जहां से आज तक कांग्रेस का कोई भी सांसद या एम0 एल0 ए0 नहीं जीता है, इसलिए दुश्मनी से कांग्रेस सरकार ने उस नहर का निर्माण कार्य बन्द करा दिया । जिस दिन से एम0 एल0 ए0 चुनकर आया, मैंने विधान सभा में उसको उठाया था और संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह जब मेरठ में थे, उनके साथ हुई मैं उस मीटिंग में गया था और वहां पर इस समस्या से संबंधित जनता के साथ मिलकर मैंने कहा था उनसे इस बारे में । उसके बाद मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से चौगांवा क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था । उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम इसके लिए बजट में प्राविधान करेंगे और पैसा रखेंगे । सिंचाई मंत्री ने उसके बाद 30 जून को वहां पर जाकर कहा कि हम इस योजना की व्यवस्था कर रहे हैं और हम पैसा देंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि यह सरकार इस काम को कब करायेगी ? इसमें हजारों लोगों की जान जाने की समस्या है । अतः इस समय सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जाये ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

भोपाल सिंह जी ने जो मामला उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर है । 85 फिट जहां पर जलस्तर नीचे हो, वहां पर सरकार को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए । तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर आश्वासन दे दें ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्य भोपाल सिंह जी ने जो अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, स्वयं वह इस बात से अवगत हैं कि यह प्रश्न आज का नहीं है, 15 साल से चल रहा था और हर बार इस सदन में यह मामला उठता रहा है । इस सम्बन्ध में वह और क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि मण्डल अभी मुख्य मंत्री जी के साथ मिला था और लोगों की इच्छानुसार सिंचाई के लिए वहां पर इसी वर्तमान सत्र में उस पर कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी । तो आपको जो स्वयं जानकारी थी कि घोषणा हो चुकी है और कार्य शुरू होने वाला है, मैं समझता हूं कि इसके लिए आपको सरकार को यहां पर बधाई देनी चाहिए थी कि जो काम आप नहीं कर पाये उसको हम करने जा रहे हैं ।

श्री भोपाल सिंह—

अब तक हमको कोई इसकी सूचना नहीं थी, यदि यह आश्वासन दे दें तो हम मान जायेंगे । बजट में जब कोई इसका प्राविधान नहीं किया गया है तो उसके लिए यह पैसा कहां से देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि किस पेज पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसका प्राविधान किया गया है। 5 करोड़ 65 लाख का व्यय जब आप नहीं कर सके तो ... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आपको इजाजत नहीं है, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं कृपया आप बैठें ...।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, बजट में प्राविधान ही नहीं है। पहले 5-6 करोड़ रुपये लगने थे अब तो 10 करोड़ रुपये लगेंगे। बजट में प्राविधान नहीं है तो बनेगा कैसे।

*श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री एक ऐसी सूचना दे रहे हैं जिसका बजट में जिक्र ही नहीं है। यह गलत बयानी मंत्री जी ने की है। बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

श्री हुकुम सिंह—

भोपाल सिंह जी को जानकारी है। हमने खुद स्टीमेट बनवाकर, 7 करोड़ का पहले स्टीमेट था जो बढ़कर 19 करोड़ हो चुका है। स्टीमेट का परीक्षण हो रहा है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। पहले कहा कि बजट में इसका प्राविधान है। कार्यवाही निकलवायी जाय और देखा जाय। अब कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है। यह व्यवस्था का प्रश्न बनता है। आप कार्यवाही निकलवा कर देखें।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी ने कहा कि प्रस्तावित है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा पहले एक बात कही गयी उसके फौरन बाद दूसरी बात कही गयी। तो पहली बात सही है या दूसरी बात सही है?

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस पर व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं।

श्री आसान सिंह—

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 2 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों का उत्तर प्रदेश बीज निगम पर बाकी है। इससे किसानों में घोर असंतोष है और उनकी जीविका का प्रश्न पैदा हो गया। मान्यवर, इस निगम के डाक्टर सुरेन्द्र बहादुर सिंह, महाप्रबंधक हैं। उनकी अयोग्यता की वजह से यह निगम रसातल में जा रहा है और किसान की जीविका का प्रश्न खड़ा हो गया है। हजारों किसानों का, जो बीज उत्पादक हैं उनका भुगतान नहीं किया गया है। 50 लाख रुपया कानपुर परियोजना पर, 50 लाख रुपया फैजाबाद परियोजना पर और 1 करोड़ रुपया पन्त नगर परियोजना पर बकाया पड़ा हुआ है। किसान रोजाना दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं और आये दिन परेशान होते हैं। किसी को बैल खरीदने थे, किसी को खाद डालनी थी, किसी को कर्जा चुकाना था। उनका भुगतान न होने से किसानों में भयंकर असंतोष है, और वह तबाही के कगार पर पहुंच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनका भुगतान शीघ्र कराया जाय और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करायी जाय। जैसे सर्विस क्लास को अगर तन्ख्वाह न मिले तो उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बच्चे भटक जाते हैं उसी प्रकार से खेती की जो पैदावार है, वही उनकी जीविका है, वही उनका सोर्स आफ इन्कम है। इसलिए किसान के पैसे का भुगतान होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें और इस पर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

आज मेरे क्षेत्र से बीज उत्पादक किसानों का पत्र आया है। उसमें लिखा है कि मैंने दिनांक 30-5-85, 3-6-85 और 12-6-85 को गेहूं, चना को इनटैक कराया था लेकिन 15—20 दिन भुगतान मिलने की आशा नहीं है। बीसों चक्कर लगा चुका हूं और भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की अव्यवस्था है और इसके लिए महा-प्रबन्धक श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह जिम्मेदार हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आज दिया है वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि पुनः उत्तर प्रदेश में सामूहिक हत्या-काण्डों का सिलसिला जारी हो गया है। आपको याद होगा कि इसी सामूहिक हत्याकाण्ड के कारण राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा देकर मुख्य मंत्री का पद छोड़ दिया था। आज आशंका हो गयी है हम लोगों को कि आज मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं, अभी कानपुर में सामूहिक हत्याकाण्ड हुआ, अभी एटा में सामूहिक हत्या हो गयी, तो आशंका हम लोगों को इस बात की हो गयी है कि क्या मुख्य मंत्री, नारायण दत्त तिवारी जी, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की तरह से इस्तीफा तो नहीं दे देंगे और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे, तो बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो जायगी, क्योंकि यह सदन चल रहा है और उसमें वह वित्त मंत्री भी हैं और अगर वह इस्तीफा देकर चले जायेंगे, तो बजट सत्र बीच में अधूरा ही रह जायगा, जिससे प्रदेश की जनता का बहुत अहित हो जायगा।

अभी 23 तारीख की घटना है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय विद्या स्वरूप वर्मा के तीन पुत्रों को गोली से डकैतों ने भून दिया तथा वे तत्काल घटनास्थल पर मर गये और उनके घर की तीन महिलाओं को भी गम्भीर रूप से गोलियों से घायल कर दिया, जो कि चिन्ताजनक अवस्था में अस्पताल में भर्ती करायी गयी हैं। मान्यवर, उनके घर के रायफल, बन्दूक तथा तमाम आभूषण और नकदी लूट लिये गये हैं। इस तरह सामूहिक हत्या का सिलसिला प्रदेश में पुनः चालू हो गया है। मान्यवर, जहां घटना हुई है, उसी के तीन घंटा पहले वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगंज में, अलीगंज के निकट के थानों के थाना-ध्यक्षों को सम्बोधित कर रहे थे और साढ़े तीन घंटे के बाद यह घटना घट गयी। घटनास्थल से पी0 ए0 सी0 कैम्प और पुलिस चौकी तीन किलोमीटर की ही दूरी पर है और डकैत इस तरह की दुस्साहसपूर्ण घटना कर गये, परन्तु पुलिस को जानकारी तक नहीं हो पायी। इस बात से हम लोगों को आशंका पैदा हो गयी है कि एक दिन जब पुलिस के मामले पर मुख्य मंत्री जी बयान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने पर पुलिस का मनोबल गिर जायगा। मान्यवर, उनके इस वक्तव्य से पुलिस का मन बढ़ गया है, जिससे उनके द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है और इस बात से आशंका बढ़ गयी है कि इस सामूहिक हत्याकाण्ड में कहीं पुलिस का तो हाथ नहीं है? तो मान्यवर, इस तरह से पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के नाम पर मुख्य मंत्री जी के बयान से प्रशासन के लिए बिल्कुल असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय नारायण दत्त

तिवारी जी इस्तीफा न दे दें, इसलिए इस पर आपको सदन में चर्चा कराना चाहिए। मैं इस पर बल देता हूं कि इससे महत्वपूर्ण विषय और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से सामूहिक हत्याओं का सिलसिला पुनः शुरू हो गया है।

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हमारे सहयोगी श्री राम गोविन्द चौधरी तो इस सम्बन्ध में काफी कह दिये। इसमें जो मुख्य बात है, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी विद्या स्वरूप वर्मा जो इस देश को आजाद कराने में अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर लड़े, उनके परिवार की इस स्वतन्त्र भारत में इस प्रकार की समाप्ति को देखकर हम सबको बहुत कष्ट है। उनके पास तीन पुत्र, जिनमें से एक डाक्टर, एक एडवोकेट तथा एक छात्र थे, उनको डकैतों ने घर में घुसकर, पुलिस चौकी से तीन किलोमीटर की दूरी पर मार दिया और उनकी एक 315 बोर रायफल और एक बन्दूक सहित बहुत से जेवर और नकदी उठा ले गये। उनके परिवार की तीन महिलाओं को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जो मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। अभी जैसा चौधरी साहब ने बताया कि पुलिस अधीक्षक घटना के तीन घन्टा पूर्व अलीगंज सर्किल की पुलिस को सम्बोधित कर रहे थे, घटना की सूचना मिलने के 48 घंटे के बाद तक भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मान्यवर, मुझे जानकारी है कि पुलिस अधीक्षक आज तक घटनास्थल पर पहुंचे ही नहीं हैं। इससे अधिक अविलम्बनीय लोक महत्व का दूसरा विषय कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं इस पर बल देकर कहता हूं कि आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा दें।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, जनपद वाराणसी में 19 जुलाई, 1985 को बाबतपुर हवाई अड्डे पर सुमालिया के राजनयिक को हिरासत में ले लिया गया, उनके पास से करीब एक दर्जन बी0 सी0 आर0 और एक दर्जन बी0 सी0 पी0 और ऐसे साहित्य बरामद हुए हैं जो आपत्तिजनक हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि लाखों रुपये का सामान लेकर वह काठमान्डू से वाराणसी में उतरे थे और उनके साथ-साथ विदेश का अन्य व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, जो संदिग्ध अवस्था में था।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि वाराणसी एक सांस्कृतिक राजधानी है और विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहां पर रहते हैं। मान्यवर, बनारस में इस तरह का कुचक्र चल रहा है। पिछले दिनों दस्यु सरदार शोभराज को वहां रखा गया, उसने अपने कुकृत्यों को तेज कर दिया था। बनारस में बड़े पैमाने पर हिरोइन की तस्करी की जा रही है। इस तरह की साजिश चल रही है। नेपाली सीमा पर जो जरूरी जानकारी है उनको भेजा जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि शासन बनारस में पुलिस के किसी बड़े अधिकारी को भेजकर जांच करायें और रिपोर्ट मंगाए। तब तक मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले में बयान दें, क्योंकि बनारस में जो लोग रह रहे हैं उनमें असंतोष व्याप्त है। मान्यवर, सुमालिया राजनयिक का पासपोर्ट पकड़ा गया है उसमें संदिग्ध अवस्थायें हैं। इससे लगता है कि ऐसे कार्य और बढ़ेंगे। मान्यवर, बनारस का नेपाल से सीधा सम्बन्ध है। नेपाल में जो घटनायें होती हैं, जो बमकाण्ड हुआ है, उसका सीधा असर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाराणसी पर पड़ेगा । नेपाल से लगा हुआ बिहार है । मान्यवर, बिहार के मुख्य मंत्री कर्पूरी ठाकुर को धमकी दी गई है जान से मार डालने की । इस तरह से लोग अपने कुकृत्य तेज कर रहे हैं । मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस पर उच्च स्तरीय जांच कराई जाये ।

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपने जिले शाहजहांपुर का गम्भीर मसला कार्य-स्थगन के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं । जिला शाहजहांपुर में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और आपकी जानकारी की मदद के लिए अखबार की तीन कटिंग एक ही दिन की संलग्न कर दी हैं । वहां की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है । मान्यवर, पिछले चार सालों से छात्र लगातार मांग करते रहे हैं कि बी0काम0 की कक्षायें खोली जायें । इन्टर के क्लासेज चल रहे हैं । इन्डाउमेन्ट सरकार ने किया कि बी0 काम0 की कक्षायें खोलने के लिए ढाई लाख रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा । चार साल पहले वहां के नागरिकों ने रुपया इकट्ठा कर दिया है । लेकिन आज तक वहां बी0 काम0 की कक्षा नहीं खोली गयी । यह शासन का निकम्मापन है ।

विद्यार्थियों ने कहा है कि जो आपने शर्त रखी थी उसको हमने पूरा कर दिया है । अब स्कूल खोलिये । शाहजहांपुर के छात्रों ने इनके कक्षायें न खोलने पर चेतावनी दी कि हम 12 तारीख को बन्द का आह्वान करेंगे और उस दिन सारा शाहजहांपुर बन्द रहा वहां जो आन्दोलन चल रहा है उसे वहां का आवाम चला रहा है, उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि हम 13 तारीख से क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और वह 13 तारीख से क्रमिक अनशन पर बैठ गये । मान्यवर, उसके बाद भी जब इन्होंने कुछ नहीं सुना तो उन्होंने निर्णय दिया कि 20 तारीख से हम आमरण अनशन पर बैठेंगे और वह आमरण अनशन पर बैठ भी गये । 20 तारीख को वासुदेव सिंह जी वहां गये थे और छात्रों से मिले थे । सारे छात्र सभी राजनीतिक पार्टियों के हैं । आज आठवां दिन है डाक्टर की रिपोर्ट इसमें लगी है एक विद्यार्थी की हालत चिन्ताजनक है । वह मरने की स्थिति में है और यही नहीं विद्यार्थियों ने इससे बढ़कर निर्णय लिया है कि 30 तारीख को हम आत्मदाह करेंगे । इस सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं आ रहा है.....

जब जनता सरकार थी हमारे पड़ोस में पीलीभीत है, उनके पास ढाई लाख रुपया नहीं था, एक पैसा नहीं था । उनसे प्रतिवर्ष 50-50 हजार रुपया जमा कराया गया । तीन साल तक न भवन के लिये पैसा देना है न अध्यापकों का वेतन देना है । फिर भी शासन की लापरवाही से विद्यार्थी मरने की स्थिति में आ चुका है । आत्मदाह का निर्णय ले चुका है । मैं हुकुम सिंह जी संसदीय कार्य-मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर को आपने आजादी के बाद से कुछ नहीं दिया है । शाहजहांपुर की वह धरती है जहां राम प्रसाद, बिसमिल, असफाक उल्ला, डा0 रोशन सिंह, हंसते-हंसते फांसी के फन्दे पर झूल गये । आप पर कोई वजन नहीं बढ़ रहा है, कोई परेशानी नहीं है । जब सारी शर्तें पूरी हैं, आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप फौरन ध्यान दें । आप जिलाधिकारी की रिपोर्ट मंगाकर देख लें, सारा नगर बन्द रहा, न्यायालय बन्द रहे, प्रशासन ठप्प रहा । मैं कहना चाहूंगा कि इस अविलंबनीय एवं महत्वपूर्ण प्रश्न पर शासन को निर्देशित करें, मजबूर करें कि कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्णय लेकर इस सदन को अवगत करायें। ऐसा न हो कि जो भूख हड़ताल पर बैठे विद्यार्थी हैं वह मौत के, काल के गाल में समा जायें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, इलाहाबाद में बालकों के अपहरण के आतंक से वहां के नागरिकों में असुरक्षा व्याप्त हो गई है। दो दर्जन शिशुओं का अपहरण हो चुका है। रेलवे जंक्शन से बच्चों को बेहोश करके तथा कुछ बच्चों का स्कूलों से अपहरण किया जा चुका है। कल एक माननीय सदस्य ने बताया कि दो व्यक्तियों को नरमुण्डों का निर्यात करने का लाइसेन्स प्रदेश सरकार ने दिया है। 22 जुलाई को श्रीकान्त शुक्ला, निवासी अल्लापुर, छात्र राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद का अपहरण हो गया। उसी दिन दिनदहाड़े 2 बजे विज्ञान प्रयोगशाला के सामने से एक लड़के का अपहरण करके उठा ले गये। 10 जुलाई को सेना के एक मेजर की पुत्री को रेलवे स्टेशन से गायब कर दिया गया। जब सेना के लोग जी0 आर0 पी0 को घेर लिये तो 2 दिन बाद उसको बरामद किया गया। जगततारन गोल्डन जुबली स्कूल के 10 वर्षीय छात्र का अपहरण कर लिया गया। बालभारती स्कूल से एक छात्र गायब कर दिया गया। मई महीने में श्री एस0 अग्रवाल के दो शिशुओं 2 वर्ष और 4 वर्ष का अपहरण कर लिया गया। पिछले दो महीने में दो दर्जन बालकों, शिशुओं का अपहरण कर दिया गया है। पुलिस निष्क्रिय है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। बच्चों को बचाने के लिये जिस तरह से आपातकाल में लोग व्यापार छोड़कर, नौकरी छोड़कर, अपना काम छोड़कर भागते थे। आज वही स्थिति इलाहाबाद में है। ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश सरकार नरमुण्डों का निर्यात करने का लाइसेंस दे रही है। मैं आग्रह करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर वृहत् रूप से चर्चा करावें और इस तरह की अव्यवस्था को रोकें।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन के रूप में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का सवाल दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस समय पूरे प्रदेश में सरकारी नलकूप 23 हजार 682 हैं, इसमें 80 फीसदी नलकूप खराब हैं, और उनकी नालियां खराब हैं। खरीफ की बुआई का समय आ गया है। नालियों और नलकूपों के खराब होने के कारण किसान सिंचाई से वंचित हो गया है। इन नलकूपों से 54 फीसदी सिंचाई होती है। 54 फीसदी में से 40 हजार एकड़ जमीन असिंचित रहेगी।

जहां नलकूप खराब है, यह सवाल सदन में एक बार नहीं अनेकों बार उठाया गया है। मैं यह चाहता हूं कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि इसकी इनक्वायरी सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं बल्कि जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा करायें। उनका जब वक्तव्य आये तो सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं कमिश्नर के द्वारा इनक्वायरी कराकर उसका वक्तव्य आना चाहिए। होता यह है कि सिंचाई विभाग वाले इसको चला देते हैं और कह देते हैं 2 दिन बाद कि खराब हो गया। मैं चाहता हूं कि सरकार से इसके लिए कोई तिथि निश्चित करा दें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो माननीय रेवती रमण सिंह ने सरकारी नलकूपों के बारे में कहा कि 80 फीसदी खराब हैं। 80 फीसदी तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खराब है, यह असम्भव बात है । एक प्रक्रिया मैंने यह की है कि हर महीने 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग होती है । जो प्रभारी मंत्री है वह इस बात को सुनिश्चित करें । वहां पर सभी रहते हैं । उनकी रिपोर्ट भी आती है । हो सकता है आपके यहां नलकूप कुछ ज्यादा खराब हो । अभी सिंचाई विभाग का बजट आने वाला है, इसलिए कार्यस्थगन का मामला तो बनता नहीं है ।

(व्यवधान)

जिन माननीय सदस्यों ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा है तो मेरा यह फर्ज है कि जब कोई बात रखी गयी है तो मैं उसमें कुछ कहूं । माननीय सत्यपाल जी ने बी0 काम0 के क्लासेस खोलने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है तो जहां फ्रीडम फाइटर्स रहे हों और आप जैसे सजग प्रहरी वहां रहते हों तो वहां ऐसा नहीं होगा । अभी शिक्षा विभाग का बजट आयेगा आप उसमें रखें इसको । 4 साल पुराना मामला है, मैं केवल कार्यस्थगन तक ही सीमित रहना चाहता हूं । आपकी मांग को मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जायज मांग नहीं है, उचित मांग नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि 4 साल से जो मांगे चल रही हैं क्या कार्यस्थगन में रखकर हम उसका हल कर पायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जब शिक्षा का बजट आयेगा तो विचार कर लेंगे । सवाल यह है कि आज अनशन पर लड़के बैठे हैं, 30 तारीख को आत्मदाह करेंगे तो उस समय उत्तर प्रदेश के पूरे छात्र विस्फोटक स्थिति में आ जायेंगे । इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

आपने कहा और माननीय सत्यपाल जी ने भी कहा कि आत्मदाह का उन्होंने एलान किया है । मेरा यह दायित्व बन जाता है कि खास तौर से कोई विद्यार्थी या छात्र आत्मदाह न करें । हम पूरा प्रयास करेंगे और इस स्थिति में पूरा नियंत्रण रखा जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

जो लोग हड़ताल पर बैठे आमरण अनशन कर रहे हैं, उनके लिये आप क्या कह रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

अनशन करके और आत्मदाह करके तो बी0 काम0 की कक्षाएं खुलने वाली नहीं हैं । उसको तो हमारे आपके सबके प्रयास से ही खोला जा सकता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस प्रकरण पर आप अपना निर्णय दे दें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरी भी कार्य स्थगन की सूचना सुन लें । आपका कार्य स्थगन स्वीकार करने का क्या मापदण्ड है । साढ़े तीन सौ लोग हैजे से मर गये हैं, सैकड़ों और हैं जो मर जाने की हालत में हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें, मैं खड़ा हो गया हूं ।

श्री राम नरेश—

यह सरकार ढिंढोरा पीटती है कि खाने की व्यवस्था कर दी है । कल लेखानुदान हुआ है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा होनी चाहिये । आर0 एफ0 सी0 गोदाम में सड़ा गेहूं मिल रहा है, सड़ा चावल मिल रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, साढ़े तीन सौ लोग हैजे से मर जाय लेकिन यहां पर चर्चा नहीं होगी, आपका मापदण्ड क्या है। सबको आपने सुन लिया, लेकिन हमको नहीं सुना है।

श्री शारदा प्रताप—

राशन की दुकानों पर माननीय खाद्य मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उसको मैं ले आया हूं।

(व्यवधान)

(श्री शारदा प्रताप ने एक कागज में सड़ा गेहूं, चावल, मा0 खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री की मेज पर पहुंचाया)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात कह लूंगा। आप बैठे रहें, यह अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं खड़ा हूं तो आप भी खड़े हैं। अच्छा नहीं लगता कि छोटा खड़ा हो तो बड़ा भी खड़ा हो।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय शुक्ला जी ने सड़ा गेहूं और चावल मंत्री जी के पास भेजा तो उन्होंने ले भी लिया, लेकिन यह भी बता दें, उसका करेंगे क्या ?

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि इसी तरह का मामला कुछ दिन पूर्व विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति को संदर्भित किया गया था। इस मामले को भी वहीं भेज रहा हूं, जांच करने के लिये। कार्य-स्थगन के रूप में इसे अस्वीकार करता हूं श्री शारदानन्द अंचल की बलिया में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में जो सूचना है, इसी विषय पर चर्चा निर्धारित है। अतः माननीय सदस्य उस चर्चा में भाग ले सकते हैं। इसे भी मैं अस्वीकार कर रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि शारदा प्रताप शुक्ल जी ने जो उन्हें गेहूं और चावल का नमूना पेश किया है, उसका वे क्या करेंगे अपने यहां इस्तेमाल करेंगे या उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं। खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—)

मान्यवर, मैं इसे राम आसरे वर्मा जी को ही भिजवा दूंगा।

(हंसी)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जो मैंने नियम 56 के अंतर्गत सूचना दी है, वह इन्तिहाई अहम है। अभी 3-4 रोज पहले स्वास्थ्य विभाग का बजट आया था। मंत्री जी ने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेते हुए यह कहा था कि प्रदेश से बीमारियां घट रहीं हैं। हमारे देश-प्रदेश से बीमारियां घट रही हैं। मान्यवर, सच्चाई यह है कि जितने तरक्कीयाफ्ता मुल्क हैं, जो तरक्की के रास्तों पर हैं, वहां इस प्रकार की बीमारियां तो पैदा हो चुकी हैं। लेकिन, हमारे प्रदेश में, सिर्फ रामपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर में हैजे और कालरा के प्रकोप का इस तरह से फैलाव हो रहा है जैसे बवाई बीमारी किसी की मौत का एलान लेकर आ रही हो साढ़े तीन सौ बच्चे-बूढ़े इसमें मर चुके हैं। एक घर के 4 जवान लड़के इस बीमारी की चपेट में आ गये। अस्पतालों में मरीजों के भर्ती करने की कोई जगह

न होने की वजह से टेंट तक लगा दिये गये हैं । सफाई नहीं है, वहां दवा नहीं है, डाक्टर नहीं हैं । सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि साढ़े तीन सौ बच्चे, बूढ़ों की मौत से बड़ी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती । वहां लोग तबाही के कगार पर खड़े हैं । मैं चाहूंगा कि सदन के अन्य कार्य रोककर इस पर चर्चा करा दें । एक हफ्ते में साढ़े तीन सौ लोगों की मृत्यु हो गयी और सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही न हो, इससे बड़ी अफसोसजनक बात और कोई नहीं हो सकती । मान्यवर, सरकार का इस पर कम से कम वक्तव्य ही आ जाना चाहिये । सरकार यह आश्वासन दे कि अब आगे इस तरह से मौतें न हो पायेंगी ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री विजय सिंह राणा और श्री मनोहर लाल की कानपुर में गंदे पानी की सप्लाई की बावत सूचना थी । इसमें माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही थी और दो बोतलें गंदे पानी की दी थीं । यह मामला स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग से सम्बन्धित है । इसलिये एक बोतल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और एक बोतल माननीय नगर विकास विभाग के मंत्री जी को उपलब्ध करा दी जायेगी । वे इसकी जांच करा लें और वक्तव्य दें ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, यह गंदा पानी कहां से आया, इसकी भी जांच करा लें ।

श्री अधिष्ठाता—

यह उसी के साथ जुड़ जायेगा, इसकी भी जांच करा लेंगे कि पानी कहां से आया किस तरह से आया । साथ ही सम्बन्धित माननीय सदस्य से, इस सम्बन्ध में वार्तालाप भी कर लेंगे ।

इसके बाद श्री भोपाल सिंह व अन्य की सूचना जो मेरठ जनपद में पानी स्तर नीचे गिरने के सम्बन्ध में थी, को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज रहा हूं । श्री औसान सिंह की सूचना—जो कृषकों का 2 करोड़ बकाया होने के संबंध में थी, को भी शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेजा जा रहा है । श्री रामगोविन्द चौधरी की सूचना—जो एटा जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 3 पुत्रों की हत्या के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । श्री शतरुद्र प्रकाश की बाबतपुर हवाई अड्डे पर सोमालिया के राजनयिक पर तस्करी का आरोप सम्बन्धी सूचना पर पूरी जानकारी की आवश्यकता है । इसलिए इसे भी शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं । श्री सत्यपाल सिंह की शाहजहांपुर में बी0 काम0 के लिये आंदोलन सम्बन्धी सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । 30-7-85 को इस पर वक्तव्य होगा । श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना जो इलाहाबाद में नाबालिग बच्चों के अपहरण से सम्बन्धित है, को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज रहा हूं । श्री राजेन्द्र गुप्त की सूचना जो अनुसूचित जाति वित्त निगम में 56 करोड़ का घोटाला से संबंधित है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इसमें डेढ़ करोड़ की बात है ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री रेवती रमण सिंह जी की सूचना जो 80 प्रतिशत नलकूप खराब होने के सम्बन्ध में है, को सिंचाई मंत्री जी को इस आशय के साथ भेज रहा हूं कि जब उनका यहां पर बजट आये तो वे अपने उत्तर में इसका उत्तर भी दें । श्री मुहम्मद आजम खां की सूचना जो रामपुर में 350 लोगों की हैजे से मृत्यु के संबंध में है, स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दें। ध्यान आकर्षित करने से हैजा रुकने वाला नहीं है। सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है।

श्री अधिष्ठाता—

यदि ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इस मामले को आप किसी और नियम के तहत उठा सकते हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

नियम 56 के अन्दर आप वक्तव्य नहीं दिला पा रहे हैं तो हम किस नियम के अन्दर अब उठा सकते हैं। अब कौन सा नियम बच जाता है?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें अब कोई गुंजायश नहीं है। मुहम्मद आजम खां जी अब आप बैठ जायें। श्री पारस नाथ जी की सूचना जो बेसिक शिक्षक संघ के शिक्षकों का आमरण अनशन के सम्बन्ध में है, को शिक्षा मंत्री जी के पास ध्यानाकर्षित करने के लिए भेज रहा हूं। श्री राम सजीवन जी की सूचना जो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच जल का विवाद से सम्बन्धित है। बहुत गम्भीर मामला है, दोनों राज्यों का मामला है। यहां पर इस पर विवाद नहीं हो सकता है। मैं इसे शासन को संदर्भित कर रहा हूं कि इसे वह देख लें और तदनुसार कार्यवाही कर लें। श्री रामनरेश और श्री शारदा प्रताप जी की सूचना जो सस्ते गल्ले की दूकानों पर सड़े गेहूं/चावल की सप्लाई के सम्बन्ध में है, माननीय सदस्य को कल ही खाद्य विभाग के बजट पर इस पर बोल लेना चाहिए था। फिर भी शासन का ध्यान इस पर आकर्षित कर रहा हूं। यदि माननीय सदस्य इसे किसी अन्य नियम में उठाना चाहते हों तो उठा सकते हैं। श्री देवेन्द्र कुमार सिंह जी की सूचना जो हमीरपुर के मन्दिर में मूर्ति की चोरी के सम्बन्ध में है, यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं प्रतीत होता है क्योंकि माननीय सदस्य ने चोरी की तिथि नहीं बतायी है, फिर भी शासन को मैं इसकी प्रति भेज रहा हूं ताकि इस पर जांच शासन कर सके।

(मद संख्या-8 पुकारे जाने पर)

प्रत्येक शुक्रवार का उपवेशन असरकारी कार्य के लिए न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री गौरी शंकर भइया—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली के नियम 23 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। श्रीमन्, नियम यह है और परम्परा भी यही रही है कि हर शुक्रवार को 2 बजे के बाद असरकारी कार्यों को निर्धारित किया जायेगा। श्रीमन् पिछला शुक्रवार भी ऐसे ही समाप्त हो गया। आज भी आपने यह ले लिया। पिछली विधान सभा में भी हमने यह देखा कि इस सरकार की नियति यह रही है कि असरकारी दिनों को भी कम किया जा रहा है। जुलाई के 2 असरकारी दिवस और अगस्त के 4 असरकारी दिवस, इस प्रकार कुल 6 असरकारी दिवस बनते हैं, जो हमको मिलने चाहिये। कार्यमंत्रणा की जो सिफारिश है, उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार जो हमको अधिकार दिये गये हैं, उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। वैसे भी नियमों में यह कहा गया है कि 90 दिन का उपवेशन होना चाहिए। लेकिन इसे भी आप नहीं कर रहे हैं। छोटे-छोटे सत्र आप चलाते हैं। इसलिए मान्यवर, इस पर मैं आपका इसमें संरक्षण चाहता हूं। आप संसदीय कार्य मंत्री जी को इस पीठ से निर्देशित करें कि असरकारी

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिवसों में जो 6 दिन को कटौती हो रही है, उसे इस सदन के समाप्त होने के आखिरी दिन में जोड़ दिया जाय । ताकि माननीय सदस्य यदि अपना कोई प्रतिवेदन लाना चाहें तो ला सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

कार्यमंत्रणा समिति ने जो सिफारिश की है, उसे यह हाउस पास कर चुका है, इसलिए मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूँ ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या आप चाहते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के ऊपर भी विवाद किया जाय । यह तो एक परम्परा है कि कार्य मंत्रणा समिति पर विचार नहीं होता । अगर सरकार के प्रभाव में आकर इस तरह के सुझाव आयेंगे और असरकारी दिवस काटा जायेगा तो हम उसका विरोध करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी बात को समझ गया । कार्य मंत्रणा समिति में आपके दल के सदस्य भी हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

कोई भी हो ।

श्री अधिष्ठाता—

आप इस पर आपत्ति नहीं उठा सकते ।

श्री मैनेजर सिंह—

इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति के सुझाव अगर हमको सरकारी दबाव के लगे तो हम उसको डट कर विरोध करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह बात सही है जो माननीय मनेजर सिंह तथा . .

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी, मैं निर्णय दे चुका हूँ, उनका प्वाइण्ट समझ गया । मनेजर सिंह ने जो बात कही उसको भी सुन लिया, तो इसमें अब कोई विशेष बात नहीं रह गई है ।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985†

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सदन उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, 12 चीनी मिलों के अधिग्रहण करने का यह अध्यादेश है जो बीमार चीनी मिलें हैं इस उत्तर प्रदेश में, उनका अधिग्रहण करने जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहने जा रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी । इन 12 मिलों में सरकार की तरफ से ही रिसीवर नियुक्त किया गया था और उन्हीं की देख-रेख में ये चल रही थीं । तो सरकारी आफिसर ही जब चीनी मिलों को चला रहे थे तो फिर इस अध्यादेश को इस तरह से ले आने की कोई जरूरत हमारी समझ में नहीं आती । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दो-तीन बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । पहला तो यह कि इन मिलों में

†18 जुलाई, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(इस समय 2 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए)

जो रिसीवर नियुक्त हुए उन्होंने मनमाने ढंग से नियुक्तियां की और उसमें भ्रष्टाचार किया गया । जातिवाद, भाई-वाद, भतीजा-वाद चलाया और बुरी तरह से इन चीनी मिलों का शोषण करने का काम शुरू किया । इन्होंने कहा कि चूंकि किसानों और श्रमिकों का बकाया बहुत ज्यादा हो गया था और चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पा रही हैं इसलिए उनका अधिग्रहण किया जा रहा है । यह सही है लेकिन क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जब से रिसीवर नियुक्त हुए उसके पहले बकाया कितना था और अध्यादेश जब यह किया गया , तब तक बकाया कितना हो गया है चीनी मिलों पर । वह बकाया चाहे किसानों का हो चाहे श्रमिकों का । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मेरी स्पष्ट जानकारी है कि जितना बकाया रिसीवर की नियुक्ति से पहले था उसका दस गुना नियुक्ति करने के बाद हो गया है । जो आंकड़े भुगतान के दिये हैं वह सत्य से परे हैं ।

किसान का तो हम मान लेते हैं थोड़ा-बहुत भुगतान किया गया लेकिन इसमें श्रमिकों के भुगतान का कहीं भी कोई बात नहीं कही गयी । इससे स्पष्ट है कि श्रमिकों का एक पैसा भी भुगतान आज तक इन रिसीवर के रहते नहीं की गई । तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इनको संचालित करेगा तब इन तमाम बकायों का भुगतान कर देगा ? नहीं कर सकता । जितनी चीनी मिलें आज भी उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी निगम के अधीन हैं, उनकी ही दशा को देख लीजिये, उनका किसानों पर कितना बकाया है और श्रमिकों का कितना बकाया है ।

एक उदाहरण देना चाहता हूं घुघली बाजार की जो चीनी मिल है उस सम्बन्ध में दिखलाया है कि पंजाब शुगर वर्क्स, घुघली बाजार, गोरखपुर का लाया है और हमको स्पष्ट जानकारी है 11,12,053 रु0, यह इन्होंने दिखाकि इसमें 50 लाख से भी अधिक की धनराशि बकाया है । इस तरह से तथ्यों को छिपाकर और इन बीमार चीनी मिलों को लेकर यह क्या करेंगे ? अभी जो चीनी मिलें इनके पास हैं, वहां नहीं सम्भाल पा रहे हैं । दूसरी बात देख लीजिये कि जो बीमार चीनी मिलें हैं, उनमें जो रिसीवर नियुक्त हुए और जब जाने लगे इस अध्यादेश के बाद तो दो-दो लाख तीन-तीन लाख रु0 की तमाम चीनी मिलों की मशीनरी और पुर्जे कबाड़ी के हाथ बेच दिये और धनराशि को हजम कर लिया । जब उत्तर प्रदेश राजकीय चीनी निगम ने एक आदेश जारी किया कि रिसीवर ने गलत नियुक्तियां किये हैं अपने कार्यकाल में, उनका परीक्षण कराकर उनको तत्काल निकाल दिया जायेगा, लेकिन आज तक न तो उनका परीक्षण कराया गया और न किसी भी एक आदमी को निकाला ही गया है । मुझे स्पष्ट जानकारी है कि घनघोर भ्रष्टाचार इन नियुक्तियों में किया गया है । घुघली वाले मामले में ही फिर कहता हूं कि एक जाति के ही 56 लोगों की नियुक्ति की गयी और एक भी हरिजन की नियुक्ति नहीं की गयी । इसकी देख-रेख के लिये आई0 सी0 एस0 और पी0सी0एस0 अफसरों की नियुक्ति होती है । पी0सी0एस0 और आई0 ए0 एस0 अफसर, उत्तर प्रदेश राजकीय चीनी निगम के कण्ट्रोल के बाहर हैं ।

उनकी नियुक्ति एप्वाइण्टमेन्ट सेक्रेटरी करते हैं, वे उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं । इसलिए उनका कण्ट्रोल भी नहीं रह जायगा पी0 सी0 एस0, आई0 ए0 एस0 पर और वे घाटे में चली जायेंगी और श्रमिकों का एवं किसानों का बकाया इसी प्रकार बढ़ता चला जायगा । अगर इन तमाम बातों के रहते हुए यह सही

बात नहीं हो सकती है कि इनका अधिग्रहण करें । इसीलिये कहना चाहता हूं कि इसको अननुमोदन के लिये भेज दिया जाय कि बिना किसानों की बात को और श्रमिकों की बात को, जनता की बात को सुने हुए और एक्सपर्ट्स से विचार-विमर्श किए हुए इसका एक बढ़िया से विधेयक की शक्ल में आना मुश्किल है, आप इसको एक बढ़िया से विधेयक को शक्ल में ले आते तो सही मानते, लेकिन लूट के बाद पुनः लूट की छूट इस अध्यादेश के द्वारा दी जा रही है, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इसको वापस ले लें और अननुमोदन के लिये इसको भेज दिया जाय, सबके विचार आ जायेंगे, एक बढ़िया शक्ल बन जायगी, तब इसको हाउस में लाइए ।

(वित्त राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश रिछारिया के खड़े होने पर)

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है । मान्यवर, बड़ा खेद का विषय है कि कोई भी चीनी मिल से सम्बन्धित जो प्रभारी मंत्री हैं, वह सदन में उपस्थित नहीं हैं । श्रीमन्, यह सही है कि कोई भी मंत्री आफिशिएट कर सकता है, विधेयक पास करा सकता है । लेकिन चीनी के सम्बन्ध में जो फेडरेशन काम करता है ।

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मैं हूं तो सही । मुख्य मंत्री जी ने हमको यह काम दिया है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

आप अटैच्ड हैं पर चीनी मिल से सम्बन्धित नहीं हैं । तो मैं कह रहा था कि चीनी मिलों का इस फेडरेशन पर 32 करोड़ रु0 का बकाया है इसलिये प्रभारी मंत्री सदन में आकर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके कि जिम्मे यह विभाग है वे यहां उपस्थित नहीं हैं या तो वे आपको यह विभाग दे दें, तब तो हो सकता है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इसमें श्रीमन्, व्यवस्था कोई नहीं है, मुख्य मंत्री जी से मैं अटैच्ड हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें जो आपने व्यवस्था उठायी है या व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाइरेक्ट भार का वितरण इनको कर दिया है ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, यह जो सूचना आपको दी गयी है उसको आप देख लें । हमको भी पिजन होल में यह सूचना मिली है और इसमें मंत्रियों के कार्यविभाजन की बात है । मैंने आपकी बात का विश्वास कर लिया लेकिन इसमें रिछारिया जी के नाम आगे लिखा है कि ये वित्त तथा नियोजन के मंत्री को अटैच्ड हैं । हमारे नियमों में व्यवस्था है और इस समय मुख्य मंत्री जी के पास 40 विभाग हैं । विधान सभा में कार्य संचालन के लिये या प्रश्नोत्तर के लिये अटैच्ड मंत्री को आप मान सकते हैं । अगर रिछारिया जी इसके मंत्री बनाये गये हैं और इनको यह काम दिया गया है तो इसकी सूचना मा0 सदस्यों को नहीं है । लेकिन गन्ने का जहां तक ताल्लुक है, रिछारिया जी के नाम के आगे गन्ना नहीं लिखा है । यदि माननीय मुख्य मंत्री, मेरा तात्पर्य गन्ना मंत्री से है, वे लिखित रूप में इस बात की सूचना अध्यक्ष-पीठ को दे देते हैं कि मेरे अनुपस्थित रहने पर रिछारिया जी इसके भारसाधक मंत्री रहेंगे तो ठीक है, अन्यथा मैं सम-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

झता हूं कि आपकी व्यवस्था इस आशय की होनी चाहिए कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वातः आयेंगे मेरी बात को सुनने के लिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्ता जी, आपने जो प्रश्न उठाया है, मेरे पास जो सूचना है उसमें मा0 रिछारिया के काम में गन्ना विकास विभागा भी है, इसमें यह उल्लेख है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

यह उनको कब मिला ? और आपको यह सूचना कब मिली ?

श्री अधिष्ठाता—

यह मुझे अभी-अभी और आज ही मिली है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

अगर माननीय मंत्री जी को यह विभाग मिला है तो इसकी सूचना हम लोगों को क्यों नहीं दी गयी ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्य मंत्री जी का 18-7-85 का माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के नाम एक पत्र में यह लिखा है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या लिखा है ?

श्री अधिष्ठाता—

इस चिट्ठी में मंत्रियों के कार्य वितरण के बारे में लिखा है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या यह सूची माननीय सदस्यों को भी वितरित की गयी है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अध्यक्ष को यह 18-7-85 का लिखा एक पत्र है इसमें जो-जो कार्य मंत्रीगणों को, जो कार्य वे सम्पादित करेंगे, उसके लिये इसमें लिखा है । यह सही है कि यहां पर जब भी कोई बात आये मा0 सम्बन्धित मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

आपने स्वयं सदन को यह सूचित किया है कि 18-7-85 को माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय श्री ओम प्रकाश रिछारिया को गन्ना विकास से सम्बन्धित किया है । मान्यवर, आज 26 तारीख है, हमको जो सूचना प्रेषित की गई है, वह जैसा कि अभी माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने बताया 18 तारीख की है । तो मान्यवर, 18 से 26 तक हम लोगों को सूचना नहीं बतानी चाहिए थी । हम लोगों को तो यह ज्ञात है कि माननीय रिछारिया जी वित्त से सम्बन्धित हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें गन्ना विकास से सम्बन्धित कर दिया तो मान्यवर, हम लोगों को भी तो इसका पता होना चाहिए । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

सूचना माननीय सदस्यों को दी जानी चाहिए । जहां तक माननीय मंत्रियों के उपस्थित रहने का प्रश्न है, यह अनिवार्य है । जहां तक रिछारिया जी का प्रश्न है, उनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए पूर्णतः अधिकृत किया है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् अभी माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन इसमें लाये हैं, उस संदर्भ में मुझे कहना है कि—

श्री अधिष्ठाता—

पहले प्रस्ताव कीजिये ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, जैसा कि अभी पूर्व में माननीय सदस्य ने कहा कि इससे पूर्व इन 12 मिलों पर रिसीवर पहले से मौजूद था । सारा सदन यह जानता है कि रिसीवरों की आवश्यकता क्यों पड़ती है । जब किसी जगह पर अव्यवस्था फैलने की सम्भावना होती है या अव्यवस्था व्याप्त होती है तो उसको सुव्यवस्थित करने के लिए रिसीवर का एप्वाइंटमेन्ट किया जाता है । जब यह देखा गया कि विगत वर्षों में जो रिसीवर थे उनके सामने कुछ बुनियादी दिक्कतें थीं । जिन लोगों के कारण उसमें अव्यवस्थायें थीं वह लोग वहां पर मौजूद थे क्योंकि रिसीवर तो केवल सुपरवाइजर बाडी होता है । उसका कोई मालिकाना हक नहीं होता है । जब यह देखा गया, जैसा कि माननीय सदस्य ने माना कि रिसीवर से व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकी और वह और अव्यवस्थित होती गई और इससे 134 करोड़, 18 लाख, 65 हजार का बकाया गन्ना मिलों के ऊपर हो गया था । उसमें श्रमिकों का बकाया भी था, गन्ना किसानों का बकाया भी था और बैंक वगैरह के दूसरे सारे बकाये इसमें शामिल हैं । जब यह महसूस किया गया कि यह व्यवस्था जिसको व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है उसको व्यवस्थित किया जाना चाहिए और श्रीमन् 134 करोड़ रु0 कम नहीं होता और वह सब बढ़ता ही जा रहा था । श्रमिकों का भी बकाया बढ़ता जा रहा है गन्ने का बकाया मूल्य भी बढ़ता जा रहा है । और उसकी आवश्यकता समझी गई कि इस पर मालिकाना हक होना चाहिए जिससे कि इसको ढंग से व्यवस्थित किया जाय । इसी कारण 29 सितम्बर, 1984 को माननीय राज्यपाल से एक अध्यादेश आवश्यक समझा गया और वह अध्यादेश लाया गया । मैं समझता हूँ कि यह सदन और माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि जबकि प्रदेश की इन 12 गन्ना मिलों को जो अधिकृत की गई हैं इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि उस क्षेत्र में श्रमिकों और किसानों दोनों में असन्तोष पैदा हो रहा था और इन्हीं सब चीजों को देखकर यह कदम उठाया गया । मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यों से चाहूंगा कि वे इससे सहमत होंगे और इस विधेयक को पारित करेंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसको इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा एक माह में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, मैंने अभी इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का भाषण सुना । जहां तक इस सदन का ताल्लुक है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन फैक्ट्रियों का अर्जन होना चाहिए था लेकिन जो बात माननीय मंत्री जी ने कही है उससे स्वतः स्पष्ट है कि उनके अर्जन करने से पहले वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर थी । मान्यवर, जो इसका उद्देश्य दिया गया है उसमें लिखा है कि ताकि अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट 12 उपक्रमों की संपत्ति और परिसम्पत्ति का अर्जन तथा उसके लिये प्रतिकर का भुगतान और प्रतिकर से गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों और सरकार के देयों का प्रतिदान और अन्य सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था की जा सके ।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । मेरे जनपद सीतापुर में महोली में एक चीनी मिल है । जहां तक मेरी

जानकारी है पिछले 9-10 वर्षों से जो आपका चीनी निगम है उसकी देख-रेख में वह चल रही है। अगर उसके ऊपर इस 10 वर्ष के अन्तराल में घाटा बढ़ गया, उसका आडिट नहीं कराया गया, मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी गई, किसानों का बकाया रह गया, तो इसकी जिम्मदारी किसके ऊपर है ? जो अर्जित करेगी वह उसकी व्यवस्था करेगी, यह उसकी जिम्मेदारी है। इसलिये इन बातों के ऊपर और भी सोचने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं हरदोई की एक चीनी मिल के बारे में कहना चाहता हूं। मैं कई बार उसके बारे में यहां पर कह चुका हूं। लाखों रुपया काश्तकारों का बकाया है। आपके कंट्रोल और रिसीवरिशिप में आने के बाद, मालिकों के हटने के बाद भी आपने उनका भुगतान नहीं किया। मेरे जनपद का बहुत सा गन्ना वहां पर जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मनोवृत्ति शोषण की पूंजीपतियों की थी उसी मनोवृत्ति से आप भी ग्रसित हैं। आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले गन्ने की जो कीमत है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा तय की जाती है—9-10 रुपया जो भी हो, राज्य सरकार मिल मालिकों से बातचीत करने के बाद गन्ने का मूल्य निर्धारित करती है। नेगोशियेशन के बाद जो कीमत तय हुई थी जब वह नहीं दी गई तो मिल मालिक कोर्ट में चले गये और उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया। उसका परिणाम यह हुआ कि वह कीमत अदा नहीं की गई जबकि कोर्ट से स्टे था। अब आपके पास वह मिल आ गई। सरकार उसमें खुद पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों तक आपके पास आने के बाद आपने उस मुकदमे को वापस लेकर उस पर निर्णय क्यों नहीं करवाया। मेरा आरोप यह है कि जो शोषण की मनोवृत्ति पूंजीपतियों की थी उसी से आप भी ग्रसित हैं। अगर नहीं है तो हरदोई की मिल के मालिकों ने जो मुकदमा दायर किया था उसको आप वापस लें और काश्तकार के हित में तत्काल उसका भुगतान करें।

मजदूर हड़ताल कर चुके हैं लेकिन आपने उनका पैसा नहीं दिया। ऐसे ही महमूदाबाद का मामला उठा था। मैं जानना चाहता हूं, इन 12 मिलों तक ही मैं सीमित रहूंगा। आपने जो उद्देश्य दिखाया है उसमें उत्पादकों और श्रमिकों की भी बात कही है, श्रमिकों के हित में आपने बात कही है। इनमें से कितनी चीनी मिलें ऐसी हैं जिनके ऊपर चीनी वेजेज स्टैंडिंग आर्डर लागू है। मेरी जानकारी है ऐसी मिलें हैं जिनमें चीनी वेजेज स्टैंडिंग आर्डर लागू नहीं है। आज वहां पर कोई पूंजीपति नहीं बैठे हैं लेकिन जो स्थिति वहां कल थी वही आज भी है। हरदोई मिल में हमारे यहां का 1977-78 में 13 लाख रुपया बकाया है। किसानों का भुगतान नहीं किया गया, वेजेज का भुगतान नहीं किया गया, वेजेज के स्टैंडिंग आर्डर भी लागू नहीं किये गये। तो यह सब चीजें ऐसी हैं जिनके आधार पर आपने अधिग्रहण किया उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ। मैं अधिग्रहण का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन इसे व्यापक बनाने के लिए विचार करने की बात है। प्रशासकों के अधीन आने के बाद भी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कोई सुधार नहीं हुआ है और उन्हीं के द्वारा फिर मिलें चलाने की बात है तो फिर कैसे सुधार हो जायेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको और व्यापक बनाने के लिए प्रवर समिति को भेज दें। बहुमत आपकी पार्टी का है, बहुमत में आपके लोग उसमें रहेंगे। वहां पर आपस में बातचीत कर और सुन्दर रूप देने की चेष्टा करेंगे। इसलिए भारसाधक मंत्री जी से आशा है मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । सिद्धांत-रूप में कोई भी इस बात का विरोध नहीं करेगा कि सरकार बीमार मिलों को अपने कब्जे में ले । लेकिन इसके दो पहलू हैं । पहला यह कि किसानों और मजदूरों का पैसा जो मिलों पर बकाया था उसके भुगतान में सुविधा की दृष्टि से इनका अर्जन किया जा रहा है । दूसरा यह कि कोई भी मिल शायद मंत्री जी को पता हो या न हो ऐसी नहीं मिलेगी जिस मिल के पुर्जे अर्जन से पहले ही बम्बई या कलकत्ता न बेच दिये गये हों । मिलों से कीमती पुर्जे निकाल लिये गये और उनके स्थान पर जीर्णशीर्ण लगा दिये गये । अगर अर्जन करते समय ध्यान दिया गया होता तो यह नौबत नहीं आती । अगर जनता की गाढ़ी कमाई इस तरह से बरबाद की जायेगी तो यह शंका होना स्वाभाविक है कि जिस उद्देश्य के लिए इन मिलों का अर्जन किया गया वह पूरा होगा या नहीं । मान्यवर, किसानों का, मजदूरों का हित मिलों के अर्जन का आधार था । लेकिन अर्जन के बाद किसान जिस बीमारी से पहले ग्रसित था उसी से आज भी ग्रसित है । वैसे ही मजदूर भी उसी हालत में हैं । तो जो अनुभव सामने आए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि इस पर व्यापक तरीके से विचार कर लिया जाय । उसके लिए यह आवश्यक है कि इसको ठोस रूप दिया जा सके इसके लिए इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय । मिलों के अर्जन करने के कोई विरोध में नहीं हैं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और उस पर जो माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं उस प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यह बात सही है कि पिछले बहुत दिनों से कुछ मिलों की हालत जरजर होती जा रही थी लेकिन जितनी जरजर वह प्राइवेट सेक्टर में हो गयी थी उससे कहीं ज्यादा रिसीवरशिप में आने के बाद हो गयी है ।

मान्यवर, इसमें मेरा कहना है कि जो बीच वाली स्थिति रही उसका सर्वेक्षण कराना चाहिए था कि आपकी व्यवस्था में इतना नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी आप उस मिल के अधिग्रहण में लाद देते हैं । तो आपकी अपनी कार्यकुशलता, निष्क्रियता, मिस्मैनेजमेन्ट का भी ऋण बढ़ाने का एक कारण है । आपने अपने स्तर पर कितना सुधार किया इसकी छानबीन करना चाहिए और यह तभी होगा जब प्रवर समिति को सुपुर्द होगा । कमी थी तो संविधान या प्राविधानों के अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पत्ति के अंतर्गत उनकी प्रतिकर देने की व्यवस्था कर रहे हैं । लेकिन यदि किसानों का बकाया है, किसानों को ब्याज देना होता है तो वह दे नहीं पाते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि किसानों का जो रुपया उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं उसका एक निश्चित ब्याज किसानों को दिलायें अन्यथा प्रतिकर दिला देंगे और मिल ले लेंगे और घाटा बढ़ता चला जायेगा, इसलिये सुझाव है कि व्यापक चर्चा के लिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें । इसी के साथ मैं राजेन्द्र गुप्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैंने जो अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है उसमें किसी से भी हमारी बातों का स्पष्ट उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया । बल्कि कुछ बातों को स्वीकार किया है । उन्होंने स्वीकार किया कि रिसीवर नियुक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुये, उसके बाद बकाया बढ़ गया और कहा कि रिसीवर रहते जब चीनी मिल ठीक नहीं हो पायी तो अध्यादेश जारी करना जरूरी हो गया । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि क्या गारण्टी है कि चीनी निगम इन चीनी मिलों को अच्छी तरह से चला पायेगी चूंकि इनके पास पहले से ही जो मिलें हैं वह घाटे में हैं और जो चीज सरकार अपने हाथों में लेती है उसमें घाटा होता है, उदाहरण के लिये आज कोई ऐसा निगम नहीं उत्तर प्रदेश में जो घाटे में न चलता हो । इसलिये जब पहले ही घाटा सह रहे हैं तो अधिक घाटा सहने की क्या जरूरत है और उनको प्रतिकर इतना ज्यादा दे रहे हैं कि वह भी उत्तर प्रदेश की जनता के धन का दुरुपयोग है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

मा0 सदस्य बैठ जायें ।

(कोरम की घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, अधिग्रहण करना था तो कर लेते लेकिन बीमार मिलों को जिनका प्रशासकों ने शोषण कर लिया उनको प्रतिकर देने की क्या आवश्यकता है लेकिन वह भी दे दिया । जितने गलत तरीके से प्रशासकों की नियुक्तियां हुईं, उनका परीक्षण और जांच नहीं करायी । इस अध्यादेश के बाद प्रशासक वहां से जब हटने लगे तो अच्छा-अच्छा सामान कबाड़ियों को बेच दिया जिसकी आपने जांच नहीं कराया । मान्यवर, जब हर निगम में घाटा हो रहा है तो एक और घाटे का दवाला क्यों ले रहे हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस अध्यादेश को वापस लें और जनता में परिचालित किया जाये एवं विशेषज्ञों की राय ले लें कि बीमार चीनी मिलों का अधिग्रहण ठीक है कि नहीं । इनको प्रतिकर के रूप में जो हम धन दे रहे हैं वह ठीक है या नहीं ? यह सवाल आप क्यों अपने सिर और जनता के लिए ले रहे हैं । इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं कि यह इसे वापस ले लें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

जो भी वर्मा जी और माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । यहां अब मैं केवल दो बिन्दुओं पर अपनी बात रखूंगा । मैं प्रवर समिति में इसलिए भेजना चाहता हूं—एक तो सवाल है फैक्टरी को प्रतिकर देने का कि कितना प्रतिकर दिया जाए ? मैं इस सिद्धांत का हूं उनका प्रतिकर के बजाय पुनर्वास दिया जाये । जब पूंजीपति ने मिल लगाई तो उस समय से वह कितना लाभ अर्जित कर चुका है, इसको ध्यान में रखकर यदि यह दिया जाए तो उसे कोई प्रतिकर देने की आवश्यकता नहीं है । हम प्रवर समिति में यह विचार करें कि प्रतिकर किस प्रकार दिया जाए । क्या उसके बुक-व्ल्यू पर दिया जाये ? (व्यवधान) प्रतिकर का क्या तरीका होगा, यह हमें उसमें तय करना होगा । एक मशीन जो किसी समय में 100 रुपये की खरीदी गई, आज उसकी कीमत दस हजार हो गई, तो क्या 10 हजार आज उसको दिया जाएगा । मैं इस सिद्धांत से असहमत हूं । मैं शासन पक्ष के इस दृष्टिकोण से असहमति प्रकट करता हूं । जिस कीमत पर वह खरीदी गई, उस पर उसका लाभ इन्ट्रेस्ट सहित निकालने की बात है और यह निकालने के बाद हो सकता है कि हमें नाममात्र को देना पड़े । मेरी बिल्कुल सही जानकारी है, मैं नया-नया यहां पर चुनकर आया था और उस समय महोली मिल का मामला तय हुआ था, उस समय मालिकान जब भगे तो वहां की मशीन तो

आप छोड़ दीजिए वह गमले और बांस-बल्ली तक उठाकर अपने साथ ले गये । यह भी तो उनके एकाउण्ट में होगा । यह सब प्रवर समिति में हमें देखना होगा, नहीं तो सरकारी राजस्व के साथ यह सरकार घोर अन्याय करेगी । इसलिए यह प्रवर समिति में जरूर जाना चाहिए ।

रिसीवरशिप में जितने भी उपक्रम चल रहे हैं, वह घाटे में क्यों चल रहे हैं, यह देखने की बात है । भारत सरकार के ब्यूरो का 10 परसेंट लाभ का जो मानक है, उनके आडिटिंग की जो व्यवस्था है, वह भी सब दोषपूर्ण है । कम्पनीज एक्ट के तहत जो हमारे पास लेखा-जोखा आना चाहिए प्रतिवर्ष वह कई-कई वर्ष बाद आता है । तो प्रति वर्ष उनका आडिट हो जाए, एक्सपेन्सेस बढ़ने न पाएं, खर्च कम कैसे करें, काश्तकारों को लाभ कैसे पहुंचाएं, यह हमें देखना है । क्योंकि इन गन्ना मिलों का लाभ तथा किसानों के हित को भी देखना है । इसलिए मैं अपनी बात पर बल देता हूं— कोई बड़ी बात नहीं है, 30 दिन का मामला है, प्रवर समिति को यह भेज दिया जाए और फिर यह सुन्दर चीज बनकर वहां से आए तब इसे वहां पर प्रस्तुत किया जाए । मैं इस पर पुनः बल देता हूं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन, अभी माननीय सदस्य गुप्त जी ने और चौधरी साहब ने प्रतिकर की बात कही और उसके लिए उन्होंने कुछ बातें उठाई हैं । यह जो प्रतिकर का मामला है, इसको हाईकोर्ट के आदेशानुसार दिया जाता है, जो उन्होंने 26 फरवरी, 85 के अपने निर्णय में दिया है । उसमें यह कहा गया है कि आयकर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर निर्धारित किया जाये । तो उसी के अनुसार यह प्रतिकर निर्धारित करके उन मिलों को दिया जा रहा है । दूसरी बात जो आपने कही कि जिन फैक्टरियों का अधिग्रहण किया जा रहा है तो वह रिसीवर्स के पास अभी तक क्यों घाटे में चलती रहीं । श्रीमन् अभी माननीय वर्मा जी ने स्वीकार किया था कि जितनी फैक्टरियां हैं उनकी मशीनें जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं । गन्ने को क्रश करने के लिये जितनी शक्ति चाहिये उतनी शक्ति मशीनों की नहीं थी । इसलिये उत्पादकता पर व्यय ज्यादा होता था और उसमें शक्कर कम बनने की स्थिति थी । एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार 3 हजार टी0 सी0 डी0 अगर मशीन की शक्ति है तो वह फैक्टरी प्राफिट में आने की स्थिति में रहती है । चूंकि यह मशीनें पुरानी थी, आप देखें पणजी शुगर एण्ड जनरल मिल्स, बुलंदशहर में क्षमता 1250, अन्य का 1332, 1300, 1116, 982, 750, 800, 900 टी0 सी0 डी0 थी तो इससे मिल प्राफिट में चल ही नहीं सकती थी ।

अब मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति, अगर मालिक कोई और हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है । क्योंकि नयी मशीन लगाने के लिये, एक मशीन लगाने के लिये 5-7 करोड़ रुपये तक का इन्वेस्टमेंट आता है । उस फर्म का मालिक कोई और हो और इन्वेस्टमेंट कोई और करे, यह संभवतः कोई नहीं करेगा इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे । तो इसी को ठीक करने के लिये, उत्पादकता बढ़ाने के लिये, कास्ट आफ प्रोडक्शन कम करने के लिये, श्रमिकों को और किसानों को शोषण से बचाने के लिए इन मिलों का अधिग्रहण किया गया है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि यह एक आवश्यकता थी इसीलिये ऐसा किया गया है । मैं समझता हूं कि इस संशोधन को प्रवर समिति में भेजने की संभवतः अब कोई आवश्यकता नहीं है और माननीय गुप्त जी और चौधरी साहब

निश्चित रूप से अपना संशोधन वापस लेंगे क्योंकि वह मेरी बातों से सहमत हैं और उन्होंने हमारी ही बातों का समर्थन किया है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, खलीलाबाद शुगर फैक्टरी प्राइवेट सेक्टर में चल रही थी । उस पर तमाम रुपया बकाया हो गया है । मिल मालिक सारा सामान बेचकर भागने के प्रयास में हैं । क्योंकि अगली बार की पड़ताल नहीं हो रही है और पेराई की कोई व्यवस्था नहीं है । तो इसको भी आगे चलकर इसमें शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इसको दिखवा लेंगे ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

जो प्राइवेट शुगर प्लांट हैं उनकी रिकवरी भी कम है । उसके मुकाबले में मिल की रिकवरी भी ज्यादा है, तो प्राइवेट प्लांट मुनाफा कमा रहे हैं और आपकी मिलें घाटे पर क्यों चलती हैं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, सभी लोग जानते हैं कि जो मिलें हैं उसमें जो पुरानी व्यवस्था थी वह चली आ रही थी । चूंकि मैनेजमेन्ट और आर्गनाइजेशन दोनों में अव्यवस्था थी इसलिए इनमें रिसीवर नियुक्त किये गये और इनको व्यवस्थित करने के लिए अधिग्रहण किया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हरदोई की शुगर फैक्टरी का अर्जन भी इसमें निहित है । जिस तरह से जीर्ण-शीर्ण स्थिति में मिल का अर्जन किया गया है तो उसकी क्षमता थी वह दोबारा नहीं आ सकती है । और चूंकि दुबारा क्षमता आ नहीं सकती, इसीलिए वह मल्लावा से कोआपरेटिव सेक्टर में शुगर फैक्ट्री का प्रोपोजल चल रहा था, क्या उसको इक्सपैडाइट करवाने में माननीय मंत्री जी सहायता करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इस पर विचार करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसको इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो एक माह में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 7

खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा ।

(2) यह 29 सितम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(क) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के संबंध में 3 जुलाई, 1971 से है और अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रमों के संबंध में 28 अक्तूबर, 1984 से है;"

(ख) खण्ड (ज) में, शब्द "अनुसूची में" के स्थान पर शब्द "अनुसूची एक या अनुसूची दो में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (5) में, जहां-जहां भी शब्द "अनुसूची" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "यथा स्थिति, अनुसूची एक या अनुसूची दो" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (10) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "तीन महीने" के स्थान परशब्द "छह महीने" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 16 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, जहां-जहां भी शब्द "31 मार्च, 1970" आये हों, उनके पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"या 31 मार्च, 1983 जैसा कि अनुसूची एक या अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में है",

अनुसूची का संशोधन

5—मूल अधिनियम की वर्तमान "अनुसूची" में, शीर्षक में, शब्द "अनुसूची" के स्थान पर शब्द "अनुसूची एक" रख दिये जायेंगे।

नयी अनुसूची-दो का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"अनुसूची दो"

[धारा 2(ज) और (7) (5) देखिये]

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	स्तम्भ-3
क्र0-सं0	फैक्ट्री जिस नाम से फैक्ट्रीज के मुख्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के यहां पंजीकृत है और उसका पता (नोट—जहां फैक्ट्री उस कम्पनी या फर्म के नाम में पंजीकृत है जिसका फैक्ट्री पर स्वामित्व है अथवा जो फैक्ट्री को पट्टे पर धारण किये है तो यथा पंजीकृत नाम ही इस स्तम्भ में लिखा है किन्तु इस प्रकार के उल्लेख से यह अर्थ नहीं निकाला जायेगा कि धारा 3 के अधीन वह कम्पनी अथवा फर्म अर्जित की जा रही है।)	प्रतिकर की धनराशि (रुपयों में)
1—	श्री जानकी शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला, देहरादून	सत्रह लाख अस्सी हजार छः सौ दो (17,80,602)
2—	लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर	इकहत्तर लाख, अड़तीस हजार छियासी (71,38,086)

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	स्तम्भ-3
3	अमृतसर शुगर मिल्स, रोहानाकलां, मुजफ्फरनगर	सत्तर लाख एक हजार सात सौ सरसठ (70,01,767)
4	जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड, बागपत रोड, मेरठ	उन्तीस लाख नौ हजार तीन सौ इकतालिस (29,09,341)
5	पन्नी जी शुगर एण्ड जनरल मिल्स, पन्नीनगर, बुलन्दशहर	तिरपन लाख पन्द्रह हजार (53,15,000)
6	एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, नेकपुर, बरेली	नौ लाख सतहत्तर हजार सात सौ पचासी (9,77,785)
7	लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लिमिटेड, हरदोई	पन्द्रह लाख चालीस हजार दो सौ छिहत्तर (15,40,276)
8	लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड, छितौनी, देवरिया	सोलह लाख पैसठ हजार तीन सौ उन्यासी (16,65,379)
9	माधो महेश शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुण्डेरवा, बस्ती	सोलह लाख चौरासी हजार छः सौ सत्तावन (16,84,657)
10	पंजाब शुगर वर्क्स लिमिटेड, घुघली, गोरखपुर	ग्यारह लाख बारह हजार तिरपन (11,12,053)
11	महावीर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सिसवा बाजार, गोरखपुर	पांच लाख चौबीस हजार पांच सौ उन्तालिस (5,24,539)
12	लक्ष्मी जी शुगर मिल्स, महोली, सीतापुर	एक करोड़ नौ लाख चौरानबे हजार छः सौ सत्ताइस (1,09,94,627)"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1985

7—(1) उत्तर प्रदेश चीनी, उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7, और खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985†

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, वैसे जहां तक इसके सिद्धान्तों का ताल्लुक है, इसमें कई ऐसी चीजें हैं, जिनसे मैं सहमत हूं और कई ऐसी चीजें हैं, जिनसे मैं असहमत हूं । लेकिन पूरे-पूरे अध्यादेश की अननुमोदन की बात मैंने क्यों कही ? इस बात को खाद्य मंत्री जी भी जानते हैं और वह हाई कोर्ट की व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं । अगर एक ही विषय का अध्यादेश एक से अधिक बार आता है, तो अध्यादेश नहीं जारी करना चाहिए । एक संसदीय परम्परा जो बिगड़ रही है, मात्र उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने इसको दिया था । मान्यवर, एक बार आया, नहीं पारित हो सका, फिर आया, नहीं पारित हो सका । फिर आया, इसलिए इसका विरोध करने के लिये मैंने अननुमोदन का प्रस्ताव रखा था । बस इतना बोलना था मान्यवर, फिर आगे बोलूंगा ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराये पर देने का विधेयक आ गया है उसमें चार बातें हैं, जो अधिनियम 1972 का था उसमें सरकार स्थानीय प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के निगम किराये नियंत्रण में जो नहीं आते थे, उनको रखा गया है । सेवा निवृत्त सैनिक और भारतीय सैनिकों की विधवाओं को यह सुविधा प्राप्त हो यह इष्टकर है । सेनाओं में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है । सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी यह सुविधा मिल सके । दूसरी बात उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम के अधीन जो उनसे सम्बद्ध

---

†दिनांक .... 21 अगस्त, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संस्थायें हैं, जो मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं उनको इससे लाभ हुआ है, लेकिन विश्व विद्यालय को इसका लाभ नहीं है। मुझे बताने की जरूरत है कि अलीगढ़ विश्व विद्यालय को, डी0 एस0 ओ0 और ए0 डी0 एम0 ने किराये पर दे दिया, तो उनको सुविधा नहीं मिली में विश्व विद्यालयों को सुविधा देने की दिशा में इसको ला रहा हूं। चौथी बात मकान की आती है। मकान जो बनते हैं, उनमें मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए जो 10 वर्ष की अवधि है उसको 20 वर्ष किया गया है। यह साफ और कल्याणकारी संशोधन है। इसमें क्योंकि हम सुविधायें दे रहे हैं इसलिए इसको माननीय सदस्य पारित करेंगे, इसको एक मत होकर पारित करने की अनुकम्पा करेंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, कल मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी का भाषण सुना था और आज भी इन्होंने बिल पास करते समय भाषण दिया। उस पर भी मैंने ध्यान दिया लेकिन जो शासन की भावनायें व्यक्त करी उससे यह मेल नहीं करता है। कल इन्होंने कहा था कि रेन्ट कन्ट्रोल वालों की सुरक्षा के लिए यह है। मान्यवर, गरीबों के संरक्षण की बात करते हैं आपने 10 साल का 20 साल कर दिया और आपने तर्क यह दिया कि लोगों को मकान बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मान्यवर, मकान बनाने की जो बात है, जो आज की परिस्थिति है उसकी जिम्मेदारी शासन की है। हमारे आवास की व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन की है।

आपने कहा मकान बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। मकान की व्यवस्था आप कीजिये। आवास विकास परिषद् से कहिये कि वह सस्ते मकान बनाकर लोगों को उपलब्ध करायें। कल आपने ईंट को आवश्यक वस्तु में लेने की बात कही, यह अच्छा काम है। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, कम रेट पर ईंट दिलाइये, इन्टरेस्ट फ्री लोन दीजिये, जो लोग 6 सौ, 7 सौ या हजार रुपया तनख्वाह पाते हैं। लोग मकान बनाने लगेंगे। 10 की जगह पर आप जो 20 साल कर रहे हैं, इसका परिणाम यह होगा कि गरीब आदमी को मकान लोग नहीं देंगे। मकान सरकारी दफ्तरों को देंगे, जो स्क्वायर फिट कारपेट एरिया निकाल कर किराया देता है। मैं समझता हूं यह बहुत ही आपत्तिजनक चीज है। इससे गरीब लोगों का अहित होगा। यह रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट बिल्कुल निष्प्रभावी हो रहा है। छोटे जिलों में जिलाधिकारी और बड़े जिलों में अलग से अधिकारी मकान एलाट करता था लेकिन इस प्रक्रिया को इतना दुरूह बना दिया है, मकान एलाट नहीं हो पाता है। लोग कोर्ट में चले जाते हैं। सामान निकाल कर लोग फेंक देंगे और उसको संरक्षण नहीं मिल पायेगा। आपने जो सरकारी बिल्डिंगों की बात कही . . .

(सदन की बिजली चली जाने पर भी कार्यवाही चलती रही)

यह हालत है बिजली की। यह भी देखना होगा कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसमें जिनका कब्जा है, उनको एक्जेम्प्ट कीजिये, जिनका कब्जा न हो उनको जोड़ना

उचित है। इसमें जो आपने सेना के अधिकारियों की बात कही। इसमें यह देखना होगा कि कहीं उनके नाम पर उसकी सारी सम्पत्ति पर कब्जा न कर लें। जितने की आवश्यकता हो उतना ही लें। जो आपने 10 साल की जगह 20 साल की बात कही है, मैं इसका पूरी ताकत से विरोध करता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि यह धारा किरायेदारों के हितों के खिलाफ है। 20 साल करके जो आप मकान बनाने का प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आज बड़े आदमी मकान बना रहे हैं। नम्बर 2 का पैसा एक में कर रहे हैं, यह सब बातें हो रही हैं, इस पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को मकान बनाने का प्रोत्साहन मिले तो आप सस्ती दर पर चीजों को मुहैय्या कराइये। इसलिये मैं चाहता हूं कि धारा पर पुनर्विचार कर लें। प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात मैंने इसीलिए की थी कि सारी चीजों पर विचार करके एक अच्छा विधेयक यहां पेश किया जाय।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

जो संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है, वह मेरी समझ में बहुत अच्छा कदम है। 10 वर्ष की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष की जा रही है, इससे मकान बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि लोग मकान कम बना रहे हैं। क्योंकि वह समझते हैं कि रेन्ट कन्ट्रोल के अधीन आ जाते हैं, निकालने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसमें सामंजस्य करना होगा, दोनों के हितों को देखना होगा किरायेदार और मकान मालिक के हित को देखना होगा। मकान बनेंगे नहीं तो किराये पर मिलेंगे कैसे। शहरों में मकान की जरूरत बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे वकील भाई इतनी तादाद में हैं कि मकान की सख्त जरूरत है, मकान पाते ही नहीं। इसी तरह से टीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जो 20 साल की अवधि बढ़ायी यह एक उचित कदम है और ऐसा मेरा ख्याल है कि इससे मकान बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को मकान आसानी से मिलेगा और यह बहुत ही उचित कदम है इसके लिए मैं विभाग को और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया वह भी सही कदम है। जो कारपोरेशन या निगमों के मकानात हैं उनको इक्जम्प्ट कर दिया यह उचित कदम है, इसमें डीमिंग क्लास अस्पष्ट है। इसमें बहुत सी सिचुवेशन ऐसी आ जाती हैं कि डीमिंग क्लास के नाम पर लोग मैनूपुलेट करके मकान छुड़ा लेते हैं। जो डीमिंग क्लास है इसको रिवाइलेबिल या अपलीकेबिल करने की जरूरत है। क्योंकि मान लें कि ए के नाम से मकान एलाट है और बीमारी के कारण वह चला जाय अपने परिवार के या किसी भी सदस्य से यह कहकर कि वह इसकी देखभाल करें और वह कुछ ऐसा मैनूपुलेट कर ले कि डीम्ड वैकेन्ट कर ले जाये और वैकेन्ट हो गया तो उसका कोई जुडीशियरी प्रोसीजर नहीं है जिसमें वह कोई बात जाकर कर सके। जैसे आपने यह संशोधन किया मिलेट्री वालों का यह बहुत अच्छा संशोधन है।

इसमें यह देखा जायेगा कि उनको जरूरत बोनाफाइड है या नहीं और उनका मकान वापिस कर दिया जायेगा। यह बहुत अच्छा संशोधन है जैसे 198 जेड0 ए0 एक्ट में कटागरी बनी हुई है। इसी तरह से आप कटेगराइज कर दीजिये। तीसरा यह है कि अगर कोई मकान मालिक अपने मकान की मरम्मत नहीं कराता है तो किरायेदार को यह हक होगा कि 2 माह का किराया उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मकान की मरम्मत में इस्तेमाल कर सकता है। इसमें भी एक चीज है कि 2 माह के किराये में मरम्मत नहीं हो पाती है और 2 माह से ज्यादा का किराया वह उस मकान में लगा नहीं सकता है। और मकान मालिक चाहता है कि वह मकान गिर जाय या खराब हो जाय। तो यह ऐसी चीजें जो हैं वह आप इसे संशोधन में लायें तो इसका उचित प्रभाव होगा। जहां तक आप संशोधन लाये हैं यह उचित है। इससे मकान बनाने वालों को फायदा होगा। मिलेट्री वालों को भी फायदा होगा।

दूसरी चीज यह है कि दफा 26, 27, 28 में इसकी कांस्टीटुएंसी 'ए' एण्ड 'बी' दी हुई है। 'ए' में नोटिस का प्राविजन है, 'बी' में नहीं है उसमें भी नोटिस का प्राविजन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है इसमें कान्टीजेन्सी पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस जानी चाहिए। अतः नोटिस जानी चाहिए।

आई एम नाट कन्विन्स आफ एनी प्वाइंट आफ ला एण्ड फैक्ट अनलेस आई हैव हर्ड बोथ दि प्रार्टीज।

मैं किसी भी कानूनी बात और तथ्य से सहमत नहीं हूं, किसी बात पर विश्वास नहीं हो सकता है जब तक हम दोनों की बात सुन न लें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

[3 बजकर 38 मिनट]

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह संशोधन विधेयक रखा है और उस पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह सही है कि इसका जो क्लाज है, इसके खण्ड दो में धारा 2 का खण्ड (क) और (ख) (2) और धारा 4, 5 और 6 अट्ठारह मई, 1983 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 3 पांच जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, कहा गया है। लेकिन जो मूल अधिनियम है, उसमें मान्यवर, यह है कि कोई मकान मालिक अपने किरायेदार को तीन माह की नोटिस देकर किराया बढ़ा सकता है, इस प्रकार पहले वाली व्यवस्था नहीं रही। आगे जो निर्माण कराता है तो उसमें भी नोटिस देकर, बिना उसकी मर्जी के किराया बढ़ा सकता है। तो मान्यवर, इसको स्पष्ट करवा दें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 20 साल कर देने से मकान बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में पिछली 6ठी पंचवर्षीय योजना में 8 लाख मकानों की कमी पड़ी थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 21 लाख मकान कम पड़ेंगे क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 13 लाख मकानों की जरूरत पड़ेगी। मान्यवर, इस वर्ष का लक्ष्य 30 हजार मकान बनाने का है। तो अगले पांच वर्षों में 21 लाख मकानों की जरूरत है, यह कैसे पूरा होगा। यह सही है छूट देने से मकान बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन जो प्रोत्साहन मिलेगा भी तो उसके कारण किरायेदार परेशानी में पड़ जायेंगे। क्योंकि, उन्हें जो सस्ते किराये का मकान आज मिलता, वह अब उन्हें 20 वर्ष के बाद मिलेगा, जब किराया और महंगा हो चुका होगा। इसलिये इस विधेयक में और चर्चा की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं। और इस सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मकानों को एलाट करने की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की है और जो तर्क दिया है विधेयक के संशोधन के पक्ष में कि इससे लोग मकान बनाने के लिये प्रोत्साहित होंगे और ज्यादा मकान बनेंगे और मकानों की समस्या हल होगी, तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि यह जो प्रोत्साहन है, किन लोगों को मिलेगा और क्या उनको प्रोत्साहित करने पर, जो गृह विहीन हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं, गरीब लोग हैं, उनके आवास की कोई व्यवस्था इससे सुनिश्चित कर पायेंगे। हम जानते हैं, मान्यवर, आप सभी जानते हैं कि मकान बनाने की जहां तक बात है, वह 10 साल में जो एलाटमेन्ट करने का नियम है, उसके अनुसार भी मकान बने हैं। मकान बनना आवश्यक है, बनाना चाहिए। लेकिन, जैसा कि माननीय सदस्य श्री गुप्त जी ने कहा कि मकानों के एलाटमेन्ट में पहले से ही इतनी दुरूह प्रक्रिया है कि गरीबों को और जो कर्मचारी खासतौर पर शहरों के रहने वाले हैं, उनको मकान मिलने में मुश्किल होती है और वह बड़े-बड़े शहरों में अपना स्थानान्तरण नहीं कराना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि वे परेशानी में रहते हैं।

खासकर नैनीताल का उदाहरण दिया। एक तरफ तो आप कहते हैं सबको मकान आवास की सुविधा मुहैय्या करायेंगे। आप इसमें 20 साल की बात कह रहे हैं। 20 साल के बाद माना मकान एलाट होगा किसी को, मकान में कोई किरायेदार रह रहा है और उस किरायेदार की अगर वहां पर रहने की मंशा है तो मकान मालिक एक और कानून का सहारा लेकर मकान खाली करा सकता है, वह है रिपेयर। वह मकान को रिपेयर की नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है। जो रिपेयर का कानून में नियम है, उसका लाभ उठाते हुए, वह मकान खाली करा सकता है। इस तरह से अगर यह 20 साल की अवधि का विधेयक पास भी हो जाता है, तो इससे गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को, जिनको पहले से ही मकान की किल्लत थी वह किल्लत और बढ़ जायेगी। माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने भी उधर से कुछ अच्छे सुझाव माननीय मंत्री जी के समक्ष रखे। मान्यवर, मेरा कहना है कि जब तक आप इसे प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं कर देंगे, तब तक उसमें इन माननीय सदस्यों के सुझावों का कैसे समावेश हो जायेगा। कुछ इधर के माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे कुछ ट्रेजरी बेंच के माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे, उन सुझावों का इसमें समावेश हो सके, इसलिए आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे इस संकल्प पर अपने विचार प्रकट किये। विशेष रूप से मैं माननीय लाल प्रताप सिंह जी के प्रति भी आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव दिये। लेकिन, इस बात को हम स्वयं समझ सकते हैं कि इनके बहुमूल्य सुझावों का समावेश कैसे हो पायेगा, वह तभी होगा जब प्रवर समिति में बैठकर इन सब बातों पर विचार कर लिया जाय। नियमों में व्यवस्था है कि प्रवर समिति में नाम बाद में दिये जायेंगे। लेकिन, मैं

चाहूंगा कि वह प्रवर समिति माननीय लाल प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में ही गठित कर दी जाय। मिनिस्टर ही उसका चेयरमैन रहे, यह परम्परा है। लेकिन, माननीय सदस्य भी हो सकता है। क्योंकि जितने माननीय सदस्यों ने किराया बढ़ाने की बात कही, एक्जेम्प्शन भी दे रहे हैं, लेकिन चिक नहीं लगाया जायेगा, तो दुरुपयोग होगा।

मान लें कि एक सैनिक की विधवा, है, उसके पास 10 मकान है, तो उसकी आवश्यकता को ही देखा जायेगा। कोई सरकारी बिल्डिंग है, यह देखना होगा कि वास्तव में वे उसके उपयोग में हैं अथवा किराये पर दे रखी है। इसका दुरुपयोग न हो, इसको भी देखना होगा। आप इसे प्रवर समिति में भेज दें। मैं पुनः अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय गुप्त जी ने अपनी कुशल संसदीय वक्तृता का परिचय देते हुए, अपनी बात रखी। लेकिन फिर भी उन्होंने झेंप कर इसे माना और अपना एक संशोधन दिया। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की जगह पर इसे आप 12 वर्ष कर सकते हैं। यह बात दूसरी है कि उसे 12 वर्ष, 15 वर्ष या 17 वर्ष करें, मैं इसे कोई सैद्धांतिक प्रश्न नहीं मानता हूं। लेकिन फिर भी इधर और उधर दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये। जैसा कि राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि मैं श्री लाल प्रताप सिंह जी के सुझावों से सहमत हूं, बड़ी अच्छी बात है। इसका तो उन्होंने समर्थन कर दिया कि इसको पारित किया जाय। सुझावों पर विचार किया जाय, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग एक संगोष्ठी करें। मैं यह भी चाहता हूं कि इस पर आप प्रदेशीय स्तर पर संगोष्ठी करें, और हमें आप बहुमूल्य सुझाव दें और हमें लाभान्वित करें। 4 बातें लाल प्रताप जी ने कही, वे निरापद हैं। विचार हमेशा होता रहता है। अभी भी हमारे विभाग में विचार चलता है। कुछ लोग चिट्ठियों से और अन्य माध्यम से लिखकर हमें अपना सुझाव देते हैं, उन पर हमारे विभाग में परीक्षण होता है। गुप्त जी तो जानते हैं कि इस प्रकार के अनवरत परीक्षण तो विभाग में होते ही रहते हैं। श्री लाल प्रताप सिंह जी ने अच्छी बातें कही हैं। श्री गुप्त जी ने भी अच्छे सुझाव दिये हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी को डर है कि कहीं किराया ज्यादा न हो जाय। यह बात साफ है कि जितना किराया अभी मिल रहा है, कोई भी मकान मालिक उसकी पुताई नहीं कर सकता है। अगर कोई घर गिरने लगा है या उसका एक हिस्सा गिरता है, अगर एक हिस्से में कोई किरायेदार रहता है, तो उसे हटाया नहीं जा सकता है, जब तक कि उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाय।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इन्जीनियर घूस लेकर सार्टीफिकेट दे देते हैं कि मकान गिर रहा है।

श्री वासुदेव सिंह—

यह तो आपकी अभ्यस्यता हो गई है कि आप ऐसा ही कहें। श्री एरी साहब ने एक बात कही गरीबों के लिए। उन्होंने कहा कि 10 साल से बढ़ाकर 20 वर्ष करने से गरीबों को नुकसान हो जायेगा। थोड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे एक खेत में पानी जाने के लिए कोई नाली निकाली जाती है तो थोड़ा नुकसान होता ही है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें

कोई नुकसान नहीं होगा। इस किराये के सम्बन्ध में केन्द्र में और दूसरी जगहों पर भी विचार चल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो संशोधन हम लाये हैं, वह हितकर है, गुप्त जी इसका विरोध न करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, खण्ड 2 को इन्होंने लागू कर दिया 5 जनवरी, 1985 से। किराया कहां तक बढ़ेगा गरीबों के लिए, इसकी कोई सीमा इसमें निर्धारित नहीं की है। न मूल विधेयक में और न इसमें।

श्री वासुदेव सिंह—

जो हमारे सामने इस समय है, उस पर मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 1985 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

(2) धारा 2 का खण्ड (क) और खण्ड (ख) (2) और धारा 4, 5 और 6 अट्ठारह मई, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 पांच जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 2 का खण्ड (ख) (1) छब्बीस अप्रैल, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) प्रारम्भिक वाक्य में, शब्द "की कोई बात" के पश्चात् शब्द "निम्नलिखित पर लागू न होगी, अर्थात्" रख दिये जायेंगे और उपधारा के अन्त में आये हुए शब्द "पर लागू न होगी" निकाल दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(क) किसी भवन पर जिसका मकानदार सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम हो; या"

(ख) उपधारा (2) में,—

(1) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी भवन का निर्माण 26 अप्रैल, 1985 को या उसके पश्चात् पूरा हो, वहां इस उपधारा में दस वर्ष की अवधि के निर्देश को उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हो, बीस वर्ष की अवधि का निर्देश समझा जायगा।"

(2) स्पष्टीकरण 1 में, शब्द "इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये" के स्थान पर शब्द "इस धारा के प्रयोजनों के लिए" रख दिये जायेंगे।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं पहले अपना संशोधन रख दूं। खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) (1) में उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड की तीसरी पंक्ति में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय। मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने कहा कि मुझे यह विधेयक पेश करना है, तो बीस के स्थान पर 30 कर दिया। खाद्य मंत्री जी जब इधर से उधर पहुंच गये तो जैसा उनका मानस बदला, मनः स्थिति बदली, और जो संगत पायी उससे लगता है कि उनके संस्कार....

(एक आवाज—"सुसंगत" की आयी)

कुत्सित हो गये हैं। मैं जिस वर्ग को रिप्रजेन्ट करता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके खुद के तो बंगले बने हैं और रेन्ट कन्ट्रोल के मकान में रहते हैं। मेरे पास तो अपना कोई मकान ही नहीं है। मैं तो स्वयं 60 रुपये के रेन्ट कंट्रोल के एलाटमेन्ट वाले मकान में रहता हूं। इसलिए गरीब की आह को जानता हूं। आप भी कभी जानते थे, जैसे महाभारत में लिखा है अर्थस्य दासः, कौरवों की सभा में, मैं वह कहानी नहीं कहूंगा, कहा गया कि आप धर्म जानते हैं और क्या यह भी जानते हैं कि अधर्म क्या है? तो कहा कि जानते तो हम सब हैं लेकिन अर्थस्य दासः। इसलिए जो संस्कार हैं, आप भी असली बात कहने को तैयार नहीं हैं। विधान सभा में बहुत दिनों से हूं मैं, मैंने हमेशा उस वर्ग की वकालत की है, हिमायत की है जो गरीब है, मेहनतकश है, मजदूर है। मैं किसानदार हूं इसलिए मैंने अपनी बात को रखा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अपनी बात पर फिर से इसलिये बल देता हूं कि गरीब की बात को सोचना चाहिए। दस के स्थान पर बारह कर दिया जाय। जब कोई मकान बनवाना चाहता है, तो वह तो रेन्ट कन्ट्रोल में जायगा नहीं, मकान बनेगा, आप उसे 20 साल की छूट देने जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर को, या किसी ऐसे को, कारपेट एरिया के हिसाब से दे दिया, अनुबन्ध हो गया, फिर 20 साल के बाद रेन्ट कन्ट्रोल की परिधि में आयेगा, तो कोई उसको निकाल पायगा, लिखित अनुबन्ध के आधार पर यह आपका रेन्ट कन्ट्रोल कहां लागू हो पायेगा। वैसे भी आपका रेन्ट कन्ट्रोल अप्रभावी ही है, कानून में ही उसकी प्रभावहीनता है। यह जो निष्प्रभावी है या इसकी प्रभावहीनता है उसको आप कानूनी शेप देने जा रहे हैं। इसलिए मैंने संशोधन में कहा है कि 20 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष कर दिया जाय। इसकी व्यापकता पर जायें। अभी मैंने देखा महानगर में तमाम कोठियां बनी हुई हैं। इन्दिरा नगर में बाबा भूतनाथ मन्दिर के पास न जाने कितनी कोठियां बन गयी हैं। मैंने अपने इस संशोधन में एक गरीब की आह को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया है। मेरा निवेदन है कि इसको देखें। मेरा इस दुनिया में अपना कोई निजी मकान नहीं है। इसके साथ ही मैं इस संशोधन पर बल देता हूं।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

बहुत दिलचस्प बात है जो गुप्त जी कहते हैं, मेरा बोलने का मन करता है, लेकिन मैं इस इच्छा पर संवरण किये लेता हूं। यह जो समस्या है 12 वर्ष और 20 वर्ष की, तो गुप्त जी के साथ बहुत हमदर्दी रखते हुए मैं अपने को उनका संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ पाता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) (1) में उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड की तीसरी पंक्ति में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3 से 7, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

धारा 3 का संशोधन — 3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, खण्ड (थ) में, शब्द "का तात्पर्य" के पश्चात् शब्द "भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, या" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन — 4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "8 और 10" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "8 9-क और 10" रख दिये जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

धारा 10 का संशोधन — (क) पार्श्व में शब्द और अंक "8 तथा 9" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "8, 9 और 9-क" रख दिये जायेंगे

(ख) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 9" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 9—क" बढ़ा दिये जायेंगे ।

6—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में, धारा 21 का उसके स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्— संशोधन

"(iii) यदि किसी भवन का मकानदार—

अधिनियम संख्या 4 सन् 1925

(1) कार्यरत या सेवा निवृत्त भारतीय सैनिक जैसा भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 में परिभाषित है, हो और ऐसा भवन उसकी सेवा निवृत्ति के पूर्व किसी भी समय किराये पर दिया गया हो, या

(2) किसी ऐसे सैनिक की विधवा हो और ऐसा भवन उसके पति की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के, जो भी पहले घटित हो, पूर्व किसी भी समय किराये पर दिया गया हो,

और ऐसे मकानदार को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के आवासीय प्रयोजनों के लिए ऐसे भवन की आवश्यकता हो तो उसका अभ्यावेदन कि उसे अपने या अपने परिवार के सदस्यों के आवासिक प्रयोजनों के लिए ऐसे भवन की आवश्यकता है, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त समझा जायेगा और यदि ऐसा मकानदार एक से अधिक भवन का स्वामी है तो यह उपबन्ध केवल एक भवन के सम्बन्ध में लागू होगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1985

7—(1) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उप अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के बन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 7 तक खंड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वासुदेव सिंह—

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, यह जो अध्यादेश है जिसका अननुमोदन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार की यह जो आदत पड़ती चली जा रही है स्थानीय निकायों के चुनावों के टालने की, आप देखें कि पिछले अनेक वर्षों से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराये गये हैं। हर वर्ष विधेयक और अध्यादेश के द्वारा चुनाव नहीं कराये जाते हैं और टाल दिये जाते हैं। जन प्रतिनिधि विहीन आपके नगरों को इस तरह से भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया गया है। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा जनता की भावनाओं को, उनकी आवश्यकताओं को जानने की जो परम्परा रही है उसको यह सरकार पूरा नहीं होने दे रही है। भले ही इसके

लिये कानून बने हैं, यह सब जनता के भले के लिये बनाये गये हैं । यदि प्रदेश के अन्दर, आपके नगर में कोई समस्या आती है जो कि स्थानीय निकायों से संबंधित है चाहे वह पानी की समस्या हो, चाहे व सफाई की समस्या हो चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे सड़क या गली की समस्या हो । लेकिन आज का जनप्रतिनिधि के न होने से जनता नौकरशाही के नीचे दबाई हुई है जिसके कारण आम जनता को नित्य की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है । आप बराबर चुनाव न कराने पड़े, इसलिये इसको टालते चले जा रहे हैं । अभी 1984 में आपने स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराये और आज फिर इस अध्यादेश के द्वारा दिसम्बर, 1985 तक इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमारे संविधान में एक कमी है कि संसद के और विधान सभाओं के चुनाव तो एक निश्चित समय पर हो जाते हैं परन्तु स्थानीय निकायों के चुनावों के लिये संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है । इसी कारण से उसका लाभ उठाकर आज बीस-बीस सालों से नोटीफाइड एरियाज के टाउन एरिया के चुनाव नहीं हुए हैं । महापालिकाओं के चुनाव 17 वर्ष पहले हुए थे । इसी कारण से हमारे नगर प्रशासन ठीक तरह से नागरिकों को सुविधा नहीं दे पाते हैं जिसके कारण जनता दुखी है । जहां तक इन निकायों का प्रश्न है मैं आगरा के बारे में जानता हूं कि महापालिका में एक विभाग है चुंगी कर का, टोल टैक्स के प्रशासक ने बताया कि नगरपालिका घाटे में चल रही है । ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमको नगर-महापालिका का ढाई लाख रुपये रोज का ठेका दे दें जबकि आज वहां की आमदनी हजारों में तो है । इसका केवल एक ही कारण है कि निर्वाचन का न होना और भ्रष्टाचार का होना ।

इसका कारण है कि नगरपालिका, नगर महापालिका और टाउन एरिया में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना, यहां टैक्सों की चोरी होती है । जन प्रतिनिधि का न होना और नौकरशाही का बेलगाम होना । पूरे प्रदेश की एक-एक गली, कस्बा कूड़े के ढेर से ढका है । सड़कों के खड़ंजा विहीन होने से हालत खराब हो रही है, चलने में भी कठिनाई होती है, बड़ी मुश्किल से लोग रास्ता चलते हैं ।

आज आप यह अध्यादेश लाये हैं जिसमें 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि मांगी गयी है । मैं आग्रह करता हूं कि इसे स्वीकार न किया जाय किसी प्रकार से ।

*नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ—)

मान्यवर, यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीया मंत्री जी, पहले आप प्रस्ताव कीजिये ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह अध्यादेश पिछले दिसम्बर, 1984 में प्रख्यापित किया गया था । किन्हीं वजहों से पिछले सत्र में उसे यहां पर नहीं रखा जा सका । इसलिए क्योंकि पिछले सत्र में यह विधेयक नहीं लाया जा सका अतः इसके लिये अध्यादेश की जरूरत पड़ी । पिछले अध्यादेश में सन् 84 तक जो प्रशासकों को अधिकार दिया गया था इन स्वायत्त शासी संस्थाओं को देखने के लिये, उसके बाद दुबारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं ला सके । बहुत से कारण ऐसे हो गये थे बीच में चुनाव हो गये थे । लोक सभा के चुनाव हुये, विधान सभा के चुनाव हुये, इन कारणों से अध्यादेश नहीं लाया जा सका । इसलिये अब यह अध्यादेश 1985 तक बढ़ाना बहुत आवश्यक है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे । (माननीय सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे)

श्रीमन्, मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार जो वर्तमान में है, बिल्कुल जनतंत्र विरोधी हो गई है और यह चुनाव कराना ही नहीं चाहती । इनका जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं रह गया है इसलिये हर संस्थाओं के ऊपर ये प्रशासक नियुक्त कर देते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं । मान्यवर, पिछली कार्यवाही में पढ़ रहा था जब 29 जून 1982 को यह विधेयक इस सदन में आया था और अननुमोदन के प्रस्ताव पर श्री हुकुम सिंह जो आज संसदीय कार्य मंत्री हैं, ने ही कहा था तथा सरकार की छीछालेदर की थी । यह कांग्रेस सरकार जनतंत्र विरोधी है । चुनाव नहीं कराना चाहती है । इसलिये कांग्रेस के लोगों को लूटने और खाने की आदत सी बन गई है । जो प्रशासक या अधिकारी बैठे हुये हैं चाहे वह टाउन एरिया के हों, नगरपालिका के हों या नोटिफाइड एरिया के हों, वे विकास का काम नहीं करते । जो पैसा होता है उसको अपने आप खा जाते हैं और इनको कमीशन देते रहते हैं और इसलिये ये लोग बराबर चुनाव टालते रहते हैं । मान्यवर, संविधान की धारा 40 में यह व्यवस्था है कि हम जनतंत्र के अनुरूप पंचायत स्तर से लेकर संसद तक के चुनाव कराकर हर बाडी को जनतांत्रिक तरीके से गठित करेंगे । लेकिन यह चुनाव कितने दिनों से टल रहा है ? क्यों टल रहा है ? कोई स्पष्ट कारण मालूम नहीं होता । माननीय मंत्री जी, आप तो नई आई हैं और मैं जानता हूं कि आप क्यों इसे टालना चाहती हैं । इस विभाग से लोग डर जाते हैं । जो मंत्री चुनाव कराने की घोषणा किया वह मंत्रिमंडल से हटा दिया गया । इसलिए कि कहीं हम हटा न दिये जायं, एक साल के लिये चुनाव टाल रहे हैं । . . .

(व्यवधान)

ग्राम प्रधानों के चुनाव हुये, जिला परिषदों के चुनाव हुये, क्षेत्र समितियों के चुनाव हुये, लोक सभा के चुनाव हो गये और विधान सभा के चुनाव हो गये कारण क्या है कि आज तक नगरमहापालिका, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया का चुनाव नहीं हुआ है ? मान्यवर, आप विश्वास करिये कि कोई भी कार्य जब जनता के प्रतिनिधि के हाथ में रहेगा तो वह अच्छी तरह से कार्य करेगा और जो संस्था जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं रहेगी वह जनता की भावनाओं की उपेक्षा करेगी । अभी सदन में कार्य स्थगन के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण के घोटाले के सम्बन्ध में आया था, करोड़ों रु0 का घोटाला लखनऊ विकास प्राधिकरण के यहां था ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रशासक लखनऊ नगर महापालिका का भी प्रशासक है । कल आरोप दिये गये थे कि नगरमहापालिका द्वारा कराये जाने वाले कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे हैं । दूसरा आरोप लगाया गया था कि नगरमहापालिका की सड़कें दूसरे इन्जीनियरों, ओवरसियरों के माध्यम से

बनवाई जा रही है जबकि नगरमहापालिका के अपने ही इन्जीनियर और ओवरसियर मौजूद हैं । तो इस तरह से जो प्रशासक के रूप में बैठे हुए लोग हैं, बड़े-बड़े अफसर लोग हैं वह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खा रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं । वह विकास के काम पर, सफाई के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं । श्रीमन्, यह चुनाव इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इनके कारनामों के कारण, इनके व्यवहार के कारण और इनकी नीतियों के कारण जनता इनको समझ गई है और इनको डर है कि चुनाव में हमारी करारी हार हो जायेगी इसीलिये यह चुनाव नहीं करा रहे हैं । श्रीमन्, यह संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का सवाल है । बार-बार प्रशासकों को नियुक्ति करते रहना बड़े ही खेद की बात है । श्रीमन्, जो नगरपालिका और नोटीफाइड एरिया होते हैं उनके प्रशासक एस0 डी0 एम0 और एस0 डी0 ओ0 होते हैं और उनके जिम्मे पहले से ही बहुत काम रहते हैं । वह अपना वास्तविक काम तो करते हैं लेकिन जो प्रशासक के रूप में नगरपालिका और नोटीफाइड एरिया के विकास का काम होता है उसको न करके केवल उसमें से जो पैसा है, उसको लेने का ही काम करते हैं । विकास का कोई काम नहीं करते हैं । आज जल की जो हालत है वह आपके सामने कार्य स्थगन के रूप में जल की समस्या आई थी । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि—

(शोर)

श्रीमन्, मैं संशोधन करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आप इसका चुनाव एक निश्चित समय तक करवा दीजिये । आप इसकी कोई तिथि घोषित कर दीजिये ।

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगी कि अमुक-अमुक तारीख तक निश्चित ही चुनाव वह करा देंगी । लेकिन मैं जानता हूं कि यह अवसर बार-बार आयेगा और वह समय फिर बढ़ायेंगी । चुनाव वह नहीं करायेंगी । लेकिन माननीय मंत्री जी एक बात समझ लीजिये कि दो तीन साल बाद इस देश में पुनः लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव होंगे । उसमें आपकी करारी हार होगी । अपने कुकृत्यों से पुनः आप इधर बैठेंगे और हम उधर बैठेंगे तो फिर हम निश्चित ही चुनाव करा देंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 जो इस समय सम्मानित सदन में प्रस्तुत है, का मैं समर्थन और स्वागत करती हूं । स्वागत इसलिए करती हूं कि इसके पहले ही माननीय मुख्य मंत्री जो नगर विकास मंत्री भी हैं ने घोषणा की है कि हम चुनाव करायेंगे । मैं आपके माध्यम से एक बात की याद दिलाना चाहती हूं कि उस समय की सरकार जिनको आप गाड फादर के नाम से हमेशा कीर्तन करते हैं उन्होंने एक तरफ जब विधान सभा के चुनाव हुए तो चुनी हुई जिला परिषदों को एक कलम से समाप्त कर दिया । तो यह काम जनता सरकार या लोकदल की सरकार ने किया ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

कारपोरेशन्स को किसने भंग किया था ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं गुप्ता जी का बड़ा आदर करती हूं । वह बोलते बड़ी शैली से हैं, सुन्दर बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहते हैं बात चाहे जैसी हो उसे कहते बड़ी अच्छी तरह से हैं । मैं कहना चाहती हूं कि चुनाव तो होंगे ही । यह जो अध्यादेश विधान सभा सत्र में न होने के कारण जारी हुआ उसको विधेयक के रूप में बदलने के लिए यहां लाया गया है । यह बड़ा नाजुक सा विधेयक है जिसमें लिखा है धारा 3 आप देखें मूल अधिनियम धारा 3 में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायं ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने सम्मानित विरोधी पक्ष के सभी साथियों का स्वागत करते हुए निवेदन करूंगी कि वे विश्वास रखें जब हमने लोक सभा के चुनाव करा दिये जिसको आप कहते थे कि नहीं करायेंगे, विधान सभाओं के चुनाव करा दिये तो निश्चित रूप से स्थानीय निकायों के, नगर पालिकाओं के या नोटिफाइड एरियाज आदि के जो भी चुनाव हैं उनको निश्चित रूप से करायेंगे, लेकिन इस बीच में थोड़ा समय सोचने विचारने में औपचारिकतायें पूरी करने में लगता है । चुनाव हम अवश्य करायेंगे । हमारे लायक नौजवान साथी बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दे गये, भाषण वह बड़ा सुंदर देते हैं, अच्छी बातें कहते हैं लेकिन वे सारभूत नहीं होती हैं, सारहीन होती हैं । मैं अधिक न बोलते हुए, सदन का ज्यादा समय न लेते हुए अपने लायक जितने भी विरोधी दल के साथी हैं उनसे कहूंगी कि इसको आप पास होने दें इस विश्वास के साथ कि निकट भविष्य में इन निकायों के चुनाव अवश्य होंगे ।

[5 बजकर 39 मिनट]

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं श्री सत्यप्रकाश विकल जी के अननुमोदन के प्रस्ताव और माननीय सदस्य राम गोविन्द चौधरी के प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । पहले मैं सोच रहा था कि इस नागर स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति में भेजने या अननुमोदन का प्रस्ताव न रखा जाय । क्योंकि शासन की घोषणाओं पर हमको अनावश्यक रूप से शंका नहीं करनी चाहिये । लेकिन जब हमने इस विधेयक को पढ़ा तो मन में शंका पैदा हो गयी कि निश्चित समय में यह चुनाव करा देंगे क्योंकि चुनाव कराने की मन में इच्छा होती तो चुनाव की प्रक्रिया कहीं पर दिखाई देती । जिस समय जनता पार्टी की सरकार आई थी हम उधर बैठते थे तो हमने एक प्रस्ताव पेश किया था कि जो हमारे नवयुवक हैं उनको भी इनमें भागीदार बनना चाहिए मतदाताओं की आयु घटा दी गयी, उसके आधार पर मतदाता सूची तैयार है, सब तैयारी है । फिर इसमें जो संशोधन दिया वह यह है कि 31 दिसम्बर, 1985 तक कर दिया जाये, तो इतना लम्बा समय लेने की क्या आवश्यकता है । यदि वास्तव में चुनाव कराने की नीयत थी तो अगस्त में एसेम्बली समाप्त हो जायेगी, सितम्बर का समय इनके पास है, एक अक्टूबर तक का समय मांगते तो विरोध न करता, इसलिये मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 31 दिसम्बर, 1985 तक का जो समय मांगा है । मान्यवर, आप देखें इससे नुकसान क्या हो रहा है । यदि यहां जनप्रतिनिधि नहीं हैं तो इससे जनता और समाज का नुकसान हो रहा है । हमारे सामने एक अखबार की कटिंग है दिनांक 13-4-84 की । इस सदन में पहले स्वायत्त शासन मंत्री श्री राम सिंह खन्ना थे तो उस समय मामला उठाया था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं का प्रशासन सरकारी अधिकारियों के हाथों में है जिससे कर गलत ढंग से लगाये जा रहे हैं, चुंगी की दरें बढ़ाई जा रही हैं तो मंत्री जी ने यहां आश्वासन दिया था कि जब तक निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं आयेंगे तब तक कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा, लेकिन अभी एक दिन बरेली के माननीय सदस्य ने मामला उठाया था ।

यहीं लखनऊ में एसेसमेन्ट हो रहा है, यहां चुंगी की दरें बढ़ा दी गयीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं, इसलिये स्थिति को समझकर, भ्रष्टाचार के दल-दल में न फंसकर स्थानीय निकायों के चुनाव होना आवश्यक है । हमारी मंत्री जी जो हैं, वह बिसवां की हैं मैं वहां गया था तो वहां की स्थिति को देखकर एक प्रश्न यहां किया था कि, वहां जो पशुओं के वध का स्थान है, स्लाटर हाउस उसको बनवाया जाये क्योंकि वहां नालियों में बकरों का खून बहता है, इस पर दो दो बार यहां सवाल हुये उसके बावजूद वहां स्लाटर हाउस नहीं बना है और यहां तक कि जमीन का चयन तक नहीं हो सका है । मान्यवर, इनके यहां स्टेशन के पास जल भराव हो जाता है, नगरपालिका कुछ नहीं करती है, इसलिये आवश्यक है कि जनप्रतिनिधियों को आना चाहिये ।

मान्यवर, अब मैं अपने जिले सीतापुर की कुछ बात कहना चाहता हूं जिसको नियम 301 में यहां उठाया था और मंत्री जी ने स्वीकार किया कि गड़बड़ियां हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यहां कई बार कह चुका हूं कि सीतापुर नगरपालिका में जितने काम हो रहे हैं निर्माण के सब घटिया और सब-स्टैंडर्ड हो रहे हैं, क्या इसकी जांच करायी है । इनका साहस नहीं कि जांच करायें चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ भ्रष्टाचार में बराबर हैं ।

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में मीटिंग हुई थी । जिसके श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान मंत्री हैं उनको मैंने याद दिलाया था कि मेरे दरवाजे पर नाली बनने जा रही थी, मैं बाहर से आकर जीप से उतरकर ठेकेदार से कहा कि ठीक से नाली बनाना । मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाली बनने के दूसरे दिन वह नाली टूट गयी । तो इसका कारण क्या है कि घटिया स्तर का काम हो रहा है और उसको कोई देखने वाला नहीं है । नगरपालिका, सीतापुर में कितनी बार बातें हुईं जनरेटर देने को उसके लिये वायदा किया गया । जब वह दिया गया तो वह आज तक चल नहीं पाया । 3-4 महीने उसके इंस्लाट किये हुए हो गये हैं । नजूल की जमीन पर नाजायज कब्जे उत्तर प्रदेश भर में हो रहे हैं । गार्डेन लीज पर सब जगह मकान बन गये, लेकिन इन सारी गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को कोई देखने वाला नहीं है । सब अधिकारी स्वयं उसे करा रहे हैं । आपने चुंगी माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन नहीं हुआ । इसलिए इसको देखा जाए । मेरे पास मेरे एक मित्र मिलने आए थे, तो उन्होंने हमारी मेज पर उसका बिल पड़ा देखा तो उन्होंने कहा कि आप मेरी एक बात कह दीजिये गा सागा टाउन एरिया में सारा फर्जी काम हो रहा है, उस सम्बन्ध में मैं स्टेट बैंक को एक चेक का नम्बर तक देना चाहता हूं । उस स्टेट बैंक आफ इण्डिया की चेक का नम्बर ए-5375661 है ।

मान्यवर, फर्जी नाम से वहां पर काम हो रहा है । प्रशासक के फर्जी नाम से सब पेमेन्ट कराये जा रहे हैं । यह बात एक नगरपालिका की नहीं है, सब नगरपालिकाओं की है । मैं इस सदन के माध्यम से आवाज उठाना चाहता हूं कि जैसे हमारे संविधान में व्यवस्था है कि निर्धारित समय पर लोक सभा और विधान

सभा के चुनाव कराए जायेंगे, उसी तरह से संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी जाए कि स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर अवश्य करा दिये जायेंगे, इन सब बातों पर विचार करना है। मंत्री जी यह आश्वासन देने को तैयार हो जाएं कि दिसम्बर के स्थान पर अक्टूबर कर दिया जाएगा, तब तो ठीक है। पर अगर इससे ज्यादा समय लेने की इनकी मंशा है इसके माध्यम से, तो मैं यही समझूंगा कि यह जनता का सामना करने से घबड़ाने के कारण ही यह चुनावों को टालना चाहते हैं। आज सरकारी अधिकारियों के साथ इनके निहित स्वार्थ पैदा हो गये हैं। इसलिए हमने इसका प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने के लिए रखा है।

*श्री इकबाल अहमद—

मान्यवर, लोकल बाडीज को 10 अगस्त, 1977 को खत्म किया गया था और आज उसको खत्म किये 8 वर्ष हो गये हैं, इस बीच इनको चुनाव कराना था। अभी उधर से यह कहा गया कि जनता पार्टी ने इसे खत्म कर दिया था। तो उसके बाद 80 में चुनाव हुए 5 साल का जमाना बीत गया, उसके बाद इनको एलेक्शन कराने की तौफीक नहीं हुई। यह सरकार केवल यह चाहती है कि एलेक्शन न कराकर सिर्फ अधिकारियों के बल पर इस संस्था को चलाया जाय। तो इस तरह से जनतांत्रिक हकों का हनन किया जाता है। तो इसके जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जाएं और इसमें किसी भी तरह का व्यवधान न डाला जाए। क्योंकि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया ही जम्हूरियत की बुनियादी इकाइयां हैं। जब तक अवामी नुमाइन्दे नहीं होते जनतंत्र का नाम आ ही नहीं सकता है। प्रदेश में 659 शहर हैं, उनको नुमाइन्दगी नहीं मिलती तो वहां के लोगों के हकूक की हिफाजत नहीं हो सकती है। आज नगरों की हालत बड़ी बदतर हो गई है, नालियां भरी पड़ी हैं, कूड़ों से पटी पड़ी हैं, उनमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, सड़कें बिलकुल खुदी पड़ी हैं। यह सब इसलिए है कि इसे अधिकारी करते हैं और वह तहसील हेड क्वार्टर में बैठकर करते हैं। यह उन लोकल्टीज में जाते नहीं हैं। यह कभी देखने नहीं जाते हैं टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं मऊ का रहने वाला हूं। मऊ म्युनिसिपैल्टी में 10 लाख रुपया गया था। वहां के एस0 डी0 एम0, श्री शिवव्रत प्रभारी अधिकारी वहां के थे, उन्होंने तमाम खड़ंजा उखड़वाया और पुरानी नालियों की मरम्मत कराई और फिर पुरानी ईंटों को बराबर करके सारा रुपया बर्बाद कर दिया गया। इस सिलसिले में डी0 एम0 आजमगढ़ से शिकायत की गयी लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। उनसे पूछने पर उन्होंने यह बताया कि मैंने उसका पेमेन्ट रोक दिया है। लेकिन पेमेन्ट थोड़ा रुका हुआ है, आखिरी पेमेन्ट जो होता है वह रुका हुआ है, सारा पैसा दे दिया गया है। 31 मार्च को उनको रिटायर होना था इसलिये वह सारा पैसा इस तरह बरबाद करके अपनी जेब में रखकर रिटायर होकर चले गये और सारा काम पुराना रह गया और कोई निर्माण का काम नहीं हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि सारा काम हो गया है, सारा निर्माण हो गया है। तो इस तरह की हालत तमाम इलाकों में है, शहरी इलाकों में है, टाउन एरियाज में है, म्युनिसिपैलिटीज में है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि 8 साल से जो यह टाइम लिया जाता है यह टाइम खत्म किया जाय और अब इसके बाद कोई और टाइम न लिया जाय और इलेक्शन कराया जाय।

*उक्त भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज, म्यूनिसिपलिटीज का इलक्शन करा दिया जाय ।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुए ।)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा रखे गये संशोधन और संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । अधिष्ठाता महोदय, भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद जी ने कभी एक कल्पना की थी कि हिन्दुस्तान में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था होगी और उसके चलते यहां का प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड की तरह होगा । पिरामिड के अंतर्गत उनकी यह कल्पना रही होगी कि जो हमारे नगर हैं उनकी अपनी स्वायत्तशासी संस्थायें होंगी और चुने हुये प्रतिनिधि होंगे जिनके माध्यम से सारी व्यवस्था चलायी जायगी । उस व्यवस्था को चाहे हमने तोड़ा या आपने तोड़ा, आज वह व्यवस्था टूटी हुई है । उस पर हमको और आपको विचार करना चाहिए । एक दूसरे पर दोषारोपण करने से समस्या का निराकरण नहीं होगा । दुर्भाग्य है इस देश का कि जो उधर बैठता है वह प्रगतिशील हो जाता है और जो यहां बैठता है वह प्रतिक्रियावादी माना जाता है । लेकिन यह व्यवस्था चाहे जिसने तोड़ी, हमारी और आपकी यह जिम्मेदारी है कि इन नगरों को चुने हुये जनप्रतिनिधियों से वंचित न करें । हमारा रिप्रेजेन्टेशन विधान सभा में होता है । पूरे प्रदेश का बजट हम पास करते हैं । उनके टैक्स वहां जमा होते हैं । अगर विधान सभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति के हाथ में जाकर बजट पास होता है । तो इसी तरह से यदि इनका बजट नगर विकास विभाग में पास होता तो भी मैं मानता कि इनके पैसे का रख-रखाव सही ढंग से जन प्रतिनिधि कर रहे हैं।

आज यह व्यवस्था चली आ रही है, एक आदमी डा0 एम0 एसा बैठा दिया गया है, आज नैनीताल में है तो कल विकास प्राधिकरण में है और उसके बाद किसी टाउन एरिया का प्रशासक हो जायगा तो उनको कोई लगाव नहीं रहता है और उनकी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व नहीं रहता । अगर चुने हुये जन प्रतिनिधि इनमें होते तो उनका दर्द होता अपने निवासियों के प्रति, गंदगी देखकर, टूटी सड़क देख कर । आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर, 1985 तक चुनाव करा दिये जायेंगे । गोयल जी बड़े जोर से कहते थे, खन्ना जी ने बड़े जोर से उद्घोषणा कर दी कि चुनाव कराये जायेंगे लेकिन जैसा कि राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा वह लोग बाहर हो गये । भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, आप बरकरार रहें । आप 31 दिसम्बर, 1985 तक चुनाव करायें यह तो विश्वास नहीं होता है । इसलिये मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । यह जनतंत्र विरोधी, जनतंत्र की हत्या करने वाला विधेयक है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

अधिष्ठाता महोदय, इस माननीय सदन की यह सद्इच्छा है कि जितनी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनका प्रबंध जन प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिये और इसलिये हम सबको इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि इन संस्थाओं के चुनाव शीघ्र से शीघ्र हो जायं । लेकिन मान्यवर, जो प्रस्ताव विरोध पक्ष से आया है वह इस प्रक्रिया में बाधक साबित हो रहा है । मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय राजेन्द्र गुप्त जी वे, खन्ना जी जो हमारे भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री थे उनका हवाला दिया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मगर एक सप्ताह पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में जो घोषणा की है, वह शायद विस्मृत कर गये । उन्हें स्मरण होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि हम प्रदेश की इन संस्थाओं का चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराना चाहते हैं । लेकिन इस चुनाव को हम तीन चरण में कराना चाहते हैं । एक वह प्रक्रिया होगी, जिसमें 1 लाख तक की संस्थाओं को पहले चरण में और एक लाख से ऊपर दो लाख तक दूसरे चरण में और शेष का तीसरे चरण में चुनाव करायेंगे । उसमें समय लगेगा और इसीलिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह चाहते हैं कि समय से नगरपालिकाओं के चुनाव हो जायं लेकिन विरोध पक्ष की ओर से संशोधन आये हुए हैं, जो चुनाव प्रक्रियाओं में अवरोधक हैं । अतः उन्हें अपने संशोधन को वापस ले लेना चाहिए । मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय राजेन्द्र गुप्त, माननीय गौरी भइया, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय के विचारों से कुछ सहमत रहे हैं, क्योंकि वह गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । मुझे लगता है कि वह तिथि की घोषणा करने वाले हैं । जब कभी जनतांत्रिक मूल्यों की बात होती है, तो उधर के लोग इस बात को हृदय में रखने के बावजूद भी अपनी जबान से नहीं कह पाते कि चुनाव कब तक करा पायेंगे, चाहे वह स्वायत्त शासी संस्थाओं की बात हो, चाहे सहकारी समितियों की बात हो । अभी मंडी समितियों का भी विधेयक माननीय कृषि मंत्री जी लाने वाले हैं, उसमें भी वह कहेंगे कि समय को बढ़ा दिया जाय । मान्यवर, न जाने क्यों जनतांत्रिक मूल्यों से इनको इतनी बड़ी चिढ़ है ? 1982 से 1983 आया, 84 आया, 85 भी गुजरने वाला है, पिछले दस वर्षों में कई दिसम्बर व्यतीत हो गये और हर साल दिसम्बर तक ये समय बढ़ाते रहे । लेकिन चुनाव नहीं हुआ । यह भी दिसम्बर बीत जायगा, चुनाव की घोषणा नहीं करेंगे । स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगरपालिकाओं, महापालिकाओं, टाउन एरिया की दुर्दशा हो रही है । लखनऊ का तो आपके सामने रखा गया था । इलाहाबाद का भी माननीय अनुग्रह नारायण जी ने रखा था और यहां पर रोज नगरपालिकाओं से संबंधित सफाई, बिजली आदि की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा हुआ करती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कई ऐसी संस्थायें हैं जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र कसिया में, कसिया टाउन एरिया जिसकी आमदनी दो लाख रुपया है, वेतन पर एक लाख 90 हजार रुपया खर्च किया जाता है । वहां पर 30 कर्मचारी काम करते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है । जो कोई भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आता है, वह दो-तीन कर्मचारियों की नियुक्ति करके चला जाता है । जनता के लिए सफाई, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है । इनके कंधों के ऊपर नौकरशाही सवार है । इसीलिए ये मजबूर हो गये हैं । नौकरशाही के हाथों में इनकी लगाम चली गयी । जैसा वह चाहेंगे, वैसा ही ये करेंगे । नौकरशाही से अगर ये मुक्त होना चाहते हैं, तो निश्चित तिथि की घोषणा करें । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और कोई तिथि निश्चित करेंगे ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल के विरोध में कुछ कहने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खड़ा हुआ हूं और यह सुनकर बहुत अफसोस और दुःख होता है कि जब बुनियादी सवाल आते हैं और लोकल बाडीज का और स्थानीय निकायों का जिक्र आता है, तो हमारी सरकार उससे भागना चाहती है। तो आखिर इसकी मुद्दत कब तक है, इस एलेक्शन को कब तक टालते रहेंगे ?

जिस तरीके से इमारत की बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक इमारत खड़ी नहीं रह सकती। यह स्थानीय निकाय, नोटीफाइड और टाउन एरिया आदि के हैं, जो एलेक्शन होते हैं यह इसकी बुनियाद है। जब तक इसको आवाम के हाथों में नहीं देंगे तब तक इसका मसाइल हल नहीं हो सकता है। उनको मालूम होता है कि कहां लाइट की जरूरत है कहां किस चीज की जरूरत है। आप एलेक्शन करायें। आवामी नुमाइन्दों के जरिए से, यह सरकार चलाई है इसलिए मैं मांग करता हूं कि चुनाव कराने का एलान करें। (श्री शफीकुर्रहमान वर्क और श्री अनुग्रह नारायण सिंह एक साथ बोलने लगे)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, 11 वर्षों से नगरमहापालिका के चुनाव नहीं हुए हैं। जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए हैं। इसका माननीय मंत्री जी द्वारा एक वर्ष का समय और बढ़ा दिया गया। नगरमहापालिका अधिनियम पेश कर दिया गया। श्रीमन् नगर महापालिकाओं के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायें ये मेरा निवेदन है। हम लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनायी है किन्तु प्रजातंत्र के केन्द्र तक जाने वाली सीढ़ियों में नीचे की सीढ़ियां नगरमहापालिका, जिला परिषद्, टाउन एरिया आदि टूटी हुई हैं। केवल संसद और विधान सभाओं के चुनाव हो रहे हैं। प्रजातन्त्र की निचली सीढ़ी टूटी होने से जिससे जो भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। सड़कों पर ही नहीं मानसिक रूप से भी घर करता जा रहा है। उसको बचाया जाए। मैं इसका विरोध करता हूं इसको वापस किया जाए।

श्री सत्य प्रकाश 'विकल'—

मान्यवर, मैंने अननुमोदन करते हुए जो बात कही मैं उसे फिर से इन शब्दों के साथ दोहराना चाहूंगा कि जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने और माननीय चौधरी जी ने मेरे समर्थन में बात कही मैं फिर उस पर बल देना चाहूंगा कि इन चुनावों को टाल देना नुकसानदायक है। इसको 31 अक्टूबर तक कराने की बात माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कही, उसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। इससे नागरिक जीवन में अव्यवस्था है प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो रहा है और नौकरशाही नहीं चाहती कि स्थानीय निकायों की बागडोर जनप्रतिनिधियों के हाथ में आये। इन चुनावों के न होने से उनके अपने हितों को चोट पहुंचती है। मैं कहूंगा इनको 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने की निश्चित घोषणा करनी चाहिए।

श्री रामगोविन्द चौधरी—

अधिष्ठाता महोदय, मेरे प्रस्ताव के ऊपर पक्ष और विपक्ष के जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे मैं उनका आभारी हूं। मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव को रखते हुए भी कुछ बातें मैंने कही। मैं फिर दो-तीन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा जब से प्रशासक नगर महापालिकाओं में, नगरपालिकाओं में टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में नियुक्त हुये हैं, तब से 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। चाहे पानी का टैक्स हो, रिक्शा का हो और मान्यवर झांसी में तो साइकिल का टैक्स 6 रुपये कर दिया गया। चुंगी को

दर में बढ़ोत्तरी हो गई । सब चीजों के टैक्स बढ़ा दिये गये । इसलिये कि जब जन प्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि रहता है तो जनता का आर्थिक और माली हालत देखकर टैक्स लगे न लगे या माफ करने का काम करता है । लेकिन प्रशासक को जनता से क्या लेना देना है । जनता की आर्थिक हालत क्या है टैक्स बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकता है । उनको तो अपनी आमदनी कितनी बढ़ जाय कैसे वह खुशहाल हो जायं और उनके बच्चे कानवेन्ट में पढ़ सके, कितना बढ़िया सोफा उनका हो जाय यह चिन्ता रहती है ।

जनतंत्रीय पद्धति से चुनाव न कराने के कारण ये नगरपालिकायें, नगर महापालिकायें, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया अस्त-व्यस्त हो गई है । कोई विकास का काम नहीं हो रहा है । कई नगरपालिकायें ऐसी है, जिनमें कई वर्षों से सफाई मजदूरों का जो बिल्कुल गरीब हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, कपड़ा नहीं है, उनकी तनख्वाह नहीं मिली है । इन तमाम बातों के होते हुए मैं जानता हूं कि मंत्री जी चुनाव नहीं करायेंगे । जैसा गुप्ता जी ने कहा परन्तु मैं जानता हूं कि मंत्री जी निश्चित घोषणा कर दें कि अक्टूबर तक चुनाव करा देंगे मंत्री जी चुनाव नहीं करायेंगे इसलिए प्रवर समिति को देने के प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

माननीय अधिष्ठाता जी यह बहुत छोटा सा संशोधन है । इसकी अवधि 27 अप्रैल 85 को खत्म हो गई, इसलिये इसकी अवधि बढ़ाना थोड़ी जरूरी समझा गया । 6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में 15 तारीख को आश्वासन दिया था कि चुनाव जल्द से जल्द करायेंगे । उन्होंने प्रक्रिया भी बता दी थी । कि एक लाख या एक लाख से कम आबादी का चुनाव प्रथम चरण में होगा, इससे ज्यादा का द्वितीय चरण में होगा । सरकार का निश्चित मत है, हमारी पार्टी का निश्चित मत है कि चुनाव होंगे । इसमें सन्देह नहीं है । जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें । उनकी सुविधा के लिये हम यहां बैठे हैं, मुझे सम्बोधित करें ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

खण्ड—2

(2) यह 31 दिसम्बर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 की तीसरी पंक्ति के अन्त में शब्द और अंक "31 दिसंबर" के स्थान पर शब्द और अंक "31 अक्टूबर" रख दिये जायं ।

मान्यवर, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । माननीय विशारद जी की बात सुनी और मुख्यमंत्री जी की भी कल बात सुनी थी । मैं समझता हूं कि अक्तूबर वाला जो संशोधन है वह बहुत सही है । इससे प्रदेश की जनता में एक आशा जागेगी कि चुनाव होने जा रहे हैं । इसलिए कृपा कर इस संशोधन को स्वीकार कर लें । 3 महीने में चुनाव हो जाय । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे और सर्वसम्मति से एक साथ मिलकर एक नयी परम्परा कायम करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, इसको आप स्वीकार कर रही हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को तीसरी पंक्ति के अन्त में शब्द और अंक "31 दिसम्बर" के स्थान पर शब्द और अंक "31 अक्टूबर" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—3

धारा 3 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 की दूसरी पंक्ति में शब्द और अंक "31 दिसम्बर" के स्थान पर शब्द और अंक "31 अक्टूबर" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी आपको स्वीकार है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 की दूसरी पंक्ति में शब्द और अंक "31 दिसम्बर" के स्थान पर शब्द और अंक "31 अक्टूबर" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1985" रख दिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 की दूसरी पंक्ति के अन्त में शब्द और अंक "31 दिसंबर" के स्थान पर शब्द और अंक "31 अक्टूबर" रख दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी आपको स्वीकार है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 की दूसरी पंक्ति के अन्त में शब्द और अंक "31 दिसम्बर" के स्थान पर शब्द और अंक "31 अक्टूबर" रख दिये जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 5, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1985 का निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश वारा यथासंशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश, नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।"

मान्यवर, मुझे यह अननुमोदन का प्रस्ताव इसलिये प्रस्तुत करना पड़ा, क्योंकि मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इस अध्यादेश के आधार पर बने हुए विधेयक से सिद्धांततः असहमत हूं और वह यह है कि जैसा कि अभी पहले वाले बिल पर बोलते हुए सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो हमारे जनतांत्रिक इन्स्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, उन पर सरकार ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की है कि उनमें जन-प्रतिनिधि न जाने पावें । मैं इस बात का सिद्धांततः विरोध करता हूं । जो मण्डी समितियां हैं, इनका मूल गठन कृषकों के हित में बिचौलियों को हटाने के लिए और व्यापारियों के शोषण से उनको मुक्त करवाने के लिये किया गया था । आज जन-प्रतिनिधि नहीं हैं तो पूरे प्रदेश में ये समितियां बनीं तो लेकिन काश्तकारों का हित नहीं हो रहा है और बिचौलिये फायदा उठा रहे हैं । इसमें मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं । कुछ दिनों के लिये जनता पार्टी की सरकार आयी थी, हम सब लोग उसमें भागीदार थे । सरकार का ध्यान पहली बार इस ओर गया । मान्यवर, आपका भी उसमें सहयोग था । यह ध्यान गया कि आखिर जो वहां पर कटौती का पैसा इकट्ठा होता है मण्डियों में, इसका उपयोग क्या किया जाय ? क्या बिल्डिंगें बना दी जाय । लेकिन यह विचार किया गया कि इससे किसानों और काश्तकारों का हित होना चाहिये ।

मैंने पढ़ा था कि 1982-83 में 17.08 करोड़, 1983-84 में 27.0 करोड़ और पिछले साल 1984-85 में 32 करोड़ रुपये की आमदनी मण्डियों से हुई । तो यह जो इतना पैसा डिपाजिट हुआ, इसका क्या होगा । जिस समय यह अधिनियम बनाया गया, उसके उद्देश्य और कारण में आप देखें लिखा है कि किसानों के हित के लिये काम किया जायगा । जनता पार्टी के समय में यह फैसला किया गया कि इस पैसे का गांव में किसानों की उन्नति के लिये उपयोग करेंगे । माननीय विधायकों को याद होगा कि उस पैसे से गांव की सड़कें बनने लगीं, पुल पुलिया बनने लगे और जितना पैसा मण्डी शुल्क का था, किसानों और गांव के हित में खर्च करना प्रारम्भ कर दिया गया । सरकार बदली । उसका परिणाम यह हुआ कि पैसा वहीं पर पड़ा है । अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मण्डी में चले जाइये, एक तो मण्डी स्थलों का चयन सब जगह गलत किया गया । हरदोई का मेरे पास पत्र रखा हुआ है, शाहाबाद के माननीय सदस्य बैठे हैं, सीतापुर का भी पत्र मेरे पास है कि चयन गलत हुआ है, फिर भी जो मण्डियां बनी हुई हैं, वहां न तो काश्तकारों के लिये पानी की व्यवस्था है, न ठहरने की व्यवस्था है और न शेड की व्यवस्था है । दुकानें बन गयी हैं तो नीलाम कर दीजिये । वहां एक नयी व्यवस्था होने जा रही है, उसका प्रयोग सफल होगा या नहीं, पता नहीं । आज की स्थिति में काश्तकार का हित किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रहा है । बिसवां के माननीय सदस्य बैठे हैं, वहां 12-14 मील दूर जहांगीराबाद में मंडी है । कुल मण्डियां हैं 253 और उप मण्डियां हैं 373, लेकिन जहांगीराबाद की उपमंडी में बाबू नहीं रहता । गेट पास लेना होता है, तो उसके लिये वे बिसवां आते हैं । आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि मण्डी समिति काश्तकार के हित का नहीं टैक्स कलेक्शन का साधन बन गयी है । मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की एक-एक इंच भूमि मंडी समिति के पास हो गयी है । मण्डी समिति के बाजार बने हैं, लेकिन शहर के बाहर बने हैं, लकड़ी के बाजार कहीं हैं, कोयला कहीं है । अगर कोई गेट पास लेना चाहता है तो रात्रि को बाबू को उसके घर से, उसे जगाकर, फिर वह ले पाता है । मैं कहना चाहता हूं 24 घंटे मंडी पर गेट पास बनाने के लिये आदमी की व्यवस्था होनी चाहिये ।

बिना गेट पास लिये मंडी से सामान बाहर निकल जाता है और अगर सामान पकड़ लिया गया है, तो उस आदमी का चालान कर दिया जाता है, जो सामान लेकर जा रहा है । अगर आप में हिम्मत है, साहस है तो आप नियमों में परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दें कि बिना गेट पास के मंडी के बाहर अगर माल पकड़ा गया, तो उस मंडी समिति के सचिव का चालान कर दिया जायेगा । आप देखेंगे इससे कल ही सारा भ्रष्टाचार बंद हो जायेगा ।

मैंने अपने यहां के एक मामले को दिया था, और भी तमाम मामले मंत्री जी की संज्ञान में होंगे । आपके यहां 9 आर0 और 6 आर0 के तहत मंडी शुल्क जमा होता है, जब उस फर्म पर एरियर हो जाता है तो वह अगर फर्म बदल दे तो आपके यहां कोई नियम नहीं है कि आप वसूली कर सकें ।

मान्यवर, मंडी समितियों में कामदार लोग डेलीवेजेज पर पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं । मैंने विधान सभा में भी इसकी बाबत सवाल किया था कि क्या शासन विचार कर रहा है उनके नियमितीकरण के बारे में । शासन भी अपनी समय-समय पर नीतियों की घोषणा करता रहता है । इनकी बाबत कमेटी की रिपोर्ट भी है । आप कहते हैं कि नियमन वेजेज एक्ट लागू नहीं होता, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होता । लेकिन, किसी मानवता का एक्ट तो लागू होगा । आप यह घोषणा करें कि 3 साल से जितने डेलीवेजेज पर कामदार मण्डी समितियों में काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण हो जायेगा । महौली में मैंने किसी आदमी को लेकर, उसके बारे में टेलीफोन किया था ।

श्री अधिष्ठाता—

संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, जांच के प्वाइण्ट आफ विय्यू से इस बात को कह रहा हूं ।

मैंने कहा कि इसे आप नियमित कर दो यह पिछले कई वर्षों से डेलीवेजेज पर कार्यरत हैं । यह जानकारी मिली कि सबका करने जा रहे हैं । एक लिस्ट भी कलेक्ट कर ली है । बाद में पता चला कि उससे कहा गया कि 2 हजार रुपये लेकर आओ नियमित कर देंगे । यह ज्ञात है कि सब नियमित होंगे । मंडी वाले सब कामदार के पास पहुंच कर कहते हैं कि 2 हजार रुपये लाओ नियमित कर दें । मैं चाहूंगा कि आप इस नीति की घोषणा करें कि तीन वर्ष से अधिक जिनको हो गया है, उन सबको आप नियमित करें । दूसरे किसी भी मण्डी पर न तो छनाई की व्यवस्था है और न सफाई की व्यवस्था है । जो पहले काश्तकारों के साथ शोषण होता था कि इस नाम पर चुंगी उस नाम पर चुंगी । वह चीज अभी भी सब जगह चल रही है । इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप चुनाव करा दें तो इसका परिणाम यह होगा कि लोग समय से काम करेंगे और सारी व्यवस्थायें ठीक हो जायेंगी ।

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, सिद्धांततः विरोध करता हूं । इसमें आपने 2 वर्ष और 3 वर्ष की बात कही है । अगर आपकी नीयत साफ है और आपको जनता का विश्वास प्राप्त करना है तो आप घोषणा करें कि हम मंडी समितियों को जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं । आप संशोधन को स्वीकार करें और यह कहें कि हम मंडियों को जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में देने के लिये तैयार हैं । इसी के साथ मैं अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह—)

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं और मैं अपने . . .

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पहले प्रस्ताव तो पढ़ लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी पहले आप प्रस्ताव रख दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह संशोधन बहुत मामूली सा संशोधन है । हमारे माननीय विद्वान मित्र श्री गुप्त जी भी किसी न किसी रूप में इससे सहमत नजर आते हैं । क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष की जगह पर ढाई वर्ष का प्रस्ताव किया है । इससे यह स्पष्ट है कि वह नीति के आधार पर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि इस बात से सहमत हैं । सिर्फ बात यह है कि एक वर्ष या 6 महीने की । इलेक्टोरल कालेज बनने की बात है । जब तक इलेक्टोरल कालेज नहीं बनते तब तक मण्डी समितियों का चुनाव नहीं कराया जाता और मैं यह निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूं कि जैसे ही इलेक्टोरल कालेज बन जायेंगे . . . . .

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इलेक्टोरल कालेज में अब किन-किन के आने की गुंजाइश रह गई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैं बता रहा हूं । धारा 13 के तहत यह है कि "वन रिप्रिजेन्टेटिव आफ दि लोकल बाडीज अदर दैन दि जिला परिषद्, ग्राम समिति, ग्राम समाज एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्सन ओवर दि प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स और सब मार्केट यार्ड्स और पार्ट आफ दि अदर ।" दूसरा जो है वह यह है "वन रिप्रिजेन्टेटिव आफ कोआपरेटिव मारकेट एसोसिएटेड . . ."

श्री अधिष्ठाता—

आप इसका अनुवाद कर दीजिए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अभी इलेक्टोरल कालेज पूरे नहीं हुए हैं । जैसे ही यह पूरा हो जायेगा, चुनाव कराये जायेंगे । गुप्ता जी ने जो सुझाव दिये हैं, बहुत अच्छे हैं । मैं चाहता हूं कि गुप्त जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन का प्रस्ताव रखता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, मण्डी समिति का गठन 1964 में हुआ था । लेकिन 1964 से लेकर आज 1985 तक, लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं, मण्डी समितियों को जनप्रतिनिधियों के हाथ में नहीं सौंपा गया । इस 21 वर्ष में 18 वर्ष केवल कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा । इन 18 वर्ष के अन्दर, चाहे उसे आप तानाशाही कहें, जनता में विश्वास नहीं है, यह कहें, ये चुनाव नहीं करा पाये । अब ये कहते हैं कि आपकी सरकार भी तो थी । जनता में विश्वास नहीं है यह कहें, तो हमने चुनाव नहीं कराये, यह बात सही है । परन्तु जन प्रतिनिधियों का नामांकन करके मण्डी समितियों को जन प्रतिनिधियों को सौंप दिया और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अगर

थोड़े दिन और शासन चलाने का मौका हमको मिला होता तो निश्चित रूप से हम इसका चुनाव करा देते । आप तो किसानों के हमदर्द हैं और किसानों के नेता कहे जाने वाले चौधरी साहब के अनन्य भक्त भी रहे हैं मगर अब तो राजीव गांधी जी के हो गये हैं । इसमें कितनी गफलत हो रही है, आप समझ नहीं रहे हैं । आपके पहले जो मंत्री जी थीं, इन्होंने भी 17 तारीख 1984 को सदन में एक वर्ष बढ़ाने के लिए बिल ले आयी थीं और उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा था कि एक छोटा सा संशोधन ले आयी हूं । इन्होंने इस सदन में कहा, यह संशोधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें बड़ी निरंकुशता और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और यह सब इन लोगों की वजह से होता था जो लोग डेपूटेशन पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से आते थे । जब इस बिल को इस टेबिल पर ले आयी थीं तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है और वह इसलिए है कि इसमें कोई कैडर नहीं बन पाया है । डेपूटेशन के लोग इसमें आते हैं तो इस विभाग की बात को, विकास की बात को, किसानों के हितों को न सोच कर केवल अपने फायदे की बात सोचते हैं । उस समय मंत्री जी ने

(व्यवधान)

कहा था कि चार श्रेणियों का कैडर बनाने जा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह क्यों नहीं बन पाया । चुनाव आज तक नहीं करा पाये और मंत्री जी, हमको तो समझ में ही नहीं आता कि 77 से आज तक हम लोग बोल रहे हैं, मंत्री लोग भी अपना प्रस्ताव रखते रहे हैं, हम लोग भी, जैसा गुप्ता जी ने कहा, एक मिसाल दी, जन प्रतिनिधियों के हाथ में हम लोगों ने दिया और जो पैसा मण्डी समिति का था उससे सड़कें, पुलिया, पुल बनाने का काम किया । लेकिन जब आप लोग आ गये तो सड़कें बनाने का काम बन्द कर दिया । इसलिए कि हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है, मुकदमा दायर कर दिया है लेकिन जो अतिरिक्त विकास शुल्क लगा है, उसका हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया । उसका सदुपयोग किसानों के हित में करना चाहिए लेकिन उसका भी उपयोग किसानों के हित में नहीं हो रहा है ।

आज मण्डी समिति, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए प्रशासन का एक अच्छा-खासा चरागाह बन कर रह गया है । मैं तो चाहता हूं कि चुनाव करायें और घोषणा कर दी जाय कि 15 दिन के अन्दर या तो चुनाव करा दिया जायेगा या जन-प्रतिनिधियों को सौंप दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

मैं, यह भी सुझाव देता हूं कि जहां मण्डी समिति हों, वहां के विधायकों को उसका अध्यक्ष बना दिया जाय ।

(व्यवधान)

या कांग्रेसी विधायक लोगों को ही मण्डी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाय या कांग्रेसी विधायकों को ही मनोनीत कर दिया जाय, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके ही दल में ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों के भी बाप बन जायेंगे खाने कमाने में । इसलिए आपके सामने असमंजस की स्थिति है । आप चुनाव की घोषणा करें न करें, जन प्रतिनिधियों के हाथ में दें और जो अतिरिक्त शुल्क रखा है किसानों के नाम पर जो सुविधा देनी है, दीजिए तभी मण्डी समितियों से लाभ हो सकता है नहीं तो आप चुनाव को टालते जाओगे तो पुनः थोड़े दिनों में विरोध पक्ष के लोग सत्ता में आने वाले हैं और वे चुनाव करा दिया तो आपकी पोल खुल जायगी कि चुनाव नहीं करा पाये । किसानों के हित की बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव करा दीजिये ।

(श्रीमती बेनी बाई के आगमन पर)

माननीया मंत्री जी आ गयीं, इन्होंने कहा था कैडर-श्रेणी बना दिया जायेगा। यह तो मनमानी है कि जिसको चाहिए लाकर नियुक्त कर दीजिये, जब चाहिए हटा दीजिए। सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिये प्रवर समिति को सुपुर्द करने की अपनी बात पर बल देता हूं।

*श्री राम सजीवन—

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों का गठन 20 वर्ष पहले हुआ था। लक्ष्य था कि किसानों का और उपभोक्ताओं का, उनका जो अहित होता है और शोषण होता है बिचौलियों द्वारा, गल्ले के व्यापारियों द्वारा, उसको समाप्त किया जाय। यह इस विधेयक का और समितियों के निर्माण का लक्ष्य था, लेकिन आज 20 साल बाद देखें उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाये हैं। अन्त में लक्ष्य यह भी था कि कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के कार्यकाल को लगातार आगे बढ़ाते हुए गल्ला व्यापारियों द्वारा जो शोषण होता है किसानों का, उपभोक्ताओं का, उसको समाप्त किया जाय और अन्त में सर्वोपरि लक्ष्य था गल्ला व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके सदैव के लिये बिचौलियों को खत्म कर दिया जाय, लेकिन आप इस दिशा में कितने आगे बढ़े हैं? यह जो मण्डी समितियां बनायी हैं, लगातार खराब हालत की ओर जा रही हैं, अफसरशाही बैठी है। अगर आज मण्डी समितियां सही ढंग से काम नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से गल्ले के व्यापार का राष्ट्रीयकरण, हालांकि यह तो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन हम अपने प्रदेश में भी इस दिशा में काफी आगे बढ़ सकते हैं, अगर सरकार चाहे, लेकिन यह सरकार समाजवाद नहीं चाहती और न किसानों का उपभोक्ताओं का, जनता का भला चाहती है। यह चाहती है कि गद्दी आबाद रहे और अफसर खुशामद करते रहें।

मेरा निवेदन है कि इस दिशा में आपका भी लक्ष्य समाजवाद है और इधर जो दल बैठे हैं, उनका भी समाजवाद लक्ष्य है। किन्तु 3 साल में इन्होंने भी इस दिशा में वर्ष 1977 से 80 तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बैठे हैं और तमाम दल बैठे हैं, बोस जी बैठे हैं, ये सभी मन्त्री थे, 3 साल में इन्होंने भी गल्ले के व्यापार के राष्ट्रीयकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिये कृषि उत्पादन मण्डी समितियों को सक्षम बनाने में कोई भूमिका नहीं निभायी। अभी गुप्त जी, जो बिचौलियों के समर्थक हैं, इन्होंने कहा कि वे समाप्त हो जायं तो अच्छा है। इन्होंने सदन को जागृत किया है। मैं इसलिये चाहता हूं कि वास्तव में कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के मंत्री जी और आप तो किसानों के हितैषी हैं, पता नहीं आपकी बुद्धि को लकवा मार गया है या क्या हो गया है जो कुछ करते नहीं हैं।

तो मेरा निवेदन यह है कि कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायं और एलेक्ट्रोलर यानी मतदाता मण्डल जैसा कि अभी आपके तरफ के भी विधायक कह रहे थे, 20 साल तक नहीं बन सकता है और न बीस साल से बन पाया है। मंत्री जी, जब कभी नहीं इसको बनना है तो चुनाव भी कभी नहीं होने हैं। ऐसी हालत में पूरे सदन की भावना को देखते हुए माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एलेक्टोरल मण्डल की व्यवस्था करायें और कृषि मण्डी समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी करायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

अधिष्ठाता जी, कृषि मंत्री जी का मैं बड़ा आदर करता हूं । उनके प्रति मेरे मन में बड़ी आस्था है । जो घोषणा वे सदन में कर रहे हैं, यदि उनका व्यक्तिगतवश चलता तो मैं समझता हूं कि वे उसे पूरा कराने का प्रयत्न करते । माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जैसा कि माननीय सदस्य, सीतापुर ने सुझाव दिये हैं उनसे वे सहमत हैं । हो सकता है कि जब वे रिप्लाई देने के लिये खड़े हों तो वे उन सारी चीजों पर विचार भी करें । राजेन्द्र गुप्त जी ने अपने सुझाव में कहा कि करप्शन हो रहा है, नम्बर 2 का व्यापार हो रहा है सचिवों की साजिश से । मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि भ्रष्टाचार में जो सचिवों का सहयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन पर निर्धारित की जा सके ।

माननीय राम गोविन्द चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और कोई ज्यादा समय भी नहीं मांगा है । केवल एक माह का समय मांगा है कि वह समिति अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर दे । यदि मंत्री जी इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं तो उनकी या सरकार की सदाशयता पर कोई संदेह नहीं है । फिर मंत्री जी आज सदन में घोषणा कर दें कि मंडी समितियों के अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों को ही बनायेंगे । मैं कहता हूं कि भ्रष्ट से भ्रष्ट सामाजिक जीवन का राजनैतिक कार्यकर्ता, सक्षम से सक्षम नौकरशाह से ज्यादा अच्छा काम करेगा यह डेमोक्रेसी की मूलभूत भावना है । उसी भावना के आधार पर, उस भावना का आदर करके मेरी माननीय मंत्री जी से पुरजोर प्रार्थना है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वे स्वीकार कर लें या फिर सदन में घोषणा कर दें कि मण्डी समितियों में अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों को वे नामजद करायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कोई विधेयक पर भाषण नहीं करना चाहता केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, मण्डी समितियों के चुनाव करवाइये । जब तक चुनाव नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप इस बात की घोषणा करें कि मण्डी समितियों में जनप्रतिनिधि को आप नामजद कर देंगे । जब तक कि चुनाव नहीं होते हैं । नामजद सदस्य कार्य संभाले ।

जैसा कि अभी तिवारी जी ने भी कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि सरकारी व्यक्तियों से अच्छा काम करेगा । मान्यवर, श्री हरदेव राम जैसा ही जन प्रतिनिधि क्यों न हो, मण्डी समिति का अध्यक्ष होने पर वह अधिकारियों से अच्छा काम करेगा और कम से कम बुरा काम करेगा । जन प्रतिनिधि समिति का अध्यक्ष हो जायेंगे तो अधिकारियों से ज्यादा अच्छा काम करेंगे और पूरा काम करेंगे । मैं गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मण्डी समितियों में जन प्रतिनिधियों को नामजद कर दें । जनता राज्य के जमाने में 12-12 किलोमीटर की सड़कों को प्रत्येक मण्डी समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से बनवाने की स्वीकृति दी किन्तु आज तक सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, उन सड़कों को पूरा करवा दिया जाय । ये सड़कें मण्डी से मिली जुली सड़कें हैं उन छोड़ी हुई सड़कों को आप पूरा करवायें । इसमें हाईकोर्ट कहीं बाधक नहीं होगा । इन सड़कों का उपयोग मण्डी हेतु सभी के द्वारा होता है । सभी के लाभ के लिए यह सड़कें हैं इसलिए इन दो बातों की ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं और पुनः बल देता हूं और गम्भीरता के साथ यह सुझाव रख रहा हूं कि आप इसे जनप्रतिनिधियों

को सुपुर्द कर दें ताकि वे सतर्कता और सुचारु रूप से मण्डी समितियों का कार्य करें ।

श्री अधिष्ठाता—

पाण्डेय जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये । कोई नया प्वाइण्ट हो तो कहिये । एक ही बात बार-बार दोहराई जा रही है ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मण्डी समितियों के सम्बन्ध में जैसाकि और माननीय सदस्यों ने कहा कि जनता पार्टी के राज्य में जन-प्रतिनिधियों के नामित होने से यह तो निश्चित है कि आय में वृद्धि हुई थी और जब आय में वृद्धि होती है तो खर्च कम हो जाता है । आज जो खर्च 18 प्रतिशत है, वह 14-15 प्रतिशत हो जाता है और उसमें अन्य तरह के साधन उपलब्ध होते हैं, रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मान्यवर, इसमें बहुत चोरी होती है । मैं स्वयं इसका अध्यक्ष रह चुका हूं और मुझे इसकी पूरी जानकारी है । मैं निवेदन करूंगा कि इसमें बड़ी कड़ाई से कार्य करें । क्या कारण है कि सब लोग इसमें जाना चाहते हैं । यहां के डाइरेक्टर तक सिफारिश करते हैं और बड़े-बड़े अफसर इसमें आना चाहते हैं । इसको कोई देखने वाला नहीं है जिससे बहुत वित्तीय स्थिति आपकी खराब हो जाती है । जैसा माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा कि सारा रुपया आप अपने कोष में रखते हैं । आप किसानों का पैसा लेते हैं । आप जो किसानों से दो प्रतिशत के करीब वसूलते हैं उससे क्या आपने किसानों को कोई सुविधा दिलाई है । हर बार झरने की व्यवस्था होती थी । आज कहीं कोई व्यवस्था नहीं है । न कोई सेट है और न ही झरना उपलब्ध कराया गया है किसानों को । इसका कारण यह है कि वहां के जो अधिकारी होते हैं वह और कर्मचारी मिलकर फर्जी वाउचर बना लेते हैं और सारा रुपया रख लेते हैं । मान्यवर, इसमें आप थोड़ा सा सुधार कर लें वह यह कि कोई गरीब आदमी देहात का आदमी सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अगर वह साबित न कर पाये कि वह किसान है तो वह साबित कहां से कर पायेगा इसके लिए आप कोई तरीका निकालिये नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसान है । आपके विभाग के लोग कहते हैं कि मण्डी शुल्क दो । क्या पता है कि कौन किसान है । मेरे क्षेत्र के पास ही बनी बाजार लगती है जो नेपाल से सौ किलोमीटर दूर है । और वहां से 15 किलोमीटर दूर प्रोफेसर साहब के विभाग मार्केटिंग वाले बैठ जाते हैं कि वे नेपाल ले जा रहे हैं । जो सड़कें बनती हैं, जो अपना रुपया आप सार्वजनिक निर्माण विभाग को चेक के माध्यम से भेजते हैं, तो आप जिले के स्तर पर इस तरह का अपना विभाग क्यों नहीं बना लेते हैं । आपका अपना जूनियर इंजीनियर हो जो इस काम को करें । मान्यवर, आपको स्मरण होगा जनता पार्टी के राज्य में एक-दो लाख रुपया इस उद्देश्य से सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया गया था, उसका आज तक पता नहीं चला कि वह रुपया कहां गया कहां नहीं गया । इसलिये आप अपनी व्यवस्था करें जिससे वहां का कार्य हो सके । अतः आपसे अपेक्षा है कि आप मुनाफा कमाने की प्रतिज्ञा करें । वैसे आप धोखा करने वाले नहीं हैं ।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बांदा जनपद की बबरू तहसील के कर्मासिल ब्लाक को किसनपुर मण्डी से मिला दिया गया है और यह व्यवस्था जब से मण्डी समिति अधिनियम लागू हुआ तब से वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बांदा और फतेहपुर जनपद के बीच में . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी, यह जो अननुमोदन का संकल्प है और जिस पर माननीय राम गोविन्द चौधरी ने संशोधन पेश किया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं उसमें कुछ और बातें आप कहना चाहते हैं ? यह तो आप उसके वास्तविक व्यौरे में जा रहे हैं ।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, वहां पर जो विचौलिये होते हैं वे काश्तकारों का शोषण करते हैं । पैसे के लेन-देन में अड़चन पैदा करते हैं । बांदा मंडी समिति में स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है । एक मील दूर मंडी समिति है शहर से । जिससे रुपये के लेन-देन में बड़ी कठिनाई होती है । मैं इस सूचना के साथ यह उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ।

श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह कांग्रेस सरकार मंडी समितियों का चुनाव गत 20 वर्षों से नहीं करा पा रही है लेकिन मुझे खुशी है कि वर्तमान कृषि मंत्री जो हैं उनमें आत्मा हमारी है और चोला कांग्रेस का है । इसलिये मेरा उनसे अनुरोध है कि वे यह कार्य अपनी आत्मा से करें । (व्यवधान) । मंडी समितियों का चुनाव कराके यदि उसे जनप्रतिनिधियों के हाथ में नहीं दिया गया और आप चुनाव नहीं करा सके । 22 मई 1985 तक आप इन मण्डी समितियों का चुनाव करा देंगे, यह आपने कहा था । तदर्थ समितियों को नियुक्त करने के बारे में भी आपने कहा था लेकिन वह भी नहीं करा सके । जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा बुरे से बुरा जन प्रतिनिधि भी अच्छे से अच्छे अधिकारी से ज्यादा काम करने वाला साबित होगा । लेकिन यदि इनके दल द्वारा तदर्थ समितियों का चुनाव होता है और उनमें फूट पड़ जाती है तो उनको यह भय है कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे । इसलिये ये तदर्थ कमेटियां भी नहीं बनवा पा रहे हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मंडी समितियों का चुनाव न होने से बहुत नुकसान हो रहा है । दो नम्बर का व्यापार फलता-फूलता जा रहा है और मंडी समितियों की आय बहुत कम होती चली जा रही है जिसकी वजह से किसानों के लिये न तो मंडी में अपना गल्ला ले जाने के लिये सड़कें बना सकते हैं और न उनके लिये छोटी सी छोटी सुविधा उपलब्ध है । यहां तक कि मंडियों में एक गिलास पानी पीने के लिए प्याऊ तक की व्यवस्था नहीं है । जिससे किसान अपनी प्यास बुझा सके ।

इसके साथ ही जो मंडी समितियां ऐसे स्थानों पर हैं जो दूसरे राज्यों से लगी हुई हैं वहां पर हमारे राज्य के व्यापारी दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं । मैं अपने क्षेत्र की फतेहपुर और अच्छनेरा के बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वहां पर गल्ला न आकर भरतपुर मंडी में चला जा रहा है । दूसरे राज्य उससे आमदनी कर रहे हैं और हमारे यहां का किसान उचित सुविधा न होने के कारण वहां चला जाता है उससे हमारी आमदनी गिरती चली जा रही है । इसलिए मैं अधिक समय न लेता हुआ जो माननीय राम गोविन्द चौधरी ने प्रवर समिति में भेजने के लिए एक महीने का समय मांगा है उसका समर्थन करता हूं और उसमें विचार होने के बाद इसमें संशोधन कर देना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं केवल एक बिन्दु कह कर अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल दूंगा ।

?वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका एक बिन्दु एक घंटे में बदल जाता है। समय का ख्याल करें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, बिन्दु से ही सागर बनता है। माननीय मंत्री जी ने इलेक्टोरल कालेज की बात कही। तो उसमें केवल लोकल बाडीज की कमी रह गयी है। तो विधान परिषद् में न जाने कितनी सीटें उसकी वजह से खाली पड़ी हैं उससे कोई संवैधानिक कठिनाई की तो बात नहीं हो गयी है। इलेक्टोरल कालेज जो बनना है उसकी वजह से कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि बाकी सब सामने आ गये हैं, गांव प्रधान बन गये हैं, ब्लाक प्रमुख बन गये हैं, व्यापारियों के प्रतिनिधि भी बने हैं, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति, टाउन एरियाज आदि सब आपके पास हैं, कोआपरेटिव में भी जो प्रशासक आपने भेजे हैं उनको निर्वाचित प्रतिनिधि की हैसियत से नामांकित किया है उनका वोट मान लिया गया है। केवल इलेक्टोरल कालेज वाली बात रह गयी है। केवल कानून की अनभिज्ञता की बात कह कर यह न कहें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तत्काल आप चुनाव करा दें।

एक महत्वपूर्ण सुझाव रह गया था। गरीब किसान अपना माल लेकर मंडी में जाता है अगर उसको सही दाम नहीं मिले तो उसको वह वापस लाना चाहता है। इसमें कुछ बेइमानी हो सकती है कि व्यापारी भी कहें कि हम किसान हैं लेकिन उसके लिए आप कोई प्रमाण-पत्र की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कोई किसान अपना गल्ला बेचने के लिए लाया और वह ठीक दाम न मिलने के कारण अपना बिना बिके माल को वापस ले जाना चाहता है तो उसे मंडी शुल्क नहीं पढ़ना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपका इलेक्टोरल कालेज बना हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से आप चुनाव कराने की घोषणा कर दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

अधिष्ठाता महोदय, मेरे प्रवर समिति के प्रस्ताव पर जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा कि आज तक वहां के कर्मचारियों का सर्विस रूल भी नहीं बन पायी है और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है कि उनकी नौकरी का क्या होगा। इसका प्राविधान आज तक मंडी समितियां नहीं कर सकी हैं।

ऐसे ही विकास के काम रुके पड़े हैं और जो पैसा रुका पड़ा है उसकी बरबादी हो रही है। इसलिए लूट खसोट के लिए समय बढ़ाने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं माननीय मंत्री जी दे दें तो दे दें। वैसे आप तो किसानों के ही वर्ग से आते हैं आपको मैं जानता हूं लेकिन आप पुराने कांग्रेसियों के जाल में कैसे फंस गये जो समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।

मेरी समझ में नहीं आता है कि आप वास्तव में, जैसे आप जनता पार्टी के शासन काल में राज्य सभा में हेकड़ी से कहते थे कि जनतांत्रिक तरीकों से हम सत्ता में आये हैं और कांग्रेस जनतांत्रिक मूल्यों का हनन करती है, तो आज आप में वह भावना क्यों नहीं है कि खड़े होकर कह दें कि मैं मंत्रिमंडल से सिफारिश करता हूं कि मंडी समितियों का चुनाव करायेंगे और कर्मचारियों के सर्विस रूल बनायेंगे एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे इसलिए मंत्रिमंडल हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें। लेकिन पता नहीं क्यों मंत्रि परिषद् में रहने के लालच से या अधिकारियों के दबाव से चुनाव नहीं करा रहे हैं।

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव प्रवर समिति को सौंपने का है जिसमें एक महीने का समय लगेगा लेकिन यह तो एक साल के लिये बिल लाये हैं, इसलिये मेरे प्रस्ताव पर

अनुमति दें दें । मान्यवर, मंत्री जी उदार मन से, सहकारिता मंत्री और श्री गोपी नाथ दीक्षित जी भी बैठे हैं, जो यदि किसानों के प्रति उदार हैं, उनसे हमदर्दी है तो आज ही मंत्री जी घोषणा करें कि वे अमुक तारीख के बाद चुनाव करायेंगे तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा और यदि ऐसी घोषणा नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि वह पूंजीपतियों और अधिकारियों के हमदर्द हैं और उत्तर प्रदेश की उन्नति नहीं चाहते हैं इसलिए मैं प्रवर समिति को सौंपने के अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये और जो भावना उन्होंने व्यक्त की वह भी अपने आप में निरर्थक नहीं है । लेकिन यह कहना कि कांग्रेस जनतंत्र विरोधी है, मैं समझता हूं यह बात मुनासिब नहीं है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस प्रजातंत्र पर यकीन करती है, जनतंत्र पर यकीन करती है और देश में प्रजातंत्र, जनतंत्र निश्चित रूप से कांग्रेस की देन है । तो यह कहना कि हमारा जनतंत्र पर विश्वास नहीं है, यह बात मुनासिब नहीं है ।

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव रखे । उन्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने एक कमेटी बनायी भी है जो इस अधिनियम में कठिनाई है और जो कमजोरियां हैं उनको किन तरीकों से दूर किया जाये, इस पर सुझाव दें ।

मान्यवर, श्री गुप्त ने भ्रष्टाचार की बात कही, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि वह कोई विशिष्ट शिकायत और कुछ सबूत देंगे तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा, इतना उनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा । और जो दो-तीन उन्होंने सुझाव दिये हैं, वह अच्छे सुझाव हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरे पास जिलाधिकारी महोदय का साइक्लोस्टाइल पत्र है, अभी मैं उसको आपके पास भेज दूंगा ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

हमारे युवा मित्र, विधायक चौधरी जी ने बड़े जोश से कुछ बातें कही हैं, उनकी बातों में भी दम है और मैं समझता हूं कि वह निरर्थक नहीं है । मैं यह मानता हूं कि अगर इससे प्रशासकों को हटाकर-अधिकारियों के बदले यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों को दिया जाए और जनता के लोग उसमें हों तो बेहतर कार्य होगा । यह बात सही है और हमारे इधर के मित्र भी यह महसूस करते हैं और हम भी इससे पूरी तरह सहमत हैं । हमारा यह प्रयास होगा कि जैसे ही एलेक्टोरल कालेज बन जाता है (व्यवधान) हम शीघ्रातिशीघ्र जनप्रतिनिधियों के हाथ में इन मंडी समितियों को सुपुर्द कर दें । इसमें हम बिलकुल विलम्ब नहीं करेंगे, यह हमारा प्रयास होगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

आप क्यों नहीं नामजद कर देते ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

हमारे मित्रों ने कहा कि मंडी समितियों के धन का उपयोग नहीं हो रहा है, कुछ ठीक से वहां पर कार्य नहीं हो रहा है, मैं उन्हें खुशखबरी देना चाहता हूं कि इस वर्ष यानी 85-86 में 400 किलोमीटर सड़कें मंडी समितियों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी ।

श्री राम औतार दीक्षित—

यहां पर मेरा एक सुझाव है मंत्री जी से वह 400 के बजाए 425 किलोमीटर

कर दें, जिससे हर विधायक को एक-एक किलोमीटर सड़क मिल जाए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

दीक्षित जी का सुझाव तो अच्छा है, इनके सुझाव पर अमल किया जाएगा । दूसरे किसानों के लिए मंडी समितियों में, मंडी स्थलों में विश्राम के लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था की गई है । कुछ में है, जहां पर नहीं है, वहां पर यह बनाये जायेंगे और मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह भी मंडी-स्थलों पर समय-समय पर जाएं और यदि कोई वहां दिक्कत देखें तो हमको सुझाव दें । हमारे दीक्षित जी जानते हैं और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि मैं हरदोई से वापस आ रहा था, रास्ते में हमने एक मंडी स्थल को देखा । वहां पर पीने के पानी का इंतजाम नहीं था, किसानों के बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी । इसके लिए वहां से आते ही वहां के सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की गई और उसको निलम्बित किया गया । मंडी समितियों के कार्य को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा । हमने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है और अभी तक 9 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, 25 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, एक अधिकारी को चेतावनी दी गई है, 28 कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है, एक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, 14 कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है । बहुत से लोगों का स्थानांतरण किया गया है, लेकिन मैं स्थानान्तरण को सजा नहीं मानता हूं । लेकिन मंडी समितियों को पूरे तरीके से सुदृढ़ बनाने, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं एक खुशखबरी आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे राजेन्द्र गुप्त जी ने जिक्र किया कि किसान जब माल वापस ले जाता है तो उन्हें मंडी शुल्क देना पड़ता है । तो हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, हमने ऐसी व्यवस्था इसी वर्ष से प्रारम्भ कर दी है कि जिन मंडियों में हमारे गोडाउन्स हैं, 30 मंडियों में, अगर किसान वहां माल लेकर जाता है और उसको सही कीमत नहीं मिलती है तो उसे माल को वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गोडाउन्स में वह अपना माल रख सकेंगे और उनको उसकी जो कीमत होगी उसका 75 प्रतिशत एडवांस कर दिया जाएगा और इस पर सिर्फ 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा । तो मान्यवर, और भी बहुत सी सुविधायें किसानों के लिये कर रहे हैं ।

मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन मंडियां किसान के हित में काम करेंगी और किसान का शोषण नहीं हो सकेगा । मान्यवर, एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं । मंडी समितियों की ओर से प्रदेश के किसानों के लिये भारत भ्रमण कार्यक्रम बनाया जा रहा है । जो देश में कृषि के सम्बन्ध में शोध हो रहा है उसकी जानकारी किसानों को कराने के लिए किसानों को भारत भ्रमण पर भेजा जायगा और सारा खर्च मंडी समितियां वहन करेंगी । तो तमाम कल्याणकारी कार्य हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन समय कम है नहीं तो एक लम्बी लिस्ट बताता कि क्या क्या कार्यक्रम मंडी समितियों की तरफ से अपनाये जा रहे हैं । तो मैं समझता हूं कि प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । माननीय राम गोविन्द चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें, मेहरबानी होगी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप क्या अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड—2

(2) यह 22 मई, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल-अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं यह संशोधन आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं :

"खण्ड 2 की तीसरी पंक्ति में शब्द 'तीन वर्ष' के स्थान पर शब्द और अंक '2 वर्ष 6 माह' रख दिये जायं ।" मान्यवर, मैंने यह संशोधन करने का प्रस्ताव इसलिए किया कि यह 22 मई 85 को समाप्त हो रहा है, और मई, जून, जुलाई हो गया है । नवम्बर तक की मांग मैंने इसमें की है । इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार यदि चुनाव कराना चाहती है तो नवम्बर तक के मेरे संशोधन को मान ले ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मुझे यह संशोधन अस्वीकार है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, सरकार चुनाव कराने के लिये तैयार नहीं है । मैं इसका विरोध करने के लिये अपने दल के सदस्यों के साथ वहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो यह किसान विरोधी रवैया अपना रहे हैं, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के किसान विरोधी रवैये पर मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 की तीसरी पंक्ति में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द और अंक "2 वर्ष 6 माह" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1985

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक (व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 और खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 26-7-85 के उपवेशन में नियम 51 के अंतर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई । श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री राम आसरे वर्मा, श्री औसान सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री सत्यपाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री राजेन्द्र गुप्त इनमें से श्रीरामगोविन्द चौधरी की सूचना जो जनपद उन्नाव के सरदारा ग्राम में हरिजन उत्पीड़न के संबंध में है, उसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

ललितपुर जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम द्वारा सौराई में संचालित राक फास्फेट योजना की आड़ में यूरेनियम की जानकारी विदेशियों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

नियम 56 के अधीन दी गयी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, सदन की राय है कि इसको पढ़ा हुआ माना जाता है । अब आप प्रश्न करें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

[उक्त सूचना में यह आरोप है कि राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को ताक पर रखकर उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम एवं कतिपय विदेशीगणों ने ललितपुर के सोनरई स्थान पर दिनांक 8 मई, 1985 से 13 मई, 1985 तक मनमाने रूप से सर्वेक्षण का कार्य किया और जाते समय डायरेक्टर आफ ज्योलोजी एण्ड माइनिंग उत्तर प्रदेश के संरक्षण में एटामिक इनर्जी कमीशन के विशेषज्ञों द्वारा रखाये गये यूरेनियम कोर की भारी मात्रा विदेश ले गये । इसकी जानकारी उद्योग मंत्री को होने के बाद भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके अक्षमता का परिचय दिया ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2—उपर्युक्त आरोप सही नहीं है जैसा कि विभिन्न तथ्यों से स्पष्ट होगा जिन्हें आगे व्यक्त किया जा रहा है :

3—ललितपुर जनपद के सोनरई ग्राम के समीप राकफास्फेट खनिज के लगभग 60 लाख टन भण्डार हैं । इनमें से लगभग एक लाख टन उच्चकोटि के हैं जिसमें फास्फेट 30 प्रतिशत या उससे अधिक है, लगभग 10 लाख टन मध्यम कोटि के हैं जिसमें फास्फेट औसतन 25 प्रतिशत है तथा शेष भण्डार में फास्फेट औसतन 15 प्रतिशत है । राकफास्फेट के सभी भंडार उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम को खनन पट्टे पर स्वीकृत हैं और निगम द्वारा उत्खनन किया जा रहा है । राकफास्फेट खनिज की मांग राष्ट्रीय उर्वरक उद्योग में काफी अधिक है । उच्चकोटि के खनिज का उसी रूप में विक्रय किया जा रहा है । परन्तु मध्यम अथवा निम्नकोटि का राकफास्फेट विक्रय नहीं हो पा रहा है । इन उपलब्ध भण्डारों के अधिकाधिक उपयोग के लिये यह आवश्यक है कि मध्यम एवं निम्नकोटि के राकफास्फेट का शोधन कर उन्हें उच्च कोटि में कन्सेन्ट्रेट के रूप में तैयार किया जाय, ताकि उसका विक्रय हो सके ।

4—मध्यम/निम्न श्रेणी के राकफास्फेट के कथित शोधन कार्य के लिये खनिज विकास निगम ने भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से औद्योगिक टेस्ट कराया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को सौंपा । परन्तु खान ब्यूरो द्वारा किये गये टेस्ट के अनुसार प्रोसेस-फ्लो के आधार पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्वश्री इन्जीनियर्स इण्डिया लि0 ने राकफास्फेट शोधन संयंत्र के लिये तैयार की वह आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं पायी गयी ।

5—उक्त खनिज का उपयोग फास्फेटिक उर्वरक के निर्माण में होता है और देश में लगभग 85 प्रतिशत राकफास्फेट का आयात किया जाता है । इस महत्वपूर्ण खनिज की आवश्यकता तथा बुन्देलखण्ड के पिछड़े ललितपुर जनपद के विकास को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि टेस्ट वर्क, प्रोसेस-फ्लो एवं डिजाइन का कार्य अधिक अनुभवी एवं योग्य वैज्ञानिकों से करवाया जाय । इस कार्य के लिये कनाडा देश की एक प्रमुख कम्पनी सर्वश्री "मेट-केम" राजी हुई । उल्लेखनीय है कि सर्वश्री मेट-केम, कनाडा ने भारत सरकार का कर्नाटक राज्य स्थित कुदरेमुख आयरन ओर प्रोजेक्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया था । सर्वश्री मेट-कम ने राकफास्फेट के उक्त कार्य हेतु अपने प्रस्ताव को दो भागों में करने का आफर दिया । पहले भाग में वह क्षेत्र में रिप्रजेनटेटिव सैम्पुल एकत्रित करेंगे, एवं उन्हें औद्योगिक टेस्टिंग हेतु कनाडा ले जाकर सैम्पुल की जांच करेंगे । दूसरे भाग में टेस्ट वर्क से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रोसेस डिजाइन तैयार करने व फिजिबिलेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कार्य सम्मिलित हैं । कनाडा सरकार की सहायता का प्रमुख एजेन्सी सर्वश्री कनेडियन इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एजेन्सी (सीडा) के समक्ष सर्वश्री मेट-केम द्वारा टेस्ट वर्क व परियोजना रिपोर्ट की कुल फीस (3.55 लाख कनेडियन डालर) वहन करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे सीडा ने स्वीकार कर लिया ।

6—उपर्युक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार के खान मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय (डिपार्टमेन्ट आफ इकोनामिक अफेयर्स) की स्वीकृति प्राप्त की गयी । तदोपरान्त मार्च, 1985 में राज्य खनिज विकास निगम तथा सर्वश्री मेट-केम के मध्य टेस्ट वर्क एवं फिजिबिलेटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुबन्ध किया गया ।

7—उक्त अनुबंध की शर्तों के ही अधीन 16 से 23 अप्रैल, 1985 के मध्य सर्वश्री मेट-केम के दो विशेषज्ञ (श्री एम0 शेनेक तथा श्री एस0 श्रीनिवासन) राज्य खनिज

विकास निगम तथा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधिकारियों के साथ सोनरई गये ताकि कार्य के प्रथम भाग के अनुसार अर्थात राकफास्फेट का सैम्पुल एकत्रित किया जा सके । इस अवधि में उन्होंने लगभग चार सौ किलोग्राम राकफास्फेट का ड्रिल कोर सैम्पुल एकत्रित किया और उसे कनाडा ले गये । कनाडा में राकफास्फेट के उक्त नमूनों की औद्योगिक जांच प्रारम्भ की जा चुकी है और उसके प्रारम्भिक नतीजे टेलेक्स द्वारा राज्य खनिज विकास निगम को प्राप्त होने लगे हैं, जो आशाजनक हैं । अन्तिम परिणाम लगभग तीन माह में प्राप्त हो सकेगा ।

8—नियम 56 की उक्त सूचना में कनेडियन वैज्ञानिकों का दौरा दिनांक 8 मई से 13 मई, 1985 तक बताया गया है, जो सही नहीं है जैसा ऊपर बताया गया है, उक्त दौरा दिनांक 16 अप्रैल से 23 अप्रैल, 1985 के मध्य किया गया है ।

9—उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि नियम 56 के अन्तर्गत दिये गये सूचना में जो बात कही गयी है वह सर्वथा निराधार है यह कहना सही नहीं है कि यूरेनियम का कोई भी सैम्पुल कनाडा के वैज्ञानिक ले गये । इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि राज्य शासन/भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय/राज्य खनिज विकास निगम द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह प्रदेश में उपलब्ध वर्तमान में अनुपयोगी राकफास्फेट भण्डार के अधिकाधिक उपयोग, पिछड़े क्षेत्र ललितपुर के विकास एवं उक्त खनिज के आयात को घटाकर विदेशी मुद्रा बचाने के हित में है जो निश्चय ही राष्ट्र के बहुमुखी विकास के हित में है ।]

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया हुआ है, यह सत्य से परे है और इसमें सत्य को छिपाने की भरपूर कोशिश की गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है कि सौराई में खनिज रूप में यूरेनियम उपलब्ध हुआ है और इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सौराई में यूरेनियम की पुष्टि के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट सरकार के पास है कि वहां पर खनिज रूप में यूरेनियम मौजूद है या नहीं ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि राकफास्फेट की जांच के लिए अनुसंधान किया जा रहा है और इसी बात को पता लगाया जा रहा है कि राकफास्फेट में यूरेनियम के अंश हैं या नहीं ।

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, यह जो है यह एकदम असत्य भाषण है । वहां पर यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम द्वारा चलाये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रोफेसर बाई0 वी0 वागदोनोर ने 1974 में रिपोर्ट दिया है कि सौराई के राकफास्फेट में यूरेनियम खनिज रूप में उपलब्ध है और यहां इस सदन को माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं । अतएव मेरे इस प्रश्न का जवाब दें कि क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

इस रिपोर्ट को टेबुल पर रखा जाए और देखा जाए 1971 में यह हुआ था । 1974 की यह एडहाक रिपोर्ट है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि इस अवधि में लगभग 400 ग्राम राकफास्फेट का ड्रिल श्री एम0 शेनेक तथा श्री एस0 श्रीनिवासन ने एकत्रित किया और ले गये । मान्यवर, नियम-8 के

अन्तर्गत प्राविधान है कि जो भी व्यक्ति वहां जायेगा यह केन्द्र सरकार से राज्य सरकार की अनुमति से जाएगा, तो दोनों व्यक्ति एक श्रीनिवासन और एक जो अंग्रेज थे, जब गये, तो उन्होंने क्या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुमति ली थी वहां जाने की ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, वक्तव्य में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दो वैज्ञानिक बुलाए गये थे । वह अपने आप नहीं आए थे उनके साथ उत्तर प्रदेश खनिज निगम और उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधिकारी साथ गये थे ।

श्री हर्षवर्धन—

वक्तव्य में कहा गया है कि मई के महीने में वह दोनों व्यक्ति आये नहीं थे । इससे पहले 23-24 अप्रैल को यह गये थे । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि यह मई के महीने में आए थे और होटल क्लार्क में रुके थे । यह कोई सहयोग करने के लिए नहीं आए थे यह बिजनेस के मतलब से आए थे । इनका कहना है कि मई में नहीं गए हैं, लेकिन यह मई में गए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इसकी जांच कराएं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में कहना चाहूंगा क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में जो जांच हुई उसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार क्या सोनरई राकफास्फेट यूरेनियम का प्रतिशत होना पाया गया था ? यदि नहीं पाया गया था तो इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को थी या नहीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, सन् 1974 में संयुक्त राज्य विकास योजना के अन्तर्गत खनिज का काम हुआ उसकी जो रिपोर्ट आई उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक हमारी अनुज्ञा नहीं थी इसलिए फिर से जांच की आवश्यकता महसूस हुई । यहां पर बताना चाहता हूं कि जो राकफास्फेट है यह हमारे देश में खाद बनाने के काम आता है और उसका 80 परसेन्ट विदेशों से मंगाया जाता है । हम अपने देश में उपलब्ध राक फास्फेट का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं । इसलिए शोधन कार्य अत्यन्त आवश्यक था इसलिए आदेश दिए गये थे । अतः विदेश के विशेषज्ञों को बुलाकर व्यवस्था की गई कि राक फास्फेट के शोधन की बाइबिल योजना बनायी जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि सन् 1974 में जो जांच हुई उस जांच रिपोर्ट के अनुसार क्या सोनरई राकफास्फेट यूरेनियम का प्रतिशत होना पाया गया था ? यदि नहीं पाया गया था तो इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को थी या नहीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, सन् 74 में शोधन करने पर जो स्थिति सामने आयी वह वाइबिल नहीं थी, खर्चा ज्यादा हो रहा था और उसमें एक हजार कण में एक कण यूरेनियम का सम्भावित था । इसलिये अधिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ी कि शायद अधिक खोज पर यूरेनियम ज्यादा मिले । अधिक एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं जानना चाहता हूं कि आई0बी0 एम0 ने जो शोध किया, उसके अनुसार रिपोर्ट नहीं बनी ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मंत्री जी का जो उत्तर आया है उसमें कहीं यह नहीं है कि यूरेनियम के बारे में शोध कराने का प्रयास किया जा रहा है कि कितना प्रतिशत है। हमारे पूछने पर मंत्री जी बाध्य हुये बताने के लिये कि कितना प्रतिशत यूरेनियम पाया गया था। मैं जानना चाहूंगा कि कितना प्रतिशत यूरेनियम होने पर यूरेनियम के खनन का कार्य किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी ने बता दिया कि एक प्रतिशत की सम्भावना है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने पूछा है कि कितने प्रतिशत पर खनन किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री हरदेव—

यूरेनियम देखा है सपने में।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

हमने नहीं देखा है। खनन का काम माननीय सदस्य ने किया होगा। दूसरा सवाल यह है कि कितना प्रतिशत यूरेनियम पाये जाने पर उसको यूरेनियम के खनन के लिये सुरक्षित कर लिया जाता है। वह एक प्रतिशत से कम नहीं है अगर है तो यूरेनियम के लिये क्यों उसको सुरक्षित नहीं किया गया।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

माननीय वक्तव्य में भी है और उसके बाद मैंने भी निवेदन किया कि शोध कार्य हो रहा है। सारे विश्व में अनेकों जगहों पर शोध हो रहा है। हमारे देश में यूरेनियम है या नहीं है। अब तक की जो रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार यूरेनियम का भण्डार प्राप्त होने का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। इसलिये उसके खनन का काम कराने के लिये शोध कार्य कराया जा रहा है।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि यूरेनियम का कोई अंश पाने की सम्भावना नहीं है। फिर कहा कि यूरेनियम का एक प्रतिशत की सम्भावना है, अधिक के लिये खनन कार्य चल रहा है। जहां पर यूरेनियम की सम्भावना है वहां विदेशियों को क्यों जाने दिया गया और दुबारा जो गये उसकी जांच करायेंगे। दुबारा गये या नहीं गये, लखनऊ आये थे। वही व्यक्ति जो पहले आये थे। वह कैसे आये थे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जहां तक तारीख का सवाल है यह तो विवादास्पद है। हमारे पास जो सूचना है वह वक्तव्य में दी गई है। जहां तक यह प्रश्न है कि यूरेनियम की मात्रा कितनी पायी गई है। वक्तव्य में स्पष्ट है कि वह लोग यूरेनियम की जांच के लिए नहीं आये थे। वह राक फास्फेट के शोध के लिये आये थे। उसमें जो यूरेनियम का अंश समझा जाता है उसका परीक्षण हो रहा है।

(मद संख्या 22 पुकारे जाने पर)

श्री हर्षवर्धन—

बिहार में .02 परसेंट से .04 परसेंट तक यूरेनियम पाया गया है, वहां खनन का कार्य हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

यदि इसमें कोई बात रह गयी है तो अल्पसूचित में देकर कोई दूसरा सवाल कर लेना ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री हर्षवर्धन—

[* * *]

श्री अधिष्ठाता—

लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी ने अपने दल के कुछ सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

कलकत्ता व बम्बई के बूचड़खानों में वध हेतु उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में जानवरों के निर्यात के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, सदन की राय से इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

पशुधन मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

[उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के नियम 5(क) तथा तत्सम्बन्धी उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली, 1964 के नियम 16 के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाहर गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाता है । उक्त अधिनियम अथवा नियमावली में गो वंशीय पशुओं के परिवहन की संख्या या सीमा निर्धारित नहीं है । नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत मुरादाबाद जिले के दलपतपुर, अगवानपुर, कुन्दरकी एवं अमरोहा स्टेशनों से क्रमशः वर्ष 1981-82 में कुल 850 डेरी योग्य गायें एवं कृषि कार्य हेतु उपयोगी 100 बैलों तथा 1983-84 में कुल 460 डेरी योग्य गायें तथा 90 कृषि योग्य बैलों के परिवहन हेतु सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा अनुज्ञा-पत्र निर्गत किए गए थे । 5 रु0 प्रति पशु के हिसाब से निर्धारित शुल्क वसूल कर कुल 7,500 रु0 राजकीय कोष में जमा किये गये थे । वर्ष 1982-83, वर्ष 1984-85 एवं वर्ष 1985-86 (दिनांक 30 जून, 1985 तक) में कोई अनुज्ञा-पत्र नये नियम 16 में निर्गत नहीं किया गया है । अतः कृषि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है ।

2—15 वर्ष से अधिक के बैल को प्रदेश के बाहर परिवहन करने पर उक्त अधिनियम अथवा नियमावली के प्राविधान लागू नहीं होते हैं । ऐसे बैलों के परिवहन के लिये कोई भी फीस निर्धारित नहीं है । 15 वर्ष से अधिक के बैलों को सक्षम प्राधिकारी के आयु के प्रमाण-पत्र के आधार पर परिवहन किया जाता है । कुन्दरकी, अगवानपुर तथा दलपतपुर स्टेशनों से वर्ष 1982-83 में 2,590 बैलों, वर्ष 1983-84 में 4,040 बैलों वर्ष 1984-85 में 27,680 बैलों तथा वर्ष 1985-86 में (दिनांक 30-6-85 तक) 15,800 बैलों के प्रदेश से बाहर

नोट :—[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रतिबन्ध नहीं है । मान्यवर, हम लोग भी गांव से आते हैं, खेती करते हैं । जो 15 वर्ष से अधिक के बैल होते हैं वे खेती योग्य नहीं होते, वे स्वाभाविक रूप से बूचड़खाने ले जाए जाते हैं, उनका यही उपयोग होता है । तो माननीय मंत्रीजी आपके माध्यम से बताने का कष्ट करें कि क्या 15 साल से अधिक आयु वाले बैलों को जो पहले व्यवस्था थी कि जंगलों में ले जा करके डाल दिया जाता था, क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगी ?

श्रीमती बेनीबाई—

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है । जब प्रतिबन्ध नहीं है तो वे क्यों नहीं ले जाये जा सकते ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, जो 15 साल से ऊपर वालों को ले जाने का अधिकार है तो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर इनका निर्यात हो रहा है हजारों की संख्या में बैलों का । दूसरी बात यह है कि मंत्रीजी ने बताया कि हजारों की संख्या में गायों का भी निर्यात हो रहा है ।

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर गायों के लिये स्वीकार नहीं किया है । सिर्फ बैलों के लिये स्वीकार किया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इन्होंने अपने वक्तव्य में छठी लाइन में लिखा है कि मुरादाबाद जिले के दलपतपुर, अगवानपुर, कुन्दरकी एवं अमरोहा स्टेशनों से कृषि योग्य बैल और डेरी योग्य गायें दोनों का जिक्र किया है । तो मान्यवर, जो परमिट लिये जाते हैं, उनमें परपज भी लिखा जाता है । तो जो परमिट लिया गया इतने हजार गाय और बैलों के निर्यात का, इसमें परपज क्या लिखा गया था ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, फार्म में 15 साल या 15 साल से कम उम्र के जो कृषि योग्य बैल हैं और दूध देने वाली गायें हैं, उनके बारे में लिखा गया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

यहां से फर्जी परमिट ले जाते हैं । उसमें परपज लिखा जाता है कि बेचने के लिये ले जायेंगे या फलां को देने के लिए ले जायेंगे ।

अगर मान्यवर माननीय मंत्री जी के पास परपज नहीं है तो जो मेरी शंका है कि यह बूचड़खाने में वध के लिये जा रही है, उसमें बल मिलेगा ।

श्रीमती बेनीबाई—

मान्यवर, परपज लिखना होता है । कृषि के लिये बैलों का और गायों का डेयरी के लिये होता है । 15 साल के ऊपर के बैल होते हैं, उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, वे कहीं भी लाये जा सकते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि गायों को डेयरी के लिये और बैलों को कृषि के लिये ले जाया जाता है । बंगाल में जो बैल जाते हैं, 15 साल से नीचे के, जो यहां हरियाणा की नस्ल चल रही है, वह बंगाल के खेतों में चलते नहीं हैं । इसकी जांच करायेंगी । कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे बूचड़खाने में जा रहे हो ?

श्रीमती बेनीबाई—

मान्यवर, डी0एल0ओ0 वगैरह यही तो पता लगाते हैं कि उनकी उम्र क्या है । 15 वर्ष से अधिक के बैल जायेंगे, 15 वर्ष से कम के नहीं जायेंगे और जायेंगे भी तो कृषि के लिये जायेंगे ।

प्रतिबन्ध नहीं है। मान्यवर, हम लोग भी गांव से आते हैं, खेती करते हैं। जो 15 वर्ष से अधिक के बैल होते हैं वे खेती योग्य नहीं होते, वे स्वाभाविक रूप से बूचड़खाने ले जाए जाते हैं, उनका यही उपयोग होता है। तो माननीय मंत्रीजी आपके माध्यम से बताने का कष्ट करें कि क्या 15 साल से अधिक आयु वाले बैलों को जो पहले व्यवस्था थी कि जंगलों में ले जा करके डाल दिया जाता था, क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगी ?

श्रीमती बेनीबाई—

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है। जब प्रतिबन्ध नहीं है तो वे क्यों नहीं ले जाये जा सकते।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, जो 15 साल से ऊपर वालों को ले जाने का अधिकार है तो फर्जी सर्टीफिकेट लेकर इनका निर्यात हो रहा है हजारों की संख्या में बैलों का। दूसरी बात यह है कि मंत्रीजी ने बताया कि हजारों की संख्या में गायों का भी निर्यात हो रहा है।

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर गायों के लिये स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ बैलों के लिये स्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इन्होंने अपने वक्तव्य में छठा लाइन में लिखा है कि मुरादाबाद जिले के दलपतपुर, अगवानपुर, कुन्दरकी एवं अमरोहा स्टेशनों के कृषि योग्य बैल और डेरी योग्य गायों दोनों का जिक्र किया है। तो मान्यवर, जो परमिट लिये जाते हैं, उनमें परपज भी लिखा जाता है। तो जो परमिट लिया गया इतने हजार गाय और बैलों के निर्यात का, इसमें परपस क्या लिखा गया था ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, फार्म में 15 साल या 15 साल से कम उम्र के जो कृषि योग्य बैल हैं और दूध देने वाली गाय हैं, उनके बारे में लिखा गया है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

यहां से फर्जी परमिट ले जाते हैं। उसमें परपज लिखा जाता है कि बेचने के लिये ले जायेंगे या फला को देने के लिए ले जायेंगे।

अगर मान्यवर माननीय मंत्री जी के पास परपज नहीं है तो जो मेरी शंका है कि यह बूचड़खाने में वध के लिये जा रही है, उसमें बल मिलेगा।

श्रीमती बेनीबाई—

मान्यवर, परपज लिखना होता है। कृषि के लिये बैलों का और गायों का डेयरी के लिये होता है। 15 साल के ऊपर के बैल होते हैं, उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, वे कहीं भी लाये जा सकते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि गायों को डेयरी के लिये और बैलों को कृषि के लिये ले जाया जाता है। बंगाल में जो बैल जाते हैं, 15 साल से नीचे के, जो यहां हरियाणा की नस्ल चल रही है, वह बंगाल के खेतों में चलते नहीं हैं। इसकी जांच करायेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे बूचड़खाने में जा रहे हों ?

श्रीमती बेनीबाई—

मान्यवर, डी0 एल0 ओ0 वगैरह यही तो पता लगाते हैं कि उनकी उम्र क्या है। 15 वर्ष से अधिक के बैल जायेंगे 15 वर्ष से कम के नहीं जायेंगे। और जायेंगे भी तो कृषि के लिये जायेंगे।

(जनपद बांदा में जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस द्वारा छापा मारने तथा मारपीट करने के सम्बन्ध में होने वाला वक्तव्य कुंवर रेवती रमण सिंह के अनुपस्थित होने के कारण नहीं हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं । सोमवार दिनांक 29-7-85 को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 6 बजकर 26 मिनट पर सोमवार 29 जुलाई, 1985 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

26 जुलाई, 1985 भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर ।)

1—श्री मृत्युंजय उ0 मा0 वि0, अहरक, वाराणसी ।

2—जू0 हा0 स्कूल, अहिकौरा, वाराणसी

3—ग्राम विद्यापीठ विद्यालय, गड़वा ।

4—सरस्वती इण्टर कालेज, अहिकौरा ।

5—गडौ उ0 मा0 विद्यालय, गडौरो ।

6—चित्रकूट पू0 मा0 वि0, तपोवन आश्रम ।

7—जू0 हाईस्कूल, खमौ ।

8—श्री लदान प्रसाद उ0 मा0 वि0, वीरभद्रपुर ।

9—सेवा सदन उ0 मा0 वि0, मोठ ।

10—जनता जू0 हाईस्कूल, विश्वनाथपुर, बड़ागांव ।

11—विद्या विहार जू0 हाईस्कूल, सलारपुर ।

12—प्रगतिशील विद्यालय, अमला ।

13—उड़िया बाबा आदर्श विद्यालय, वैजलपट्टी ।

14—राजाराम स्मारक विवेकानन्द वि0, सिसौधा कलां ।

15—सूर्यनारायण पूर्व मा0 वि0, पिंडरा ।

16—लवकुश मा0 विद्यालय, सीतागढ़ी ।

17—क्षत्रपति शिवाजी जू0 हा0 स्कूल, परशुरामपुर, मुगलसराय ।

18—रामजी महाराज इ0 कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी ।

19—जे0 सी0 जू0 हाईस्कूल, समईपुर, वाराणसी ।

20—बाबा किनाराम इ0 का0, रामगढ़ ।

21—बाबा तारकेश्वर जू0 हाईस्कूल, मिश्रपुरा ।

22—आदर्श जू0 हा0 स्कूल, जगरनाथपुर, वाराणसी ।

23—जनता जू0 हा0 स्कूल, वाण्डेयपुर, वडौना ।

24—श्री गणेश प्रसाद का0, बरवा ।

25—भारत सेवक समाज उ0 मा0 वि0, हथिया, वाराणसी ।

26—जुडावन सिंह उ0 मा0 वि0, भीषमपुर, वाराणसी ।

27—कैण्ट बोर्ड जू0 हा0 स्कूल, वाराणसी ।

28—चित्रकूल पू0 मा0 वि0, सारंगतालाब, वाराणसी ।

29—भगवान उ0 मा0 वि0, जीतपुर, वाराणसी ।

30—तपस्वी महाराज इ0 का0, राजापुर, वाराणसी ।

31—नेहरू इ0 कालेज, रोही, वाराणसी।

33—बुढ़ऊ बाबा वि0, साया, वाराणसी। वाराणसी ।

33—बुढ़ऊ बाबा वि0 साया, वाराणसी ।

34—मालवीय महाविद्यालय इ0 कालेज, शाहशाहपुर ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

गांव का नाम	गांव का नाम
1—कलाई	21—खेड़िया बहादुरगढ़ी
2—ग्वालरा	22—हरबुशपुर
3—अहक	23—गनेशपुर
4—छलेसर	24—मुहम्मदपुर बढेरा
5—अहरौली	25—महलपुर
6—काजिमपुर	26—जिरौली
7—जामुना	27—लोहगढ़
8—काजिमाबाद	28—गहतोली निर्मल
9—बढ़ौली	29—तेबूतू
10—कासिमपुर	30—औरनी दलपतपुर
11—जखेरा	31—मोहसुनपुर
12—विलुखुनी	32—मढौली निसीअसरफाबाद
13—पहाड़गढ़ी	33—चौमुहा
14—नहल	34—जमालगढ़ी
15—ककथल	35—नरौना अकबरपुर
16—बैभवीरपुर	36—गोवली
17—जमनपुर	37—भवीगढ़
18—नगला हाजी	38—गाजीपुर
19—चिकाथल	39—रायपुर खास
20—रायपुर दलपतपुर	40—पाली मुकीमपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

1—दिनांक 15-1-80 से 23-1-80 तक गुजरात राज्य में भेजे गये स्टडी टूर में सम्मिलित सदस्यों का विवरण :

1—श्री एम0 पी0 सिंह	संचालक
2—श्री त्रिलोक सिंह	उपाध्यक्ष
3—श्री ओ0 पी0 सक्सेना	संचालक
4—श्री नारायण सिंह विष्ट	संचालक
5—श्री राम समुझ सिंह	संचालक
6—श्री जी0 डी0 शास्त्री	बैंक अधिकारी
7—श्री प्रेम सिंह	चपरासी बैंक

2—दिनांक 21-1-81 से 31-1-81 तक तमिलनाडु एवं केरल राज्य में भेजे गये स्टडी टूर में सम्मिलित सदस्यों का विवरण ।

1—श्री राम शंकर सिंह
2—श्री बरफ सिंह रावत
3—श्री नारायण सिंह विष्ट
4—श्री त्रिलोक सिंह
5—श्री राम समुझ सिंह
6—श्री ओ0 पी0 सक्सेना
7—श्री राजपाल शर्मा
8—श्री धनीराम यादव
9—श्री सुरेश सिंह
10—श्री बशीरूद्दीन
11—श्री गोसाई सिंह रावत
12—श्री जी0 डी0 शास्त्री, बैंक अधिकारी
13—श्री भारत भक्त, बैंक अधिकारी ।
14—श्री प्रेम सिंह, बैंक चपरासी ।

पी0एस0यू0पी0—27 वि0 सभा—9-9-85 —813 (लाइनो)

उत्तर प्रदेश विधान सभा